अष्टम माला, खंड 46, अंक 4

शुक्रवार, 24 फरवरी, 1989
5 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PA ... MENT LIBRARY
No B 60
Date 17/7/89

(खण्ड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 46, तेरहवां सत्र, 1989/1910 (शक)

अंक 4, शुक्रवार, 24 फरवरी, 1989/5 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	1 18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41, 42 और 45 से 47			
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	19—149
*तारांकित प्रश्न संख्या : 43, 44, 48 से 57 59 और 60			
अतारांकित प्रश्न संख्या : 374 से 462 से 464 से 530 और 532, से 566			
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	...	149—164
सभा का कार्य :	...	...	164—167
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	...	...	167—195
कुमारी ममता बनर्जी	...	...	168—172

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसने पूछा था।

विषय			पृष्ठ
श्री शरद दिघे		...	172—176
श्री दिनेश गोस्वामी	...	...	176—181
श्री सोमनाथ रथ	...	...	181—183
श्री तरुण कान्ति घोष	...	...	183—186
श्री काली प्रसाद पांडेय	...	...	186—189
श्री राम स्वरूप राम	...	...	189—192
श्री मेवा सिंह गिल	...	...	192—195
विधेयक पुरःस्थापित			
(एक) उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक			
श्री जी० एस० बासवराजू	...	...	195—196
(दो) कृषि उपज कीमत नियतन विधेयक			
श्री उत्तम राठोड़	...	...	196
असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक	...	...	196—226
श्री बालासाहिब विखे पाटिल द्वारा)			
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री राम प्यारे पनिका	...	...	196—199
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	...	...	199—203
प्रो० एन० जी० रंगा	...	...	203—207
श्री एन० टोम्बी सिंह	...	...	207—209
डा० फूलरेणु गुहा	...	...	209—211
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	...	...	211—215

विषय पृष्ठ

श्री गिरधारी लाल व्यास	...	...	215—219
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	...	...	219—220
श्री जगन्नाथ पटनायक	...	...	220—222
श्री दामोदर पांडे	...	...	222—225
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	...	...	225—226

लोक सभा

शुक्रवार, 24 फरवरी, 1989/5 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बीच में कैसे खड़े हैं ?

श्री वसुदेव आचार्य : उनको बीच में ही रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बीच में तो आपके और इनके रहना चाहिए, कोरिडोर में तो नहीं।

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : महोदय, मैं तो अपने स्थान पर ही जा रहा था।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मराठवाडा क्षेत्र में रेल व्यवस्था के विकास हेतु धनराशि जुटाने के लिए बांड जारी करना

*41. **श्री शरद दिघे†** :

श्री डी०बी० पाटिल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र में बेहतर रेल व्यवस्था हेतु धनराशि जुटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को बांड जारी करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : सक्रिय रूप से या अन्यथा।

डा० विद्या सामन्त : माननीय मन्त्री महोदय की भी यही मांग है।

श्री शरद दिघे : उत्तर यह है कि मामला विचाराधीन है।

मराठवाड़ा महाराष्ट्र राज्य का पिछड़ा क्षेत्र है।

मराठवाड़ा में परिवहन सुविधाओं का विकास करने के लिए राज्य सरकार ने चार परियोजनाओं की सिफारिश की है। इनमें से तीन गेज परिवर्तन के बारे में है और एक नई रेलवे लाइन बिछाने के बारे में है। माननीय वित्त मन्त्री सहित सभी मुख्य मन्त्री इन परियोजनाओं की मंजूरी और इन परियोजनाओं के आबंटन के लिए विशेषत: मनमाड-औरंगाबाद-परभानी-पारली-बैजनाथ मीटर गेज लाइन और परभानी-पूर्णा मुदखेड़ मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए दबाव डालते रहे हैं। कल रेलवे बजट में प्रथम परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये और दूसरी परियोजना के लिए 1000 रुपये की सांकेतिक अनुदान राशि प्रदान की गई है। नई बम्बई रेलवे अर्थात मनखुद बेलापुर रेलवे के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये के ऋण-पत्र (डिबेंचर) जारी करने पर महाराष्ट्र सरकार की सहमति के लिए रेल मन्त्री हमेशा महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा करते हैं। और कल उन्होंने अपने भाषण में इस बात को दोहराया तथा राज्य सरकार द्वारा रेलवे परियोजनाओं के लिए योगदान दिए जाने तथा आगे आने के लिए राज्य सरकार के ऐसे प्रयासों की सराहना की। उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए जब महाराष्ट्र सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक बांड जारी करने का प्रस्ताव रखा तो अब इसमें तकनीकी कठिनाई क्या है ? सरकार ऐसे प्रस्ताव पर सहमति प्रकट क्यों नहीं कर रही है ? इसे विचाराधीन क्यों रखा गया है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं नहीं समझता कि मुझे अपने सहयोगी रेल मन्त्री से ऐसे प्रश्न का उत्तर देने का अनुरोध करना चाहिए जो वित्त मन्त्रालय से पूछा गया है। प्रश्न के प्रथम भाग के संबंध में यह सच है कि महाराष्ट्र के उत्तरवर्ती मुख्य मन्त्री इस बात का पूरा प्रयास करते रहे हैं कि इन रेलवे लाइनों को मंजूरी मिले और इन लाइनों का कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त धन राशि प्रदान की जाए। रेल मन्त्रालय ने दोनों लाइनों को मंजूरी दे दी है। इसमें अब कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु साथ ही यह भी सच है कि एक मामले में दी गई राशि 15 करोड़ रुपये है और दूसरे मामले में यह राशि केवल 1000 रुपये है। ऐसा संभव हो सकता है परन्तु जो स्पष्टीकरण मैं दे सकता हूं वह यह है ऋण-पत्र जारी किए जाने थे। हो सकता है इसी बात से उन्होंने यह निर्णय लिया हो। मैं रेलवे मन्त्रालय की ओर से यह नहीं कह सकता कि यह निर्णय लेने के लिए वास्तव में उनके दिमाग में क्या बात थी। महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री, रेल मन्त्री, योजना मन्त्री और मेरे बीच एक बैठक हुई थी। हम चारों उस बैठक में गए और सारे मामले पर चर्चा की तथा सिद्धान्त रूप से इस बात पर सहमत हुए कि हमें इस दिशा में निश्चित कदम उठाने होंगे ताकि इस पिछड़े क्षेत्र को रेलवे का लाभ मिल सके।

श्री शरद दिघे : महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि, इस बैठक की दृष्टि से जो कि पहले ही हो चुकी है और जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि सिद्धान्त रूप में वे इस बात पर सहमति भी हो चुकी है अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय और लगेगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : अन्ततोगत्वा इसे सही रूप और आकार में योजना आयोग के पास भेजा जाएगा और इसके बाद योजना आयोग अन्य प्रस्ताव वित्त मन्त्रालय को भेजेगा। यह भी हो सकता है कि इस कार्य का शीघ्र निपटान करने के लिए हम सभी फिर से इकट्ठे हों और प्रस्ताव तैयार करें और यह देखें कि कार्य शीघ्रता से हो रहा है।

श्री डी० बी० पाटिल : महोदय, यह सर्वमान्य सत्य है कि मराठवाड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि मराठवाड़ा के लिए विकास

बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। इससे स्वयं ही मराठवाड़ा क्षेत्र के पिछड़ेपन की झलक मिलती है। माननीय वित्त मन्त्री मराठवाड़ा क्षेत्र से संबंधित हैं और वह मराठवाड़ा क्षेत्र में रेल संचार के लिए दबाव दे रहे हैं। अब यह उनके ऊपर है कि वह बांड जारी करने की योजना को शीघ्र मंजूरी दें। महाराष्ट्र सरकार मराठवाड़ा में रेल संचार के लिए बहुत चिन्तित है। एक या दो वर्ष पहले यह प्रस्ताव था कि नई लाइनें बिछाने का कार्य रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित तथा पूरा किया जाना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार थी। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए क्या माननीय मन्त्री इस मामले पर शीघ्र निर्णय लेंगे ताकि मराठवाड़ा में विकास कार्य की गति को तीव्र किया जा सके।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को महसूस करता हूं। यह सच है कि यह एक पिछड़ा क्षेत्र है और इसके लिए कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम इन कार्यों को शीघ्रता से करने का प्रयास करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, यह बड़ी सुखद स्थिति है कि मैं वित्त मन्त्री महोदय से प्रश्न कर रहा हूं जो मुख्य मन्त्री भी रहे हैं और उन्होंने भी वही मांग की थी जो हम सदन में महाराष्ट्र की ओर से कर रहे हैं·· (व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : श्री मधु दण्डवते के प्रश्न का उत्तर रेल मन्त्री देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : यह ठीक है। महोदय, यह संयोग अच्छा है। प्रथम मार्ग पूरा किए जाने की अनुमति देकर मैं अपना कार्य कर चुका हूं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दिघे साहब कह रहे थे कि आप प्रेस कर रहे थे। फाइनान्स मिनिस्टर को कौन प्रेस करेगा और यह किस को प्रेस करेंगे ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : हम जिस किसी पर भी जोर डालें, उसे तो प्रधान मन्त्री को प्रभावित करना है। महोदय, यह सच नहीं है कि मराठवाड़ा क्षेत्र में अच्छी रेल सुविधा के लिए धन इकट्ठा करने हेतु बांड प्रचलित करने का प्रश्न उठा हो, जैसा कि आपने अभी कहा, किन्तु प्रश्न यह उठा था कि यह क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र समझा जाता है। अब क्षेत्र के हिसाब से तो पिछड़ी जातियां मराठवाड़ा और कोंकण दोनों ही क्षेत्रों में हैं। महोदय, यह बात वह अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार करने के बावजूद कि बांड जारी किए जाने चाहिए और सौभाग्य से··· (व्यवधान)। क्या यह घंटी मेरे लिए बजी है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं इतना अधिक निष्ठावान हूं कि यदि अनजाने में भी घंटी बजती है तो मैं बहुत ही सचेत हो जाता हूं···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी सराहना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : मधु भैया के यहां तो कभी टेलीवीजन में भी घंटी बजती

तो ये दरवाजा खोल देते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : सौभाग्य से माननीय रेल मन्त्री ने कल इस बात की ओर स्पष्ट संकेत कर दिया था कि वह बांड के माध्यम से धन इकट्ठा करने के सिद्धान्त को स्वीकार करते है। अब, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या वित्त मन्त्री उस सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे जो उन्होंने बम्बई में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के रूप में स्वीकार किया था और मराठवाड़ा तथा पश्चिमी कोंकण रेलवे के मामलों में बांड जारी करने में शीघ्रता दिखाएंगे इसका हवाला आपने मुझे भूतपूर्व रेल मंत्री के रूप में दिया था। अब मैं यह प्रश्न कर रहा हूं। इस मामले को योजना आयोग के साथ बातचीत करके और कोंकण रेलवे के अप्टारोहा भाग में 62 किलोमीटर वाले प्रथम भाग पूरा करके मैंने अपना काम कर दिया था। सौभाग्य से उसका निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। अतः मैंने अपना काम कर दिया। अब आप कृपया अपना काम भी करें।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, यही उत्तर तो मैं दे चुका हूं कि यह सारा मामला सरकार के पास विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि प्रधान मंत्री भी इस रेलवे लाइन के लिए अत्यधिक इच्छुक हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। जहां तक "विचार" और सर्वेक्षण का सम्बन्ध है ये बातें तो होती रहती हैं। मैं आपको एक अत्यधिक रुचिकर वाक्य सुनाता हूं। रेलवे में यह कहा जाता है :

"जहां चाह वहां 'रेलवे';

जहां कोई चाह नहीं, वहां केवल सर्वेक्षण है।" आप भी इसी प्रकार विचार करते हैं। मैं अपने अनुभवों से 'विचार' शब्द से बहुत डरता हूं 'विचाराधीन' शब्द के साथ भी, ठीक यही बात लागू होती है। इसलिए मंत्री महोदय कोई समयबद्ध आश्वासन दें कि यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और बांड जारी किये जाने की अनुमति कब तक दी जाएगी।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं माननीय सदस्य का यह सूचना देने के लिए अहसानमन्द हूं कि वह जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने इस मामले को किस प्रकार समझा था। कुछ भी हो, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जब मैं यह कहता हूं कि यह कार्य शीघ्रता से निपटाया जाएगा तो हम इसे निर्धारित समय में ही निपटाएंगे—मैं ठीक-ठीक समय बताने में असमर्थ हूं—हम यह प्रयास करेंगे कि यह कार्य अतिशीघ्र पूरा हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को अच्छी तरह महसूस कर सकता हूं कि आप जब रेलगाड़ी में बैठेंगे तो आप एक समान रफ्तार से यात्रा करेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मैं और अधिक रेलों के लिए मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास की मांग का समर्थन करता हूं क्योंकि एक समय मैंने भी मराठवाड़ा के एक भाग का प्रतिनिधित्व किया है। किन्तु तथ्य यह है कि रेलवे के विकास के लिए रेल विभाग या रेलवे वित्त निगम का मुख्य सम्बन्ध बांड जारी करने से है। मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र सरकार का स्थान इसमें कहां है। किन्तु यदि इस पर नई नीति के रूप में विचार किया जाये तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ऐसे सभी प्रस्तावों का समर्थन कर रही है जो विभिन्न राज्यों से न केवल रेलवे बल्कि राज्य उपक्रमों द्वारा हाथ में ली गई अन्य बहुत-सी परियोजनाओं के विकास के लिए भी सार्व-

जनिक क्षेत्र के बांड जारी करने हेतु प्राप्त हुए हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं माननीय सदस्य द्वारा दिये गये इस संकेत को भली भांति समझ सकता हूं कि भिन्न-भिन्न राज्यों में ऋण जारी करने के लिए सभी प्रकार की निगमों की मांग है। मैं इस स्तर पर इन सभी बातों के लिए कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। किन्तु क्या रेलवे वित्त निगम को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए या महाराष्ट्र सरकार से ही बांड जारी करने के लिए कहा जाना चाहिए, यह मामला भी विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री उत्तम राठौड़ अन्तिम पूरक प्रश्न।

श्री अशोक शंकर राव चव्हाण खड़े हुए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, जूनियर चव्हाण एक पूरक प्रश्न करना चाहते हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : मुझे उम्मीद है कि उनका नम्बर मेरे बाद आयेगा।

कुमारी ममता बनर्जी : जूनियर चव्हाण का क्या होगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पारिवारिक मामला नहीं समझ सकता।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं केवल आधा प्रश्न पूछूंगा।

एक माननीय सदस्य : उन्हें आधा प्रश्न दे दिया जाएगा।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, जब बांड जारी करने का प्रश्न उठाया गया था तो हाल ही में जब रेलवे सम्मेलन हुआ था तो जनता विकास परिषद् की ओर से यह मांग की गई थी कि जिन रेलवे लाइनों का उन्होंने प्रस्ताव किया है उन्हें भी इन बांड्स का लाभ मिलना चाहिए। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं ? क्या वे आदिलाबाद-मुडखेड रेलवे भाग को प्राथमिकता देंगे ताकि मराठवाड़ा क्षेत्र को चन्द्रपुर से कोयला मिल सके ?

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई मांगों के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि मेरे पास उन सभी घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा है जो जनता विकास परिषद् में घटी है। परन्तु इन दो रेलवे लाइनों की अनुमति दी गई है और हम यह प्रयास करेंगे कि हम कैसे उन दोनों रेलवे लाइनों को सहायता दे सकते हैं।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या बांड जारी करने के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त किया गया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें अपनत्व की भावना से उत्तर देना चाहिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देश बहुत स्पष्ट है कि यदि बांड जारी किये जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति से किन मार्ग निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। यदि ये मार्ग निर्देश इस बारे में उपयुक्त हैं तो निश्चित रूप से उन पर ध्यान दिया जायेगा परन्तु इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा प्रस्ताव भेजा है। अथवा नहीं, मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है मुझे इस बारे में पता लगाना होगा।

भरण-पोषण भत्ते की सीमा

[हिन्दी]

*42. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोई पत्नी अपने पति से प्रतिमाह अधिक से अधिक कितना भरण-पोषण भत्ता पाने की हकदार है;

(ख) क्या यह अधिकतम सीमा सभी मामलों में लागू है; चाहे पति की आय और सम्पत्ति कितनी भी हो;

(ग) यदि हां, तो इस अधिकतम सीमा को पति की आय और सम्पत्ति से न जोड़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस अधिकतम सीमा को समाप्त करने और भरण-पोषण की राशि को पति की आय और सम्पत्ति से जोड़ने का विचार है ?

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) विभिन्न स्वीय विधियों के अधीन पति द्वारा पत्नी को भरण-पोषण के लिए कोई सीमा नियत नहीं की गई है। किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में पांच सौ रुपये की अधिकतम सीमा का उपबन्ध है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन विहित भरण-पोषण की पांच सौ रुपये की अधिकतम सीमा को समाप्त करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक सामाजिक समस्या है जिसका हल कानून के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है बल्कि सिर्फ पाबन्दी लगाई जा सकती है। इस हिन्दुस्तान में जहां समाज में बहुओं को जलाया जाता हो और उसकी चिता की आग ठंडी नहीं होती उससे पहले दूसरे मां बाप अपनी लड़की का हाथ लेकर उस लड़के वालों के घर में जाते हैं यह कहने के लिए कि अपने लड़के से इस लड़की की शादी कर लें। तो एक सामाजिक बहिष्कार से ही इस पर पाबन्दी लगाई जा सकती है। यह कितने शर्म की बात है कि जो लोग अपनी औरतों को छोड़ देते हैं उसकी कीमत सिर्फ 500 रुपये रखी है कानून में। आज जहां मिनिमम वेज भी आपका 500 रुपये से ज्यादा है वहां क्या यह कानून आज के इस हिन्दुस्तान में लागू होना चाहिए ?

दूसरी तरफ जो कोर्ट में केसेज चलते हैं उसमें कितना ही पैसा उन औरतों का खर्च होता है और कितने लम्बे अरसे तक वह केसेज चलते हैं जिसका कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे फारेन नेशनल्स हैं जो यहां की लड़कियों से शादी करते हैं और बाहर चले जाते हैं। कुछ इंडियन नेशनल्स हैं जो शादी करके बाहर चले जाते हैं और फिर वह औरतें यहां परेशान होती हैं, कोई उनका खर्चा देने वाला नहीं होता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या आप इस कानून को जिसमें आपने 500 रुपये रखे हैं उन औरतों के लिए जिनको वे छोड़ देते हैं, क्या इस रकम को बढ़ाने के लिए आप कोई दूसरा कानून लाएंगे और इस रकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं

कि हमारे देश में पहले जो सी० आर० पी० सी० में सेक्शन (488) था उसके स्थान पर 1973 में सेक्शन (125) लाया गया। 1973 से पहले अगर आप देखें तो देश में, 1955 में, 1956 में हिन्दू मैरिज लाज एक्ट में तरमीम की गई और हिन्दू लाज जो कोडिफाई हुए उस समय हमारे नेताओं ने यह बात महसूस की जोकि माननीय सदस्य ने कहा है और अब पूरा प्रावधान है हिन्दू मैरिज एक्ट में, हिन्दू एडाप्शन एण्ड मेंटिनेन्स एक्ट में और महिलाओं की जिस प्रकार की समस्याएं माननीय सदस्य ने बताई है, यदि वे उनसे पीड़ित हैं तो उन एक्ट्स की तहत वह सारी रिलीफ मेंटिनेन्स की, पेंडिंग लिटीगेशन मेंटिनेन्स की गई हैं। यदि माननीय सदस्य कहें तो मैं पूरी जानकारी लिखकर दे दूंगा। लेकिन मुस्लिम शरियत एक्ट के अन्दर मेंटिनेन्स के बारे में महसूस किया गया और इसी सदन में हमने मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। आज उसी भावना से अगर देखें तो 125 रुपये से ज्यादा आज उनको मेंटिनेन्स मिल रही है।

लखनऊ की कोर्ट में करीब-करीब 80-90 हजार रुपये मैंटिनेन्स एक मुस्लिम महिला को दिया गया है। क्रिश्चियन कम्यूनिटी का मैंटिनेन्स लॉ है, उस एक्ट के तहत दिया जाता है। जितने भी हमारे देश में धर्म हैं और जितने सम्प्रदाय हैं, उनके पर्सनल लाज में मैंटिनेन्स का प्रावधान है। उसके तहत हम देख रहे हैं कि काफी महिलाओं को सुविधाएं मिल रही हैं। फिर भी यदि कोई गुंजाइश हुई और महिलाओं के संगठन या किसी तरफ से सुझाव आया तो उस पर गौर किया जायेगा। जनरल लॉ सी० आर० पी० सी० में मैंटिनेन्स का प्रोवीजन पहले ही किया गया था अंग्रेजों के जमाने में। क्योंकि उस समय कोई हिन्दू कोड बिल भी नहीं था और दूसरे एक्ट्स भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने डैस्टीच्यूट्स वीमैन के लिए 500 रुपये उस समय रखा था। मेरे लिहाज से जितने पर्सनल लाज हैं, कोडिफाई होने के बाद उसका कोई खास महत्व नहीं रहा।

अध्यक्ष महोदय : बात तो अग्रवाल जी की ठीक है। मान लीजिये किसी की दस हजार रुपये आमदनी है और उसको पांच सौ रुपये महीना मिले, तो यह तो अन्याय है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : अगर किसी महिला को उसका पति त्याग देता है, उसके हिसाब से जुडीशियल प्रिसीपल पर मैंटिनेन्स मिलता है। मैं यह माननीय सदस्य को बता रहा हूं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आपने तो इसमें पांच सौ रुपये लिखा है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैरिज लाज के तहत पैंडिंग लिटिगेशन में हजारों रुपये मिलते हैं। हैसियत के मुताबिक मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : फिर, ठीक है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ठीक तो है, सर। यह बड़ी अजीब बात है एक तरफ हम नारा लगाते हैं कि हमें जो धर्म है, उसकी पाबन्दी में वहीं रहना चाहिए। इन पाबन्दियों के कारण इन औरतों पर ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं। उनको बुरी हालत में छोड़ दिया जाता है। उसको कोई मैंटिनेन्स नहीं है। मैं आपको दो खास केस बताता हूं। जो लोग फारेन नेशनल हैं, यहां शादी करते हैं और औरतों को छोड़ जाते हैं, उनकी बुरी हालत है। उनके बारे में कोई कानून नहीं है। इंडियन नेशनल औरतों को यहां छोड़कर बाहर चले जाते हैं, वे आपके कानून के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। अपनी कोर्ट में आप उनको बुला भी नहीं सकते हैं। उनको पैसा कौन देगा और उनका रख-रखाव कौन करेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस संबंध में आप कोई कदम उठा रहे हैं?

श्री एच० आर० भारद्वाज : जहां तक देश में रहने वाले व्यक्तियों की समस्या है, यह मैंने

आपको बता दी है। अब इन्होंने दो कैटेगरीज मेरे सामने और रखी हैं। वे लोग जो हिन्दुस्तान में आकर शादी करते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो हमारे यहां लाज हैं, उनमें यदि कोई मुकदमा किसी व्यक्ति के खिलाफ पैंडिंग है, तो कोर्ट से उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। जो शादी करके बाहर चले जाते हैं, तो उनकी प्रापर्टी पर एक्शन लिया जा सकता है और उसको एटैच किया जा सकता है··· (व्यवधान)···

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : कुछ भी नहीं है। आप उनको नहीं रोक सकते हैं और वे चले जाते हैं।··· (व्यवधान)···

श्री एच० आर० भारद्वाज : जो मैंटिनेन्स प्रापर्टी से दी जाती है, उसको धारा 125 के तहत जेल भेज देते हैं। इतना ही फर्क है। जो आदमी फारेन नेशनल यहां शादी करके चले जाते हैं, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि यह कितनी समस्या है।··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : संविधान के अनुच्छेद 44 में सामान्य सिविल संहिता की परिकल्पना की गई है। मैं अनुभव करता हूं कि स्वतंत्रता के 42 वर्षों के बाद भी इस प्रकार के अतिसंवेदनशील मसले के बारे में सामान्य समझौते के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या इस पहलू के बारे में विशेष रूप से विचार किया जाएगा और ऐसे मामलों में जिनमें उस पति की क्षमता बहुत अधिक है जिसने तलाक दिया है और वह अधिक धन की अदायगी करने में समर्थ है। उचित भरण-पोषण देने के लिए कार्यवाही की जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कम से कम भविष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैंने विशेष रूप से यह उल्लेख किया है कि जब हम भरण-पोषण के लिए मुकदमा चलाते हैं तो भरण-पोषण को निर्धारित करने वाले न्यायिक सिद्धांत बहुत ठोस हैं। वे केवल महिला की आवश्यकताओं पर ही ध्यान नहीं देते अपितु वे महिला उसके पति और परिवार की स्थिति पर भी ध्यान देते हैं। मैंने स्वयं ऐसे हजारों मामलों का मुकदमा लड़ा है। यदि पति की क्षमता अधिक धन अदा करने की है तो हम उसकी जेब से अधिक धन निकाल सकते हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं रुपये की क्रय शक्ति में हो रही कमी को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सभी संविधियों, विनियमों और संविधान में दी गई वित्तीय परिसीमाओं में संशोधन किया जाता है। 500 रुपये की यह परिसीमा, जोकि केवल निराश्रित महिलाओं और उन महिलाओं पर लागू होती है जो अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती, वर्ष 1974 में निर्धारित की गई थी। मुद्रा स्फीति के कारण 1974 की अपेक्षा वर्तमान समय में रुपये की कीमत लगभग 25 प्रतिशत रह गई है। पहली पत्नी को 1974 में उपलब्ध क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए इस परिसीमा को बढ़ाकर कम से कम 2000 रुपये कर देना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को मुद्रास्फीति की वास्तविकता की जानकारी नहीं है और वह संविधियों, विनियमों और संविधान के अन्य मामलों की भांति इस बारे में एक संशोधन प्रस्तुत करने में असमर्थ क्यों है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं और मैं एक बार पुन: यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि धारा 125 वास्तव में महिलाओं के वास्तविक भरण-पोषण से सम्बन्धित नहीं है। यह आश्रयहीन महिला, बच्चों और अस्वस्थ माता-पिता से सम्बन्धित है। मैं केवल इस बात पर विचार करूंगा कि माता-पिता, बच्चों अथवा पत्नी को सभी आवश्यकताओं के लिए इस धारा 125

का उपयोग किया जा सकता है। परन्तु यदि ऐसा अनुभव किया गया है कि 500 रुपये की राशि बहुत कम है तो यह मामला दण्ड संहिता प्रक्रिया के अन्तर्गत आता है और मैं यह सूचना और सदन की राय माननीय गृह मंत्री को दूंगा।

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, आपकी अनुमति से सदन की सूचनार्थ मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन पहलुओं पर माननीय सदस्य उत्तेजित हैं मैं इस बारे में उनके विचारों की प्रशंसा करता हूं। विधि आयोग ने भी 500 रुपये की अधिसीमा को बढ़ाने का सुझाव दिया है और हमने विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही लिखा है। विभिन्न राज्यों से इस बारे में उनके विचार जानने के लिए विधि आयोग द्वारा एक प्रश्नावली तैयार की गई है। सरकार इस बारे में विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री विष्णु मोदी – अनुपस्थित

श्री चित महाता—अनुपस्थित

डा० गौरी शंकर राजहंस।

रेलवे में रिक्त पद

*45. **डा० गौरी शंकर राजहंस** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में गत तीन वर्षों से कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को भरने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ग्रुप (क) और (ख) में पिछले तीन वर्षों से कोई पद रिक्त नहीं पड़ा है। ग्रुप (ग) और (घ) के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) अधिवर्षिता, स्वैच्छिक, सेवानिवृत्ति, स्वास्थ्य की दृष्टि से अशक्तता, त्याग-पत्र, बरखास्तगी, मृत्यु आदि के कारण कर्मचारियों के नौकरी छोड़ जाने तथा नए पदों के सृजन के कारण समय-समय पर रिक्तियां होती रहती हैं। इन रिक्तियों को सीधी भर्ती या विभागीय पदोन्नति द्वारा भरने के उपाय किए जाते हैं जो कोटि तथा ग्रेड विशेष के लिए लागू नियमों पर निर्भर करता है। सामान्यतया ग्रुप (घ) में रिक्तियां, कुछ अपवादों को छोड़कर, नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों की स्क्रीनिंग करके भरी जाती हैं। सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नतियां तथा स्क्रीनिंग सभी सतत प्रक्रियाएं हैं और इसलिए किसी समय विशेष पर कुछ रिक्तियां हमेशा ही रहेंगी।

[अनुवाद]

डॉ० गौरी शंकर राजहंस : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लम्बे कार्यकाल वाले नैमित्तिक श्रमिकों की उपेक्षा की जा रही है और थोड़े कार्यकाल वाले श्रमिकों को स्थाई बनाया जा रहा है। यदि ऐसा है तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : माननीय विद्वान सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, वह अपने प्रश्न से कुछ दूर हट कर प्रश्न पूछा लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां नियुक्तियां चार प्रकार से होती हैं, ए, बी, सी और डी ग्रुप में नियुक्तियां होती हैं। ए ग्रुप में जो नियुक्तियां होती हैं, वे हम लोग सेवा आयोग द्वारा करवाते हैं। बी ग्रुप की जो नियुक्तियां होती हैं, उनको हम पदोन्नति से करते हैं। सी ग्रुप की जो नियुक्तियां होती हैं, वे सीधी भर्ती करते हैं और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से उनकी अर्हताओं को देखते हुए नियुक्तियां करवाते हैं और डी ग्रुप की जो भर्ती होती है, वे नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों के जो श्रमिक होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करके हम करते हैं। उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद हम भर्ती करते हैं। हमारे पास इस प्रकार की कोई सूचना प्रमाणित नहीं है कि कम दिन काम करने वाले आदमी को हमने भर्ती कर लिया है और अधिक दिन काम करने वाले को भर्ती नहीं किया है। यदि इस प्रकार की कोई सूचना माननीय सदस्य के पास हो, तो वह व्यक्तिगत रूप से लिखकर मुझे भेजें और मैं उसकी जांच करवाऊंगा।

डॉ० गौरी शंकर राजहंस : जमालपुर कारखाने में हाल के वर्षों में न तो कोई नई पोस्टें बनाई गई हैं और न पुरानी पोस्टों को भरा गया है और लोगों में यह भावना फैल रही है कि सरकार शायद जमालपुर रेलवे कारखाने को बन्द कर देना चाहती है। माननीय मंत्री जी हमें बताएं कि सच्चाई क्या है ?

श्री महावीर प्रसाद : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो जमालपुर कारखाने के संदर्भ में प्रश्न पूछा, मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है और वहां के कर्मचारियों को निकालने की बात नहीं है। यह बात अवश्य है कि जब इस प्रकार की कोई बात हो, तो हम उन को दूसरी जगह यूटीलाइज करने की सोचते हैं। वहां पर यदि इस प्रकार के कर्मचारी होंगे, तो हम उनको दूसरे रूप में काम करने के लिये नियुक्त करेंगे।

डॉ० जगदीश्वर त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल बड़ा लम्बा है जोकि इससे संबंधित है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पार्लिमेंट इंक्लुडिंग प्राइममिनिस्टर सेक्रेटेरियेट में ऐसी जगहें खाली पड़ी हैं जिन पर शेड्यूल्ड कास्ट्स के डिजरविंग कैंडीडेट्स रहने के बावजूद वे जगहें नहीं भरी जा रही हैं इसके क्या कारण है ?

श्री महावीर प्रसाद : श्रीमन् यह प्रश्न रेलवे से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको खड़ा होने का भी कष्ट नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वासुदेव आचार्य : वर्ष 1981 में इसी सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि रेलवे में कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों को धीरे-धीरे स्थाई रूप से रेलवे में लगा लिया जाएगा। कल जब

बजट दस्तावेजों के साथ हमें वर्ष पुस्तिका दी गई थी। उसमें यह उल्लेख किया गया था कि रेलवे में अब भी लगभग दो लाख नैमित्तिक श्रमिक कार्यरत हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस सदन में दिए गए आश्वासन के अनुसार इन सभी नैमित्तिक श्रमिकों को रेलवे में कब तक स्थाई रूप से लगाया जाएगा ?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : श्रीमन् माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस प्रकार के नैमित्तिक कर्मचारी दो लाख के करीब हैं। महोदय मैं माननीय सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भर्ती की यह प्रक्रिया सतत है। मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से अवगत हूं। यह सतत प्रक्रिया है और हमारा प्रयत्न रहता है कि इस प्रकार की जो केजुअल लेबर की व्यवस्था यहां पर है उसमें किसी प्रकार की कमी न रहने पाए।

लोक अदालतें

[अनुवाद]

*46. **डॉ० जी० विजय रामा राव** :

श्री पी० एम० सईद :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में अब तक राज्यवार कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई;

(ख) इन अदालतों द्वारा कितने मामलों की सुनवाई की गई;

(ग) कितने मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई;

(घ) इन अदालतों के सम्बन्ध में जनता की प्रतिक्रिया जानने और इनका और अधिक विस्तार करने के लिए यदि कोई सर्वेक्षण किया गया है, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) देश के शेष भागों में इन अदालतों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) राज्य विधिक सहायता बोर्डों द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार, आयोजित लोक अदालतें निम्नलिखित हैं : आंध्र प्रदेश 74, असम 14, बिहार 13, दिल्ली 9, गोवा 5, गुजरात 225, हरियाणा 129, कर्नाटक 246, मध्य प्रदेश 83, महाराष्ट्र 553, उड़ीसा 297, पांडिचेरी 9, राजस्थान 244, सिक्किम 3, तमिलनाडु 5, उत्तर प्रदेश 586, पश्चिम बंगाल 9 (कुल लोक अदालतें : 2,504)।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) 10,03,109 मामले।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है क्योंकि लोक अदालतें राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा आयोजित की जा रही है।

(ङ) शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भी लोक अदालतें आयोजित करने के लिये प्रेरित

करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

डॉ० जी० विजय रामा राव : जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय को इस वास्तविकता की जानकारी है कि देश भर में दहेज के कारण मौत के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं और अधिकतर मामले इस देश के न्याय कार्यान्वय तंत्र के सामने नहीं आ रहे हैं इस सन्दर्भ में, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे परिवार विवादों और दहेज से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालत के क्षेत्र को विस्तृत बनाने के बारे में विचार करेंगे जिससे सामान्य व्यक्ति को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने में योगदान मिल सके।

श्री एच०आर० भारद्वाज : दहेज मृत्यु एक अति गम्भीर समस्या है और जहां तक इसके दांडिक पहलू का सम्बन्ध है इसमें एक निवारक सजा की आवश्यकता है। और मैं नहीं समझता कि लोक अदालत इसके लिए उचित मंच होगा।

जहां तक वैवाहिक सहयोग का सम्बन्ध है इस बारे में बदनामी की संभावना है। लोक अदालतें ऐसे मामलों पर ध्यान देती हैं और बहुत से समझौते कराये गये हैं और परिवारों को पुनः संगठित किया गया है।

डॉ० जी० विजय रामा राव : नियमित न्यायालयों में बैठने वाले लोग ही लोक अदालतों में भी बैठ रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय हमारे देश के न्यायालयों में लम्बित पड़े लाखों मुकदमों को निपटाने के लिये अधिक संख्या में लोक अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव करेंगे।

श्री एच० आर० भारद्वाज : प्रायोगिक तौर पर एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में विवादों को निपटाने के लिये लोक अदालतें आरम्भ की गई थीं। लोगों द्वारा भारी मात्रा में प्रोत्साहन दिये जाने के बाद इसे विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम का अंग बना दिया गया और उस अधिनियम के लागू होने पर प्रत्येक न्यायालय नियमित तौर पर लोक अदालतें आयोजित करेगा। मुझे आशा है कि लोक अदालतों के इस संचलन को बल मिलेगा।

श्री पी० एम० सईद : लोक अदालत बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। उत्तर के अनुसार केवल 15 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लोक अदालतें हैं। शेष राज्यों के बारे में भी हमने प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न के (ग) भाग में हमने इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए पूछा है कि देश के शेष भागों में इन अदालतों की स्थापना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है। उनका उत्तर यह है कि शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी लोक अदालतें आयोजित करने के लिये प्रेरित करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। हमने माननीय मंत्री से यह उल्लेख करने के लिये अनुरोध किया है कि उन्होंने इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लोक अदालतें आयोजित करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की है।

दूसरे भोपाल त्रासदी और ऐसे अन्य मामलों में भी यदि लोक अदालतों को ऐसे मुकदमों का दायित्व लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता तो वहां भी अब तक मामला निपट चुका होता। ऐसे मामलों में भी क्या आप लोक अदालतों को इसकी जांच करने के लिये कह सकते हैं और इस क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं। मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि उन्हें दांडिक मामले भी दिये जाने चाहिए।

वास्तव में लोग नहीं जानते कि कानूनी सहायता किस प्रकार ली जाए। दूरदर्शन, रेडियो तथा सभी पत्रों एवं पत्रिकाओं आदि के माध्यम से प्रचार द्वारा न्याय चाहने वाले लोगों को सहायता मिल सकती है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यदि आप मेरे उत्तर का भाग (क) पढ़ें तो पाएंगे कि सभी मुख्य राज्य लोक अदालतों में रुचि ले रहे हैं तथा विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। अभी तक सुलझाए गए मामले 10 लाख से भी अधिक हैं तथा वितरित किया गया मुआवजा 104 करोड़ रुपये से भी अधिक है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि ये लोक अदालतें कहां पर आयोजित नहीं हो रही हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर में मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा आदि आदिवासी राज्यों में आप देखेंगे कि उनके यहां लोक अदालतों जैसी ही एक प्रणाली है। वे अपनी पंचायतों की लोक अदालतें अपने गांवों में आयोजित करते हैं तथा अपने विवाद बड़ी शीघ्रता-पूर्वक निपटाते हैं। लेकिन वहां भी हमने उनके लिए धनराशि रखी है। यदि वे अपनी लोक अदालतों को बेहतर रूप से चलाना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा स्थानीय लोगों द्वारा इस व्यवस्था को समझ लेने के बाद ही हो सकता है।

जहां तक भोपाल गैस त्रासदी का सम्बन्ध है। उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी इस देश में विरोध हो रहा है। और क्या किया जा सकता है ? (व्यवधान)

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : लोक अदालत आन्दोलन दस वर्ष से भी पहले शुरू किया गया था। अभी तक हम लोक अदालत को सांविधिक स्तर पर नहीं ला सके हैं। उत्तर से पता लगता है कि कुछ राज्यों ने अच्छा कार्य किया है और अन्य राज्यों ने इतना अच्छा कार्य नहीं किया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक प्रतिदर्श रूप में विधेयक लाने तथा इन लोक अदालतों के लिए एक समान संहिता बनाने हेतु लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा देने के बारे में क्या मंत्री महोदय विचार करेंगे। क्या वह इन लोक अदालतों के कार्य के लिए केन्द्र सरकार से बजट में धनराशि भी आवंटित करेंगे, ताकि इसका उपयोग करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन मिल सके ? अनेक बार लोक अदालतों के गांव स्तर पर पहुंचने की आवश्यकता पर बल दिया जा चुका है। लेकिन अभी तक लोक अदालतें ग्राम स्तर तक जाने के योग्य नहीं हैं। अभी वे जिला और ताल्लुक स्तर तक ही सीमित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे कि लोक अदालतें चल न्यायालयों तथा चल लोक अदालतों के माध्यम से गांव स्तर तक पहुंच सकें ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : जहां तक लोक अदालतों का सम्बन्ध है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसे कानूनी सहायता के राष्ट्रीय प्राधिकरण अधिनियम के एक अध्याय के रूप में जोड़ दिया गया है तथा यदि आप पूरा अध्याय पढ़ें तो इसमें यह प्रावधान है कि लोक अदालतें निचली अदालत से उच्चतम स्तर तक अपीलीय अदालत के रूप में एक स्थायी संगठन होंगे। मेरे मित्र जानते हैं कि चल अदालतों की तरह ग्राम न्यायालयों पर एक अलग से विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी। एकदम प्रारम्भिक स्तर के मुकदमों की मुख्य मांग को पूरी करने के लिए भिन्न व्यवस्था है। इसे राज्यों के पास भेज दिया गया है। ज्यादातर राज्यों ने उत्तर भेज दिया है और हम सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं कि कौन-सी उपयुक्त व्यवस्था का विकास किया जाए जो इस देश के ग्रामीण लोगों तथा निचले स्तर के मुकदमों की समस्याओं का समाधान कर सके। यह दोनों पहलू राज्यों से जुड़े हैं क्योंकि राज्यों को विचार करने वाली अदालतों से लेकर जिला स्तर तक अदालतें स्थापित करनी हैं। यदि वे इसके लिए सहयोग करें, हम बैठकर चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार की वित्तीय सहायता चाहिए और स्वयं राज्यों द्वारा कितनी राशि आवंटित की जाएगी। निःसंदेह राज्यों ने वित्तीय कमी की समस्या एक मुख्य समस्या है। लेकिन हमने विधि आयोग की रिपोर्ट उनके पास भेजी है। यदि यह रिपोर्ट राज्यों द्वारा स्वीकृत हो जाती है और लागू हो जाती है तो मैं समझता हूं कि लम्बित मामलों का प्रश्न खर्चों तथा ग्रामीण आबादी की कठिनाइयों के अन्य मामलों का हल निकल आएगा। राज्यों के सहयोग

के साथ इस रिपोर्ट को लागू करने के प्रति हम अत्यधिक उत्सुक हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य यह पूर्णतया जानते है कि हमने अपने मंत्रालय में कितनी ज्यादा चर्चा की है लेकिन प्रश्न यह है कि जब तक राज्य सहयोग नहीं करते, हम जिला न्यायपालिका को अपने पहले सुझावों से अधिक नहीं दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि विधि आयोग की रिपोर्ट, तथा कानूनी व्यवस्था के एक तंत्र के रूप में लोक अदालतों की व्यवस्था, यदि इन दोनों पहलुओं को कार्यान्वित कर दिया जाए तो काफी हद तक समस्या हल हो जाएगी।

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिलता और केन्द्र सरकार राज्यों में सबसे ज्यादा लोक अदालतें करती हैं तो क्या उनके साथ विचार-विमर्श किया है और उनको आर्थिक सहायता देने के लिए आपने कुछ सोचा है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : हमारे पास जो सेंट्रल लीगल एड कमेटी है वह इम्पलीमेन्टेशन के लिए है। उसका जितना भी बजट है वह सारा राज्यों में तकसीम करते हैं और राज्य सरकारें भी बजट में पैसा देती है उनसे ही ये लोक अदालतें चल रही हैं। अगर मोबाइल कोर्ट्स को सभी राज्य सरकारें स्वीकार कर लें और लोक अदालतें भी हों तो मैं समझता हूं जो देहात में रहने वाला गरीब आदमी है और जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं उनको शहरों में आने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उनको वहीं डोर-स्टेप पर न्याय मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य कानूनी सलाहकार बोर्ड लोक अदालतों के सम्मुख मामलों के बारे में अपनी सिफारिश अथवा जानकारी केन्द्र सरकार को देते हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा लम्बित पड़े मामलों के बारे में बताने पर लोक अदालतों का गठन हुआ था। अब यह हो रहा है कि निचले स्तर पर ग्रामीण निर्धन लोगों की सबसे बड़ी समस्या अदालतों में जाना है क्योंकि वे अपनी दैनिक मजूरी अथवा अर्जित होने वाली थोड़ी-सी राशि पर निर्भर होते हैं। इन अदालतों को ग्रामीण निर्धनों की सहायता करनी है। यदि मन्त्री महोदय रिकार्ड देखें तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा लोक अदालतें अर्थात 586 उत्तर प्रदेश में आयोजित हुईं, यहां पर लम्बित पड़े मामलों की संख्या 7-8 लाख से भी अधिक है। अतः इन ग्रामीण निर्धनों को उनके मुकदमों में सहायता देने के लिए सरकार क्या कर रही है? इस तथ्य का आप किस प्रकार प्रचार कर रहे हैं? दूरदर्शन, रेडियो और सरकारी एजेंसियों को इस न्यायिक व्यवस्था के प्रचार का दायित्व सौंपा जाना चाहिए जिससे अमीरों की बजाय ग्रामीण लोगों को लाभ मिलेगा।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, लोक अदालतों का किसी ने सुझाव नहीं दिया था। यह तो सोच-विचार की एक प्रक्रिया है जो विद्यमान सरकार के साथ प्रारम्भ हुई। यह गरीबों के लिए है। मैं इससे इन्कार करता हूं कि यह किसी और के लिए है। यह पूर्णतया समाज के उन दरिद्र वर्गों के लिए है जिनके पास अपने अधिकार लागू करवाने तथा समाज में बेहतर स्थिति वाले लोगों से मुकाबला करने के साधन नहीं है।

हम बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की मदद कर रहे हैं। लोक अदालतों के माध्यम से प्रत्येक की सहायता की गई है। यह विविध प्रकार का प्रयास है। कुछ मामले अदालत से बाहर भी थे, अर्थात अदालत में सुलझाए गए मामलों के अतिरिक्त मामले, क्योंकि

लोक अदालतें छुट्टी के दिनों, शनिवार तथा रविवार को भी कार्य करती हैं।

फिर, लोक अदालतें ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा भी कर रही हैं। हम राजस्व के मामलों को लेने में भी सफल हुए हैं। हमने न्यूनतम मजदूरी के मामले में भी लिए हैं। हमने मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के मामले भी लिए हैं जिनका सम्बन्ध ऐसे परिवारों से है जिनकी रोजी-रोटी कमाने वाला दुर्घटना के कारण चला गया है। दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को लोक अदालत व्यवस्था के माध्यम से तुरन्त करोड़ों रुपये दिए गए हैं।

जहां तक प्रचार माध्यमों द्वारा लोक अदालतों को अधिक लोकप्रिय बनाने का सम्बन्ध है, यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। मैं सभी सम्भव तरीकों का उपयोग करूंगा। यह सुझाव तो कार्यवाही के लिए ही है।

विदेशी मुद्रा कोष में कमी

[हिन्दी]

*47. श्री विनेश गोस्वामी :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विदेशी मुद्रा कोष में चालू वर्ष के दौरान भी निरन्तर कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1987 तथा 31 दिसम्बर, 1988 को विदेशी मुद्रा कोष की स्थिति क्या थी;

(ग) विदेशी मुद्रा कोष में कमी के क्या विशिष्ट कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विदेशी मुद्रा भंडार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर), जो 31 दिसम्बर, 1987 को 7145 करोड़ रुपये के थे, व्यापारिक लेन देन के कारण निधि के आगमन और बहिर्गमन के आधार पर बढ़ते अथवा घटते रहते हैं। यह भंडार 8 अप्रैल, 1988 को बढ़कर 7291 करोड़ रुपये का हो गया था लेकिन 31 दिसम्बर, 1988 को घटकर 6218 करोड़ रुपये रह गया।

(ग) उपलब्ध संकेतों के अनुसार, प्रारक्षित भंडारों में कमी मुख्यतः इस्पात, अलौह-धातुएं, पेट्रो-रसायन जैसी कुछ प्रमुख थोक (बल्क) वस्तुओं तथा अन्य आयातों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरक और इस्पात के आयात में वृद्धि, पिछले वर्ष के अप्रत्याशित सूखे के कारण बाध्य होकर गेहूं, चावल और अन्य मदों का आयात किए जाने, और पिछले वर्ष की तुलना में सहायता की कम निवल प्राप्तियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अधिक वापसी अदायगियों के कारण हुई।

(घ) सरकार द्वारा भुगतान-शेष की स्थिति में सुधार के लिए तैयार की गई विशेष कार्रवाई योजना का उद्देश्य अतिरिक्त निर्यातों की उत्पत्ति करने, आयातों को कम करने, अनिवासी भारतीय जमा राशियों/बांडों के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने, अतिरिक्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निवेश करने और पर्यटन प्राप्तियों को बढ़ाने के उपाय करना है।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, विदेशी मुद्रा चिंता का विषय बना हुआ है। मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि 8 अप्रैल, 1988 से 31 दिसम्बर, 1988 तक विदेशी मुद्रा कोष 7,291 करोड़ रुपये से घटकर 6,218 करोड़ रह गया है।

यदि मेरे आंकड़े गलत नहीं हैं तो 13 जनवरी, तक यह 5,844.22 करोड़ रुपये रह गया है। जो 52 सप्ताह पहले दिये गए आंकड़ों से 12.5 प्रतिशत कम है। यह बड़ी समस्या है क्योंकि विशेष आहरण अधिकार से हमारे रुपये की कीमत लगातार कम हो रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयात में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि निर्यात में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अर्थ-शास्त्रियों ने यह तर्क दिया है कि उदार आयात नीति से देश को लाभ नहीं हुआ है इसलिए यदि हम इस दलदल से निकलना चाहते हैं तो नीति में संशोधन किये जाने चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस स्थिति को देखते हुए तथा देश में भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने के लिए किन संशोधनों का प्रस्ताव है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा कोष को किसी विशेष बात से नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें समय-समय पर उतार-चढ़ाव होता है। उदाहरण के लिए विगत वर्ष 1 जनवरी को विदेशी मुद्रा कोष 7,145 करोड़ रुपये था। तत्पश्चात 31 मार्च को बढ़कर 7,287 करोड़ रुपये हो गया और 8 अप्रैल को 7,291 करोड़ रुपये था। इस वर्ष 17 फरवरी को यह 5035 करोड़ रुपये था जिसके मेरे पास अद्यतन आंकड़े हैं।

हमारे नियंत्रण से बाहर अनेक परिस्थितियों के कारण समय-समय पर यह गिरावट आई है। मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि जो स्पष्टतः हमारे नियंत्रण में नहीं है, सूखा के कारण आयात में वृद्धि यह भी हमारे नियंत्रण में नहीं है तथा चीन और इंडोनेशिया जैसे दावेदारों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता की कम प्राप्तियां हैं। कुछ भी कारण हो सकता है मैं माननीय सदस्य के इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि उदार आयात नीति और आयात के परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। यह सच नहीं है। मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि यह पूर्णतः गलत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन नीतियों के परिणाम बताये जा चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अब देश की अर्थ-व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। यह भी बताया कि अभूतपूर्व सूखे के बावजूद भी विकास दर लगभग 4 प्रतिशत है। यह भी बताया गया कि इन नीतियों के फलस्वरूप राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आगामी वर्ष में विकास की दर 9 प्रतिशत उद्धृत की। इस प्रकार ये नीतियां बहुत सफल रही हैं साथ ही भुगतान संतुलन की स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए हम प्रभावी कदम उठा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य के इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि पर्याप्त निर्यात नहीं हुआ है। पर्याप्त निर्यात किया गया है। मैं नवीनतम आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूं। 1987-88 की तुलना में 1988-89 में निर्यात में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन माननीय सदस्य ने विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में कहा है पिछले वर्ष इसमें 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : उदार आयात नीति ही प्रमुख रूप से निर्यात में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने यह नहीं कहा कि निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है। मंत्री महोदय ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख किया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि जब कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, प्रत्येक चीज में वृद्धि हो रही है तथा एक तरफ मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ भुगतान संतुलन में कमी हो रही है लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष देश के सब कोच के सम्बन्ध में विपरीत टिप्पणी करते हैं मैं मंत्री महोदय से कुछ बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने सूखा का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मशीन तथा सम्बद्ध उपकरणों के आयात में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि निर्यात में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका सूखे से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में जहां हम अग्रणी देश होने का दावा करते हैं वहां मशीनरी तथा सम्बद्ध उपकरणों के आयात में 35 प्रतिशत तथा निर्यात में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है यह स्पष्ट रूप से असंतुलन है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। मन्त्री महोदय के सम्पूर्ण जवाब में इसका कोई संकेत नहीं है कि यह असंतुलन किस प्रकार दूर किया जाएगा क्या मन्त्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने आंकड़े पहले ही बता दिये हैं। हम उनकी तुलना माननीय सदस्य की निराशात्मक टिप्पणियों से नहीं करना चाहते। जहां तक मशीनरी के आयात का सम्बन्ध है मंत्री महोदय यह मानेंगे कि उन्नत प्रौद्योगिकी तथा मशीनरी उपभोग की वस्तुएं नहीं हैं। यह आयात प्रतिस्थापन तथा स्थापित क्षमता में वृद्धि के लिए हैं मैं बताना चाहता हूं कि मशीनरी के आयात के पर्याप्त परिणाम पहले ही प्राप्त हो चुके हैं जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ उर्वरक तथा अलौह खनिजों के लिए स्थापित क्षमता में वृद्धि की जा रही है, 1988-89 में 32.1 मिलियन टन अपरिष्कृत खनिज के उत्पादन की सम्भावना है जो 1987-88 में 30.3 मिलियन टन था तथा हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में खाद्य तेल के आयात बिल में गिरावट आई है यह 1987-88 में 1137 करोड़ रुपये के मुकाबले 1988-89 में 620 करोड़ रुपये है मशीनरी का आयात, आयात प्रतिस्थापन के लिए है। आयात के सम्बन्ध में हम बहुत सजग हैं ताकि हम अपनी क्षमता में वृद्धि कर सकें।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, यह मेरा प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय के जवाब से समूची सभा असंतुष्ट है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामूवालिया जी की ऐनक से ऐसा ही नजर आता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मंत्री महोदय, श्री फैलीरो, वास्तव में बुद्धिमान हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आंकड़ों को किस प्रकार तोड़ा मरोड़ा जाता है। प्रश्न का जवाब देते समय वह कहते हैं— विदेशी मुद्रा कोष (सोने और विशेष आहरण अधिकार को छोड़कर)। आपने ध्यान नहीं दिया है कि विशेष आहरण की तुलना में अत्यधिक अवमूल्यन हुआ है विनिमय दर में वृद्धि हुई है एक विशेष आहरण अधिकार 2.538 रुपये के बराबर है। आपने मेरे साथी श्री दिनेश गोस्वामी को चुनौती दी है कि कुछ नहीं हुआ है। परन्तु उन्होंने अपनी तरफ से कुछ उद्धृत नहीं किया है। उन्होंने रिजर्व बैंक के डिप्टी

गवर्नर श्री डी० पी० ओझा की रिपोर्ट से उद्धृत किया है। आपने कहा है कि भुगतान संतुलन के लिए सरकार ने एक विशेष कार्यकारी योजना बनाई है जिसका उद्देश्य अनिवासी भारतीयों की जमा धनराशि, बांड, के माध्यम से अतिरिक्त प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निवेश, पर्यटन की प्राप्तियों में वृद्धि अतिरिक्त निर्यात में वृद्धि आयात कम करना तथा विदेशी मुद्रा में वृद्धि करने के उपाय करना है। 1988 में अप्रैल से अगस्त के दौरान विदेशी मुद्रा कोष में 1978 करोड़ रुपये की कमी आयी जो विगत वर्ष इसी समय 1189 करोड़ रुपये थी। क्या आपने ये प्रयास पहले नहीं किये ? जिन प्रयासों को अब आप अपनायेंगे। क्या पहले आप इन प्रयासों को अपनाने में असफल रहे ? यदि आपने उन्हें अपनाया होता तो सन्तोषजनक परिणाम क्यों नहीं होते।

श्री एडुआर्डो फैलोरो : कोष में तीन चीजें होती हैं, पहली विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां जिससे उतार-चढ़ाव होता है। दूसरी विशेष आहरण अधिकार की सम्पत्ति तथा तीसरी सोने की सम्पत्ति। हम उनका उपयोग नहीं करते, इसलिए वे एक जैसी बनी रहती हैं। मुद्रा में उतार-चढ़ाव होता है।

माननीय सदस्य को संदेह है कि हमारी नीति के कारण यह कमी आयी है। सबसे पहले मैंने जो कहा है मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि हुई है उदाहरणार्थ निकल जैसी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, टनों के हिसाब से मूल्य, जनवरी 1988 से जनवरी 1989 तक 7541 डालर से बढ़कर 17771 डालर हो गया यह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में 136 प्रतिशत की वृद्धि है। यह हमारे नियंत्रण में नहीं है तथा डालरों के सन्दर्भ में मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार स्टील की कतरन के मूल्य में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, एल०एल०डी०पी०ई० तथा प्लास्टिक की वस्तुओं के मूल्य में शत प्रतिशत वृद्धि हुई है। सूखे की वजह से खाद्यान्नों के आयात के कारण कमी हुई है यह भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। 1987-88 में अप्रैल से दिसम्बर तक हमने चावल और गेहूं का आयात नहीं किया परन्तु 1988-89 में अप्रैल से दिसम्बर तक सूखे की परिस्थितियों से निपटने के लिये 825 हजार टन चावल और 2000 टन गेहूं का आयात करना पड़ा। ये कारण हमारे नियंत्रण से बाहर थे। परन्तु हम भुगतान संतुलन में सुधार करने के लिये कदम उठा रहे हैं ये कदम प्रभावी सिद्ध हुए हैं तथा जहां तक भुगतान संतुलन की स्थिति का सम्बन्ध है हम उसे अपने पक्ष में करके स्थिति पर नियंत्रण करना चाहते हैं।

श्री के० एस० राव : मैं मंत्री महोदय श्री चव्हाण का सम्मान करता हूं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आयात नीति में कुछ दोष हैं। यदि कृषकों को उचित मूल्य दिया जाता तो खाद्यान्नों के आयात की कोई आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणार्थ अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के छोटे क्षेत्र में 5-6 करोड़ रुपये के तिलहनों के उत्पादन की सम्भावना है परन्तु उसकी अनुमति नहीं दी गयी है जबकि हजारों करोड़ रुपये के तिलहनों का आयात किया जा रहा है। इसी प्रकार की स्थिति वन्ने में है। हमारा अनुभव बताता है कि यदि पारिश्रमिक मूल्य दिया तो इसके आयात की कोई आवश्यकता नहीं हुई। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय आयात नीति की जांच करेंगे और खाद्यान्न तथा उर्वरक के अंधाधुंध आयात को रोकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जाली अमरीकी मुद्रा छापने वाला गिरोह

*43. श्री विष्णु मोदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जाली अमरीकी डालर छापने वाले एक गिरोह का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कौन-कौन व्यक्ति पकड़े गये अथवा किन पर मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) देश में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या निवारक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) जी, हां।

(ख) 11 व्यक्तियों को जनवरी, 1989 में बम्बई में गिरफ्तार किया गया था। अपराधियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कार्रवाई आरम्भ की गई है।

(ग) मुद्रा की जालसाजी भारतीय दण्ड संहिता (आई०पी०सी०) के अधीन एक दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य और केन्द्र दोनों ही स्तरों पर विशेष एकक स्थापित किये गये हैं।

माफिया गिरोहों पर आयकर विभाग द्वारा छापे

*44. श्री वित्त सहाता :

क्या वित्त मंत्री धनबाद तथा अन्य क्षेत्रों में सक्रिय माफिया गिरोह के प्रतिष्ठानों पर आयकर सम्बन्धी छापों के बारे में 5 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1562 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उन मामलों में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जून, 1988 में जब से तलाशियां लेने का कार्य शुरू किया गया तब से आयकर विभाग ने आवश्यक अनुवर्ती उपाय किये हैं। "कोल माफिया" के सरगनों तथा उनके सहयोगियों से सम्बन्धित मामलों को उनकी जांच-पड़ताल का कार्य समन्वित तथा प्रभावी ढंग से करने के उद्देश्य से आयुक्त, सैन्ट्रल, कलकत्ता के नियंत्रणाधीन कलकत्ता में एक कर-निर्धारण अधिकारी के पास केन्द्रीकृत रूप से दे दिया गया है। जिन मामलों में परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण किया गया था, ऐसे सभी मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 132(5) के अध्यधीन आदेश पारित कर दिए गए हैं। कर-निर्धारण अधिकारियों ने अपने निर्णय में कहा है कि इन परिसम्पत्तियों का कोई हिसाब-किताब नहीं है तथा इसलिए यह आदेश दिया है कि करदेयता की रकम की वसूली के लिए इन्हें रोके रखा जाए। जून, 1988 में की

गई तलाशियों के दौरान जिन मामलों में बैंक-खातों के बारे में निषेधात्मक आदेश जारी किए गये थे, उन मामलों में से अधिकांश मामलों में विधिवत जांच-पड़ताल करने के पश्चात् ये आदेश उठा लिये गये हैं। इस विभाग ने इन तलाशियों के दौरान पता चले विभिन्न वाहनों की मिल्कियत के सम्बन्ध में मोटर का पंजीकरण करने वाले प्राधिकारियों के साथ मिलकर जांच-पड़ताल और सत्यापन की कार्यवाही भी शुरू की है। इन मामलों में शामिल इस ग्रुप के व्यक्तियों से सम्बन्धित अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन के बारे में मूल्यांकन प्रकोष्ठ को भी पत्र भेजे गये हैं। कर-निर्धारण से सम्बन्धित जांच-पड़ताल का अन्य कार्य भी शुरू किया गया है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की ऋण मेला योजना पर टिप्पणियां

*48. श्री सुरेश कुरूप :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने ऋण मेला योजना के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों की भूमिका के सम्बन्ध में टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की टिप्पणियों के सम्बन्ध में कोई अनुवर्ती कार्यवाही करने का आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) से (घ) संभवतः माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वर्ष 1987 की रिपोर्ट से है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने ऋण मेलों पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है लेकिन यूनियन बैंक आफ इंडिया की एक शाखा में कतिपय ऋण मंजूर करने में अधिकार का दुरुपयोग किए जाने के एक मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक को निलम्बित कर दिया गया था और जांच के लिए मामला रजिस्टर करवा दिया गया था। जांच के बाद शाखा प्रबन्धक और अन्यों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में अन्तर्ग्रस्त शाखा प्रबंधक के खिलाफ बड़े दन्ड के लिए बैंक ने भी नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है।

निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा निरर्थक व्यय

*49. श्री अनिल बसु :

श्री बाजू बन रियान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन परिषद् में निरर्थक व्यय को रोकने की कोई प्रणाली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) निर्यात संवर्धन परिषदें कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत हैं। इन परिषदों के दैनिक कार्यों की देखभाल उनकी प्रशासनिक समिति/कार्यकारी समिति

द्वारा की जाती है। इन समितियों को संबंधित परिषदों की संस्था की नियमावली के प्रावधानों के अनुसार व्यय करने का अधिकार होता है। परिषदों के वार्षिक लेखाओं की सांविधिक लेखा परीक्षा परिषद द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है। उसके बाद परीक्षित लेखे संबंधित परिषदों की वार्षिक आम बैठक में उनके अनुमोदन के लिए रखे जाते है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

*50. **श्री जनक राज गुप्त :**

श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों के कितने पद इस समय रिक्त है और कितने-कितने मामले लम्बित हैं; और

(ख) रिक्त पदों को भरने और लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सदन के पटल पर विवरण रख दिया गया है।

(ख) उच्चतम न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रिक्त पदों को विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों के परामर्श से शीघ्र भरने के प्रयास किए जा रहे है और वर्ष 1984 में स्थापित उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की समिति की सिफारिशें उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को बकाया मामले कम करने के लिए भेज दी गई है।

विवरण

तारीख 20-2-1989 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में पद संख्या और रिक्त पद तथा लम्बित मामले

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या			वास्तविक पद संख्या			रिक्त पद			तारीख 31-12-1987 को लम्बित मामलों की संख्या
		स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग	स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग	स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	इलाहाबाद	55	5	60	48	—	48	7	5	12	362014
2.	आन्ध्र प्रदेश	24	2	26	20	—	20	4	2	6	80060
3.	मुम्बई	42	6	48	40	2	42	2	4	6	139548
4.	कलकत्ता	44	—	44	43	—	43	1	—	1	170038
5.	दिल्ली	25	2	27	22	—	22	3	2	5	77447
6.	गुवाहाटी	12	—	12	11	—	11	1	—	1	20242
7.	गुजरात	18	3	21	13	—	13	5	3	8	59566
8.	हिमाचल प्रदेश	5	1	6	4	—	4	1	1	2	9633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	जम्मू कश्मीर	7	—	7	7	—	7	—	—	—	37025
10.	कर्नाटक	25	—	25	20	—	20	5	—	5	72190
11.	केरल	21	2	23	20	2	22	1	—	1	1:6735
12.	मध्य प्रदेश	23	7	30	20	3	23	3	4	7	56638
13.	मद्रास	25	—	25	21	—	21	4	—	4	195443
14.	उड़ीसा	11	1	12	10	—	10	1	1	2	40444
15.	पटना	35	—	35	29	—	29	6	—	6	64110
16.	पंजाब और हरियाणा	23	—	23	21	—	:1	2	—	2	60962
17.	राजस्थान	22	1	23	22	1	23	—	—	—	52998
18.	सिक्किम	3	—	3	1	—	1	2	—	2	59
	योग :	420	30	450	372	8	380	48	22	70	16:5152

उच्चतम न्यायालय : स्वीकृत पद संख्या = 26

वास्तविक पद संख्या = 20 तारीख 31-01-1989 को लम्बित मामलों की संख्या = 200566

रिक्त पद = 6

नदियों के बांधों में दरारें

*51. डा० कृपासिंधु भोई :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नदियों के बांधों में दरारें पड़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बांधों के नाम क्या हैं तथा उनका निर्माण किस-किस वर्ष में किया गया था; और

(ग) इन बांधों की तुरन्त मरम्मत करने हेतु सरकार द्वारा कौन से उपाय किये गये हैं ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में टिगरा बांध, दामोदर घाटी निगम के कोनर बांध, उड़ीसा में हीराकुंड बांध, उत्तर प्रदेश में रिहन्द बांध तथा राजस्थान में पार्वती बांध में दरारें पड़ने की सूचना मिली है। इन बांधों का निर्माण क्रमश: 1929, 1955, 1957, 1962 तथा 1963 में किया गया था। परियोजना प्राधिकारी आवश्यक उपचारी उपाय कर रहे हैं।

सरदार सरोवर परियोजना हेतु विश्व बैंक की सहायता

*52. श्री विजय कुमार मिश्र :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरदार सरोवर बांध परियोजना के लिए धनराशि देना रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक के सीनियर वाइस प्रेसीडेन्ट (आप्रेशन्स) ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में यह कहा था कि जब तक इस परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय और विस्थापन सम्बन्धी समस्याओं को हल नहीं कर लिया जाता तब तक वे धनराशि रोके रखेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने किन्हीं मामलों, जिनमें पर्यावरणिक और पुनर्वास समस्याएं शामिल हैं, के कारण सरदार सरोवर परियोजना को सहायता देना नहीं रोका है।

निर्यात गृहों की मान्यता समाप्त करना

*53. डा० दत्ता सामन्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1988 के दौरान कितने निर्यात गृहों की मान्यता समाप्त की गई है; और

(ख) इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वाणिज्य मंत्रालय ने 1988 में किसी निर्यात सदन की मान्यता समाप्त नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रोपर्टी डीलरों आदि के परिसरों पर आयकर विभाग द्वारा छापे

*54. प्रो० रामकृष्ण मोरे :

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1988 और जनवरी, 1989 के महीनों के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूरे देश में, मुख्य रूप से अनेक प्रोपर्टी डीलरों और कालोनाइजरों के परिसरों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो इन छापों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और उनका क्या परिणाम रहा; और

(ग) कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बंगलौर, गोवा, कोयम्बटूर तथा कोचीन में दिसम्बर, 1988 और जनवरी, 1989 के महीनों में कतिपय बिल्डरों, वास्तुकारों, प्रोपर्टी डीलरों तथा भवन संविदाकारों (बिल्डिंग कांट्रेक्टर्स) के परिसरों की तलाशियां ली थीं। तलाशी लिए गए व्यक्तियों/समूहों के नाम "संलग्न विवरण" में दिए गए हैं। इन तलाशियों के दौरान कर अपवंचन को दर्शाने वाले अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों के अलावा प्रथम दृष्ट्या 3 करोड़ 75 लाख 84 हजार रुपये के मूल्य की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं। इन तलाशियों के दौरान, तलाशी लिए गए व्यक्तियों ने कुल 7 करोड़ 68 लाख 19 हजार रुपये की आय को छिपाये जाने की बात को स्वीकार किया है। इन सभी मामलों में छिपाई गई आय/धन की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के तहत समुचित उपाय किये गये हैं, जैसे कि अनुवर्ती जांच, आयकर अधिनियम की धारा 192(5) के तहत कार्यवाहियां करना, आदि।

विवरण

क्र० सं०	स्थान	तलाशी लिए गए समूह/व्यक्ति का नाम
1	2	3
1.	बम्बई	मै० शान्ति बिल्डर्स।
2.	बम्बई	मै० ढोलकिया बिल्डर्स।
3.	बम्बई	मै० अजमेरा बिल्डर्स।

1	2	3
4.	बम्बई	मैं० दत्तानी कंस्ट्रक्शन।
5.	बम्बई	मैं० कॉनवुड कंस्ट्रक्शन।
6.	बम्बई	मैं० आर० एन० ए० बिल्डर्स।
7.	बम्बई	मैं० जैन ग्रुप।
8.	दिल्ली	मैं० कम्पीटेंट कंस्ट्रक्शन कम्पनी।
9.	दिल्ली	मैं० मोहन कंस्ट्रक्शन कम्पनी।
10.	दिल्ली	मैं० आनन्द राज एजेन्सीज।
11.	दिल्ली	मैं० राजेन्द्रा बिल्डर्स।
12.	दिल्ली	मैं० जैना ग्रुप।
13.	दिल्ली	मैं० यूनीटेक लि०।
14.	दिल्ली	मैं० सक्सेना कंस्ट्रक्शन लि०।
15.	दिल्ली	मैं० चावला ट्रेडर्स लि०।
16.	दिल्ली	मैं० बी० आर० अरोड़ा ग्रुप।
17.	दिल्ली	मैं० शालीमार सेल्स कार्पोरेशन।
18.	दिल्ली	मैं० पारसनाथ एंड एसोसिएट्स।
19.	दिल्ली	मैं० गौरव इन्वेस्टमेंट लि०।
20.	दिल्ली	मैं० आर० पी० एस० इन्वेस्टमेंट लि०।
21.	दिल्ली	मैं० जैनको प्रापर्टीज लि०।
22.	दिल्ली	मैं० अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रा०) लि०।
23.	दिल्ली	मैं० महेन्द्र जैन।
24.	दिल्ली	मैं० ए० के० टी० एंड एसोसिएट्स।
25.	दिल्ली	मैं० मोंगा कंसल्टेंसी लि०।
26.	दिल्ली	एस० एस० असपाल।
27.	दिल्ली	सत्य चौधरी।
28.	दिल्ली	मैं० शौकतराय मल्होत्रा।
29.	दिल्ली	मैं० ड्रीम सिटी बिल्डर्स (प्रा०) लि०।
30.	कलकत्ता	मैं० डी० सी० पाल एंड सन्स।
31.	कलकत्ता	मैं० माडर्न ग्रुप डिजाइन।
32.	कलकत्ता	मैं० एच० के० सेन एंड एसोसिएट्स।

1	2	3
33.	कलकत्ता	मैं० बैद ग्रुप।
34.	कलकत्ता	मैं० दफ्तरी ग्रुप।
35.	कलकत्ता	मैं० खादिम ग्रुप।
36.	कलकत्ता	मैं० एस० डी० मुन्धड़ा ग्रुप।
37.	बंगलौर	गोपालन एसोसिएट्स।
38.	गोवा	कामथ कंस्ट्रक्शन (प्रा०) लि०।
39.	कटक	चित्त प्रसाद घोष।
40.	कटक	चौधरी के० सी० दास।
41.	कटक	जे० सी० बुद्धराजा तथा अन्य।
42.	भुवनेश्वर	बी० बी० जैना।
43.	गुवाहाटी	जानकी जैन तथा झूमर मल जैन तथा अन्य।
44.	अहमदाबाद	हसमुख लाल के० शाह।
45.	सूरत	ठाकुरभाई मनछाभाई।
46.	सूरत	विष्णुभाई डोरीवाला।
47.	कोयम्बटूर	पी० कुमारावेलुस्वामी तथा अन्य।
48.	कोचीन	ई० पी० अब्दुल रहिमान।

ऋण मेला योजना की उपलब्धि का मूल्यांकन

*55. डा० सुधीर राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण मेला योजना की उपलब्धि का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उपलब्धि संतोषजनक पाई गई; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक कमजोर वर्गों को और अधिक ऋण देने के अपने समग्र कार्यक्रमों के अंग के रूप में ऋण मेले आयोजित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1986 में ऋण मेलों के सम्बन्ध में एक स्वतंत्र अध्ययन किया था। उस समय प्राप्त जानकारी एवं उसके बाद प्राप्त जानकारी के आधार पर बैंकों द्वारा इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। कमजोर वर्गों को ऋण मंजूर करते समय बैंकों को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिये जारी किये गये अनुदेशों एवं मार्गनिर्देशों का पालन करना होता है।

गोहाटी उच्च न्यायालय की अगरतला बेंच (न्यायपीठ) में लम्बित मामले

*56. श्री अजय बिश्वास :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाटी उच्च न्यायालय की अगरतला न्यायपीठ (बेंच) में कितने मामले लम्बित हैं; और

(ख) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तारीख 30-6-1988 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगरतला सर्किट न्यायपीठ में 3570 मामले लम्बित थे।

(ख) गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 10 से 19 तक करने के अतिरिक्त बकाया मामलों को कम करने सम्बन्धी वर्ष 1984 में स्थापित उच्च न्यायालयों की तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की समिति की सिफारिशें, उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को समुचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

कंकालों का अनधिकृत निर्यात

*57. श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक बड़ा गिरोह पूर्वोत्तर राज्यों से बंगलादेश होकर पश्चिमी देशों को मानव कंकालों का अनधिकृत निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) एक अखबारी रिपोर्ट के आधार पर जांच की गई थी लेकिन ऐसे निर्यात किए जा रहे हैं इसका कोई सबूत नहीं मिला।

उच्च शक्ति प्राप्त जापानी मिशन का दौरा

*59. श्री बी० तुलसीराम :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च-शक्ति प्राप्त जापानी मिशन ने, जिसने हाल ही में भारत का दौरा किया था, जापान द्वारा भारत में किया गया पूंजी निवेश दोनों देशों के लिए लाभप्रद पाया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच यदि कोई समझौते किए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) जापानी पूंजी निवेश का किन-किन राज्यों में उपयोग किया जाएगा और इसका किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) आर्थिक सहयोग के लिए जापान की सरकार का एक उच्चस्तरीय मिशन 31 जनवरी से 7 फरवरी, 1989 की अवधि में भारत के दौरे पर आया था। इस मिशन ने सामान्य-तौर पर, मध्यम कालीन और दीर्घकालीन आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में तथा भारत और जापान के मध्य आर्थिक सहयोग के सुदृढ़ीकरण की संभावनाओं के संबंध में विचार-विमर्श किया। भारत में जापानी निवेश के लिए किसी विशिष्ट करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान

*60. श्री वी० कृष्णराव :

श्री कमल चौधरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1989 को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960-100) क्या था जिसके आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महगाई भत्ता मंजूर किया जाता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी 1 जनवरी, 1989 से महंगाई भत्ते की एक और किस्त प्राप्त करने के हकदार हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष के दौरान इससे राजकोष पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा और उनके मन्त्रालय द्वारा इसका भुगतान करने के लिए कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी०के० गड्डी) : (क) दिसम्बर, 1988 के अन्त में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (साधारण) आधार (1960-100), जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारी को 1.1. 1989 से महंगाई भत्ता दिए जाने की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा 818 है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1.1.1989 से महंगाई भत्ते की किस्त दिए जाने के कारण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय शून्य होगा क्योंकि जनवरी तथा फरवरी, 1989 के महीनों के लिए महंगाई भत्ते का भुगतान वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान किया जाएगा। 1.1.89 से महंगाई भत्ते के भुगतान का मामला विचाराधीन है।

रुग्ण नौवहन कम्पनियों को ऋण

[अनुवाद]

374. श्री आर० एम० भोये :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक रुग्ण नौवहन कंपनियों को बचाव ऋण देने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की पात्र कंपनियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) रुग्ण नौवहन कम्पनियों को बचाव ऋण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता, भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी (एस० सी० आई० सी० आई०) ने भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति से सहायता प्राप्त नौवहन कम्पनियों का वित्तीय मूल्यांकन किया है। उन रुग्ण नौवहन कम्पनियों के मामले में जिन्हें अर्थक्षम समझा जाता है, भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी द्वारा पुनरुद्धार कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। इन पुनरुद्धार कार्यक्रमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, परिसम्पत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन की तुलना में, ऋण की मूल रकम से अधिक राशि की ब्याजमुक्त अवरुद्ध ऋण (इंटरेस्ट फ्री फ्रोजन डेब्ट) में बदलकर तथा बकाया ब्याज राशि को संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों में बदलकर, बकाया ऋणों के परिशोधन का पुर्ननिर्धारण करना शामिल है। पुनरुज्जीवित कम्पनियों के प्रवर्तकों से भी पर्याप्त अंशदान करने की अपेक्षा की जाती है।

स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी उड़ीसा की बड़ी सिंचाई परियोजनायें

375. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को कितनी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी है और कितनी परियोजनाओं पर मंजूरी प्रक्रिया अभी तक चल रही है; और

(ख) इन सभी परियोजनाओं पर कुल कितना पूंजी निवेश होगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) नियोजित विकास के प्रारम्भ से, 8.7 लाख हेक्टेयर को लाभान्वित करने के लिए 170 करोड़ रुपये की लागत की तीन बृहद सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई थीं। लगभग 9 लाख हेक्टेयर को लाभान्वित करने के लिए 1470 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की अन्य पांच बृहद परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 640 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की चार नई बृहद परियोजनाएं राज्य सरकार से प्राप्त हुई हैं।

रबड़ उद्योग में संकट

376. **श्री टी० बाल गौड़ :**

श्री पी० ए० एन्टनी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में रबड़ उद्योग को किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संकट को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या प्राकृतिक रबड़ की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए रोपण तथा पुनर्रोपण संबंधी राज सहायता सहित कोई नये प्रोत्साहन देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) प्राकृतिक रबड़ उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा पहले से ही कार्यान्वित उपायों में शामिल हैं :—

(1) रबड़ रोपड़ विकास योजना;

(2) गैर-परम्परागत क्षेत्रों में त्वरित विकास के लिए योजना;

(3) नर्सरियों की स्थापना तथा रोपण संबंधी सामग्री का वितरण;

(4) इमदादी दरों पर छोटे धारकों को सम्पदा अन्तर्निवेशों की सप्लाई;

(5) रबड़ रोपण में सिंचाई संबंधी सुधार के लिए योजना; तथा

(6) सामुदायिक विपणन तथा संसाधन।

वाणिज्यिक बैंकों में तकनीकी कक्ष

377. श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों में लघु एककों की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी कक्ष है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा लघु उद्योग एकक बहुल क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में तकनीकी कक्ष होते हैं।

उड़ीसा के लिए रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

378. श्री बृजमोहन महन्ती :

श्री चिन्तामणि जेना :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के विभिन्न भागों में हुए प्रदर्शनों की जानकारी है जो उड़ीसा के लिए कुछ रेलगाड़ियां रद्द कर दिए जाने और नई समय-सारिणी, विशेषकर नई दिल्ली—पुरी एक्सप्रेस और नीलांचल एक्सप्रेस के बारे में विरोध प्रकट करने के लिए किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शनी का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों से आने वाले तीर्थ यात्रियों की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त

रेल सेवा उपलब्ध किए बिना रेलगाड़ियां रद्द कर देने से पवित्र पुरी नगर की तीर्थ यात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व रेल सेवाओं को पुन: चलाने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) गंगाधरपुर, सोमपेटा, मंडासा, मंजूरी रोड, पुरी, खुरदा रोड, भुवनेश्वर, बरांग, हरिदासपुर, कटक, जेनापुर, खल्लीकोट, जखापुरा, जाजपुर, क्योंझर रोड, कपाली रोड, पी०एच०, कपिलास रोड, सोरों, जलेश्वर, बैंवरणी रोड, निराकारपुर, बेहरामपुर, रम्भा आदि स्टेशनों पर विरोध प्रगट किए गए।

(ग) 1-1-1989 से कतिपय गाड़ियों को कई ठहराव दिए गए हैं और पुरी—तिरुपति के बीच दू सवारी डिब्बे चलाए गए हैं। ग्रीष्म कालीन समय सारिणी में 979/980 हावड़ा – तिरुपति एक्सप्रेस गाड़ियों के समय को इस प्रकार पुनर्निर्धारित करने का प्रस्ताव है जिससे बेरहामपुर और भुवनेश्वर के बीच दिन के समय की यात्रा हो सके तथा 215/216 पलासा—भुवनेश्वर सवारी गाड़ी को पहली मार्च 1989 से फिर से चलाया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम डिवीजन में रेल परियोजनाएं

379. श्री टी० बशीर :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के त्रिवेन्द्रम डिवीजन में कौन सी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक परियोजना पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना में कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और प्रत्येक परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) दक्षिण रेलवे के तिरुवनन्तपुरम खण्ड में एर्णाकुलम—अलेप्पी, अलेप्पी—कायनकुलम और त्रिचूर—गुरुवायूर में नयी बड़ी लाइन की परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

(ख) एर्णाकुलम—अलेप्पी में 31-1-89 तक 45.80 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अलेप्पी—कायनकुलम में 12.26 करोड़ रुपए तथा त्रिचूर-गुरुवायूर में 3.59 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

(ग) 31-1-89 तक एर्णाकुलम – अलेप्पी में 67.5%, अलेप्पी – कायनकुलम में 24.2% तथा त्रिचूर—गुरुवायूर में 6.2% की प्रगति है। एर्णाकुलम—अलेप्पी परियोजना जून 1989 तक चालू हो जाने की आशा है। अलेप्पी— कायनकुलम और त्रिचूर–गुरुवायूर में परियोजनाओं का पूरा होना आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अनुपूरक आयात लाइसेंस देने की प्रक्रिया

380. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुपूरक आयात लाइसेंस "हैंडबुक आफ प्रोसीजर" के पैरा 232 के अनुसार मंजूर किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परिस्थितियों में इस प्रक्रिया को उदार बनाया जा सकता है;

(ग) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान कुल 75 एम एम पोटैशियम पैनिसिलीन-5 फर्स्ट क्रिस्टल का आयात करने के लिए लाइसेंस देते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) वर्तमान आयात और निर्यात नीति के पैरा 63 तथा 64 में निहित प्रावधानों तथा "हैंडबुक आफ प्रोसीजर" के पैरा 232 के अनुसार अनुपूरक आयात लाइसेंस केवल प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता के प्रमाणीकरण तथा समिति में दिए गए वेशी क्लीयरेंस के आधार पर दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) इस प्रक्रिया को अपनाते हुए एक एकक को 1987-88 में उनके आवेदन पत्र पर प्रायोजक अधिकारी द्वारा आवश्यकता के प्रमाणीकरण और वाणिज्य मंत्रालय तथा रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग के बीच अन्तर-मंत्रालीय बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर पोटाशियम पेनसिलीन-5 फर्स्ट क्रिस्टल के आयात के लिए अनुपूरक लाइसेंस दिया गया।

नहतौर (बिजनौर) तक रेल संपर्क

[हिन्दी]

381. **चौधरी अख्तर हसन :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुरादाबाद—सहारनपुर रेलवे लाइन पर, धामपुर के निकट स्थित नहतौर उपनगर (जिला बिजनौर) को जहां से सूत और हथकरघा वस्त्र बड़ी मात्रा में निर्यात किये जाते हैं, रेल मार्ग से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कम सम्बाई की रेलवे लाइनें सामान्यत: व्यावहारिक नहीं हैं। इसके अलावा थोक परिवहन मात्रा भी इतनी नहीं है जिससे प्रस्तावित लाइन का औचित्य बनता हो।

बैंक डकैतियों के दौरान मारे गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के निकटतम रिश्तेदारों को मुआवजा

[अनुवाद]

382. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 और 1988 में बैंक डकैतियों के दौरान डाकुओं द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कितने कर्मचारी मारे गए और ऐसे कर्मचारियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी नीति के अनुसार कितने मामलों में मृतक कर्मचारियों के नजदीकी रिश्तेदारों को मुआवजे की रकम प्रदान की गई ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे बांड

383. **श्री विजय एन० पाटिल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1988 से रेलवे बांडों के माध्यम से कितनी धनराशि संग्रह की गई है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा इस वर्ष भी सार्वजनिक बिक्री के लिए रेलवे बांड जारी किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन बांडों के माध्यम से कितनी धनराशि संग्रह करने का विचार है तथा इसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) भारतीय रेल वित्त निगम को वर्ष 1988-89 में बांड जारी करके 600 करोड़ तक की पूंजी एकत्र करने की अनुमति दी गई है। इसमें से निगम द्वारा 500 करोड़ रुपए निजी नियोजन के आधार पर एकत्र किए गए हैं और शेष 100 करोड़ रुपए का अंशदान सार्वजनिक निगम द्वारा एकत्र किया जाना है। इस पूंजी का उपयोग भारतीय रेलों को पट्टे पर दिए जाने वाले चल स्टाक की खरीद के लिए किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने का प्रस्ताव

384. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक और अन्य राज्यों में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न बैंकों अथवा समीक्षा करने वाले अभिकरणों को

आवश्यक कार्यवाही करने हेतु क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) लीड बैंक योजना के अन्तर्गत कर्नाटक सहित सभी राज्यों में जिलेवार वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं के बैंकवार कार्य-निष्पादन की विभिन्न मंचों पर नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं

385. श्री आनन्द पाठक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों की अनेक सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा ये परियोजनाएं स्वीकृति के लिए कब से विचाराधीन हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) समय-समय पर राज्यों से प्राप्त 99 वृहद तथा 85 मध्यम सिंचाई योजनाएं केन्द्र में विचाराधीन हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	वृहद योजनाओं की संख्या	मध्यम योजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	5
2.	असम	0	1
3.	बिहार	10	15
4.	गुजरात	8	0
5.	हरियाणा	4	2
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1
7.	जम्मू व कश्मीर	1	3
8.	कर्नाटक	4	0
9.	केरल	2	0
10.	मध्य प्रदेश	10	5
11.	महाराष्ट्र	14	32

1	2	3	4
12.	मणिपुर	1	2
13.	मेघालय	0	[1
14.	उड़ीसा	3	[13
15.	पंजाब	6	0
16.	राजस्थान	7	4
17.	तमिलनाडु	4	1
18.	त्रिपुरा	1	0
19.	उत्तर प्रदेश	16	0
20.	पश्चिम बंगाल	2	0
	कुल जोड़	99	85

वर्षा और बाढ़ पीड़ितों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा सहायता

386. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम ने सितम्बर, 1988 में वर्षा और बाढ़ पीड़ितों के लिए मकानों के निर्माण हेतु ऋण प्रदान करके हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर तथा हरियाणा राज्य सरकारों की सहायता करने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को ऋण के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम दोनों का हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा की राज्य सरकारों से इस प्रयोजनार्थ ऋण सहायता के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

सम्पदा तथा उपहार कर की वसूली

387. **श्री मुरलीधर माने** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी राशि का सम्पदा-कर तथा उपहार-कर वसूल

किया गया और निर्धारितियों की संख्या कितनी थी;

(ख) वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान उपहार-कर तथा सम्पदा-कर के जरिए वसूल की गई राशि की तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इन करों की वसूली को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) :

(क)

	वसूलियां (करोड़ रुपयों में)	कर निर्धारितियों की संख्या (हजारों में)
धन-कर	100.58*	634
दान-कर	8.23*	96

*अनन्तिम

(ख)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	धन-कर वसूलियां	दान-कर वसूलियां
1986-87	174	9
1985-86	153	12
1984-85	107	11

(ग) इन करों की वसूली को बढ़ाने के लिए कर-निर्धारणों को शीघ्र मुकम्मल करने हेतु अनेक अनुदेश जारी किए गए हैं। मासिक मानीटरिंग रिपोर्टों के माध्यम से प्रगति पर निगरानी रखी जाती है जिसमें करों की वसूलियों के साथ-साथ कर-निर्धारणों की बकाया तथा उनका निपटान भी निहित होता है।

केरल से झींगा मछली के निर्यात में वृद्धि हेतु कदम

388. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1989 के दौरान केरल से झींगा मछली का निर्यात बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल से मुख्यत: अन्य कौन-कौन से समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) जी, हां। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने निर्यात के लिए झिम्प का उत्पादन बढ़ाने के लिए केरल में झिम्प पालन को बढ़ावा देने के लिए कोचीन में एक अलग कार्यालय स्थापित किया है। झिम्प निर्यात

को बढ़ाने के लिए किये गये उपायों में शामिल हैं : कच्चे झिंगा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए झिंगा पालन बढ़ाना, झिंगा हैचरियां तथा बीज-बैंक स्थापित करना और आई० क्यू० एफ० (इन्डिविजुअली क्विक फ्रोजन) झिंगा जैसी मूल्य वर्धित मदों का संवर्धन।

(ग) केरल से निर्यात किये जा रहे अन्य समुद्री खाद्य हैं : लोबस्टर, कटलफिश, स्क्विड्स, फ्रोजन फिश, क्रैब मीट, क्लाम, ट्यूना आदि।

विधि आयोग के सुझाव

[हिन्दी]

389. श्री सरफराज अहमद :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान विधि आयोग द्वारा सरकार को किस प्रकार के सुझाव दिये गये;

(ख) सरकार द्वारा कितने सुझाव स्वीकार किये गये हैं और कितने सुझाव विचाराधीन हैं; और

(ग) शेष सुझावों पर निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) विधि आयोग ने पिछले एक वर्ष के दौरान निम्नलिखित नौ रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :

रिपोर्ट	विषय
123वीं	न्याय प्रशासन का विकेन्द्रीकरण : उच्चतर शिक्षा केन्द्रों से सम्बन्धित विवाद
124वीं	उच्च न्यायालय के बकाया मामले : एक नया अवलोकन
125वीं	उच्चतम न्यायालय : एक नया अवलोकन
126वीं	सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रम मुकदमेबाजी—नीति और युक्तियां
127वीं	न्यायिक प्रशासन में अवसंरचनात्मक सेवाओं के लिये साधनों का आबंटन
128वीं	मुकदमेबाजी का खर्च
129वीं	शहरी मुकदमेबाजी—न्यायनिर्णयन के विकल्प के रूप में मध्यस्थता
130वीं	बेनामी संव्यवहार—सातत्य
131वीं	न्याय प्रशासन में विधिक वृत्ति की भूमिका।

(ख) और (ग) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 का अधिनियमन करते समय विधि आयोग द्वारा 130वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था। शेष रिपोर्टों में की गई सिफारिशें विचार के विभिन्न प्रक्रम पर हैं। यह बताना सम्भव नहीं है कि इन सिफारिशों पर कब तक निश्चय किया जा सकेगा।

रेल दुर्घटनाएं

390. श्री एस० डी० सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं और उनके क्या कारण थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चालकों तथा अन्य कर्मचारियों/व्यक्तियों की सतर्कता के कारण कितनी दुर्घटनाएं रोकी गईं;

(ग) इन मामलों में कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिये गये; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) नवम्बर, 1988 से जनवरी, 1989 की अवधि के दौरान भारतीय रेलों पर 141 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं। ये दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती, रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की गलती, उपस्करों की खराबी, तोड़-फोड़ तथा अन्य आकस्मिक कारणों से हुई थीं।

(ख) और (ग) कर्मचारियों की सतर्कता के कारण 73 सम्भावित दुर्घटनाएं होने से टल गईं। इस सम्बन्ध में 106 रेल कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

(घ) जो कर्मचारी समय पर कार्रवाई करके और सतर्कता बरतकर सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने में सकारात्मक योगदान देते हैं उन्हें नकद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र आदि प्रदान करके सम्मानित किया जाता है।

महाराष्ट्र में वर्षा का पानी जमा करने के लिए जलाशयों की योजना

[अनुवाद]

391. श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में केन्द्रीय सहायता से वर्षा का पानी जमा करने के लिये और अधिक संख्या में जलाशयों के निर्माण हेतु कदम उठाये गये हैं जिस पानी का बिजली उत्पादन तथा कृषि के लिए उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इससे कितनी अतिरिक्त क्षमता का उत्पादन होगा; और

(घ) वर्ष 1989 के लिए निर्धारित कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) से (घ) सतही जल लघु सिंचाई योजना के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार सिंचाई टैंकों का निर्माण कर रही है। राज्य में टैंक सहित सतही जल लघु सिंचाई योजनाओं की अन्ततः सिंचाई क्षमता 12 लाख हेक्टेयर निर्धारित की गई है। वर्ष 1987-88 तक कुल सम्भावित सृजित क्षमता 7.92 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 1988-89 के लिए लक्ष्य 0.2 लाख हेक्टेयर है, जिसके मुकाबले 0.31 लाख हेक्टेयर की सम्भावित उपलब्धि सूचित की गई है।

नगरों का दर्जा बढ़ाया जाना

392. **श्री कमला प्रसाद सिंह** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ग" श्रेणी के नगर को "ख" श्रेणी का नगर और "ख" श्रेणी के नगर को "क" श्रेणी का नगर बनाये जाने के क्या आधार और दिशानिर्देश हैं;

(ख) विशाखापटनम नगर को "ग" श्रेणी का नगर बनाये रखने के क्या कारण हैं और इसका दर्जा बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी नगरों के वर्गीकरण पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) मौजूदा मानदण्डों के अनुसार, मकान किराया भत्ता तथा प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के लिए नगरों/कस्बों का वर्गीकरण दसवर्षीय जनगणना के आंकड़ों में दी गई उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले मानदण्ड निम्न प्रकार हैं :—

श्रेणी	जनसंख्या
"क"	16 लाख से ऊपर।
"ख-1"	8 लाख से ऊपर किन्तु 16 लाख से अधिक नहीं।
"ख-2"	4 लाख से ऊपर किन्तु 8 लाख से अधिक नहीं।
*"ग"	50,000 से ऊपर किन्तु 4 लाख से अधिक नहीं।

*"ग" श्रेणी नगरों में कोई प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

दसवर्षीय जनगणना के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करने में मकान किराया भत्ते के प्रयोजन के लिए नगर की नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या हिसाब में ली जाती है तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते

के लिए, नगर के शहरी समूह की जनसंख्या, जहां कहीं ऐसा शहरी समूह विद्यमान हो, अन्यथा नगर का नगरपालिका क्षेत्र हिसाब में लिया जाता है। मकान किराया भत्ता, जैसा कि नगरपालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या को देखकर उसके वर्गीकरण के आधार पर किसी नगर में स्वीकार्य है, कर्मचारी पक्ष की मांग पर सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप 26.10.77 से नगर के शहरी समूह में भी स्वीकार्य बना दिया गया है।

नगरों का वर्तमान वर्गीकरण 1981 की जनगणना की जनसंख्या पर आधारित है।

(ख) विशाखापत्तनम "ग" श्रेणी का नगर नहीं है। उसे पहले ही "ख-2" श्रेणी का नगर वर्गीकृत कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों की छत पर बैठकर यात्रा करना

393. श्री हरिहर सोरन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्रियों द्वारा रेल गाड़ियों की छत पर बैठकर यात्रा करने पर रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी भी देश के कुछ भागों में बहुत बड़ी संख्या में यात्री प्रतिदिन गाड़ी की छत पर बैठकर यात्रा करते हैं;

(ग) यदि हां, तो छत पर बैठकर की जाने वाली इस यात्रा पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) छत पर बैठकर यात्रा करने वाले यात्रियों तथा यात्रियों को गाड़ी की छत पर बैठकर यात्रा करने देने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) रेल प्रशासन के नोटिस में आया है कि भीड़-भाड़ वाले कुछ खण्डों पर यात्री सवारी डिब्बों की छतों पर यात्रा करते हैं विशेषकर ऐसे अवसरों पर जब त्यौहारों, श्रमिकों के मौसमी आवागमन आदि के कारण यातायात असाधारण रूप से बहुत अधिक हो जाता है।

(ग) और (घ) गाड़ियों की छतों पर यात्रा न करने देने तथा इसे हतोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

(i) स्टेशन परिसरों में नोटिस तथा इश्तहार लगाये जाते हैं तथा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर लाउडस्पीकरों द्वारा घोषणाएं की जाती हैं जिनके माध्यम से गाड़ियों की छत पर यात्रा करने के खतरों से अवगत कराया जाता है।

(ii) टिकट जांच कर्मचारियों को अनुदेश हैं कि वे यात्रियों को गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने से रोकें तथा उन्हें गाड़ियों के प्रस्थान से पहले गाड़ियों की छत से उतार दें।

(iii) गाड़ियों की छतों पर यात्रा न करने देने के लिए रे० सु० ब०/रा० रे० पु० की सहायता से छापे मारे जाते हैं तथा जांच की जाती है और अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाता है।

(iv) त्यौहारों आदि के दौरान गाड़ियों में स्थान की अधिक मांग होने पर अतिरिक्त सवारी डिब्बों की व्यवस्था करके या अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर क्षमता में यथा सम्भव वृद्धि की जाती है।

दिल्ली-बड़ौत-सहारनपुर मार्ग पर रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना

394. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जनवरी, 1989 से दिल्ली-सहारनपुर बरास्ता बागपत तथा बड़ौत के बीच चलने वाली 6 एस० एस० डी० और 9 एस० एस० डी० यात्री गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन गाड़ियों का कब तक पुनः प्रारम्भ किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) 6 एस०एस०डी०/9 एस०एस०डी० को कुम्भ मेले के कारण अस्थायी तौर पर रद्द कर दी गई थी, फिर से चला दी गई है।

मकान बनाने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बैंक ऋण

[हिन्दी]

395. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से मकान बनाने आदि के लिए ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को 5,000 रुपये तक के और इस रकम समेत के ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिए जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों को प्रत्यक्ष रूप से अथवा आवास वित्त एजेंसियों, आवास बोर्डों, आवास तथा शहरी विकास निगम आदि को सावधि ऋणों के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से उधार देने के वास्ते कुल आबंटन करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि उधार दी गई रकम का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आयवर्ग के हिताधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाए।

पश्चिम तटीय रेल

[अनुवाद]

396. श्री शांताराम नायक :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी लाभ प्राप्त-कर्ता राज्य ने पश्चिम-तटीय रेल परियोजना के निर्माण कार्य के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना

397. श्री एच० जो० रामुलु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सरकार लघु उद्योगों और अति लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अनुषंगी बैंक के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का इक्विटी पूंजी 250 करोड़ रुपये होगी और उसका अपना निदेशक मंडल होगा जिसमें लघु उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हो जाने के बाद यह बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की लघु उद्योग विकास निधि तथा राष्ट्रीय इक्विटी निधि का भी प्रबंध करेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार

398. श्री एन० टोम्बी सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मणिपुर और आस-पास के क्षेत्रों में किए गए परीक्षणों के आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय-उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो कितना क्षेत्र शामिल किया गया है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में मणिपुर राज्य सरकार को भी शामिल किया है,

यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आदि सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों को चाय रोपण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त पाया गया है। इन राज्यों में चाय रोपण को प्रोत्साहन देने के लिए चाय बोर्ड नई चाय एकक वित्त पोषण योजना नामक एक योजना चला रहा है और ऋण और उपदान के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। अभी तक चाय बोर्ड द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से लगभग 359.42 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक रिलीज की गई ऋण और उपदान की राशि क्रमशः 69.18 लाख रु० तथा 19.28 लाख रु० आंकी गई है।

(ग) राज्य सरकार के एक उपक्रम मणिपुर प्लान्टेशन कारपोरेशन लि० द्वारा मणिपुर में चाय बोर्ड की निधि से 52 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय का रोपण किया गया है।

आयातित सफेद सीमेंट की प्रयोगशाला में जांच

399. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के सीमाशुल्क विभाग ने जुलाई/अगस्त, 1984 में किसी समय आयातित सफेद सीमेंट के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिये सरकारी प्रयोगशाला में भेजे थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जांच रिपोर्टों से इस बात की पुष्टि हो गई है कि आयातित सफेद सीमेंट आई०एस०आई० विशिष्टताओं के अनुरूप था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। आयातित सफेद सीमेंट के नमूने की बम्बई सीमाशुल्क गृह प्रयोगशाला में जुलाई/अगस्त, 1984 में जांच की गई थी और इसे सफेद सीमेंट के लिए "आई०एस० 8042—1976" के अनुरूप पाया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मसाला बोर्ड के अन्तर्गत जायफल तथा लौंग

400. श्री पी० ए० एन्टनी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मसाला बोर्ड द्वारा जायफल तथा लौंग जैसे पादप मसालों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : सरकार का इस समय जायफल तथा लौंग जैसे पादप मसालों को मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरणों के आयात पर सीमाशुल्क समाप्त करना

401. श्री शान्ति लाल पटेल :

श्री टी०वी० चन्द्रशेखरप्पा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यावरण विभाग ने उनके मंत्रालय को प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी उपकरणों के लिये भारी वित्तीय प्रोत्साहनों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कतिपय प्रस्ताव पेश किए हैं जिनमें प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरण की कतिपय मदों पर सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क में राहत दिये जाने का सुझाव दिया गया है। राजस्व और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास निगम

402. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकानों के निर्माण अथवा मकानों की खरीद के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सहायता करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कोई आवास निगम है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से मकान बनाने के लिये ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है; और

(ग) क्या सरकार का मकान बनाने अथवा खरीदने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सहायता करने हेतु एक राष्ट्रीय आवास निगम की स्थापना करने के लिए कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों/जनजातियों को मकान बनाने के लिये वित्त प्रदान करने के वास्ते राष्ट्रीय स्तर पर न कोई आवास निगम है और न ही ऐसा निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों सहित अलग-अलग व्यक्तियों को आवास प्रदान करने के वास्ते अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम मार्गनिर्देश जारी किये हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 5000/- रुपये तक और उसके सहित के आवास ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर दिये जाते हैं। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि व्यक्तियों, सहकारी संस्थाओं आदि को प्रत्यक्ष रूप से और आवास बोर्डों/आवास एवं शहरी विकास निगम, आवास वित्त एजेंसियों आदि के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से वे जो ऋण देते हैं उनका कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों,

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के हिताधिकारियों को दिया जाना चाहिए।

सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना

403. श्री एस० एम० गुरड्डी :

श्री शांति लाल पटेल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कृष्णा और कावेरी बेसिनों में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु दो विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक के राज्य मंत्री ने राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई परियोजनाएं तैयार करती है और उन्हें कार्यान्वित करती है।

बिलासपुर सिटी और जयराम नगर में ऊपरि पुल

[हिन्दी]

404. डा० प्रभात कुमार मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बिलासपुर सिटी और जयराम नगर में ऊपरि पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केवल बिलासपुर में ही ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल के निर्माण-स्थल का निर्धारण हो गया है। राज्य सरकार द्वारा अभी अन्य तकनीकी ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाना है जिसमें निर्माण-कार्य का अनुमान भी शामिल है।

उड़ीसा में रबड़ बागान

[अनुवाद]

405. श्री राधाकांत दिगाल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कुल कितने क्षेत्र में रबड़ क्षेत्र को रबड़ बागान के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में फुलबनी जिले की जलवायु रबड़ बागान के अनुकूल है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में रबड़ बागान का क्षेत्र बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) अब तक उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 180 हैक्टेयर भूमि रबड़ की खेती के अन्तर्गत लाई गई है।

(ख) जी नहीं। इस क्षेत्र में किये गये हाल के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि सामान्यत: यह जिला रबड़ की लाभदायक खेती के लिए उपयुक्त नहीं है।

(ग) मयूरभंज, बालासोर, ढेनकनाल, कटक, पुरी तथा गंजम जिलों में रबड़ की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भुवनेश्वर में रबड़ बोर्ड का एक आंचलिक कार्यालय स्थापित किया गया है और बहरामपुर तथा बारीपाडा में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं। उड़ीसा में रबड़ उपज-कर्ताओं को रबड़ रोपण विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जा रही है जिसमें नकद अनुदान, ब्याज अनुदान, पोलीथीन के थैलों में पहले से उगाये गये पौधों के प्रयोग के लिये अतिरिक्त सहायता शामिल है।

व्यापारियों द्वारा रेलवे के माध्यम से सामान का परिवहन

406. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने रेलवे बोर्ड की जानकारी में यह बात लाई है कि गैर-सरकारी बुकिंग एजेंसियां भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 के प्रावधान के अन्तर्गत दिए गये कानूनी संरक्षण का दुरुपयोग कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप जो व्यापारी रेलवे के माध्यम से अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं वे बिक्री-कर का भारी अपवंचन करते हैं, जिससे राजस्व को भारी हानि उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे के माध्यम से सामान की ढुलाई द्वारा कर-अपवंचन खामियों को रोकने के लिये सरकार क्या उपचारात्मक उपाय करने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को लिखा है कि रेल द्वारा सिटी बुकिंग एजेंसियों के माध्यम से ढोये जाने वाले परेषणों पर व्यापारियों द्वारा बिक्री कर का अपवंचन किया जाता है।

(ग) सिटी बुकिंग एजेंसियों को अनुदेश दे दिए गये है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अग्रेषण नोटों में परेषक और परेषिती के नाम तथा पते और परेषण का पूरा ब्यौरा ठीक से भरा हो। उन्हें यह भी निदेश दे दिया गया है कि वे सम्बद्ध रेलवे रिकार्डों से सूचना इकट्ठी करने में प्राधिकृत बिक्री कर अधिकारियों की पूरी मदद करें।

असम को विदेशी सहायता

407. **श्री भद्रेश्वर तांती :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान, अब तक, असम सरकार ने विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किसी विदेशी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहायता से असम में कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक सहायता से असम में कोई परियोजना आरम्भ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) असम की जिन परियोजनाओं के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता वचनबद्ध की गई है, उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	परियोजना का नाम	करार की तारीख	दाता एजेंसी	राशि—लाख संयुक्त राज्य अमरीकी डालरों में	टिप्पणियां
1.	तृतीय राष्ट्रीय कृषि विस्तार (एन० ए० ई० पी०-III) परियोजना	29-6-1987	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	850.9	यह एक बहु-राज्यीय परियोजना है। इस परियोजना के हिस्सेदार राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा असम हैं।
2.	तृतीय राष्ट्रीय बीज परियोजना	22-12-1988	—तदेव—	1500.0	यह एक बहु-राज्यीय परियोजना है, जिसके हिस्सेदार राज्य असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल हैं।

महरौली-बदरपुर रेलवे फाटक और काठगोदाम मार्ग पर रेल दुर्घटनाएं

[हिन्दी]

408. श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जनवरी, 1989 को उत्तर रेलवे के तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन के निकट महरौली-बदरपुर रेलवे फाटक पर रेलगाड़ी और ट्रक की भिड़न्त में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि 22 जनवरी, 1989 को काठगोदाम मार्ग पर काशीपुर-कासगंज यात्री गाड़ी और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई थी और इस दुर्घटना में अनेक कर्मचारियों और नागरिकों की मृत्यु हो गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दोनों रेल दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की वास्तविक संख्या का ब्यौरा क्या है उनके परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है इन दुर्घटनाओं की जांच का विस्तृत ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समपार पर हुई दुर्घटना में ट्रक में बैठे केवल दो व्यक्तियों की जानें गई थीं। इस दुर्घटना की विभागीय जांच की गई थी और इसके निष्कर्षों के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

काशीपुर-कासगंज पैसेंजर गाड़ी दुर्घटना में दो रेल कर्मचारियों की जानें गई थीं। रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र गोरखपुर द्वारा इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की जा रही है।

अनुग्रह राशि के रूप में 24,000/- रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

अभी तक न्यायालयों द्वारा किसी मुआवजे का निर्णय नहीं किया गया है।

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं : –

(i) समपारों पर रेल लाइनों को पार करते समय एहतियात बरतने हेतु प्रचार।

(ii) संरक्षा अभियानों को तेज करना।

(iii) कर्मचारियों को परामर्श देना।

(iv) संरक्षा शिविर चलाना।

(v) पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, आदि पर बल देना।

जीवन बीमा निगम की पालिसियों के लिए प्रीमियम

[अनुवाद]

409. श्री उत्तम राठौड़ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करदाताओं तथा गैर-करदाताओं के लिए जीवन बीमा निगम की विभिन्न पालि-

सियों का प्रीमियम समान है;

(ख) क्या सरकार को करदाताओं तथा गैर-करदाताओं द्वारा जीवन बीमा निगम की पालिसियों के लिए समान दरों पर प्रीमियम के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को इस प्रकार के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए प्रतीत नहीं होते।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता कुछ भी हो, प्रीमियम की दरों के सम्बन्ध में, जीवन बीमा निगम करदाताओं और करदाताओं से भिन्न व्यक्तियों के बीच भेद नहीं कर सकता।

महंगाई भत्ते के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ का सुझाव

410. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की योजना को समाप्त कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में निर्यातोन्मुख इकाइयों द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा

411. **श्री मानिक रेड्डी :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके द्वारा कौन-कौन से उत्पादन देशवार निर्यात किए जा रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में बारह 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को कार्यचालन आरम्भ किए जाने की सूचना मिली है। उन एककों के नाम तथा उनके द्वारा निर्मित एवं निर्यातित उत्पाद संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों द्वारा किए गए देशवार निर्यातों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) इन एककों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान

निर्यात इस प्रकार थे ;—

	(करोड़ रुपये)
1985-86	12.0
1986-87	18.9
1987-88	6.00

विवरण

आंध्र प्रदेश में कार्यरत 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक

क्रमांक	एकक का नाम	निर्मित तथा निर्यातित उत्पाद
1.	मैसर्स खम्माम ग्रेनाइट्स	ग्रेनाइट मैमोरियल्स
2.	मैसर्स नव भारत एन्टरप्राइसेस लि०	सिगरेट
3.	मैसर्स श्रीनिवास सिस्टाइन	एल-सिस्टाइन
4.	मैसर्स फिब्रो मैड अप्स एंड कं०	टैक्सटाइल मैट्रिसिस, स्लीपिंग बैग्स, आटोमैटिक कुशन्स
5.	मैसर्स सूरी कम्प्यूटर्स (प्रा०) लि०	कम्प्यूटर साफ्टवेयर्स
6.	मैसर्स रिचिमैन सिल्क्स लि०	फैब्रिक सिल्क
7.	मैसर्स बी० बी० आर० एण्ड कं० नायलोन प्रा० लि०	नायलौन फिशनैट
8.	मैसर्स गौतम कन्स्ट्रक्शन एण्ड फिशरीज	टुना एण्ड अन्य मछलियां
9.	मैसर्स एम० बी० आर० एण्ड शांग इन ग्रेनाइट कं०	ग्रेनाइट टोम्बस्टोन्स, डैकोरेटिव उत्पाद
10.	मैसर्स सील फिशरीज प्रा० लि०	सभी किस्म की मछली—मार्च, 88
11.	मैसर्स राक कापको लि०	ग्रेनाइट स्लैब्स
12.	मैसर्स चन्दर सी० फूड्स लि०	सभी किस्म की मछली

2 बी० डी० (बरवाडीह बेहरी-आन-सोन) और डाउन गुड्स स्पेशल 534 रेलगाड़ियों के बीच टक्कर

412. श्री महेन्द्र सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 दिसम्बर, 1988 को 2 बी० डी० (बरवाडीह-देहरी-आनसोन) यात्री रेलगाड़ी

और डाउन हावड़ा गुड्स स्पेशल 534 रेलगाड़ी के बीच हुई टक्कर की जांच रिपोर्ट सरकार को पेश की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं और इस दुर्घटना के कारण क्या हैं तथा जान और माल की कितनी हानि हुई है; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वी सर्किल ने, जो इस दुर्घटना की सांविधिक जांच कर रहे हैं, अपनी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) रेल संरक्षा आयुक्त की अनन्तिम जांच के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की चूक के कारण हुई।

इस दुर्घटना में माल गाड़ी के गार्ड की मृत्यु हो गई थी।

1,50,000/- रु० की रेल सम्पत्ति की क्षति होने का अनुमान है।

(ग) अन्तिम रिपोर्ट के प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।

शताब्दी एक्सप्रेस

[हिन्दी]

413. श्री जगदीश अवस्थी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस जो दिल्ली और झांसी के मध्य चलती है वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई हैं;

(ख) इस गाड़ी को टिकटों की औसत दैनिक बिक्री और यात्री क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस गाड़ी के कुछ वातानुकूलित डिब्बों के स्थान पर दूसरे दर्जे के डिब्बे लगाने का है, ताकि यह अर्थक्षम बन जाए और इसमें आम जनता भी यात्रा कर सकें;

(घ) यदि हां, तो कब तक ऐसा किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) आय और व्यय के आंकड़े गाड़ीवार नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जनवरी, 1989 में 2001 डाउन और 2002 अप शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा विभिन्न स्टेशनों के बीच यात्रा के लिए दैनिक औसत टिकट बिक्री क्रमशः 337 और 339 थी। इस गाड़ी की वहन क्षमता 467 यात्रियों की है।

(ग) से (ङ) 110 कि० मी० प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने वाली गाड़ियों में धूल उत्सर्जन के कारण गैर-वातानुकूल डिब्बे नहीं लगाए जा सकते हैं।

केरल में प्राकृतिक रबड़ के समर्थन मूल्य

[अनुवाद]

414. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के रबड़ उत्पादकों द्वारा प्राकृतिक रबड़ का समर्थन मूल्य 20.50 रुपये प्रति किलोग्राम निश्चित करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या प्राकृतिक रबड़ के मूल्य निर्धारित करने के लिए उक्त निकाय में रबड़ उत्पादकों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा लागू बफर स्टाक योजना उपजकर्ताओं को लाभकारी आय प्रदान करती है साथ ही वास्तविक प्रयोक्ताओं को उचित कीमतों पर प्राकृतिक रबड़ की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करती है। बफर स्टाक के अन्तर्गत कीमतों के संशोधन पर सरकार द्वारा उनके निर्धारण के समय ध्यान में रखे गए कारकों में परिवर्तन के आधार पर, विचार किया जाता है। इस समय कीमतों में संशोधन का कोई भी मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) वर्तमान व्यवस्था में प्राकृतिक रबड़ की कीमतें निर्धारित करने के काम में किसी बाहरी संगठन को भी साथ लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

मत्स्य उद्योग में रुग्णता

415. श्री बीरत सिंह जी जदेजा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को इस बात की जानकारी है कि झींगा मछली के कुल वार्षिक निर्यात में वृद्धि होने के बावजूद प्रत्येक मत्स्य नौका द्वारा झींगा मछली पकड़ने की वास्तविक मात्रा में औसत रूप से कमी हुई है;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपये का कम मूल्य होने के कारण भी झींगा मछली के निर्यात में लगातार धीमी प्रगति हो रही है;

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा मत्स्य उद्योग में रुग्णता को दूर करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय करने पर विचार किया गया है; और

(घ) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मत्स्य नौकाओं के मालिकों को कोई वार्षिक सहायता देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) एम्पीडा के पास नौका-वार झिंगा पकड़ की जानकारी नहीं होती।

(ख) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये का कम मूल्य होने का एक कारण श्रिम्पों के निर्यात में लगातार धीमी प्रगति होना भी है।

(ग) एम्पीडा द्वारा किए गए उपचारी संवर्धनात्मक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं : गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संस्थानों और तूतीकोरिन तथा कोचीन पत्तन प्राधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करना ताकि लोबस्टर पकड़ने के लिए नौकाओं का प्रचालन सुकर हो सके।

(घ) एम्पीडा मछुआरों को उनकी देशी नौकाओं के यंत्रीकरण में सहायता देने के लिए पहले से ही एक उपदान योजना चला रहा है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर हेरोइन और सोना पकड़ना

416. **श्री कृष्ण सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर सक्रिय तस्करों से इस वर्ष जनवरी से अब तक काफी मात्रा में सोना और हेरोइन पकड़ी गई है;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये वर्जित माल की मात्रा और उसके मूल्य सहित तत्संबन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन गतिविधियों और आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी के बीच कोई संबंध पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रमाण मिले हैं; और

(ङ) इस तस्करी को रोकने हेतु कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जनवरी, 1989 के दौरान भारत-पाक सैक्टर की भू-सीमाओं पर पकड़े गये सोने की मात्रा एवं इसका मूल्य तथा पकड़ी गई हेरोइन की मात्रा नीचे दी गई है :

	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
सोना	241.58*	7.33*
हेरोइन	528*	हेरोइन का कोई सही-सही मूल्य नहीं दर्शाया जा सकता क्योंकि यह इसकी शुद्धता, उद्गम स्थान आदि पर निर्भर करता है।

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) और (घ) सोने तथा हेरोइन की तस्करी की गतिविधियों और सीमापार पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी के बीच सम्बन्ध होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ङ) समग्र देश में तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। देश में तस्करी द्वारा

माल को लाये जाने से रोकने के लिए एवं इसका पता लगाने के लिए तस्करी-रोधी तन्त्र संपूर्ण देश में, विशेषकर समुद्र तट के सुगम्य क्षेत्रों, भू-सीमाओं के क्षेत्रों और विमान पत्तन क्षेत्रों में सतर्क रहता है। यात्रियों द्वारा अपने शरीर में अथवा अपने असबाब/कार्गो में सोने को छिपाकर लाने से रोकने के लिये एवं इसका पता लगाने के लिए धातु खोजी, एक्स-रे मशीनों जैसे अत्याधुनिक तस्करी-रोधी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। सम्पूर्ण देश में तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए सभी सम्बन्धित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जाता है।

जापान के निर्यात-आयात बैंक द्वारा ऋण

417. श्रीमती एम० पी० झांसी लक्ष्मी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान के निर्यात-आयात बैंक के साथ ऋण के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय रेलवे वित्त निगम द्वारा हाल ही में दो ऋण लिये गए हैं, जिनकी शर्तें इस प्रकार हैं :

	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	भारतीय रेलवे वित्त निगम
(i) राशि	20 अरब येन	15 अरब येन
(ii) परिपक्वता	20 वर्ष	20 वर्ष
(iii) ब्याज दर	5.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष	5.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(iv) वचनबद्धता शुल्क	$\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष	$\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष

उड़ीसा से राजस्व वसूली

418. श्री के० प्रधानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान प्रत्येक केन्द्रीय कर के अन्तर्गत उड़ीसा से कुल कितने राजस्व की वसूली की गई; और

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रत्येक कर के अन्तर्गत उड़ीसा को कितनी राशि वापिस दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) वर्ष 1986-87

तथा 1987-88 के दौरान उड़ीसा राज्य से प्रत्येक केन्द्रीय कर के अधीन राजस्व की कुल वसूली निम्नानुसार है :

(रुपये : करोड़ों में)

वर्ष	आयकर (इसमें निगम कर भी शामिल है।)	व्यय कर	धनकर	दानकर	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	सीमा-शुल्क
1986-87	36.00	—	0.50	0.035	173.69	50.00
1987-88	45.00	0.04	0.27	0.03	183.73	54.00

(ख) वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय करों तथा शुल्कों के उसके अंश के रूप में अदा की गई राशि क्रमश: 374.98 करोड़ रु० तथा 402.24 करोड़ रु० है।

बाढ़ की रोकथाम के लिए विदेशों द्वारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर बांधों का निर्माण

419. श्री चिन्तामणि जेना :

श्री विष्णु मोदी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस सरकार ने बाढ़ की रोकथाम के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर कई बांध निर्मित करने का प्रस्ताव योरोपीय देशों के नेताओं और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार की योजना

420. श्री राम बहादुर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक योजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लागू की गई थी;

(घ) क्या बैंक से ऋण लेने वालों की पहचान के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कई बैंक अधिकारियों ने कई जाली ऋण मंजूर करने में अपने प्राधिकार का दुरुपयोग किया है; और

(छ) यह योजना प्रारम्भ होने से अब तक ऐसे बैंकों/बैंक अधिकारियों द्वारा इस प्रकार दी गई राशि और ऋण मंजूर करने वाले अधिकारी तथा सामूहिक ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (छ) सरकारी क्षेत्र के बैंक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं और इस श्रेणी के उधारकर्ताओं को अधिक ऋण प्रदान करने के अपने समग्र उपायों के एक अंग के रूप में ऋण शिविर आयोजित करते हैं। बैंक, उनके द्वारा दिए गए सभी ऋणों के वास्ते, चाहे वे ऋण शिविरों में दिए गए हों या अन्यथा, पात्रता मानदण्डों, परियोजना मूल्यांकन और मंजूरी के बाद पर्यवेक्षण तथा वसूली प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गनिर्देशों/निर्देशों का पालन करते हैं। ऋण शिविरों में मंजूर एवं संवितरित मामलों की संख्या पर केन्द्रीय स्तर पर नजर रखना व्यवहार्य अथवा आवश्यक नहीं समझा जाता। अलबत्ता, जब कभी अधिकार के दुरुपयोग का कोई मामला, चाहे वह ऋण शिविर से संबंधित हो या अन्य हो, ध्यान में आता है, तो उसे उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई के वास्ते उठाया जाता है।

महानगरों में मुद्रास्फीति की दर

421. श्री हेत राम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के अन्त में अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह वर्ष 1987 के अन्त की मुद्रास्फीति दर की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है;

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1988 तथा अक्तूबर से दिसम्बर, 1988 के दौरान देश के प्रमुख महानगरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत तुलनात्मक वृद्धि हुई है तथा यह वृद्धि वर्ष 1987 के दौरान मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की तुलना में कितनी है; और

(ग) विभिन्न महानगरों में मुद्रास्फीति/उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में असमानता के प्रमुख कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1987 के अन्त में 9.3 प्रतिशत के मुकाबले दिसम्बर, 1988 के अन्त में बिन्दु प्रति-बिन्दु आधार पर प्रतिशत वृद्धि 8.8 प्रतिशत थी।

(ख) प्रमुख महानगरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई तुलनात्मक वृद्धि को दर्शाने वाला विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

प्रमुख महानगरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तुलनात्मक वृद्धि

शहर	1987		1988	
	अप्रैल सितम्बर	अक्तूबर दिसम्बर	अप्रैल सितम्बर	अक्तूबर दिसम्बर
दिल्ली	11.91	—0.37	7.01	—शून्य—
बम्बई	6.50	2.04	5.09	—0.23
कलकत्ता	8.47	—1.23	7.72	2.01
मद्रास	6.37	4.13	5.00	2.93
अखिल भारतीय	8.60	0.94	7.04	1.49

(ग) विभिन्न शहरों में उपभोक्ता मूल्यों में भिन्नता, मांग और पूर्ति की शक्तियों के पारस्परिक प्रभावों से होती है, जिनका निर्धारण जनसंख्या के दबाव, आय के स्तरों और विपणन संरचना की क्षमता आदि, जैसे उपादानों द्वारा होता है।

मध्य प्रदेश की मालवा नहर

422. श्री सांभाजीराव कदाडे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मालवा नहर के लिए कोई योजना भेजी है;

(ख) क्या मालवा नहर को वर्तमान नर्मदा घाटी परियोजना में शामिल करने के लिए, इसमें परिवर्तन करने की कोई संभावना है, ताकि नर्मदा सागर जलाशय के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव पर सरकार का कब तक अन्तिम निर्णय लेने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नशीले पदार्थों का जब्त किया जाना

423. श्री सोमनाथ रथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1988 से अब तक देश में कितनी मात्रा में हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ जब्त किये गये हैं; और

(ख) जब्त किए गए नशीले पदार्थों का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य क्या होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) 1-4-1988 से 31-1-1989 तक देश में पकड़ी गई हेरोइन और अन्य नशीले औषध-द्रव्यों की मात्राएं नीचे दी गई हैं :—

क्रम सं०	नशीले औषध द्रव्य का नाम	मात्रा (किलोग्राम) (अनन्तिम)
1.	अफीम	1,575
2.	हेरोइन	2,682
3.	हशीश (चरस)	5,892
4.	गांजा	28,596
5.	मार्फिन	3
6.	एम्फेटामाइन	9
7.	मैथाक्वालोन	1,289

पकड़े गए नशीले औषध द्रव्यों का कोई मूल्य न तो स्वदेशी बाजार में और न ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सही-सही नहीं आंका जा सकता है क्योंकि यह नशीले औषध द्रव्य की शुद्धता, उद्गम स्थान, स्थानीय मांग और आपूर्ति आदि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है ।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रुग्ण एककों को सहायता

424. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का रुग्ण एककों को धनराशि देने के कार्य को और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में रुग्ण एककों का ब्यौरा क्या है और इन एककों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है; और

(घ) सरकार का रुग्ण एककों की स्थिति सुधारने हेतु अन्य क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :(क) जी नहीं। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड रुग्ण एककों को धनराशि नहीं देता है ।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार जून 1987 के अन्त में लघु उद्योग रुग्ण एककों लघु उद्योगों से भिन्न लघु रुग्ण एककों तथा लघु उद्योगों से भिन्न कम जोर एककों की स्थिति इस प्रकार थी :—

क्षेत्र		एककों की संख्या
लघु उद्योग रुग्ण एकक	—	1,58,226
लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण एकक	—	1,057
लघु उद्योगों से भिन्न कमजोर एकक	—	655

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर मार्गनिर्देश जारी किये हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, संभावित अर्थक्षम एककों के संबंध में पुनरुद्धार कार्यक्रम तैयार करने, वास्तविक उत्पादन-कार्य को समर्थन देने के वास्ते आवश्यकता पर आधारित ऋण-सुविधाएं प्रदान करने, अतिदेय रकमों की अलग-अलग चरणों में वसूली आदि करने की परिकल्पना की गई है।

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत गठित औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड भी उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, रुग्ण-औद्योगिक कम्पनियों के संबंध में निवारक, सुधारात्मक, उपचारात्मक, तथा अन्य उपाय करता है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा स्टेट बैंक आफ इन्दौर के भवनों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

425. **श्री तम्पन थामस :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 से मार्च 1985 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली और इन्दौर में स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा स्टेट बैंक आफ इन्दौर के वरिष्ठ अधिकारियों के मकानों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दोषी पाए गए वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि दिनांक 16 दिसम्बर, 1983 को उसने भारतीय स्टेट बैंक: कालकाजी (नई दिल्ली) शाखा के प्रबंधक के मकान की तलाशी ली थी। यह तलाशी उसके द्वारा कुछ निजी पार्टियों को कथित अनुचित लाभ पहुंचाने के संबंध में उसके खिलाफ दर्ज किए गए तीन मामलों की जांच के सिलसिले में ली गई थी। तलाशियों के दौरान, इन मामलों की जांच से संबंधित आपराधिक दस्तावेज पकड़े गए।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आगे चलकर बताया है कि जबकि एक मामला अदालत में

विचाराधीन है, अन्य दो मामलों में, बैंक प्राधिकारियों को उपयुक्त कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।

अमृतसर के वस्त्र तैयार करने वाले एककों का बन्द होना

426. डा० ए० के० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर में वस्त्र तैयार करने वाले लगभग एक सौ एकक जिनमें लगभग 70,000 श्रमिकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध है तथाकथित अवैध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विनियमों के कारण बन्द होने की स्थिति में हैं;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमृतसर के कतिपय वस्त्र प्रसंस्करण एककों ने, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क भार को वस्त्रों के बजाए सूत अथवा तन्तु स्तर पर डाल दिए जाने की मांग करते हुए 12 जनवरी, 1989 से 20 जनवरी, 1989 तक हड़ताल की थी।

(ख) और (ग) सरकार को अमृतसर प्रिन्ट्स और प्रसंस्करण कर्ता संघ से उनका दिनांक 20 जनवरी, 1989 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस पत्र में संघ ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क भार को संश्लिष्ट वस्त्रों के बजाए सूत अथवा तन्तु पर डाल दिए जाने का सुझाव दिया है। विकल्पत: संघ ने संश्लिष्ट वस्त्रों पर लगाए जाने वाले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ढांचे की पुन : संरचना करने और इसमें कमी करने का सुझाव भी दिया है। तथापि, आगामी केन्द्रीय बजट को मद्दे नजर रखते हुए, इन सुझावों पर सरकार की प्रतिक्रिया बताना संभव नहीं होगा।

दिल्ली स्थित बैंकों में ग्राहक सेवा

[हिन्दी]

427. श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों की शाखाओं में जमाकर्ताओं से किए जा रहे बुरे व्यवहार के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) बैंकों ने अपने जमाकर्ताओं/ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार लाने के वास्ते कई उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं— सामान्य सेवायें प्रदान करने के वास्ते समय मानक तैयार करना, समाशोधन गृहों के कम्प्यूटरीकरण के जरिए और कुरियर सेवा का अधिक से अधिक

उपयोग करके बैंकों का शीघ्र समाशोधन और उगाही करना, ग्राहकों की शिकायतों को तेजी से निपटाने के वास्ते तंत्र का सृजन करना, ग्राहकों को 2500/- रुपये तक के बाहरी चैकों का तत्काल क्रेडिट करने की सुविधा प्रदान करना, बाहरी चैकों की 10/14 दिन से अधिक की विलम्बित उगाही के लिए बचत बैंक दर पर ब्याज देना और शिकायतों को तेजी से निपटाने के काम को सरल बनाने के प्रयोजन से ग्राहकों और बैंक के कार्यपालकों के बीच अधिक से अधिक सम्पर्क स्थापित करना।

जमाकर्ताओं/ग्राहकों से प्राप्त विशिष्ट शिकायतों की तुरंत जांच की जाती है ताकि उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

रुग्ण लघु एककों को बैंकों द्वारा सहायता

[अनुवाद]

428. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रुग्ण लघु एककों को बचाने के लिए बैंकों को उनकी सहायता करने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बैंकों को जारी किए गए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत छः महीनों के दौरान देश में कितने रुग्ण लघु एककों को लाभान्वित किया गया है; और

(घ) सरकार का देश में रुग्ण एककों को और अधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि रुग्ण एककों के सम्बन्ध में फरवरी, 1987 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम विस्तृत मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए थे जिनमें रुग्णता का पता लगाने, रुग्ण औद्योगिक एककों की सम्भावित अर्थक्षमता के मानकों और पुनरुद्धार के लिए हाथ में लिए गए सम्भावित अर्थक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों को दी जाने वाली रियायतों/राहतों की व्यवस्था करने की शर्तों का ब्यौरा दिया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी जुलाई, 1987 में इसी प्रकार के मार्गनिर्देश, राज्य वित्तीय निगमों के नाम जारी किये थे तथा रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को बैंकों तथा राज्य वित्तीय निगमों के द्वारा पुनरुद्धार सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्वित्त योजना तैयार की थी। बैंकों को जुलाई, 1988 में यह भी कहा गया है कि सम्भावित अर्थक्षम लघु औद्योगिक एककों के लिए एक वित्तपोषण कार्यक्रम तैयार किया जाए और उसे समयबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन समेकित आंकड़ों के अनुसार, जून, 1987 के अन्त में वित्तपोषक बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम के अधीन रखे गए एककों की संख्या 4980 थी और इनके नाम 232.96 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी।

निर्यातोन्मुखी एककों की उत्पादकता बढ़ाने का प्रस्ताव

429. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यातोन्मुखी एककों को उन्नत प्रतिष्ठानों में बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों की कार्य क्षमता में सुधार करने और उनकी निर्यात क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1987-88 के दौरान शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना संशोधित की गई थी और उपाय घोषित किये गये थे। आगे कोई अन्य परिवर्तन विचाराधीन नहीं हैं।

सिरौज-लातेरी तथा मकसूदनगढ़ (मध्य प्रदेश) तक रेल सम्पर्क

[हिन्दी]

430. **श्री राजकुमार राय :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिरौज-लातेरी मकसूदनगढ़ (मध्य प्रदेश) के ग्रामीण क्षेत्रों को मध्य रेलवे के गंज बसौदा स्टेशन से जोड़ने के लिए अगली पंचवर्षीय योजना में एक नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बचत योजनाओं में निवेश के सम्बन्ध में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल संघ के सुझाव

[अनुवाद]

431. **श्री राम प्यारे पनिका :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ ने हाल ही में जनता को अपनी बचत की राशि जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और भविष्य निधि में लगाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने के सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विकास कार्यों के लिए और अधिक संसाधन जुटाने के लिए इन सुझावों पर विचार किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ और अन्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकारी नीति तैयार करते समय अवश्य विचार किया जाता है।

सिंचाई क्षमता और इसका उपयोग

432. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार अब तक कितने कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण और परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इन कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों और कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अधीन कुल कितने हेक्टेयर जोत भूमि लाई गई है; और

(ग) सिंचाई क्षमता के सृजन और इसके उपयोग के बीच के अन्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाये जाने का विचार किया गया है, जिससे कि सिंचित भूमि से इष्टतम कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सके ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत, स्वीकृत वित्तीय स्वरूप (पैटर्न) के अनुसार राज्यों और संघ शासित प्रशासनों को सिंचाई क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए फार्म में विकास कार्यों जैसे फील्ड चैनलों का निर्माण, भूमि समतलन, खेत नालियों तथा बाराबन्दी लागू करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। राज्यों को भी सिंचाई क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए बहुत से उपाय करने की सलाह दी गई है, जैसे मुख्य कार्यों से खेत द्वार तक सिंचाई जल प्रबन्ध का एकीकृत नियंत्रण, आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निधियां जुटाना, प्रणाली अपर्याप्ताओं को पूरा करना और अनुरक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना तथा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि में सिंचाई-कर्ताओं की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने के लिए प्रयासों को तीव्र करना।

विवरण

राज्य/संघशासित प्रशासन-वार कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं/प्राधिकरणों की संख्या तथा कृषि योग्य कमान क्षेत्र

क्र० सं०	राज्य/संघशासित प्रशासन	कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं की संख्या	कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की संख्या	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	3	1341.27
2.	असम	3	2	52.30

1	2	3	4	5
3.	बिहार	6	4	2393.64
4.	गोआ	2	1	16.36
5.	गुजरात	21	4	953.18
6.	हरियाणा	4	1	443.87
7.	हिमाचल प्रदेश	3	0	10.09
8.	जम्मू तथा कश्मीर	7	2	61.86
9.	कर्नाटक	5	4	1920.79
10.	केरल	10	1	92.24
11.	मध्य प्रदेश	22	7	1500.75
12.	महाराष्ट्र	16	7	1279.26
13.	मणिपुर	2	1	29.00
14.	मेघालय	1	0	0.90
15.	उड़ीसा	4	5	601.60
16.	राजस्थान	4	2	972.74
17.	तमिलनाडु	5	0	664.51
18.	त्रिपुरा	1	0	4.49
19.	उत्तर प्रदेश	3	3	4308.00
20.	पश्चिम बंगाल	4	3	1832.35
21.	दमन व दीव	1*	0	3.41
22.	दादरा व नगर हवेली	1*	0	8.28
	जोड़	131	50	18490.89

*दमन गंगा परियोजना गुजरात, दमन व दीव और दादरा एवं नागर हवेली के अन्तर्गत आती है। इसे दो परियोजनाओं के रूप में गिना जा रहा है, एक गुजरात राज्य के लिए और दूसरा संघशासित प्रशासन के लिए।

चुरहट चिल्ड्रन वेलफेयर सोसायटी को आयकर से छूट

433. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने चुरहट चिल्ड्रन वेलफेयर सोसायटी लाट्री से सम्बन्धित

फैसले में इसे दी जाने वाली आयकर में छूट सम्बन्धी आदेश को रद्द करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इनके प्रश्न ही नहीं उठते।

सार्वजनिक उपक्रमों में उच्च स्तर पर रिक्त पद

[हिन्दी]

434. **श्री हरीश रावत :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों में अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक, निदेशकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं और इनमें कौन-कौन से पद रिक्त पड़े हुए हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अध्यक्षों, प्रबन्ध निदेशकों और पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के रिक्त पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के परामर्श से उपयुक्त व्यक्तियों के चयन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

क्र० सं०	निगम का नाम	पदों की संख्या और पदनाम	तिथि जब से रिक्त पड़े हैं
1.	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम	(क) कार्यकारी निदेशक (3)	29-12-1988
		(ख) कार्यकारी निदेशक (1)	30-12-1988
2.	परियोजना एवं उपस्कर निगम	कार्यकारी निदेशक (1)	1-11-1986
3.	टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन	कार्य निदेशक (3)	जनवरी, 1986
4.	अभ्रक व्यापार निगम	निदेशक (वित्त) (1)	14-2-1989

विजयवाड़ा और मद्रास के मध्य एक्सप्रेस गाड़ी

[अनुवाद]

435. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा से मद्रास और मद्रास से विजयवाड़ा के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी न होने की वजह से यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विजयवाड़ा से मद्रास और मद्रास से विजयवाड़ा के मध्य एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी आरम्भ करने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड पर कई मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर घटाया जाना

436. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण की ब्याज दर घटाने की अनुमति देने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितना लाभ होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण की ब्याज दर घटाने से बैंकों की जमा राशि पर प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) : (क) से (ग) उधार देने की दरों और जमा राशियों की दरों की निरंतर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है उनमें उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं। उधार की ब्याज दरों में परिवर्तन का बैंकों द्वारा जुटाई जाने वाली जमाराशियों पर प्रभाव नहीं पड़ता।

अरण्डी के तेल का उत्पादन और निर्यात

437. श्री ई० अय्यपू रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 में कितने तथा अरण्डी कितने मूल्य के अरण्डी के तेल का निर्यात किया गया;

(ख) किन किन देशों को अरन्डी के तेल का निर्यात किया जाता है;

(ग) अरण्डी के तेल के उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) अरण्डी के तेल के उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) वर्ष 1988 के दौरान निर्यात किए गए अरण्डी के तेल का कुल मूल्य और मात्रा निम्नलिखित है :

मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
31,533	54

(स्रोत : मूल रसायन, भेषजीय तथा सौंदर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई)

(ख) जिन मुख्य देशों को अरण्डी के तेल का निर्यात किया जाता वे हैं : सोवियत संघ, जर्मन जनवादी गणराज्य तथा फ्रांस ।

(ग) अरण्डी के तेल का उत्पादन मुख्यत: गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में होता है ।

(घ) निर्यातकों को औषधीय अरंडी के तेल के निर्यात पर 5% की दर पर नकद मुआवजा सहायता स्वीकार्य है ।

दक्षिण भारत में नई रेलगाड़ियां

438. श्री एस० जी० घोलप :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 मई, 1989 से दिवा-बेसिन-लाइन से होकर अहमदाबाद से पुणे के बीच "अहिंसा" रेलगाड़ी चलाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस लाइन पर दक्षिण भारत के लिए चार अन्य रेलगाड़ियां भी चलाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मार्ग पर अत्यधिक मांग किए जाने के बावजूद भी स्थानीय रेलगाड़ियां न चलाए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) ग्रीष्मकालीन समय सारणी के दौरान दिवा-बसई के रास्ते अहमदाबाद और पुणे के बीच एक साप्ताहिक गाड़ी चलाई जाएगी। इसके अलावा पश्चिम रेलवे से इस लाइन के रास्ते दक्षिण की ओर जाने वाली वर्तमान तिरुवनन्तपुरम/कोच्चिन/हैदराबाद साप्ताहिक गाड़ी को चलाने का प्रस्ताव है ।

(ग) अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी के कारण ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालय भवनों की मरम्मत पर व्यय

439. श्री हकभाई मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालय भवनों की मरम्मत/नवीकरण पर व्यय किए जाने के मामले में कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) देना बैंक द्वारा बम्बई में चेयरमैन के कार्यालय अथवा कार्यालय के किसी अन्य भाग का नवीकरण करने पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) बैंकों में कार्यालय भवनों की मरम्मत और नवीकरण जरूरत एवं आवश्यकता के आधार पर की जाती है।

देना बैंक ने सूचित किया है कि उसने अध्यक्ष के कार्यालय के नवीकरण पर कोई व्यय नहीं किया है। अलबत्ता, वर्ष 1988 में बम्बई में अन्य कार्यालय परिसरों पर 12.92 लाख रुपए की रकम खर्च की गई थी।

मचेदा, पंसकुरा और कोलाघाट में यात्री सुविधाएं

440. **डा० फूलरेणु गुहा** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मचेदा, पंसकुरा और कोलाघाट स्टेशनों पर मूत्रालय, शौचालय आदि जैसी जनसुविधाओं के अभाव में यात्रियों को, विशेषकर महिलाओं को, भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मूत्रालय और शौचालय आदि बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्तमान यातायात के स्तर को देखते हुए, मचेदा, पंसकुरा और कोलाघाट स्टेशनों पर महिला और पुरुष प्रसाधनों की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। रेलवे ने अतिरिक्त प्रसाधन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कारंवाई शुरू कर दी है।

फर्नीचर का निर्यात

441. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र फर्नीचर का निर्यात कर रहे हैं;

(ख) इन वस्तुओं का अब तक कुल कितने मूल्य का राष्ट्र-वार निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु और अधिक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को इस व्यापार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष मार्गनिर्देश जारी करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) उपलब्ध जानकारी के

अनुसार लकड़ी के फर्नीचर का निर्यात मुख्यतः महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों से किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान 110 लाख रु० मूल्य के लकड़ी के फर्नीचर का निर्यात किया गया था। देशवार निर्यात के आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(स्रोत : रसायन तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद)

(ग) से (ङ) लकड़ी के फर्नीचर का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है और इस प्रकार सभी विनिर्माता-निर्यातक लकड़ी के फर्नीचर का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

1987-88 के लिए लकड़ी के फर्नीचर के सम्बन्ध में देश वार निर्यात निष्पादन

देश जिन्हें निर्यात किया गया	निर्यात (लाख रु० में)
आस्ट्रेलिया	1.0
बहरीन	6.0
पश्चिम जर्मनी	5.0
जापान	50.0
कुवैत	5.0
मालदीव	1.0
नेपाल	10.0
ओमान	6.0
सिंगापुर	10.0
संयुक्त अरब अमीरात	5.0
ब्रिटेन	8.0
सोवियत संघ	1.0
सं०रा० अमरीका	2.0
योग	110.0

पटना में गंगा के ऊपर रेल पुल

442. डा० सी० पी० ठाकुर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में गंगा पर बनाए जा रहे रेल पुल के निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पटना के निकट, गंगा नदी पर रेल पुल बनाने के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है जो प्रगति पर है।

(ख) इस समय यह कहना कठिन है कि पुल कब तक पूरा हो जाएगा।

केरल में तटवर्ती रेलवे

443. प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में तटवर्ती रेल लाइन बिछाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है तथा इसके लिए और कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केरल में कोस्टल रेलवे लाइनों के रूप में एर्णाकुलम—अलेप्पी, अलेप्पी—कायनकुलम और त्रिचूर गुरूवायूर नई बड़ी लाइनों की परियोजनाएं प्रगति पर हैं;

(ख) इन तीन परियोजनाओं पर 31-1-89 तक कुल 61.95 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए 59.80 करोड़ रुपये और खर्च होने हैं।

(ग) एर्णाकुलम-अलेप्पी परियोजना के जून 1989 तक चालू हो जाने की आशा है। अलेप्पी—कायनकुलम और त्रिचूर—गुरूवायूर परियोजनाओं का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सतलुज यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण

444. श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतलुज यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण कार्य निर्धारित समय-अवधि के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना पर कुछ निर्माण कार्यों में कृषक आन्दोलन, वर्ष 1988 के मानसून में अभूतपूर्व वर्षा, ठेकेदार के निष्पादन आदि आदि जैसे कई कारणों से विलम्ब हुआ है। सिरसा जल प्रणाल पर कार्य, जहां मुकदमेबाजी के कारण कुछ महीनों के लिए कार्य स्थगित रहा, को कानूनी बाधाओं को समाप्त कर दिए जाने के पश्चात दिसम्बर, 1988 में पुन: आबंटित कर दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार परियोजना के लिए निधियां प्रदान कर रही है और बाधाओं को हल करने के वास्ते परियोजना का प्रबोधन कर रही है तथा आवश्यक निवेश का विनियोजन करने में सहायता करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय को विभाजित करने का प्रस्ताव

445. **प्रो० के० वी० थामस** :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक न्यायालय और अपील न्यायालय में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अपील न्यायालय की शाखाएं विभिन्न राज्यों में स्थापित की जाएंगी ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विधि आयोग ने अपनी 125वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि यदि उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक न्यायालय और अपील न्यायालय या फेडरल अपील न्यायालय के रूप में विभाजित किया जाता है तो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में फेडरल अपील न्यायालय के न्यायपीठों के रूप में आसीन होने पर कोई गम्भीर आक्षेप नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट की प्रति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के टिप्पण/विचार प्राप्त करने के लिए भेज दी गई हैं।

राष्ट्रीय ऋण परिषद की स्थापना

446. **श्री एन० वेंकटरत्नम** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विकास परिषद की तरह एक राष्ट्रीय ऋण परिषद की स्थापना करने का है; और

(ख) उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

खेप-कर के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों की बैठक

447. **श्रीमती डी० के० भंडारी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में खेप-कर के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक के दौरान किन-किन मसलों पर विचार-विमर्श हुआ;

(ग) क्या सरकार का बैठक में हल किये गये मसलों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में जिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें ये भी शामिल थे। खेप-कर का दर-निर्धारण, खेप-कर निर्धारण के लिए तंत्र, खेप-अन्तरणों का मूल्यांकन, खेप-कर से होने वाली आय के वितरण की प्रणाली, केन्द्र तथा राज्यों को छूट देने की सम्मिलित शक्ति प्रदान करना तथा केन्द्र द्वारा इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया जाना, जो केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा तैयार किये जायेंगे, जिसमें कुछ मुख्य मंत्री भी शामिल होंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) लिए गए निर्णय/विचार विमर्श के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र को भविष्य निधि राशि का भुगतान

448. **श्री हुसैन दलवई :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार, केन्द्रीय सरकार से इसे देय भविष्य निधि की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस राशि के भुगतान को रोकने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त बकाया राशि को चुकाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) डाकघरों में दिसम्बर, 1988 तक लोक भविष्य निधि संग्रहों पर महाराष्ट्र सरकार को ऋण जारी कर दिए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से संग्रहों के सम्बन्ध में जून, 1988 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ऋण जारी किए गए हैं।

पोलावरम परियोजना के लाभ

449. श्री मट्टम श्रीराममूर्ति :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना से सम्बन्धित कुछ मुद्दों का अभी भी पता लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना से क्या-क्या लाभ होने की सम्भावना है और उसके निर्माण पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) से (ग) केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा किए गए प्रेक्षणों को दृष्टि में रखते हुए संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है।

महाराष्ट्र के राज्य भू-जल संगठन को मजबूत बनाना

450. श्री आर० एम० भोये :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य भू-जल संगठन (स्टेट ग्राउंड वाटर आर्गेनाइजेशन) को मजबूत बनाने के लिए कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो आबंटित धनराशि और अब तक उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) से (ग) राज्य भू-जल संगठनों के सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी केन्दीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत, ड्रिलिंग रियों, सर्वेक्षण उपस्करों आदि की खरीद के लिए राज्य सरकार को वर्ष 1976-77 से 1987-88 तक बराबर के अनुदान पर 50% केन्द्रीय सहायता के रूप में 329.55 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए हैं। वर्ष 1988-89 के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 1986-87 तक प्राप्त निर्मुक्तियों की उपयोगिता रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। ड्रिलिंग तथा अन्य सर्वेक्षण कार्य के लिए इस उपस्कर का प्रयोग किया गया है।

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शेड बनाना

451. श्री विजय एम० पाटिल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ऐसे रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है कि जिनके प्लेटफार्मों पर शेड

नहीं हैं और ऐसे रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है जिनके प्लेटफार्मों पर बहुत छोटे शेड हैं;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे रेलवे स्टेशनों पर जिनके प्लेटफार्मों पर शेड नहीं हैं अथवा छोटे शेड हैं उचित शेड लगाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(ग) महाराष्ट्र में वर्ष 1988-89 के दौरान कितने रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शेड लगाए जाएंगे ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महानन्दा बेसिन बाढ़ नियन्त्रण योजना के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध

452 श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानन्दा बेसिन बाढ़ नियन्त्रण योजना को अन्तिम रूप देने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु बिहार सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या वर्ष 1986-87, 1987-88 और वर्ष 1988-89 के दौरान बाढ़ नियंत्रण और महानंदा प्रणाली में जल विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) इस कार्य पर वर्षवार वास्तव में कितना खर्च किया गया है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने राज्य सरकारों के परामर्श से वर्ष 1987 में महानन्दा बेसिन के वास्ते बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना को अद्यतन किया है। प्रत्येक स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए विस्तृत अन्वेषण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है।

(ख) बिहार सरकार ने बिहार में समग्र रूप से बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) बिहार सरकार ने वर्ष 1986-87 के दौरान 10.20 लाख रुपये का व्यय किया है।

अप्रैल – दिसम्बर, 1988 के दौरान निर्यात की दरों में वृद्धि

453. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-दिसम्बर 1987 की अवधि के दौरान हुए निर्यात की तुलना में वर्ष 1988 की इसी अवधि में रुपयों में कुल निर्यात की दर में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) एस० डी० आर० में तुलनात्मक दरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) डालर, स्टर्लिंग, रूबल, मार्क और येन में किए गए निर्यात का प्रत्येक मामले में किए गए कुल व्यापार के प्रतिशत सम्बन्धी आंकड़ों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान भारत के निर्यात 13926.68 करोड़ रुपये के हुए जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1987 के दौरान ये 11197.41 करोड़ रुपये के थे। इस प्रकार 24.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) एस० डी० आर० के अनुसार वृद्धि दर 10.6 प्रतिशत बैठती है।

(ग) डालर, स्टर्लिंग, रूबल, मार्क तथा येन में किए गए आयातों की अवधि विशेष के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

रेलगाड़ियों की समयनिष्ठता, गति और बारम्बारता

454. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों को पूर्वोत्तर, विशेषकर गुवाहाटी से जोड़ने वाली एक्सप्रेस और मेल रेलगाड़ियों की वर्ष 1988 के दौरान तिमाही-वार समय निष्ठता दर क्या थी; और

(ख) वर्ष 1988 के दौरान समय-निष्ठता में सुधार लाने, यात्रा समय में कमी करने और इनकी बारम्बारता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की सेवा करती है, की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की 1988 के दौरान समग्र समयपालन निष्पादन इस प्रकार है :

पहली तिमाही	—	89.3
दूसरी ,,	—	87.3
तीसरी ,,	—	85.4
चौथी ,,	—	93.0

(ख) इस क्षेत्र में बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शन/बन्द गाड़ियों के समयपालन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण हैं। समयपालन निष्पादन में सुधार लाने के लिए चौबीस घंटे निगरानी की जाती है। गाड़ियों के फेरे और गति बढ़ाना एक हमेशा चलती रहने वाली प्रक्रिया है। 1988 में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 18 गाड़ियों की गति बढ़ायी गई और गाड़ी संख्या 57/58 के फेरे बढ़ाये गये थे।

बैंकों के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सलाहकार समितियों का गठन

455. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के सन्दर्भ में बैंकों की भूमिका, विशेषकर स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर निगरानी रखने और सलाह देने के लिए बैंकों के लिए ऐसी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सलाहकार समितियां गठित करने का प्रस्ताव है, जिसमें संसद सदस्य भी हों;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियां कब तक गठित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस उद्देश्य हेतु कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी, जिसमें संसद सदस्य शामिल होंगे ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों के लिए राष्ट्रीय तथा अंचल सलाहकार समितियां गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता, राष्ट्रीयकरण योजना में क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियां गठित करने की व्यवस्था है जो अलग-अलग राज्यों में स्थित बैंकों के कार्यनिष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करती हैं। संबंधित राज्य में बैंकों की स्थिति की समीक्षा करने के वास्ते, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति भी गठित की गई है। जिला स्तर पर, बैंकों के कार्यनिष्पादन की जिला स्तरीय समीक्षा जिला स्तरीय पुनरीक्षा बैठक तथा जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में की जाती है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, गरीबी उन्मूलन योजनाओं आदि के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋणों सहित बैंकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान तंत्र पर्याप्त है।

हिमाचल प्रदेश में रेलवे परीक्षा केन्द्र

456. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में रेलवे परीक्षा केन्द्र खोलने के बारे में रेलवे बोर्ड को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर रेलवे बोर्ड ने क्या निर्णय लिया है और हिमाचल प्रदेश के किन-किन स्थानों पर परीक्षा केन्द्र खोलने की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे परीक्षा केन्द्रों को उन स्थानों पर खोला जाएगा जहां पर परीक्षा केन्द्र खोलने की मांग की गई थी और ये कब तक खोले जायेंगे ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलवे बोर्ड को कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल रेल भर्ती बोर्डों द्वारा परीक्षा केन्द्रों को खोलने के लिए रेल मंत्रालय का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रेलवे भर्ती बोर्ड, जो रेलों पर ग्रुप "सी" की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं, जहां कहीं औचित्य होता है वहां परीक्षा केन्द्र खोलते हैं।

गुलेर तथा नन्दपुर भटौली में यात्री सुविधायें

457. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने कांगड़ा घाटी रेलवे के गुलेर तथा नन्दपुर भटौली स्टेशनों पर रेलवे विश्राम गृह एवं प्लेटफार्मों पर वर्षा से बचाव के लिए छत का निर्माण करने तथा इन दोनों स्टेशनों पर अन्य यात्री सुविधायें प्रदान करने के लिए भी पर्याप्त धनराशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों स्टेशनों पर निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत इन सुविधाओं के लिए वस्तुत: कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(ग) ये सुविधाएं कब तक प्रदान की जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) गुलेर रेलवे स्टेशन पर छतदार प्लेटफार्म तथा विश्राम कक्ष की सुविधाओं सहित पर्याप्त यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं . नन्दपुर भटौली रेलवे स्टेशन पर विश्राम कक्ष की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं समझा जाता है । रेलवे ने इस स्टेशन पर 50,000 रुपए की अनुमानित लागत से 1989-90 के दौरान छतदार प्लेटफार्म की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है । नन्दपुर भटौली रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध अन्य सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं ।

(ग) नन्दपुर भटौली रेलवे स्टेशन पर छतदार प्लेटफार्म का काम 1990 में पूरा कर दिया जायेगा ।

अर्ध-सैनिक बलों का तस्करी की गतिविधियों में शामिल होना

458. प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध-सैनिक बलों के तस्करी की गतिविधियों में शामिल होने की कोई घटना सरकार की जानकारी में आई है और यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान हुई इस प्रकार की घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांडा) : (क) और (ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के एक वाहन में गांजे की तस्करी किए जाने की एक घटना की रिपोर्ट प्राप्त हुई है । इस मामले में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के बिहार जाने वाले एक ट्रक से 300 किलोग्राम गांजा पकड़ा तथा था तथा इसका पता समूह-केन्द्र, इम्फाल प्रभारी, उप महानिरीक्षक द्वारा उस समय लगाया गया था जब ट्रक में माल लादा जा रहा था। यह रिपोर्ट मिली है कि इस मामले में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी करने के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों पर उपयुक्त मामलों में न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाता है।

काजू का निर्यात और आयात

459. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से काजू का किन-किन प्रमुख देशों को निर्यात किया जाता है;

(ख) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान कितनी मात्रा में काजू का निर्यात किया गया;

(ग) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान भारत ने कितनी मात्रा में कच्चे काजू का आयात किया; और

(घ) नवम्बर-दिसम्बर, 1988 के दौरान भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रायोजित काजू व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा जापान तथा अन्य देशों में की गई यात्रा के क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) (भारतीय काजू के लिए, मुख्य आयातक देश हैं : संयुक्त राज्य अमरीका, नीदरलैंड, जापान, सोवियत संघ, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन हांगकांग, सिंगापुर तथा जर्मन संघीय गणराज्य ।

(ख) काजू निर्यात संवर्धन परिषद् के आंकड़ों के अनुसार 1987 के दौरान 340.30 करोड़ रु० मूल्य का 38598 मि० टन काजू निर्यात किए गए और 1988 के दौरान अनन्तिम रूप से 256 37 करोड़ रु० का 31777 मि० टन काजू निर्यात किया गया ।

(ग) 1987 तथा 1988 में भारत द्वारा आयात किए गए कच्चे काजू की परिषद के आंकड़ों के अनुसार क्रमश: 45515 मि० टन तथा 26005 मि० टन (अनन्तिम) थीं, जिसका मूल्य क्रमश: 72.8। करोड़ रु० तथा 35.93 करोड़ रु० (अनन्तिम) था ।

(घ) दौरा किए गए देशों में बाजार स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के अलावा इस दौरे से सम्बन्ध स्थापित करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने और साथ ही साथ उन बाजारों में भारत का स्थान बनाए रखने तथा उसमें सुधार लाने को ध्यान में रखते हुए समस्याओं को सुलझाने में भी मदद मिली है ।

पोर्ट ब्लेयर को मुक्त बन्दरगाह बनाना

460. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान के पोर्ट ब्लेयर बन्दरगाह को एक मुक्त बन्दरगाह में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से किया जाएगा; और

(ग) इससे क्या प्रमुख लाभ सुविधायें प्राप्त होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मुक्त पत्तन स्थापित करना संभव नहीं हो सकेगा ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋणों को दिए जाने पर रोक

461. **श्री डी० बशीर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से अनेक राज्यों को ऋण का वितरण अचानक रोक दिए जाने के कारण किसानों को भारी परेशानी हो गई है;

(ख) ऋण पर रोक लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण वितरण पुन: आरम्भ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ऋण का वितरण पुन: कब से आरम्भ होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों से कहा है कि अब से भविष्य में उन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से पुनर्वित्त सुविधा तभी दी जाएगी जब वे भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ऋणों की वापसी अदायगी, ब्याज दरों, ऋणों के परिशोधन के पुनर्निर्धारण, स्थगन आदि के बारे में निर्धारित विभिन्न अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। परिणाय स्वरूप, कुछ समय के लिए राज्य सहकारी बैंकों/राज्य भूमि विकास बकों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध नहीं हुई जब तक उन्होंने इन अनुदेशों का पालन करने का आश्वासन नहीं दिया था। अलबत्ता, इससे राज्यों में ऋण प्रवाह में कोई अन्तर नहीं पड़ा क्योंकि पुनर्वित्त सुविधा थोड़े समय के बाद पुन: शुरू कर दी गयी थी।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से मिलने वाली पुनर्वित्त सुविधाएं उन शर्तों पर मिल सकती हैं जो ऋण संस्थाओं के स्वस्थ संचालन के लिए अनिवार्य समझी जाती है, ये हैं—उचित प्रबंध व्यवस्था, वसूली संबंधी अच्छा अनुशासन आदि। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता केवल उनके संसाधनों के संवर्धन के लिए दी जाती है लेकिन शर्त यह है कि वे इन धनराशियों का उपयोग उन क्षेत्रों के लिए करेंगे जो समग्र अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

462. **श्री शरद दिघे :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी बैंकों और विदेशी बैंकों के अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने बैंक हैं जो अभी तक राष्ट्रीयकृत नहीं हैं;

(ख) वर्ष 1987 और 1988 के अन्त तक उनमें कुल कितनी राशि जमा थी;

(ग) इसी अवधि के दौरान उनके द्वारा कितने ऋण दिए गए;

(घ) इन बैंकों की कितनी शाखाएं हैं और इनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ङ) क्या सरकार का इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में 32 गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक (29 अनुसूचित और 3 गैर-अनुसूचित) कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1987 और 1988 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित भारतीय बैंकों की कुल जमाराशियों (बैंकों से प्राप्त जमाराशियों के अलावा) और अग्रिमों (अन्तर बैंक अग्रिमों को छोड़कर) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बैंकों की संख्या	जमाराशियां	अग्रिम
1987	30	5415.5	3021.75
1988	29	6412.46*	3535.27*

*अनन्तिम

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 30 सितम्बर, 1988 को गैर-सरकारी क्षेत्र के 32 बैंकों की 3637 शाखाएं थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे चलकर बताया है कि रिजर्व बैंक की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए अध्ययन दल

464. श्री शरद दिघे :

श्री बिप्लु मोदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए गत वर्ष गठित किए गए अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अध्ययन दल ने देश में आवास विकास के लिए जीवन बीमा निगम की एक पृथक सहायक कम्पनी के गठन की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल ने कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में सम्बन्ध के कुछ सिफारिशें की हैं; ये क्षेत्र हैं; (i) आवास विकास; (ii) सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और (iii) ग्राहक सेवा।

दल ने आवास विकास के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की एक अलग से सहायक कंपनी, जिसका नाम "बीमा निवास निगम" हो, बनाने की दिशा में विचार करने की भी सिफारिश की है। दल द्वारा भारतीय साधारण बीमा निगम के उस प्रस्ताव को भी नोट किया गया जो एक ऐसी आवास वित्त कम्पनी की स्थापना के बारे में है जिसमें निगम और बैंक की बराबर-बराबर इक्विटी भागीदारी हो। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, दल ने, जीवन बीमा निगम द्वारा कमजोर वर्गों के हित के लिए चलाई जा रही बीमा योजनाओं की सराहना की है। दल ने ग्रामीण और निम्न आय वाले समूहों के हित के लिए साधारण बीमा निगम द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाओं पर भी ध्यान दिया है, जैसे व्यक्तिगत दुर्घटना, झोंपड़ी बीमा आदि। दल ने दोनों संगठनों में ग्राहक संतुष्टि के स्तर को और अधिक बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जीवन बीमा निगम, आवास विकास के लिए एक अलग सहायक कम्पनी बनाने के संबंध में उसके कानूनी पहलुओं सहित विभिन्न रूपात्मकताओं पर विचार कर रही है।

उन पत्नियों को गुजारा भत्ता जिनके पति विदेश में कार्यरत हैं

[हिन्दी]

465. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेश में कार्यरत व्यक्तियों की पत्नियां गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं परन्तु सक्षम न्यायालय के आदेशों के बावजूद ऐसे अधिकतर मामलों में उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है कि ऐसे सभी मामलों में पत्नी को अविलम्ब गुजारा भत्ता प्राप्त होता है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकों में बचत बैंक खाता खोलना

466. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई नया बचत बैंक खाता खोलने के लिए विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति को उस बैंक में पहले से ही खाता रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा बैंक से परिचित

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बैंक के समक्ष परिचित कराना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

औषधीय वनस्पतियों और संपाकों (प्रेपरेशन) का निर्यात तथा देश में इनकी उपलब्धता

[अनुवाद]

467. डा० जो० विजय रामाराव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी मात्रा में औषधीय वनस्पतियां देशवार तथा वर्षवार निर्यात की जा रही हैं तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या असंसाधित औषधीय वनस्पतियों के अतिरिक्त औषधीय सम्पाक भी निर्यात किए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भाग (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट निर्यात की गई विभिन्न वनस्पतियों/सम्पाकों के लिए देश में औषधीय वनस्पतियों की वार्षिक उपलब्धता तथा मांग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विभिन्न योजनावधियों के दौरान योजनाबद्ध वृक्षारोपण के कारण औषधीय वनस्पतियों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 के दौरान औषधीय वनस्पतियों (अपरिष्कृत औषधियों) के निर्यात के मूल्य नीचे दिए गए है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1986-87	57.96
1987-88	77.36

जिन प्रमुख देशों को निर्यात किए जाते हैं, वे हैं : संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और थाईलैंड। निर्यात की गई औषधीय वनस्पतियों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। औषधीय वनस्पतियों पर आधारित औषधीय सम्पाक (प्रेपरेशन) महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(स्रोत : मूल रसायन, भेषजीय एवं सौंदर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई)

(ग) और (घ) कई औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती की जाती है। तथापि, विशिष्ट

औषधीय वनस्पतियों की उपलब्धता और मांग से संबंधित विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आई० सी० ए० आर० भारत के विभिन्न भागों में अनुसंधान केन्द्रों में औषधीय और सुगन्धित वनस्पतियों सम्बन्धी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना चला रही है। यह चुनिन्दा फसल पर अनुसंधान कार्य करती है और इससे इन फसलों पर विकसित किस्मों और कृषि पद्धतियों दोनों में कुछ सुधार किए हैं। इससे अन्ततः व्यावसायिक कृषि में सुधार हुआ है, जिससे भारत में प्रयोग किए जाने और निर्यात दोनों के लिए देश में कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ी है।

स्वदेशी तथा विदेशी ऋण

[हिन्दी]

468. श्री दिनेश गोस्वामी :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान स्वदेशी और विदेशी ऋण में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87, 1987-88 और जनवरी से दिसम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान क्रमशः स्वदेशी और विदेशी ऋण की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को चालू वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान करना है; और

(घ) मूल धन में से कितनी धनराशि का पुनः भुगतान किया जाना है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्राअर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सूचना नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपये)

	निम्न अवधि के अन्त में बकाया ऋण		
	मार्च 1987	मार्च 1988	मार्च 1989
(i) स्वदेशी ऋण	146247	171133 (संशोधित अनुमान)	198005 (बजट अनुमान)
(ii) विदेशी ऋण (विनिमय की मौजूदा दर पर)	48895	54817	उपलब्ध नहीं

(ग) 1988-89 के बजट में स्वदेशी ऋण और विदेशी ऋण के संबंध में मौजूदा वर्ष के दौरान सरकारी खाते के ऋण पर अदा किए जाने वाले ब्याज की राशि का अनुमान क्रमशः 12842 करोड़ रुपये और 1258 करोड़ रुपये लगाया गया था।

(घ) स्वदेशी और विदेशी ऋण के सम्बन्ध में मौजूदा वर्ष के दौरान वापिस अदा की जाने

वाली मूलधन की राशि का अनुमान क्रमश: 149034 करोड़ रुपये और 1383 करोड़ रुपये लगभग लगाया गया है।

गैर-विकासीय व्यय

469. श्री दिनेश गोस्वामी :

श्री के० प्रधानी :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के गैर-विकासीय व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के व्यय की अनुमानित धनराशि कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान इस धनराशि में कमी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि की बचत होगी ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार का गैर-विकासीय व्यय और उसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	गैर-विकासीय व्यय
1985-86 (वास्तविक)	21218
1986-87 (वास्तविक)	25876
1987-88 (संशोधित अनुमान)	30686
1988-89 (बजट अनुमान)	35431

उपर्युक्त व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	1985-86 (वास्तविक)	1986-87 (वास्तविक)	1987-88 (संशोधित अनुमान)	1988-89 (बजट अनुमान)
	1	2	3	4
ब्याज संदाय	7512	9236	11450	14100
रक्षा व्यय	7987	10477	12000	13000
पेंशन	727	870	1556	1593

	1	2	3	4
पुलिस	707	821	993	1115
राज्यों को अनुदान	1648	1405	1541	1657
महंगाई भत्ते आदि के लिए एकमुश्त व्यवस्था		—		800
अन्य	2637	3067	3146	3166

(घ) निम्न प्राथमिकता गैर-विकासीय व्यय को कम करने के लिए सरकार लगातार उपाय करती रही है। पिछले वर्ष जारी की गई आर्थिक हिदायतों को चालू वर्ष में भी जारी रखा गया है। मंत्रालयों को यह हिदायत दी गई है कि वे व्यय को बजट आवंटनों के भीतर रखें। जहां अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य है, वहां जहां तक हो सके समान बचत की जाए और प्राप्तियों में सुधार किया जाए। मंत्रालयों तथा विभागों को यह भी सुझाव दिया गया था कि वे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों और बोनस की अदायगी के कारण दायित्वों को सम्भव सीमा तक बजट आवंटनों से ही पूरा करें। इन उपायों के परिणाम, अन्य बातों के साथ साथ वर्ष के संशोधित अनुमानों में समाविष्ट किए जाएंगे, जो संसद में शीघ्र प्रस्तुत किए जाएंगे।

बैंक अधिकारियों पर लागू होने वाले अनुशासनात्मक नियमों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

470. **श्री अनिल बसु :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंक अधिकारियों पर लागू होने वाले अनुशासनात्मक नियमों में परिवर्तन करने का विचार है ताकि उनके सेवा काल के दौरान आरम्भ की गई कार्यवाही उनकी सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रखने की सुविधा प्राप्त हो सके; और

(ख) यदि हां, तो ये परिवर्तन कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सेवा निवृत्ति के बाद अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखने के लिए अनुशासनिक नियमों में उपयुक्त संशोधन के मामले पर सरकार ध्यान दे रही है।

अनुपूरक आयात लाइसेंस

471. **डा० कृपासिंधु भोई :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान कितने मामलों में अनुपूरक लाइसेंस समिति के अनुमोदन बिना ही अनुपूरक आयात लाइसेंस दिए गए; और

(ख) अनुपूरक लाइसेंस समिति के द्वारा विचार किए बिना ही आयात की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) ऐसे 16 मामले हैं जिनमें 1988-89 के दौरान, मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात ने मुख्यालय अनुपूरक लाइसेंस समिति के अध्यक्ष के रूप में अनुपूरक आयात लाइसेंस जारी किए या वर्तमान अनुपूरक लाइसेंसों में परिवर्तन किया। ऐसे मामलों की आवश्यक प्रवृत्ति को देखते हुए किया गया। ऐसे सभी मामलों में मुख्यालय अनुपूरक लाइसेंस समिति का कार्योत्तर अनुमोदन ले लिया गया है। भूतल परिवहन मंत्रालय में फिशिंग ट्रालर पर समर्थ समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर या अन्तः मंत्रालयी बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर भी अनुपूरक आयात लाइसेंस जारी किए गए।

औषधों का निर्यात

472. डा० कृपासिंधु भोई :

श्री मोहनभाई पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 के दौरान देशवार किन-किन औषधों और कितने मूल्य के औषधों का निर्यात किया गया और वर्ष 1988-89 में किन-किन औषधों और कितने मूल्य के औषधों का निर्यात किये जाने की संभावना है;

(ख) औषधों का निर्यात करने के लिए और अधिक बाजारों का पता लगाने और इनके निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दूसरे देशों के साथ कोई समझौते किए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 31 दिसम्बर, 1988 तक इस सम्बन्ध में कितनी औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) वर्ष 1986-87, 1987-88 के दौरान तथा वर्ष 1988-89 के दौरान जिन औषधियों के निर्यात किए जाने की संभावना है, उनके निर्यात आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	औषधियों का निर्यात (करोड़ रुपए में)
1986-87	87.16
1987-88	139.71
1988-89 (लक्ष्य)	240.00

देश से निर्यात किए गए प्रमुख औषधी मदों की मूल्य-वार और गंतव्य-वार विवरण संलग्न है।

(ख) औषधियों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने जो मुख्य उपाय किए हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं : औषध मध्यवर्ती पदार्थों पर तत्सम्बन्धी बल्क औषधों की तुलना में सीमा शुल्क का सुव्यवस्थीकरण, मौजूदा सुविधाओं से औषधियों के निर्यात उत्पादन के लिए पूर्ण लोच-शीलता उन औषधियों के निर्यात उत्पादन की अनुमति जिन्हें कुछ शर्तों के कारण देश में अनुमोदन

प्राप्त नहीं है, एक्जिम बैंक की वस्तु ऋण योजना के ग्रुप "बी" के अन्तर्गत औषधि सम्मिलित करना और लदान-पूर्व ऋण को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करना, औषधियों के निर्यात उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विनिर्माण एककों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्रमुख पैट्रोरसायन कच्चे माल की सप्लाई आदि। औषधियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए जा रहे अन्य उपाय हैं : भारतीय व्यावसायिक संगठनों द्वारा दौरे करना, व्यापार मेलों में भाग लेना और प्रतिनिधिमंडल आयोजित करना।

(ग) और (घ) औषधियों के निर्यात के लिए कोई भी विदेशी समझौता नहीं किया गया है।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान, औषधियों और भेषजों के विनिर्माण के लिए उद्योग-प्रावधान (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस और मांग पत्रों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	जारी किये गये मांग पत्रों की संख्या	जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1986	46	37
1987	35	30
1988	41	16

विवरण

(अनुमानित लाख रुपए में)

मद	निर्यात		प्रमुख गंतव्य
	1986-87 के दौरान	1987-88	
1	2	3	4
सल्फामथोक्साजोल	700.1	1723.3	जी एफ आर, सं०रा० अमरीका, बंगला देश, केन्या, सिंगापुर, हांगकांग
इब्युप्रोफेन	195.3	866.1	जी एफ आर, हांगकांग, ब्रिटेन, सं०रा० अमरीका, साऊथ कोरिया, बंगलादेश, थाईलैंड, जापान
टिनिडाजोल	156.0	156.8	जी एफ आर, इटली, स्पेन, हांगकांग, स्विटजरलैंड, साइप्रस, सिंगापुर, नीदरलैंड
मैट्रोनिडाजोल बेन्जोएट	उ० न०	50.0	जी एफ आर, इटली, बेल्जियम, बंगलादेश

1	2	3	4
ट्रिमेथोप्रिम	10.9	182.3	जी एफ आर, थाईलैंड, बंगलादेश, ब्रिटेन
एमाडियाक्यीन एचसीएल	100.3	63.0	डेनमार्क, जी एफ आर, फ्रांस, केन्या
इरीथ्रोमाइसिन इस्टोलेट	उ०न०	173.7	जी एफ आर, हांगकांग, इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क
इरीथ्रोमाइसिन स्टिएरेट	370.2	189.5	जी एफ आर, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, कनाडा, जापान, डेनमार्क, इटयौ स्विटजरलैंड, मलयेशिया
एम्पसिलिन ट्राइहाइड्रेड	415.9	657.3	जी एफ आर, सोवियत रूस, डेनमार्क, स्पेन, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, मलयेशिया, थाइलैंड, बेल्जियम
पोटोशियम आयोडाइड	166.2	446.1	जी एफ आर, सं० रा० अमरीका, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ब्रिटेन, फिलिपीन, सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका, बेल्जियम, न्यूजीलैंड
पैरासिटामोल	348.2	569.0	जी एफ आर, श्रीलंका, बंगलादेश, ब्रिटेन, केन्या, ओमय, डेनमार्क, सं०रा० अमरीका, स्पेन, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, थाइलैंड, दक्षिण कोरिया
ईथामब्यूटोल एच सी एल	450.1	753.8	जीएफआर, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, डेनमार्क, थाइलैंड, हांगकांग, बंगलादेश, सिंगापुर, मेक्सिको
सोडियम आयोडाइड	125.3	133.2	जीएफआर, सं०रा० अमरीका, न्यूजीलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया
टोलब्युटामाइड	5.1	91.4	हांगकांग, सिंगापुर, चीन
क्लोरप्रोपामाइड	93.1	167.6	जीएफआर, डेनमार्क, बेल्जियम, थाइलैंड, नीदरलैंड, हांगकांग, कनाडा, सं०रा० अमरीका, हंगरी, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड
आक्सीफेन ब्यूटाजोन	150.9	67.3	जीएफआर, केन्या, स्पेन
सोडियम साइट्रेट	30.1	63.7	मारिशस, श्रीलंका, नीदरलैंड

1	2	3	4
मेट्रोनाइडाजोल	115.0	90.5	जीएफआर, सं०रा० अमरीका, इटली, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया श्रीलंका, नाइजीरिया
क्लियासेटाजोल	29.1	60.4	जीएफआर, बंगलादेश, बेल्जियम
मेबेन्डाजोल	216.0	292.1	जीएफआर, हांगकांग, बंगलादेश, इटली, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, थाईलैंड
एस्पिरिन	47.0	58.9	जीएफआर, ब्रिटेन, बंगलादेश, नीदरलैंड, सं०रा० अमरीका, स्पेन, इटली
एनलजिन	34.0	38.7	डेनमार्क, आस्ट्रेलिया
मिथाइल डोपा	277.7	285.9	जीएफआर, डेनमार्क, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, थाइलैंड, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड
एमोक्सिलिन	उ०न०	428.4	जीएफआर, जापान. स्विट्जरलैंड, बंगलादेश, थाइलैंड
ट्राइहाइड्रेट सेफेलेक्सिन	उ०न०	375.0	स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, बंगलादेश, ताइवान
सलब्युटामोल सल्फेट	15.0	16.7	जीएफआर, सिंगापुर, श्रीलंका, बंगलादेश, इटली, स्विट्जरलैंड
डोक्साइक्लिन एचसीएल	उ०न०	200.0	स्विट्जरलैंड, कनाडा, युगोस्लाविया
डाइजेपम	49.0	32.3	जीएफआर, श्रीलंका, ट्यूनिशिया
ब्रि-आइडोहाइड्रोक्साइक्यूनोलाइन/ आइडोहाइड्रोक्साइक्यूनोलाइन	50.1	62.4	जीएफआर, थाइलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड
इमेटिन साल्ट्स/हाइड्रोक्लोराइड	3.9	28.5	स्विट्जरलैंड, जीएफआर, सोवियत रूस
कैल्शियम सल्फर	23.6	81.6	इटली, ब्रिटेन, सोवियत रूस, जीएफआर
पर्पेन	276.5	109.7	आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, आयरलैंड, जीएफआर, बेल्जियम, डेनमार्क

1	2	3	4
कैल्शियम सेनोसाइड्स	32.5	96.3	जीएफआर, इटली, यूएसए, ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैंड
(एन: उपलब्ध नहीं)			

"इन्लैंड कंटेनर डिपो"

473. डा० कृपासिंधु भोई :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ "इन्लैंड कंटेनर डिपो" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक विभिन्न स्थानों पर कितने "इन्लैंड कंटेनर डिपो" स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या ऐसे डिपुओं की स्थापना के लिये कोई दीर्घावधि योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस शताब्दी के अन्त तक ऐसे कितने इन्लैंड कंटेनर डिपो स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) सरकार की तत्सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) इस समय, देश के विभिन्न स्थानों पर सात अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो काम कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) देश में चरणबद्ध आधार पर 21 अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो खोलने का प्रस्ताव है जो आई०एस०ओ० कंटेनरों में आयात और निर्यात यातायात की प्राप्ति पर निर्भर करता है।

जजों की नियुक्ति

474. श्री विजय कुमार मिश्र :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में जजों की नियुक्ति के बारे में एक आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी है; और

(घ) शेष रिक्त पदों की संख्या का, राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संगम ने भारत संघ के विरुद्ध रिट याचिका फाइल की है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिये कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के सभी

रिक्त पद उचित समय के भीतर भर लिए जाएं, परमादेश रिट या निदेश जारी करने की प्रार्थना की गई है। यह रिट याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष कई बार आ चुकी है और अभी भी उसके समक्ष लंबित है। उच्चतम न्यायालय ने तारीख 15-11-88 और 7-12-88 को पारित अपने आदेशों में यह विचार व्यक्त किया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए।

(ग) न्यायाधीशों की नियुक्ति में सम्बन्धित संवैधानिक प्राधिकारियों से विचार विमर्श करना होता है। जो एक निरंतर प्रक्रिया है।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों के परामर्श से इन रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के लिए प्रयास किए गए हैं।

(घ) तारीख 20-2-1989 को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की पद संख्या और रिक्त पद दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

तारीख 20-2-1989 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में पद संख्या और रिक्त पद

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या			वास्तविक पद संख्या			रिक्त पद		
		स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग	स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग	स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	इलाहाबाद	55	5	60	48	—	48	7	5	12
2.	आंध्र प्रदेश	24	2	26	20	—	20	4	2	6
3.	मुम्बई	42	6	48	40	2	42	2	4	6
4.	कलकत्ता	44	—	44	43	—	43	1	—	1
5.	दिल्ली	25	2	27	22	—	22	3	2	5
6	गुवाहाटी	12	—	12	11	—	11	1	—	1
7.	गुजरात	18	3	21	13	—	13	5	3	8
8.	हिमाचल प्रदेश	5	1	6	4	—	4	1	1	2
9.	जम्मू-कश्मीर	7	—	7	7	—	7	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	25	—	25	20	—	20	5	—	5
11.	केरल	21	2	23	20	2	22	1	—	—
12.	मध्य प्रदेश	23	7	30	.0	3	23	3	4	7
13.	मद्रास	25	—	25	21	—	21	4	—	4
14.	उड़ीसा	11	1	12	10	—	10	1	1	2
15.	पटना	35	—	35	29	—	29	6	—	3
16.	पंजाब और हरियाणा	23	—	23	21	—	21	2	—	2
17.	राजस्थान	22	1	23	22	1	23	—	—	—
18.	सिक्किम	3	—	3	1	—	1	2	—	2
	योग	420	30	450	372	8	380	48	2	70

उच्चतम न्यायालय : स्वीकृत पद संख्या =26

वास्तविक पद संख्या =20

रिक्त पद = 5

तस्करों द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दी के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त करना

475. डा० दत्ता सामन्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय को यह पता चला है कि बम्बई के तस्करों तथा अपराधियों ने विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपनी संभावित नजरबन्दी से बचने के लिए नजरबन्दी आदेशों को देखे बिना ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में यह वक्तव्य देते हुए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है कि वे अंडमान में रहते हैं, जैसा कि 26 जनवरी, 1989 के "टाइम्स आफ इंडिया" (बम्बई) में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने स्थगन आदेश प्राप्त किये गये; और

(ग) क्या सरकार सम्बन्धित कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। यह सच है कि बम्बई के उन 10 व्यक्तियों ने, जिनके विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दी आदेश जारी किए गए है, कलकत्ता उच्च न्यायालय से यह बयान देकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं कि वे अण्डमान में रहते हैं।

(ग) न्यायालयों को स्थगन आदेश मंजूर करने से रोकने के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम में संशोधन करने के बारे में सरकार फिलहाल कोई विचार नहीं कर रही है। तथापि, स्थगन आदेशों के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की जा रही है ताकि आदेशों को निरस्त करवाया जा सके।

बम्बई उपनगरीय गाड़ियों में मछलियों की ढुलाई

476. डा० दत्ता सामन्त :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे ने 13 जनवरी, 1989 से पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत चलने वाली बम्बई उपनगरीय गाड़ियों में मछलियां की ढुलाई की अनुमति रद्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस रेलवे जोन में मछली ले जाने वाले पास धारकों की संख्या कितनी है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बम्बई उपनगरीय खण्ड पर जुलाई, 88 से दिसम्बर, 88 के बीच मछली सहित नश्य-पदार्थ, सब्जियां, दूध आदि को प्राधिकृत रूप से ले जाने के लिए "प्रोड्यूस वेन्डर सीजन टिकट" नामक 17,773 सीजन टिकट जारी किए गए थे।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी

477. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न उच्च न्यायाधीशों की कमी के कारण मुकदमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों का कोई कोटा निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विशेष कर महाराष्ट्र में पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या के साथ-साथ लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि कई अन्य जटिल तथ्यों के कारण है ।

(ख) और (ग) जी नहीं , यद्यपि उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश-संख्या कार्यभार के आधार पर नियत की जाती है, तथापि यह स्थान की उपलब्धता और वित्तीय बाध्यताओं आदि पर निर्भर करता है। उच्च न्यायालयों में पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं ।

राष्ट्रीय कृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशक

478. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री एच०एम० मन्जे गौडा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों के नामों को अब तक अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी निदेशकों द्वारा बैंकों के सुचारू रूप से कार्यकरण में कहां तक योगदान दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों को नामित करने के मामले पर कारंवाई की जा रही है । गैर-सरकारी निदेशक जमाकर्ताओं, किसानों, कारीगरों और उन व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के लिए उपयोगी मामलों का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव होता है।

ऋण मेला योजना के अन्तर्गत ऋणों की मंजूरी

479. **श्री अजय विश्वास :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण मेला योजना के अन्तर्गत बिना सही पहचान किये तथा बिचौलियों के माध्यम से अंधाधुंध ऋण मंजूर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक कमजोर वर्गों को और अधिक ऋण देने के अपने समग्र कार्यक्रमों के अंग के रूप में ऋण-मेले आयोजित करते हैं। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण मेला योजना का कोई मूल्यांकन नहीं किया है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1986 में ऋण मेलों के संबंध में एक नमूना अध्ययन किया था। उस समय प्राप्त जानकारी एवं उसके बाद प्राप्त जानकारी के आधार पर बैंकों द्वारा इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। कमजोर वर्गों को ऋण मंजूर करते समय बैंकों को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए अनुदेशों एवं मार्ग-निर्देशों का पालन करना होता है।

विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्य

480. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई विश्व की प्रमुख दुर्लभ मुद्राओं तथा भारत के प्रमुख व्यापार सहभागियों की मुद्राओं की तुलना में रुपये का किस सीमा तक अवमूल्यन हुआ है;

(ख) अमरीकी डालर, स्टर्लिंग पौण्ड, जर्मन, मार्क, स्विस फ्रेंक तथा जापानी येन के संदर्भ में वर्ष 1987 और 1988 के दौरान प्रभावी विनिमय दरों का माहवार ब्यौरा क्या है;

(ग) रुपये के अवमूल्यन तथा गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या रुपये में यह गिरावट अथवा इसका प्रभावी अवमूल्यन राष्ट्रीय हित विशेषकर व्यापार संतुलन के विरुद्ध है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) रुपये की विनिमय दर विशेष रूप से उन देशों की करेंसियों की उपयुक्त रूप से भारित डाली की विनिमय दर में होने वाली घटबढ़ के संदर्भ निर्धारित की जाती है जो भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार हैं। परिवर्तनशील विनिमय दरों के इस युग में रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव, जो कि इन करेंसियों के मूल्यों में होने वाली घटबढ़ पर निर्भर करता है, एक सामान्य बात है।

1987 और 1988 के दौरान मासिक औसत के आधार पर, कुछ महत्वपूर्ण दुर्लभ करेंसियों की तुलना में रुपये की महीना-वार विनिमय दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ब) जी, नहीं।

विवरण

कुछ महत्वपूर्ण विदेशी मुद्राओं के प्रति एकक की तुलना में रुपये की महीनावार विनिमय दर (मासिक औसत)

वर्ष/महीना	सं०रा०अ० डालर	पौंड स्टर्लिंग	ड्यूश मार्क	स्विस फ्रेंक	जापानी येन
1987					
जनवरी	13.0098	19.6044	7.0086	8.3512	0.0842
फरवरी	13.0534	19.9469	7.1602	8.4787	0.0851
मार्च	12.9334	20.5965	7.0483	8.4122	0.0854
अप्रैल	12.8027	20.8851	7.0699	8.5644	0.0896
मई	12.7030	21.1658	7.1016	8.6377	0.0904
जून	12.8503	20.9345	7.0691	8.5228	2.0890
जुलाई	13.0306	20.9714	7.0516	8.4856	0.0867
अगस्त	13.0857	20.9109	7.0493	8.5097	0.0887
सितम्बर	13.0111	21.4110	7.1815	8.6698	0.0909
अक्टूबर	13.0638	21.7094	7.2650	8.7485	0.0912
नवम्बर	12.9715	23.0452	7.7196	9.3905	8.0959
दिसम्बर	12.9466	23.6586	7.9211	9.7260	0· 008
1988					
जनवरी	13.0846	23.6033	7.9307	9.7401	0.1027
फरवरी	13.0605	22.9616	7.7001	9.3866	0 1011
मार्च	12.9793	23.7897	7.7435	9.3675	0.1021
अप्रैल	13.1778	24.7439	7.8825	9.5264	0.1055
मई	13.3206	24.9016	7.8631	9.4399	0.1068
जून	13.8269	24.5718	7.8700	9.4580	0.1086
जुलाई	14.1010	24.0338	7.6412	9.1974	0.1060
अगस्त	14.2484	24.1838	7.5414	8.9946	0.1065
सितम्बर	14.4984	24.4153	7.7689	9.2012	0.1079
अक्टूबर	14.6847	25.5206	8.0818	9.5490	0.1140
नवम्बर	14.9571	27.0739	8.5636	10.2085	0 1215
दिसम्बर	15.0369	27.4755	8.5708	10.1690	0.1218

केरल में रेल दुर्घटनाएं

481. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

श्री टी० बशीर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान केरल में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) ये दुर्घटनाएं किन-किन कारणों से हुईं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने यात्रा करने वाले लोगों में आशंकाओं को दूर करने तथा चेतावनी देने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (ग) रेल दुर्घटनाओं और उनसे सम्बन्धित सूचना के आंकड़े क्षेत्रवार रखे जाते हैं न कि राज्यवार।

लक्षद्वीप में एक नौका से सोने की छड़ों का जब्त किया जाना

482. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लक्षद्वीप के एक निर्जन द्वीप में तट पर आई एक नौका से लगभग 10 करोड़ रुपये के मूल्य की सोने की छड़ें जब्त की गई थीं;

(ख) क्या इस मामले में तुरन्त गिरफ्तारियां की गई थीं; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग में यह विवाद पैदा हो गया था कि इस मामले पर किसे कार्यवाही करनी चाहिए और यदि हां, तो क्या इस विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांडा) : (क) माननीय सदस्य का आशय सम्भवतः, 7.03 करोड़ रुपये के कुल मूल्य की पकड़ी गई विदेशी मार्के की दस-दस तोले की 1200 सोने की छड़ों और औसतन तीस-तीस कि०ग्रा० के वजन की चांदी की 105 सिल्लियों से है जो कि, "अल फहद" नामक एक जहाज से लक्षद्वीप पुलिस/प्रशासन द्वारा बरामद की गई एवं पकड़ी गई थीं जो कि लक्षद्वीप के एक द्वीप चेरियाकारा, सुहेलीपार पर आया था और जिन्हें 9 से 11 जनवरी, 1989 के बीच कोचीन के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया था।

(ख) इस जहाज पर सवार सभी 8 व्यक्तियों को, जो कि पाकिस्तान के नागरिक हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के तहत नजरबन्द रखा गया है।

(ग) इस क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार के बारे में विवाद को सुलझाने के लिए दिनांक 17 फरवरी की अधिसूचना संख्या 11/89 (एन० टी०)/सी० शु० जारी की गई थी। इस अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सहायक समाहर्ता एरनाकुलम प्रभाग-II, की लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनदिवी द्वीप समूहों के लिए सहायक समाहर्ता के रूप में नियुक्ति की गई है।

पेरूमन के समीप हुई रेल दुर्घटना की रिपोर्ट

483. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने बंगलौर-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस की हाल ही में केरल में कोल्लम के समीप पेरूमन में हुई भीषण दुर्घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के लिए किसे जिम्मेवार ठहराया गया है और भविष्य के लिए क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) क्या इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) रेलवे संरक्षा आयुक्त, दक्षिणी क्षेत्र ने केवल अपनी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) जांच की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इसका पता चल सकेगा।

(ग) रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने की परिपाटी नहीं है। परन्तु जैसा कि गम्भीर रेल दुर्घटनाओं के मामले में होता है, अभियोजन के निष्कर्षों, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में रिपोर्ट के प्रकाशित हो जाने के बाद इसकी प्रति संसद के पुस्तकालय के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ऋण मेलों को पुन: प्रारम्भ करना

484. श्री वी० तुलसीराम :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 फरवरी, 1989 के इकनामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार, सरकार के विचाराधीन ऋण मेलों को पुन: प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आरम्भ में किन राज्यों में ऐसे मेले लगाए जाएंगे ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फ्लेरो) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण मेलों का आयोजन कमजोर वर्गों को अधिक ऋण देने के उनके निरन्तर प्रयास के एक अंग के रूप में किया जाता है तथा वे इस सम्बन्ध में संगत पहलुओं को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेते हैं।

बम्बई में कारों का अवैध व्यापार

485. श्री वी० तुलसीराम :

क्या वित्त मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बम्बई में कारों का अवैध व्यापार करने वाले एक गिरोह का पता लगाया है, जिसका कारोबार कई करोड़ रुपये का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई गिरफ्तारियों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इन कारों को आयात करने और इनका पुन: निर्यात करने के बारे में जांच करने के आदेश दिए गए हैं और यदि हां, तो सरकार को समिति की रिपोर्ट कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय मे राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) राजस्व आसूचना निदेशालय ने विदेशी कारों के अवैध कारबार/आयात सम्बन्धी एक घोटाले का भंडाफोड़ किया था और उपर्युक्त घोटाले के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने भारत में अनधिकृत आयात के लिए लाई गई दो आयातित कारों को दिल्ली में पकड़ा था। इनमें से एक कार 5 सितम्बर, 1988 को और दूसरी 6 जनवरी, 1989 को पकड़ी गई थी। इन मामलों की जांच से पता चला कि इसमें बम्बई का एक कार व्यापारी श्री हरेन पी० चौकसे शामिल था। यह भी पाया गया कि श्री हरेन पी० चौकसे झूठी घोषणा करके कोचीन में भी विदेशी कारें आयात करने के धन्धे में शामिल थे और इस प्रकार सीमा शुल्क की चोरी करते रहे थे।

(ख) श्री हरेन पी० चौधरी को 13 जनवरी, 1989 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें अब दिनांक 3 फरवरी, 1989 को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबन्द कर दिया गया है।

(ग) ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

बैंकों के कार्य निष्पादन तथा लाभप्रदता पर निगरानी हेतु कार्य-दल

486. **श्री वी० तुलसीराम :**

श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा :

श्री एस० एम० गुरड्डी :

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बैंकों के कार्यनिष्पादन तथा लाभप्रदता पर निगरानी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य-दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कार्य-दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है तथा सरकार ने कितनी सिफारिशें स्वीकार की हैं; और

(ग) देश में बैंकिंग प्रणाली में कार्यनिष्पादन तथा लाभप्रदता में सुधार करने में ये सिफारिशें किस सीमा तक सहायक सिद्ध होंगी ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने देश में बैंकों के कार्यनिष्पादन और लाभप्रदता पर

नजर रखने के वास्ते किसी कार्यकारी दल का गठन नहीं किया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ?

निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को रियायतें

488. श्री वी० तुलसीराम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को कुछ रियायतें दिये जाने की मांग के बारे में जानकारी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, विशेष रूप से दक्षिणी और पश्चिम क्षेत्रों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने इन मांगों को किस हद तक स्वीकार किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रियायतें न दिए जाने से देश को निर्यात क्षमता पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कोई वैकल्पिक उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) देश में सभी निर्यात संसाधन क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन सम्भाव्यत: एक जैसे ही हैं। इनमें शामिल हैं : पूंजीगत माल और उत्पादन के अन्तर्निविष्ट साधनों का निशुल्क आयात, 5 वर्षों का कर अवकाश, घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से आपूर्तियों पर "माने गए निर्यातों" के लाभ अथवा सामान्य दरों के 50 प्रतिशत तक के उत्पादन पर नकद मुआवजा सहायता; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट तथा प्रतिस्पर्धा आधार पर उत्पादन करने के लिए आवश्यक अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त अलग-अलग मामले के आधार पर उत्पादन के 25 प्रतिशत तक की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री करने की अनुमति देना। इनमें से उत्पादन पर नकद मुआवजा सहायता देने और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक के उत्पादन की बिक्री करने की सुविधा देने जैसे कुछेक प्रोत्साहनों की उद्योग के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखने के बाद हाल ही में घोषणा की गई है तथा ऐसी आशा है कि इनसे एककों की अर्थक्षमता में सुधार होगा तथा निर्यात सम्भाव्यता सुदृढ़ होगी।

उपर्युक्त अन्तर्निविष्ट सहायता के जरिए क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से समय-समय पर इन क्षेत्रों के कार्यचालन की समीक्षा की जाती है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

488. श्री वी० कृष्ण राव :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ और अन्य संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें बढ़े हुए मकान किराए भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी चतुर्थ वेतन आयोग

की सिफारिशों के अनुसार 1 जनवरी, 1986 से अर्थात वेतनमान लागू होने की तारीख से की जाए; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

बिलासपुर में उरगा रेलवे स्टेशन

[हिन्दी]

489. डा० प्रभात कुमार मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर जिले में उरगा स्टेशन का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) उरगा स्टेशन पर चल रहे बहुत से कार्य प्रगति के अलग-अलग चरणों में है उनके 1990 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ रोकने की योजनाएं

[अनुवाद]

490. श्री विजय एन० पाटिल :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वर्ष 1989 के दौरान बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के नाम क्या है;

(ग) वर्ष 1988 के दौरान बाढ़ से कितनी जान-माल की क्षति होने का पता चला है;

(ग) क्या सरकार ने देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए स्थायी योजनाएं तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1988 के दौरान बाढ़ों से आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) 3,442 व्यक्तियों की जानें गई। राज्यों द्वारा सूचित की गई फसल, मकान और जन-सुविधाओं की अनुमानित हानि 5,000 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) बाढ़ प्रबंध राज्य का विषय है। बाढ़ प्रबंध कार्यों की आयोजना, अन्वेषण

और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार समग्र मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता तथा बाढ़ के समय राहत सहायता प्रदान करती है। केन्द्र ने चिरकालिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लाभ के लिए संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से मास्टर योजनाओं को विकसित करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया है। इसके साथ ही, केन्द्रीय जल आयोग में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को पूर्व-चेतावनी देने के लिए अन्तर्राज्यीय नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र (नेटवर्क) है।

जोखिम निधि अंशदान योजना

491. **श्री राधाकांत डिगाल :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में 50:50 के आधार पर चल रही जोखिम निधि अंशदान योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किन-किन राज्यों में चल रही है;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में बृहत कृषि बहु-प्रयोजन समितियों (लेम्पस) को कितनी राज सहायता प्रदान की जा रही है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक उक्त योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) यह योजना सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू है। अलबत्ता, जिन राज्यों ने अब तक इस योजना से लाभ उठाया है वे हैं; आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश।

(ग) जोखिम निधि में अंशदान, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित किए गए कुल उपभोग ऋणों के 10 प्रतिशत की दर से किया जाता है। आरम्भ में इस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में, भारत सरकार द्वारा इस व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। भारत सरकार द्वारा, उड़ीसा सरकार को, अब तक जोखिम निधि में किए गए अंशदान के लेखे 1,17,932 रुपये की रकम की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। बृहत कृषि बहुप्रयोजन समितियों (लेम्पस) के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि इस योजना में राष्ट्रीय बैंक द्वारा जोखिम निधि में अंशदान करने के बारे में, कोई प्रावधान नहीं है। अलबत्ता, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी बैंकों द्वारा उपयोग प्रयोजनों के लिए दिए जानेवाले अग्रिमों को अल्पावधिक ऋण सीमाओं के प्रयोजन के वास्ते, विधिसम्मत प्रभार के रूप में स्वीकार करता है।

पोटेशियम पेनिसिलीन-V के आयात के लिए आयात लाइसेंस

492. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोजन प्राधिकारी की सिफारिश के बिना वर्ष 1988-89 के लिए पोटेशियम पेनिसिलीन-V फस्टक्रिस्टल के लिए आयात लाइसेंस जारी कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रायोजन प्राधिकारी की सिफारिशों के बिना 1988-89 के लिए यह आयात लाइसेंस किन परिस्थितियों में जारी किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान एक एकक को 75 एम० एम० यू० पेनिसिलिन आयात करने के लिए पूरक लाइसेंस दिया गया था। यह लाइसेंस वर्ष 1987-88 के लिए उस प्रार्थना-पत्र पर दिया गया है, जिसकी प्रायोजन प्राधिकारी ने विधिवत सिफारिश की थी।

कलकत्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में औषधों की तस्करी

493. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गिरोह द्वारा कलकत्ता के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में औषधों की गुप्त रूप से तस्करी करने का एक नया मार्ग खोले जाने तथा उत्तर प्रदेश के पोस्त-उत्पादकों के साथ घनिष्ट संबंध/सम्पर्क स्थापित किये जाने की बात हाल ही में प्रकाश में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस गिरोह के बारे में तथा उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में पोस्त-उत्पादकों के साथ इसके संबंधों के बारे में पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) एक औषध गिरोह द्वारा, चोरी-छिपे कलकत्ता के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में औषधों की तस्करी का एक नया मार्ग खोले जाने और उत्तर प्रदेश के पोस्त-उत्पादकों के साथ घनिष्ठ संबंध/सम्पर्क स्थापित किए जाने का ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, हाल ही के एक मामले में फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर, कलकत्ता जाने वाली सियालदाह एक्सप्रेस में, दो व्यक्तियों से 1,200 कि० ग्रा० मात्रा की हेरोइन पकड़ी गई थी और दोनों अभियुक्तों को दिनांक 8-2-1989 को स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत नजरबन्द रखने का आदेश दिया गया था।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में रिक्त पद

494. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में वर्ष 1988 के अन्त में आपरेटिंग मेनटेनेंस एण्ड रनिंग स्टाफ के कुल

कितने पद रिक्त थे;

(ख) इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं तथा ये पद कितनी अवधि से रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ताकि वर्तमान कर्मचारियों पर कार्यभार कम किया जा सके ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (ग) 1.1.1989 तक की सूचना रेलवे से इकट्ठी की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रंगराजन समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाना

495. **श्री शांति लाल पटेल :**

श्री एस० एम० गुरुडी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगाराजन समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) बैंकों में मशीने लगाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उप-गवर्नर डा० सी० रंगाराजन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 1984 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीनें, अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों में मिनि कम्प्यूटर प्रणालियां और प्रधान कार्यालयों में मेनफ्रेम कम्प्यूटर प्रणालियां लगाई जाएं। समिति ने बैंकों में 1985 से 1989 तक के पांच वर्षों के लिए यंत्रीकरण/कम्प्यूटरीकरण की योजना की सिफारिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के परामर्श से समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं तथा इन्हें बैंकों द्वारा अलग-अलग चरणों में लागू किया जा रहा है। इस बारे में बैंकों में हुई प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

अमरीका के साथ संयुक्त उद्यम

496. **श्री शांति लाल पटेल :**

श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका संयुक्त उद्यम के लिए इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बारे में कोई समझौता किया गया है; और

(ग) वर्ष 1987 के दौरान शुरू किए जाने वाले भारत-अमरीका संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) भारत और विदेशों में पूंजी निवेश करने के लिए भारतीय और अमरीकी फर्मों के बीच सहयोग के अनेक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1988 के दौरान सरकार ने भारत में अमरीकी फर्मों के साथ सहयोग के 192 प्रस्ताव अनुमोदित किए। 21 भारतीय संयुक्त उद्यमों/अमरीका में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में से जिनके लिए अनुमोदन किया गया था, 16 प्रचलन में हैं और पांच कार्यान्वित हो रहे हैं तथा चार और आवेदन प्राप्त हुए हैं।

बैंक कर्मचारियों की मांगें

[हिन्दी]

497. श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 2 लाख बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों ने 25 जनवरी, 1989 को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बैंक कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार पर कितना आर्थिक भार पड़ेगा और इन मांगों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्वार्डो फलीरो) : (क) से (घ) बैंकों के अधिकारियों के एक वर्ग ने वेतनमानों, महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों से सम्बन्धित अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 25 जनवरी, 1989 को हड़ताल का आह्वान किया था। भारतीय बैंक संघ सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ओर से इस सम्बन्ध में अधिकारी संघों के साथ बातचीत कर रहा है और परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की बैठक

498. श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी के अन्तिम सप्ताह में भारत-फ्रांस की संयुक्त समिति की बैठक हुई थी जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था के विस्तार की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं जिनके प्रतिनिधियों ने समिति की इस बैठक में भाग लिया था;

(ग) इस बैठक में लिए गए निर्णयों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की सातवीं बैठक 30 तथा 31 जनवरी, 1989 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक हित के विषयों पर चर्चा की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में वाणिज्य, वित्त, औद्योगिक विकास, विदेश, वस्त्र, नागर विमानन, रेल, स्वास्थ्य, कृषि, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ऊर्जा, खनन तथा दूरसंचार मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम तथा व्यापार विकास प्राधिकरण जैसे संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

(ग) संयुक्त समिति में हुई चर्चा मुख्यत: दोनों देशों के बीच हुए विचार विनिमय के स्वरूप की है अत: इन चर्चाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए कोई समय निश्चित करने पर कोई सहमति नहीं हुई है।

बम्बई और अंधेरी के बीच रेल सम्पर्क

[अनुवाद]

499. श्री उत्तम राठौड़ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृहत्तर बम्बई के दैनिक यात्रियों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने बम्बई-अंधेरी को जोड़ने के लिए किसी परियोजना पर विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे मंजूरी प्रदान की गई है तथा निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है और यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) अंधेरी वृहत्तर बम्बई के उपनगरीय रेल नेटवर्क पर स्थित है और यह बम्बई वी० टी०/चर्चगेट स्टेशनों से दैनिक यात्री गाड़ियों से पहले ही जुड़ा हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

येलहंका स्थित पहिया और धुरी (व्हील एण्ड एक्सल) संयंत्र का विस्तार

500. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में येलहंका स्थित पहिया और धुरी (व्हील एंड एक्सल) संयंत्र की क्षमता का हाल ही में विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय किया गया है/किया जाएगा;

(घ) विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ङ) क्या सरकार का संयंत्र के विस्तार के लिए आवश्यक उपकरणों का आयात बन्द करने

का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे उपकरणों का आयात बन्द करने का प्रस्ताव है जिसका संयंत्र में निर्माण किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) येलहंका स्थित पहिया एवं धुरा संयंत्र में 31.89 करोड़ रुपये की लागत से पहिया उत्पादन क्षमता 70,000 से बढ़ाकर 85,000 करने का प्रस्ताव है ।

(घ) अनुमोदन के बाद कार्य पूरा होने में लगभग तीन वर्ष का समय लगने की सम्भावना है। जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ङ) जहां कहीं देशी स्रोतों से उपस्कर उपलब्ध नहीं है वहां भी बहुत ही कम संख्या में उपस्करों का आयात करना होगा ।

(च) पहिया एवं धुरा संयंत्र के विस्तार के बावजूद भी पहिया सेटों तथा खुले पहियों का आवश्यकतानुसार आयात करना पड़ेगा ।

विदेशी बैंकों से ऋण लेने हेतु बैंक गारंटी देने की प्रक्रिया

501. श्री मानिक रेड्डी :

श्री जी० भूपति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंडीकेट बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसी उद्योग को नए उद्योग स्थापित करने हेतु विदेशी बैंक से 3 से 4 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा का ऋण लेने हेतु बैंक गारंटी देने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) इन बैंकों द्वारा ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देने में सामान्यतया कितना समय लिया जाता है; और

(ग) क्या इन बैंकों के पास ऐसे कोई प्रस्ताव मंजूरी हेतु लम्बित पड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिल जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय स्टेट बैंक और सिंडीकेट बैंक ने सूचित किया है कि विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक गारंटियां जारी करने के वास्ते सभी प्रस्तावों पर ऐसे ही प्रस्तावों के समान कार्रवाई की जाती है । परियोजना के तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक लाभप्रदता का मूल्यांकन किया जाता है । बैंक इस बात की भी जांच करते हैं कि क्या परियोजना को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त है और क्या प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुकूल है । उधारकर्ताओं को सभी एजेंसियों से मंजूरी भी प्राप्त करनी होती है ।

(ख) बैंकों ने सूचित किया है कि उधारकर्ताओं द्वारा सभी अपेक्षाएं पूरी कर दी जाने पर, ऐसे

प्रस्ताव सामान्यतया 2 से 3 महीने की अवधि के अन्दर मंजूर कर दिए जाते हैं।

(ग) बैंकों के अनुसार, उनके निगमित कार्यालयों के पास ऐसे कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

कुक्कुट फार्म खोलने के लिए ऋण

502. **श्री मानिक रेड्डी :**

श्री जी० भूपति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बेरोजगार स्नातकों को कुक्कुट फार्म खोलने के लिए 30 से 40 लाख रुपये का ऋण मंजूर करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ख) ऐसा उद्यम आरम्भ करने के लिए आवेदकों को कौन-सी रियायतें प्राप्त है;

(ग) ऐसे ऋण मंजूर करने के लिए इन बैंकों को सामान्यतः कितना समय लगता है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में इन बैंकों में ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में ऐसे किन्हीं मामले में ऋण दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 30 से 40 लाख रुपये तक के ऋण मंजूर करने के प्रस्तावों पर (1) प्रस्ताव की अर्थक्षमता, (2) ऐसे एककों के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गनिर्देशों और (3) आवेदक की सक्षमता तथा योग्यता के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

(ख) ऐसे एककों को दिए जाने वाले सावधि ऋणों पर 12.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर, मार्जिन राशि के अंशदान की सामान्य अपेक्षा, 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत की जा सकती है। लेकिन यदि इच्छुक ऋणकर्ता बेरोजगार कृषि स्नातक हो तो रियायतें भी दी जा सकती हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) यदि ऋणकर्ता ऐसे परिवार से आता हो, जिसके पास कोई जमीन न हो और वह कृषि भूमि खरीदने और खेती करने का प्रस्ताव करे तो उसे जमीन खरीदने के लिए भी ऋण दिया जा सकता है।

(2) ऋण की चुकौती की अवधि अन्य मामलों में 6 से 7 वर्षों की तुलना में 8 वर्ष तक की जा सकती है।

(3) शुरू में मार्जिन राशि पर जोर नहीं दिया जाता। ऋणकर्ता निर्धारित मार्जिन राशि में 4 वर्षों में पूरी कर सकता है।

(ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार 25,000 रुपये

तक की ऋण सीमा के सभी आवेदन एक पखवाड़े के अन्दर-अन्दर और 25,000 रुपये से अधिक के ऋण आवेदन 8 से 9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटा दिए जाने चाहिए।

(घ) और (ङ) पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि उसने आन्ध्र प्रदेश में ऐसे किन्हीं प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी है और उसके पास ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि गत वर्षों में उसने बड़े पोल्ट्री फार्म खोलने के प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता दी है। बैंक ने आगे चलकर बताया है कि इस समय उसके पास बड़े पोल्ट्री फार्म खोलने के 3 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इन मामलों में 46 लाख रुपये से 168 लाख रुपये तक के ऋण मांगे गये हैं।

आयात-निर्यात पासबुक योजना को रेशम और ऊनी वस्त्रों पर भी लागू करना

503. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात पासबुक योजना रेशम और ऊनी वस्त्रों के लिए लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत इन मदों के लिए कितना आयात कोटा निर्धारित किया गया है और इस आयात के लिए अपना हक बनाए रखने के लिए आयातकों को कितना निर्यात अनिवार्यत: करना होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) आयात निर्यात पासबुक योजना में रेशम तथा ऊनी परिधानों को योजना के आरम्भ से ही शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) इस संबंध में ब्यौरे समय-समय पर संशोधित आयात-निर्यात नीति तथा प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका, 1988—91 के अध्याय में दिए गए हैं।

ग्राम न्यायालयों की स्थापना

504. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्राम-न्यायालयों की स्थापना के प्रस्ताव पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के विचारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, गोवा, पांडिचेरी, दिल्ली और अंदमान तथा निकोबार द्वीप, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विधि आयोग की

सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। किन्तु, कर्नाटक, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्राम न्यायालय स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं।

(ग) सरकार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की टिप्पणियों की जांच कर रही है।

ठाकाजी और तिरुवल्ला (केरल) के बीच रेल लाइन

505. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने ठाकाजी और तिरूवल्ला के बीच एक लिंक रेल लाइन बिछाने की संभाव्यता का अध्ययन करने का प्रस्ताव किया है ताकि विद्यमान लाइन को निर्माणाधीन तटवर्ती रेल लाइन से जोड़ा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गहरे सागर में मछली पकड़ने के उद्योग के लिए उत्पाद-शुल्क सम्बन्धी छूट

506. श्री दौलत सिंहजी अहेजा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 में गहरे सागर में मछली पकड़ने के उद्योग को उत्पाद-शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देकर कुल कितनी राशि का फायदा पहुंचाया गया है तथा प्रत्येक वर्ष के पृथक-पृथक तत्सम्बन्धी आंकडे क्या हैं; और

(ख) क्या इस राशि को समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग द्वारा अर्जित बढ़ी हुई निर्यात आय से पूरी तरह क्षतिपूर्ति की गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) वर्ष 1986-87 से 1988-89 के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग द्वारा डीजल पर उत्पाद-शुल्क में 50 प्रतिशत छूट के रूप में प्राप्त की गई कुल राशि इस प्रकार है :

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1986-87	13.66
1987-88	14.56
1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक)	31.92

(ख) समुद्री-उत्पादों के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में 1986-87 की तुलना मे 1987-88 के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, इस वृद्धि को, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग

द्वारा डीजल पर लिए जाने वाले उत्पाद-शुल्क में छूट के लाभ से नहीं जोड़ा जा सकता है।

केरल को आर्थिक सहायता

507. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने वर्ष 1988 के दौरान केरल सरकार को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ राहत के नाम पर वर्ष 1988 के दौरान केरल को आवंटित राशि में से कुछ राशि रोक ली थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी०के० गड़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका को काली मिर्च का निर्यात

508. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा भारत से काली मिर्च के निर्यात पर लगा प्रतिबन्ध हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत से अमरीका को काली मिर्च के निर्यात की वर्तमान शर्तें क्या हैं और वर्ष 1988 के दौरान कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) भारतीय काली मिर्च का अन्य किन देशों को निर्यात किया जाता है; और

(घ) क्या इन देशों ने वर्ष 1987-88 के दौरान निर्यात की गई काली मिर्च की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) अमरीका को भारत से काली मिर्च का निर्यात अमरीका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुसार करना पड़ता है। काली मिर्च का 1987-88 के दौरान कुल निर्यात 240.58 करोड़ रु० का था, जिसमें अमरीका को निर्यात 42.51 करोड़ रु० था।

(ग) भारतीय काली मिर्च के अन्य खरीदार सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, सऊदी अरब, संयीय

जर्मन गणराज्य आदि हैं।

(घ) जी, नहीं।

चाय-बागान लगाने की योजना

509. **श्री के० प्रधानी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने नये क्षेत्र पर चाय के बाग लगाए जाएंगे और कितने क्षेत्र में विद्यमान चाय बागान के स्थान पर चाय के नये पौधे लगाये जाएंगे;

(ख) इस प्रयोजन के लिए अब तक कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान नये रोपण और पुनः रोपण के अन्तर्गत लाये जाने वाले अनुमानित क्षेत्र तथा राज्यवार उस पर होने वाला अनुमानित व्यय नीचे दर्शाया गया है :

राज्य	रोपण का विस्तार (हैक्टेयर)	पुनः रोपण (हैक्टेयर)	2 और 3 दोनों पर होने वाला व्यय (करोड़ रु० में)
आसाम	11050	8975	173.78
पश्चिमी बंगाल	3500	3950	57.96
अन्य पूर्वोत्तर राज्य	5975	825	57.38
तमिलनाडु	1900	950	23.62
केरल	1600	900	20.72
कर्नाटक	250	—	2.08
योग	24275	15600	335.04

(ग) उपर्युक्त रोपण कार्यक्रम सातवीं योजना अवधि 1985-86 से 1989-90 के दौरान आरम्भ किए गए हैं। वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान रोपण कार्यक्रम की प्रगति नीचे दर्शाई गई है :

राज्य	रोपण विस्तार	पुनः रोपण
1	2	3
आसाम	4172	2013
पश्चिमी बंगाल	1300	893

1	2	3
अन्य पूर्वोत्तर राज्य	87	33
तमिलनाडु	117	62
केरल	109	118
कर्नाटक	7	—
योग	5792	3119

सिगरेट कम्पनियों द्वारा उत्पाद-शुल्क की चोरी

510. **श्री राम बहादुर सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983 और 1984 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी के लिए सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को कोई नोटिस भेजे गये थे;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उत्पाद-शुल्क की कितनी राशि उन पर बकाया है;

(ग) क्या मार्च, 1983 से पूर्व अवधि के दौरान 214 करोड़ रुपए की शुल्क चोरी के बारे में इंडियन तम्बाकू कंपनी को कोई नया नोटिस भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इंडियन तम्बाकू कम्पनी से सम्पूर्ण राशि वसूल करने के लिए क्या नए प्रयास करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) इनमें शामिल कम्पनियों के नाम ये हैं: मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड, मैसर्स जी०टी०सी० इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स एन०टी०सी० लिमिटेड, मैसर्स गॉडफ्रे फिलिप्स (इण्डिया) लिमिटेड और उनके जाब-वर्कर्स। वर्ष 1983 और 1984 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अपवंचन के लिए इन कंपनियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों के सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपयों में)	
		1983	1984
1	2	3	4
1.	आई०टी०सी० तथा अन्य	57.23	00.44
2.	जी०टी०सी० तथा अन्य	28.93	35.32

1	2	3	4
3.	एन०टी०सी० तथा अन्य	00.69	00.12
4.	गॉडफ्रे फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड तथा अन्य	46.54	शून्य
	जोड़ रुपए	133.39	35.88

(ग) और (घ) मार्च, 1983 से पहले की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अपवंचन के लिए मैसर्स आई०टी०सी० लिमिटेड और उनके जाब-वर्कर्स को वर्ष 987 और 1988 में 14 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें लगभग 320 करोड़ रुपए तक की राशि अन्तर्ग्रस्त है।

(ङ) मैसर्स आई०टी०सी० लिमिटेड के शुल्क अपवंचन से सम्बन्धित सभी मामलों को महानिदेशक निरीक्षण के पास न्यायनिर्णयन के लिए केन्द्रित कर दिया गया है। इन सभी मामलों में न्यायनिर्णयन हो जाने तथा राशियों की पुष्टि हो जाने के पश्चात् ही किसी राशि की वसूली करने का प्रश्न उठेगा। तथापि, मैसर्स आई०टी०सी० ने स्वयं पहले ही तदर्थ आधार पर कुछेक स्वैच्छिक अदायगियां की हैं जिन्हें इन मामलों पर अन्तिम रूप से न्यायनिर्णयन हो जाने पर समायोजित कर दिया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा रियायती कर पर उच्च ब्याज दर के बांड जारी करना

511. श्री सोमनाथ रथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों को रियायती कर पर उच्च ब्याज दर के बांड जारी करने की अनुमति देने की नीति समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय न्यायिक सेवा

512. श्री सोमनाथ रथ :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया जज्स एसोसिएशन (अखिल भारतीय न्यायाधीश संगठन) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें यह मांग की गई है कि एक भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए, जैसाकि विधि आयोग ने सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

छोटे किसानों के लिए बीमा कम्पनियों द्वारा व्यापक पैकेज योजना

513. श्री सोमनाथ रथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कम्पनियों ने छोटे किसानों को विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए सहायता प्रदान कराने हेतु कोई व्यापक पैकेज योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों द्वारा छोटे किसानों को विभिन्न एकमुश्त पालिसियां प्रदान की जा रही है जिनके अन्तर्गत किसानों की विभिन्न सम्पत्तियों के लिए अग्नि, तड़ित (लाईटनिंग), दंगे और हड़तालों, विद्वेषपूर्ण क्षति, बाढ़, तूफान झंझावात और भूकम्प, भू-स्खलन जैसी दैवी विपत्तियों आदि के लिए कवच की व्यवस्था है।

प्रदान किया जाने वाला बुनियादी कवच, व्यक्तिगत दुर्घटना, निवास स्थान और इसके सामान तथा पशु बीमा के लिए है। इस प्रकार की पालिसी के अन्तर्गत जैसे कि बैलगाड़ी, कृषि पम्पसैट, पेडल साइकिल, बीजों और कीटनाशकों की निवेश लागत और इस प्रकार की अन्य सम्पत्ति को भी, जिसके लिए किसान कवच लेना शामिल किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता

[हिन्दी]

514. श्री परशराम भारद्वाज :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सिंचित भूमि अन्य राज्यों में सिंचित भूमि की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कितने प्रतिशत है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) अद्यतन उपलब्ध भूमि उपयोग आंकड़ों (1985-86 अनन्तिम) के अनुसार देश में सकल सिंचित क्षेत्र 53978 हजार हेक्टेयर है।

(ख) और (ग) देश के 30.4% के तदनुवर्ती आंकड़ों के मुकाबले मध्य प्रदेश में सकल बुवाई

क्षेत्र में सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 13.4% है।

सीमेन्ट निर्माता संघ (सी० एम० ए०) द्वारा सीमेन्ट निर्यात के सम्बन्ध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

515. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेंट निर्यात संघ (सी० एम० ए०) से जिसकी इस वर्ष सीमेंट निर्यात करने की योजना है, कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देशवार लगभग कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस योजना के सार्वजनिक क्षेत्र की सीमेंट निर्माता इकाइयों को भी सम्बद्ध किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) सीमेंट निर्माता संघ ने 4 मिलियन टन सीमेंट निर्यात करने का प्रस्ताव किया है जिससे 168 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। जिन देशों को सीमेंट निर्यात की जाएगी उनके नाम नहीं बताए गए हैं। सीमेंट निर्माता संघ ने उद्योग को कुछ रियायतें देकर निर्माण की जाने वाली सीमेंट पर प्रति टन 200 रु० की सहायता के लिए अनुरोध किया है। ये रियायतें इस प्रकार की हैं—निर्यात की जाने वाली एक टन सीमेंट के बदले उत्पादन शुल्क से मुक्त एक टन सीमेंट को घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति, एफ० ओ० बी० मूल्य पर 25% की दर से नकद मुआवजा सहायता तथा उदार लाइसेंस के रूप में प्रयोग करने के लिए 15% आर० ई० पी० लाइसेंस प्रदान करना। इसके अतिरिक्त वे फैक्टरियों से भारतीय सीमा तक रेल भाड़े में 50% की छूट भी चाहते हैं।

(ग) और (घ) चूंकि सीमेंट निर्यात को गैर-सरणीकृत कर दिया गया है, इसलिए कोई भी सीमेंट निर्माता, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं, सीमेंट निर्यात करने के लिए स्वतन्त्र है।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

516. **श्री तरुण गोगोई :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साप्ताहिक आंकड़े जारी किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में सभी राज्यों द्वारा ओवर

ड्राफ्ट के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ओवर ड्राफ्ट जारी करने की प्रथा को समाप्त कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अपने साप्ताहिक लेखों में विभिन्न राज्य सरकारों के ओवर ड्राफ्टों के आंकड़े जारी नहीं करता है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास किसी राज्य सरकार के खाते में जो ओवर ड्राफ्ट होता है, वह अनधिकृत होता है। इस समय लागू ओवर ड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास उनके खातों में ओवर ड्राफ्टों को सात लगातार कार्य-दिवसों की अवधि के अन्दर निपटाना अपेक्षित है।

यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के विरुद्ध आरोप

517. **डा० ए० के० पटेल :**

क्या वित्त मंत्री यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के बारे में 18 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1254 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के विरुद्ध कुछ आरोपों के सम्बन्ध में जांच कार्य अब तक पूरा कर लिया है और यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार का प्रथम-दृष्ट्या मामला पाया गया है;

(ख) क्या निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने के लिए उनके मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है;

(ग) क्या इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कोई स्वतंत्र जांच की है यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और उसने क्या कार्यवाही करने की सिफारिश की है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और किए क्या जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से की गई जांच के आधार पर भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 11-2-1989 को यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के विरुद्ध दो मामले दर्ज किए हैं।

मद्रास-वाराणसी एक्सप्रेस में बंगलौर के लिए विशेष सवारी डिब्बे जोड़ना

518. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर से वाराणसी जाने वाले यात्रियों को मद्रास में गाड़ी बदलनी पड़ती है जिससे

बंगलौर से मद्रास तीर्थ यात्रा पर जाने वाले वृद्ध लोगों को भारी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कठिनाई को दूर करने के लिए वाराणसी से सीधी जाने वाली कुछ रेलगाड़ियों में मद्रास से अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़ने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) बेंगलूर तथा वाराणसी के बीच कोई सीधी गाड़ी नहीं है और यात्री सामान्यत: मद्रास में गाड़ी बदलते हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर में मुख्यालय वाले दक्षिण-पश्चिम जोन की स्थापना करने का प्रस्ताव

519. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुधार समिति ने बंगलौर में मुख्यालय वाले दक्षिण-पश्चिम जोन की स्थापना करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारी वित्तीय तंगी को ध्यान में रखते हुए रेलें फिलहाल किसी अतिरिक्त जोन के सृजन पर विचार नहीं कर रही हैं।

बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन

520. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन को एक मोडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए इस स्टेशन पर किये जा रहे निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) बेंगलूर सिटी रेलवे स्टेशन का आदर्श स्टेशन के रूप में विकास किए जाने के लिए निम्नलिखित निर्माण कार्य किए गए हैं :—

1. अग्रिम आरक्षण कार्यालय;
2. विश्राम कक्षों का निर्माण;
3. मौजूदा स्टेशन इमारत में परिवर्धन तथा परिवर्तन;

4. स्टेशन इमारत के सामने 30 मी० ऊंची मस्तूल रोशनी की व्यवस्था;

5. प्लेटफार्म नं० 4 पर शेड की व्यवस्था।

(ख) मार्च, 1988 तक 21.46 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और 1988-98 के दौरान 7 24 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

बंगलौर और अहमदाबाद के मध्य रेल सेवा

521. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और अहमदाबाद के मध्य रेल सेवाएं यातायात के वर्तमान स्तर के अनुसार पर्याप्त नहीं है और काफी संख्या में यात्रियों के नाम प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मार्ग पर अतिरिक्त रेल सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में अवश्य रहते हैं किन्तु फिलहाल, इससे एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं बनता।

"फेरा" कम्पनियों की निर्यात बाध्यता

522. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फेरा" कम्पनियों पर सामान्यतया कितने निर्यात की बाध्यता है;

(ख) मंत्रालय/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान इन कम्पनियों के वार्षिक उत्पादन और निर्यात के मूल्य का कुल और अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यात बाध्यता को पूरा करने में आई कमी का कुल मिलाकर और अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तलाक कानून में संशोधन

523. श्री एस० एम० गुरड्डी :

श्री बी० एस० बासवराजू :

श्री एच० बी० पाटिल :

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सरकार को वर्तमान तलाक कानून में संशोधन के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया है; और

(घ) ये संशोधन कब तक किए जायेंगे ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) विधि आयोग ने अपनी 15वीं, 18वीं, 22वीं और 90वीं रिपोर्टों में, क्रिश्चियनों के विवाह-विच्छेद से सम्बन्धित विधि में संशोधन के लिए सिफारिश की है। अल्पसंख्यकों की स्वीय विधियों में संशोधन के सम्बन्ध में सरकार की यह नीति रही है कि जब तक स्वयं उस समुदाय द्वारा पहल न की जाए, ऐसी विधियों में संशोधन न किए जावें। भारत में क्रिश्चियनों के प्रतिनिधि संगठनों द्वारा ऐसा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के विवाह-विच्छेद उपबंधों के सम्बन्ध में सिफारिशें की थीं। वर्ष 1976 में पारित एक संशोधन अधिनियम द्वारा विधि आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की गई है। विधि आयोग ने अपनी 65वीं रिपोर्ट में, विदेशी विवाह-विच्छेदों को मान्यता देने से संबंधित विधि के अधिनियमन के लिए सिफारिश की थी। सरकार ने इस विषय में अभी कोई अंतिम विनिश्चय नहीं किया है। आयोग ने अपनी 71वीं रिपोर्ट में, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में विवाह के असमाधेय भंग को विवाह-विच्छेद के आधार के रूप में सिफारिश की थी। उक्त रिपोर्ट पर आधारित विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 संसद की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया गया था जिसमें यह संप्रेक्षण दिया कि जब तक कुटुम्ब न्यायालयों की प्रणाली संपूर्ण देश में प्रारम्भ नहीं कर दी जाती है और एक उपयुक्त प्रक्रिया की (जिसमें वैवाहिक परामर्शी सेवाओं, मनोचिकित्सा, सामाजिक व्यवहार आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा मामलों के विचारण के लिए उपबंध भी है) खोज नहीं कर ली जाती है तब तक विवाह-विच्छेद के प्रस्तावित नए आधार को विधि का भाग बनाना ठीक नहीं होगा। चूंकि कुटुम्ब न्यायालयों की प्रणाली अभी संपूर्ण देश में प्रारम्भ नहीं की गई है अतः इस प्रयोजन के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम के संशोधन के प्रस्ताव पर अभी कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों को ऋण

524. **श्री एस० एम० गुरुडो :**

श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों को नए ऋण देने की एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) और

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के उन सदस्यों को तत्काल नए ऋण देने की एक योजना तैयार की है जो अपनी सम्पूर्ण देय राशियां चुका देते हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(एक) यह योजना उन सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर लागू होती है जो मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण के लिए ऋण सीमा के पात्र होते हैं परन्तु जिनका गैर-अतिदेय कवर में कमी रह जाती है या इस कवर में पर्याप्त अधिशेष नहीं होता जिसके कारण वे मंजूर सीमा का लाभ नहीं उठा सकते।

(दो) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के केवल ऐसे सदस्यों को वित्तपोषण के लिए सीमा के अन्तर्गत रकमें निकालने दी जाएंगी जिन्होंने ऋणों की पूरी रकम चुका दी है और उन्हें नए ऋणों की आवश्यकता है।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई सीमा के अन्तर्गत रकमें निकालने दी जाएंगी और बड़ी फसल के मौसम के शुरू होने से 3 महीने तक गैर-अतिदेय कवर पर या मौसमी अनुशासन का पालन करने पर जोर नहीं दिया जायेगा।

(ग) यह सुविधा रबी के वर्तमान मौसम से दी जाएगी। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्य सहकारी बैंकों ने सहायता प्राप्त की है :

(I)	आन्ध्र प्रदेश	37.78 लाख रुपए
(II)	उड़ीसा	415.62 लाख रुपए

राष्ट्रीयकृत बैंकों के भवनों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

525. **श्री राज कुमार राय :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1988 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों के भवनों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किस प्रकार के अभियोगात्मक दस्तावेज पकड़े गये; और

(ग) दोषी अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, तथा यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ्लेरीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

रुपये का मूल्य

526. श्री राम प्यारे पनिका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 में रुपये के मूल्य की तुलना में इसका वर्तमान मूल्य क्या है;

(ख) इसके मूल्य में क्रमशः गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय रुपये के मूल्य में लगातार आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फलीरो) : (क) से (ग) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के व्युत्क्रम में आकलित रुपये का मूल्य सितम्बर, 1988 में 12.41 पैसे था। (वर्ष 1982 को आधार मानकर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की एक संशोधित श्रृंखला अक्तूबर, 1988 से शुरू की गई है। दिसम्बर, 1988 में रुपये का मूल्य-नवीनतम उपलब्ध-1960 के पुराने आधार के अनुसार 12.22 पैसे है)।

रुपये के मूल्य में गिरावट, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण आई है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए एक सुस्त (पैकेज) उपाय किए हैं। इन उपायों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना घरेलू पूर्तियों में यथा व्यवहार्य आयात द्वारा वृद्धि करना, कठोर राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन लागू करना और जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाही करना शामिल है।

गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर बांधों का निर्माण

527. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बाढ़ नियंत्रण हेतु गंगा और ब्रह्मपुत्र पर विदेशी सहायता से कई बांधों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन देशों ने सहायता देने की पेशकश की है;

(ग) क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है कि इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इन नदियों पर कितने बांध बनाए जाएंगे; और

(घ) इन नदियों पर बांध बनाने हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए उक्त देशों के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भुवनेश्वर में इलाहाबाद बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

528. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भुवनेश्वर में इलाहाबाद बैंक का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय अन्य किन-किन शहरों में खोले गये है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे इलाहाबाद बैंक से भुवनेश्वर में अपना अंचल कार्यालय खोलने के वास्ते कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित शहरों में इलाहाबाद के अंचल कार्यालय है :

बम्बई

कलकत्ता (2 अंचल कार्यालय)

पटना

भोपाल

नई दिल्ली

वाराणसी

लखनऊ

मेरठ (2 अंचल कार्यालय)

फ्रांस के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापार

529. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांस के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापार की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान किन-किन वस्तुओं का निर्यात किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस देश को किसी कृषि जिन्स का निर्यात किया गया है;

(घ) क्या सरकार का आगामी वर्षों में फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं तथा इसके लिए किन-किन क्षेत्रों का

पता लगाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार कुछ फलों और सब्जियों के निर्यातों के आसार बढ़ाने की आशा है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान फ्रांस को किये गये कृषि उत्पाद के निर्यात को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है :

(घ) जी, हां।

(ङ) कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा स्थापित कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने कृषि उत्पादों के व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत-फ्रांस व्यापार सहयोग पर एक सेमिनार का आयोजन किया था। फ्रांस को कृषि निर्यात संवर्धन के लिए प्रमुख कार्यक्रम इस की एपीडा द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात के कृषि उद्योग निगम अन्य व्यापार संगठनों के साथ भाग लेंगे। इसी प्रकार के संवैधनात्मक कार्यक्रम एपीडा द्वारा बाद में पश्चिमी जर्मनी तथा नीदरलैंड में भी चलाए जाएंगे।

विवरण

फ्रांस को कृषि उत्पाद का निर्यात

मात्रा : टन
मूल्य : लाख रु०

मद	1985-86		1986-87 (अनन्तिम)		1987-88 (अनन्तिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ग्वार गम	1156	110	1553	163	1488	211
ताजी सब्जियां	207	26	—	—	—	—
अखरोट की गिरी	637	166	96	26	541	191
चावल	183	21	233	20	294	35
निर्जलित सब्जियां	92	31	—	—	—	—
खुमी	13	91	32*	476	33*	558

*अनुमानित

स्रोत : एपीडा, नई दिल्ली

कटक में कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण

530. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में कटक रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वहां किस वर्ष से यह व्यवस्था प्रारम्भ कर दी जाएगी; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) यह कार्य 1989-90 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इसकी प्रगति आठवीं योजना में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिए कदम

532. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान तम्बाकू के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) निकट भविष्य में तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, हां।

(ख) तम्बाकू के निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति का कारण विश्व स्तर पर मांग में कमी होना है।

(ग) बी० एफ० सी० तम्बाकू के निर्यात पर 5% की दर से नकद मुआवजा सहायता दिया गया है। तम्बाकू की उन किस्मों जिनमें निकोटीन की मात्रा कम होती है तथा खुशबूदार तम्बाकू जिसकी आयात करने वाले देशों में मांग होती है, पता लगाने तथा विकसित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है। जहां भारतीय तम्बाकू की बिक्री की सम्भावना है उन देशों को प्रतिनिधि मंडल भेजे जा रहे हैं। परम्परागत क्रेताओं को भारतीय तम्बाकू की अपनी खरीद बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

अमरीका के साथ व्यापार

533. श्री के० राम चन्द्र रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में अप्रैल से अगस्त तक की अवधि के दौरान अमरीका को 1117 करोड़ रु० का निर्यात किया गया था जो वर्ष 1988 में इसी अवधि के दौरान बढ़कर 1,413 करोड़ रु० का हो गया;

(ख) क्या इसी अवधि के दौरान अमरीका से किया गया आयात 795 करोड़ रुपये से बढ़कर 1095 करोड़ रुपये का हो गया था; और

(ग) यदि हां, तो हमारे आयात और निर्यात में हुई वृद्धि के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका को भारत के इलेक्ट्रोनिक्स, वस्त्र और परिधानों सहित हीरों, इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। भारत को संयुक्त राज्य अमरीका के आयातों में अनाज, उर्वरक, लौह तथा इस्पात अपशेष, पावर जनरेटिंग मशीनों तथा इलेक्ट्रोनिक उपस्करों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

अभ्रक के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि हेतु उपाय

534. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अभ्रक की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो 1987-88 में कितने मूल्य का अभ्रक निर्यात किया गया;

(ग) सरकार द्वारा अभ्रक के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अभ्रक उत्पादन करने वाले राज्यों को उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में संसाधित अभ्रक की मांग घट रही है, परन्तु मूल्य वर्धित अभ्रक उत्पादों की मांग बढ़ रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संसाधित अभ्रक की कीमतों में दो बार संशोधन किया गया है। वर्ष 1987-88 के दौरान कुल कीमत वसूली वर्ष 1985-86 और 1986-87 में कीमत वसूली से ज्यादा थी, 1987-88 में निर्यात किए गए अभ्रक का अनन्तिम मूल्य 46.52 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) अभ्रक—कतरन को छोड़कर अभ्रक और अभ्रक उत्पादों पर निर्यात शुल्क हटा दिया गया है, ताकि इस वस्तु के निर्यात से लाभकारिता में वृद्धि हो।

(ii) विदेश में बिक्री संवर्धन दौरों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने को भी प्रोत्साहित किया गया है।

(iii) अभ्रक व्यापार निगम (मिटकों) ने मूल्य वर्धित अभ्रक उत्पाद बनाने के लिए कई एकक स्थापित किए हैं।

(iv) खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने अभ्रक के नये उपयोगों और नये उत्पादों के विकास के लिए 2.95 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत से एक अनुसंधान और विकास केन्द्र अनुमोदित किया है।

मध्य और पश्चिम रेलवे जोन को रेक्स का आवंटन

535. श्री एस० बी० थोरत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उपनगरीय रेलवे को 22 रेक्स देने का वचन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या रेक्स उपलब्ध करा दिए गए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मध्य और पश्चिम रेलवे को कितने रेक्स उपलब्ध कराने का वचन दिया गया था और अब तक कितने रेक्स उपलब्ध कराए गए हैं; और

(घ) शेष रेक्स कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां। 1987-88 तथा 1988-89 में मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों को 22 रेकों की आपूर्ति किए जाने की योजना थी।

(ख) से (घ)

(1) अभी तक 16 रेकों की आपूर्ति की जा चुकी है।

(2) मार्च, 1989 तक दो और रेकों की आपूर्ति किए जाने की सम्भावना है।

(3) शेष रेकों की 1989-90 में व्यवस्था किए जाने की योजना है।

(4) कमी का कारण, कर्षण मोटर के स्वदेशी निर्माण में आई प्रारम्भिक कठिनाइयों से उत्पादन कार्यक्रम में आई रुकावट है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैनों के आवासीय परिसरों पर व्यय

536. श्री हुक माई वेहुला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैनों के आवासीय परिसरों की सुरक्षा के लिए धनराशि व्यय करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) देना बैंक द्वारा बम्बई में आशियाना के निकट स्थित अपने चेयरमैन के आवासीय फ्लैट की सुरक्षा के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति सम्बन्धी शर्तों में यह प्रावधान है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ किराया मुक्त गैर-सज्जित आवास के हकदार होंगे। आवास के स्वरूप, खरीद मूल्य और किराए का अनुमोदन बैंक के निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

(ख) देना बैंक के अनुसार, वर्ष 1986-87 में उसने एक फ्लैट खरीदने के लिए जो इस समय वर्तमान अध्यक्ष के पास है, 36 लाख रुपया खर्च किया था।

पूंजी बाजार का विस्तार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही

537. श्री प्रतापराव बो० भोंसले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आर्थिक नीति में सुधार लाने हेतु पूंजी बाजार का, विस्तार करने हेतु कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत में मुद्रा बाजार के विस्तार के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) हुंडी पुनर्बट्टा बाजार में ज्यादा निधियों को आकर्षित करने के लिए बाजार में प्रवेश सम्बन्धी प्रतिबन्धों में ढील दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक निधि, के बैंक पारस्परिक निधि और चुने हुए शहरी सहकारिता बैंकों को भी इस बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

(ii) अल्पावधिक मौद्रिक बाजार हुंडियों को अधिक नकदी उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बट्टा भुनान और वित्त गृह की स्थापना की गई है जिसने अप्रैल, 1988 में काम करना शुरू कर दिया है।

(iii) अप्रैल, 1988 में भारतीय बट्टा भुनान और वित्त गृह को हुंडी पुनर्बट्टा बाजार में लचक प्रदान करने की दृष्टि से हुंडी पुनर्बट्टा दर पर 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा से छूट दी गई।

(iv) 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की नीलामी की आवृत्ति 13 जुलाई, 1988 से मासिक से पाक्षिक कर दी गई है। भारतीय बट्टा भुनान और वित्त गृह इन हुंडियों के विक्रय और क्रय का काम करता है और बैंकों को इन हुंडियों की धारिता के 50 प्रतिशत के बराबर, भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त उपलब्ध करवाया जाता है।

(v) भारतीय बट्टा भुनान और वित्त गृह को मांग मुद्रा (द्रव्य) बाजार में ऋणदाता और ऋण प्राप्तकर्ता दोनों ही के रूप में भाग लेने और इस बाजार में साधारण शुल्क लेकर धनराशियों के प्रबन्धक के रूप में कार्य करने और बैंकों को मुद्रा बाजार में सेवाएं देने की भी अनुमति दी गई है। अक्तूबर, 1988 से मांग मुद्रा (द्रव्य) बाजार में इसके कार्यों को भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित अधिकतम ब्याज दर के उपबन्धों से छूट दी गई है।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वाणिज्यिक हुंडियों को सकारने की कार्य प्रणाली को सरल बनाया है और बैंकों को सुविधाजनक लाट में यूसेंस प्रामिसरी नोट जारी करने

और उनके द्वारा भुनाई गई वास्तविक व्यापार हुंडियों की संख्या के अनुसार परिपक्व हुंडियों को पुनर्बट्टा बाजार में अपने सहभागियों के साथ फिर से भुनाने की अनुमति दी गई है और ऐसे प्रामिसरी नोटों पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है।

(vii) बैंकिंग व्यवस्था के भीतर अल्पावधि नकदी के समायोजन की सुविधा की दृष्टि से अन्तर बैंक सहभागिता नामक एक नई हुंडी (अधिकार पत्र) जोखिम सहभागिता (91 से 180 दिन के लिए) और बिना जोखिम सहभागिता (90 दिन तक) दोनों आधार पर शुरू की गई है।

उपर्युक्त उपाय मुद्रा बाजार को गहरा और विस्तृत करने अल्पावधिक निधियों पर अच्छी आय उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, बैंकों को अल्पावधिक नकदी में एकरूपता और उनके ऋण पत्राधानों को छूट देने और भुगतान प्रणालियों में सुधार में सहायता करने सम्बन्धी कार्य करेंगे।

पश्चिम जर्मनी विकास सहायता

538. **श्री प्रतापराव जी० भोंसले** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान भारत को पश्चिम जर्मनी विकास सहायता से सबसे अधिक राशि प्राप्त होगी;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त होने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार, किन-किन विकास कार्यक्रमों पर इस सहायता का उपयोग किया जाएगा; और

(घ) सहायता की इस राशि को, वापिस पश्चिम जर्मनी को अदायगी की क्या शर्तें हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1989 में विकास सहकारिता पर भारत-जर्मन के बीच किए गए पिछले परामर्श के दौरान संघीय जर्मन गणराज्य के प्राधिकारियों ने वर्ष 1989 के लिए 425 मिलियन ड्यूश मार्क की वित्तीय सहायता (उदार ऋण) प्रायोगिक रूप में देने का संकेत किया था।

(ग) निम्नलिखित मुख्य विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण किये जाने की आशा है :—

(i) दादरी कम्बाइण्ड साइकल पावर प्रोजेक्ट (केन्द्रीय परियोजना)

(ii) राउरकेला इस्पात संयंत्र (केन्द्रीय परियोजना)

(iii) 30 मै० वा० सौर तापीय विद्युत परियोजना (केन्द्रीय परियोजना)

(iv) जलपूर्ति, पश्चिम बंगाल

(v) तालाब (टैंक) सिंचाई, कर्नाटक।

(घ) संघीय जर्मन गणराज्य का उदार ऋण 0.75 प्रतिशत वार्षिक दर से प्राप्त होता है और

उनकी वापसी अदायगी की अवधि 40 वर्ष होती है जिसमें 10 वर्ष छूट की अवधि शामिल है। संघीय जर्मन गणराज्य को 0.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से असंवितरित राशि पर वचनबद्धता प्रभार भी देने होते हैं।

नई मतदाता सूची तैयार करना

539. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

श्री हरिहर सोरन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में मतदाता-सूची में संशोधन का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो नई मतदाता-सूची कब तक तैयार कर ली जाएगी;

(ग) मतदाता सूची में शीघ्र संशोधन हेतु कौन-कौन से विभिन्न कदम उठाये गये हैं; और

(घ) मतदाता सूची में बोगस नामों के शामिल किये जाने के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) निर्वाचक नामावलियों को अद्यतन बनाये रखने के लिए और उन्हें यथासंभव सही रखने के लिए उनका पुनरीक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रयोजन के लिए निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावलियों का वार्षिक पुनरीक्षण करता है। वर्ष 1988 में, निर्वाचन आयोग ने हरियाणा, केरल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के, तारीख 1-1-1988 को अर्हक तारीख मानते हुए, संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए आदेश दिया था। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसी तारीख को अर्हक तारीख मानते हुए, गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया गया था।

वार्षिक पुनरीक्षण के कार्यक्रम के भागरूप निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1989, जिन राज्यों में पिछले वर्ष गहन पुनरीक्षण किया गया था उनमें संक्षिप्त पुनरीक्षण और जिन में संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था, उनमें गहन पुनरीक्षण करने के लिए आदेश दिया होगा। किन्तु, संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 को, जिसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का उपबंध है और जो संसद के दोनों सदनों द्वारा दिसम्बर, 1988 में पारित कर दिया गया है, ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष पुनरीक्षण के लिए आदेश किया है। निर्वाचन आयोग द्वारा संबद्ध मुख्य निर्वाचन आफिसरों को अनुदेश भेज दिए गये हैं कि यह विशेष पुनरीक्षण घर-घर के सर्वेक्षण के आधार पर किया जाना है और प्रगणक केवल उन्हीं पात्र नागरिकों के नाम नोट करेंगे जो तारीख 1-4-1989 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जिनके नाम पहले से ही विद्यमान नामावलियों में सम्मिलित नहीं है। इस प्रक्रिया के अनुसार, निर्वाचन आयोग यह आशा करता है कि निर्वाचक नामावलियां 18 से 21 वर्ष की आयु समूह के युवा मतदाताओं को सम्मिलित करते हुए अद्यतन हो जाएंगी।

(घ) निर्वाचन आयोग समय-समय पर इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए अनुदेश जारी करता रहा है कि भारत के केवल ऐसे पात्र नागरिकों के नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत किए जाने चाहिए जो साधारणतया उस निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हों। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है जिस

के अनुसार निर्वाचक नामावलियों के तैयार करने और पुनरीक्षण या शुद्धिकरण के संबंध में मिथ्या घोषणा करना ऐसा अपराध है जो कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय है।

पंजाब में बेरोजगार स्नातकों को दिया गया ऋण

540. **श्री कमल चौधरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न आय वर्ग के उन बेरोजगार स्नातकों की संख्या कितनी है, जिन्होंने दिसम्बर, 1988 को समाप्त हुए गत दो वर्षों के दौरान पंजाब में कार्यरत भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था;

(ख) वर्ष-वार मंजूर किए गये ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन आवेदनकर्ताओं को ऋण मंजूर नहीं किया गया उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऋण मंजूर करने में सरकार की नीति का पालन न करने की स्थिति में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 के दौरान आरम्भ की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत, 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के मैट्रिक अथवा उत्तम उच्च शिक्षा प्राप्त अर्थात स्नातकों सहित सभी शिक्षित बेरोजगार युवक इस सहायता के पात्र है, बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। पंजाब में कार्यरत भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित अनुसूचित भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान लक्ष्यों, संस्तुत एवं स्वीकृत आवेदनों की संख्या और मंजूर की गई रकमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	लक्ष्य	जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों को संस्तुत आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की संख्या	मंजूर की गई रकम (लाख रुपए)
1986-87	15000	41,597	24,390	15,037	3428.80
1987-88	7500	31,342	14,516	7,672	1744.88

(ग) और (घ) चूंकि बैंकों ने पंजाब में इन दोनों वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया है, इसलिए ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

मसालों के व्यापार पर हड़ताल का प्रभाव

541. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**

श्री पी० ए० एन्टनी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिल प्रोड्यूस मर्चेन्ट एसोसियेशन द्वारा हड़ताल के कारण केरल में मसालों के व्यापार पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इन वस्तुओं के निर्यात से अनुमानत: कितनी हानि हुई है; और

(ग) इसके लम्बी अवधि के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए क्या उपचारात्मक उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) प्रश्नाधीन हड़ताल राज्य सरकार का विषय है। ऐसा पता चलता है कि इस हड़ताल से निर्यात व्यापार भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्टों से पता चला है कि 3 करोड़ रु० मूल्य का माल निर्यात नहीं किया जा सका और हड़ताल की वजह से मोटे तौर पर 10.15 करोड़ रु० मूल्य के क्रयादेशों को गवाना पड़ा। इस विषय को राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। यह हड़ताल 2-2-1989 को वापस ले ली गई है।

व्यापार संतुलन

542. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**

श्री बुरलीधर माने :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और इस समय व्यापार सन्तुलन और भुगतान सन्तुलन की स्थिति क्या है; और

(ख) 1 नवम्बर, 1988 को अमरीका, ब्रिटेन, जापान, सोवियत संघ, इटली और पश्चिम जर्मनी को किए गए निर्यात और वहां किए गए आयात के आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय-रंजन दास मुंशी) : (क) गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, व्यापार घाटा तथा विदेशी मुद्रा भण्डारण के आंकड़े जो सम्पूर्ण भुगतान संतुलन की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, नीचे दिए गए हैं :

मूल्य (करोड़ रु०)

वर्ष	व्यापार (क) घाटा	माह के अन्त में	विदेशी मुद्रा (ख) भण्डारण
1985-86	8763.10	मार्च, 86	7820.03
1986-87 (पी)	7631.32	मार्च, 87	8151.21
1987-88 (पी)	6657.74	मार्च, 88 (पी)	7686.67
1988-89 (पी) (अप्रैल-दिसम्बर)	56601.70	जून, 88 (पी)	6240.56

पी.: अनन्तिम

स्रोत : (क) डी जी एस आई एण्ड एस, कलकत्ता।

(ख) आर बी आई वार्षिक रिपोर्ट 1987-88

(ख) अप्रैल-सितम्बर, 1988 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, जापान, सोवियत संघ, इटली तथा पश्चिम जर्मनी से आयात और निर्यात के अनन्तिम आंकड़े जिसके अद्यतन अवधि के आंकड़े उपलब्ध हैं, नीचे दिए गए हैं :

(मूल्य : करोड़ रु०)

देश	निर्यात (अ)	आयात (अ)
संयुक्त राज्य अमरीका	1759.46	1395.86
ब्रिटेन	543.16	1187.19
जापान	971.22	1233.12
सोवियत संघ	1116.90	683.50
इटली	227.61	205.54
पश्चिमी जर्मनी	565.77	1081.52

(अ : अनन्तिम)

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता।

इलायची का मूल्य और उत्पादन

543. प्रो० पी० के० कुरियन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों से इलायची के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलायची के मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इलायची उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलायची के उत्पादन का अनुमान निम्नलिखित प्रकार लगाया है :

1986-87	---	3800 एम टी
1987-88	—	2900 एम टी
1988-89	—	4100 एम टी

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान गंभीर सूखे की वजह से उत्पादन में गिरावट आई।

(ग) इलायची की प्रति कि०ग्रा० भारित औसत नीलामी कीमत वर्ष 1986-87 में 118.32

रुपये, 1987-88 में 140.62 रुपये तथा 1988-89 (अगस्त-जून 1989) में 126.48 रुपये थी।

(घ) प्रयासों में शामिल हैं;

(i) उपजकर्ताओं से बिक्री कर स्थानान्तरित करने, छोटे उपजकर्ताओं पर कृषि संबंधी आय कर के भार को कम करने के लिए क्षेत्रफल पर आधारित मिश्रित कराधान प्रणाली लागू करने सम्बन्धी प्रस्ताव जैसे राजकोषीय उपाय।

(ii) विकास तथा अनुसंधान सम्बन्धी विभिन्न उपायों को लागू करके उत्पादन लागत को कम करने के उपाय करना ताकि उपजकर्ताओं को मिलने वाले लाभ के मार्जिन को बढ़ाया जा सके।

(iii) उपजकर्ताओं को तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नकद दो और माल उठाओ प्रणाली शुरू करना, तथा कीमतों को स्थिर बनाये रखने के लिए मात्रा के रूप में उपज की आवक पर प्रतिबन्ध।

(iv) घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक बिक्रियां तथा अन्न सामग्री खाद्य वस्तुओं तथा आयुर्वेदिक औषधि में इलायची के अन्य प्रयोग में और वृद्धि करना जैसे उपाय।

(v) हवाई भाड़ा उपदान देने, मांग को बढ़ाने के लिये तथा कीमतों को स्थिर रखने के लिये निर्यात संवर्धन के लिए अतिरिक्त सी सी एस देने जैसे उपाय।

केरल में ट्रेन दुर्घटनाएं

544. प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान केरल में हुई सभी रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केरल में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो गई है;

(ग) क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ङ) रेल दुर्घटनाओं और उनसे सम्बन्धित सूचना के आंकड़े क्षेत्रवार रखे जाते हैं न कि राज्यवार।

सोने का जब्त किया जाना

545. श्री प्रकाश चन्द्र :

डा० फूलरेणु गुहा :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में तस्करी का लगभग कितना सोना जब्त किया गया और उसका मूल्य कितना है;

(ख) क्या तस्करी के प्रत्येक मामले में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ग) सरकार देश में सोने की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) कैलेन्डर वर्ष 1988 के दौरान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लगभग 200 करोड़ रुपए की कीमत का 6094 (अनन्तिम) कि०ग्रा० सोना पकड़ा गया है तथा इस अवधि के दौरान, उनके द्वारा सोने की तस्करी करने के लिए 1327 (अनन्तिम) व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) तस्कर-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है और सारे देश में, विशेष तौर पर, भू-सीमाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों और समुद्री पत्तनों के सुगम्य क्षेत्रों में तस्कर-रोधी तंत्र को चुस्त बना दिया गया है। सोने सहित, तस्करी का पता लगाने और इसके निवारण में संलग्न सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच में घनिष्ठ ताल-मेल रखा जा रहा है। एक्स-रे, असबाब मशीनों, धातु खोजी यंत्रों, रात को उपयोग में लाई जाने वाली दूरबीनों जैसे अतिआधुनिक उपस्करों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप, वर्ष 1987 के दौरान पकड़े गये 65.78 करोड़ रुपये (लगभग) की कीमत के 2252 कि०ग्रा० सोने की तुलना में वर्ष 1988 के दौरान पकड़े गये सोने के मूल्य और मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।

आवास क्षेत्र को वित्तीय सहायता

546. **श्री प्रकाश चन्द्र :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आवास क्षेत्र की सहायता करने के लिए देश में वित्तीय संस्थाओं को आगे आने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को इस प्रकार की सहायता दी जाएगी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वित्तीय संस्था द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के वास्ते "आवास वित्त" के अन्तर्गत 225 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। दिसम्बर 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह राशि बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह आबंटन समूचे देश के लिए किया गया है और राज्यवार विभाजन नहीं किया गया है। जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम भी आवास योजनाओं का वित्तपोषण करने के वास्ते राज्य सरकारों आवास विकास वित्त निगम, आवास तथा शहरी विकास निगम और राज्य स्तरीय शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त संस्थाओं को ऋण देते रहे हैं।

फलों और सब्जियों का निर्यात

547. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराव वाडियर :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोप और उत्तरी अमरीका में कौन-कौन से फल और सब्जियां लोकप्रिय हैं;

(ख) क्या इन देशों में इन फलों और सब्जियों की मार्केट का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनके निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) यूरोप तथा उत्तरी अमरीका में जो फल तथा सब्जियां लोकप्रिय है वे हैं—आम, अमरूद, पपीता, अनानास, खरबूजा, सेब, नाशपाती, सिट्स, स्ट्राबेरी, केला तथा टमाटर, आबगाइन, सेम, गोभी, पहाड़ी मिर्च, गाजर, फूल गोभी, ककड़ी, प्याज, लहसुन, भिंडी आदि।

(ख) से (घ) विभिन्न कारणों जैसे हवाई भाड़े की ऊंची दर, आयात करने वाले देशों में खाद्य सामग्री से सम्बन्धित कड़े कानून आदि की वजह से हमारी कुछ सब्जियों तथा उष्णकटिबन्धीय फलों के बाजारों का पर्याप्त रूप से उपयोग करना सम्भव नहीं हो पाया है। कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु सरकार द्वारा गठित कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण निर्यात कम्पलैक्स बनाने, क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित करने या प्रदर्शनियों तथा प्रचार अभियानों के जरिए फलों तथा सब्जियों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है।

कोचीन में "कंटेनर सेवा"

548. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कंटेनर सेवा का कोचीन तक विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से आरम्भ की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) पर्याप्त यातायात न होने के कारण घरेलू कंटेनर सेवा के लिए स्थायी सुविधाओं की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, कोच्चिन/एर्णाकुलम के लिए तदर्थ आधार पर घरेलू कंटेनर बुक किए जा रहे हैं जो मांगों पर निर्भर हैं।

रेल मार्गों को बदलना

549. **श्रीमती डी० के० भंडारी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान छोटी लाइन तथा मीटर लाइन रेल मार्गों को वर्ष 1988-89

और 1989-90 के दौरान बदलने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए अब तक बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	रेलवे	लम्बाई (कि० मी० में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	सूरतगढ़-बीकानेर (मी० ला०से० ब०ला०)	उत्तर	178	अप्रैल, 1988 में चालू कर दी गई।
2.	मुरादाबाद-रामनगर (मी०ला० से० ब०ला०)	पूर्वोत्तर	78	जून, 1988 में चालू कर दी गई।
3.	वाराणसी-भटनी (मी० ला०से० ब०ला०)	पूर्वोत्तर	161	
4.	काशीपुर-लालकुआ (मी० ला०से० ब०ला०)	पूर्वोत्तर	60	
5.	समस्तीपुर-दरभंगा (मी० ला०से० ब०ला०)	पूर्वोत्तर	37	
6.	मैसूर-बेंगलूरू (मी० ला०से० ब०ला०)	दक्षिण	138	
7.	मनमाड-परभनी-पली-बैजनाथ (मी० ला०से० ब०ला०)	दक्षिण मध्य	345	
8.	गुन्तूर-माचरेला (मी० ला० से० ब०ला०)	दक्षिण मध्य	130	1989-90 में चालू करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5
9.	परभनी-पूर्णा तथा मुदखेड-आदिलाबाद लाइन का आमान परिवर्तन तथा पूर्णा-मुदखेड समानान्तर बड़ी रेल लाइन	दक्षिण मध्य	248	
10.	नडियाड-कपड़वंज (छोटी लाइन से बड़ी लाइन)	पश्चिम	45	

माडल बिक्री कर कानून लागू किया जाना

550. **श्रीमती डी० के० भंडारी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडल बिक्री कर कानून लागू लिए जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ङ) सितम्बर, 1980 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प के अनुसरण में विधि आयोग से एक मॉडल बिक्री कर कानून का मॉडल मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उन्होंने उसे तैयार करने में अपनी असमर्थता के लिए खेद प्रकट किया है। तत्पश्चात् यह कार्य राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान को सौंप दिया गया।

किसी राज्य के भीतर की जाने वाली बिक्री अथवा खरीद पर कर उगाहने का काम संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-II में प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत राज्य द्वारा कराधान का विषय है, अतः अन्तर्राज्यीय बिक्री से सम्बन्धित मामलों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डलों को ही प्राप्त है।

इंचमपल्ली बहुउद्देशीय परियोजना के सम्बंध में एक संयुक्त नियंत्रण बोर्ड की स्थापना

551. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी पर इंचमपल्ली बहुउद्देशीय परियोजना के लिए जो आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की एक अन्तर-राज्यीय संयुक्त परियोजना है, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट के अनुसार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने हेतु एक संयुक्त नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार और अन्य सम्बद्ध राज्यों को भेजे गए अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड के गठन सम्बन्धी प्रारूप पर विचार किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सम्बद्ध तीन राज्यों से संयुक्त नियंत्रण बोर्ड को शीघ्र गठित करने के मामले पर बातचीत पहले ही शुरू कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इस विषय पर बातचीत कब की गई थी और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) क्या सरकार का सम्बद्ध मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कु०वा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन राज्यों के मुख्य इंजीनियरों को मिलाकर एक कार्यबल का गठन करने हेतु महाराष्ट्र सरकार के सुझाव को आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश सिविल सप्लाईज कारपोरेशन से आयकर वसूल करना

552. **श्री महटम श्रीराममूर्ति** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से आय कर के रूप में 40 करोड़ रुपये की राशि वसूल करने का विचार था;

(ख) क्या उक्त संगठन द्वारा की गई अपीलों को विभागीय स्तर पर रद्द कर दिया गया था;

(ग) क्या स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को वर्ष 1985-86 के लिए 15.8 करोड़ रुपये तथा 1980—86 की अवधि के लिए 22.23 करोड़ रुपये की आयकर की बकाया धनराशि का भुगतान करना है;

(घ) यदि हां, तो इन करों को लगाने के क्या कारण है; और

(ङ) क्या सरकार ने सेंट्रल वेयर-हाउसिंग कार्पोरेशन को आयकर से मुक्त रखा है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 के लिए 6.10 करोड़ रु० तथा कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए 4.28 करोड़ रु० की आयकर मांगें जारी की गई थीं वर्ष 1985-86 के लिए, आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई थी तथा अपील आदेश के परिणामस्वरूप मांग कम होकर 4.04 करोड़ रु० रह गई। आयकर अपील न्यायाधिकरण द्वारा इस राशि की वसूली को स्थगित कर दिया गया है। वर्ष 1986-87 के लिए अब तक कोई अपील दायर नहीं की गई है।

(ग) यह समझा जाता है कि मांगी गई सूचना आंध्र प्रदेश सिविल आपूर्ति निगम के बारे में है। उपर्युक्त मांगों के अलावा कोई अन्य मांग नहीं है।

(घ) चूंकि आयकर अधिनियम के अनुसार निगम की आय कर योग्य थी, इसलिए कर आयद किए गए हैं।

(ङ) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम अधिनियम (सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट) 1962 के तहत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम की स्थापना की गई है। जिन्सों के भण्डारण और उनके संसाधन अथवा विपणन की सुविधाएं प्रदान करने से मिलने वाली आय पर आयकर अधिनियम की धारा 10 (29) के अन्तर्गत छूट प्राप्त है।

आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना को स्वीकृति

553. **श्री मद्दम श्रीरामभूर्ति :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1978 में केन्द्रीय जल आयोग की पहली परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद परियोजना की लगत में अब तक कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या वर्तमान परियोजना रिपोर्ट में बाएं और दाएं दोनों किनारों की नहरों और एक अवस्था में विद्युत उत्पादन के लिए भी प्राक्कलन दर्शाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा किए गए प्रेक्षणों को दृष्टि में रखते हुए संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है।

तिरूमलै और गोदावरी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

554. **श्री मद्दम श्रीरामभूर्ति :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार तिरूमलै एक्सप्रेस को काकिनाडा से विशाखापटनम तक चलाने पर पुन: विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कर दिया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार का गोदावरी एक्सप्रेस के भाप के इंजन के स्थान पर डीजल इंजन लगाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गोदावरी एक्सप्रेस पहले से ही डीजल इंजन से चल रही है।

धनकर अधिनियम में संशोधन

555. **श्रीमती डी०के० भंडारी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार धन-कर अधिनियम को और अधिक तर्कसंगत, न्यायोचित तथा अनुपालन में सरल बनाने के लिए इसके विद्यमान उपबंधों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) से (ग) प्रत्यक्ष कर कानूनों में संशोधन करना निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसलिए ये कानून अपरिवर्तनशील नहीं हो सकते। संसद के शीतकालीन सत्र में, सरकार ने प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) विधेयक, 1989 पेश किया था, जिसके अधीन धनकर अधिनियम में भी कुछेक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार का सदैव ही यह प्रयास रहा है कि कर कानूनों को सरल बनाए जाने के साथ-साथ उनका अनुपालन भी सुगम बनाया जाए।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

[हिन्दी]

556. **श्री एस०डी० सिंट :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान बैंकों के धोखा-धड़ी के कितने मामलों का पता चला और उनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी;

(ख) कितने मामलों में बैंक कर्मचारियों का हाथ पाया गया; और

(ग) कितसे मामलों में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है और कितने मामलों में अभी कार्यवाही करनी शेष है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आंकड़े रखने की वर्तमान प्रणाली से बैंकों में जालसाजी (फोर्जरी) के मामलों की अलग से सूचना नहीं मिलती है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1988 (सितम्बर तक) के दौरान 28 सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उसे धोखाधड़ी (फ्राड) के 1382 मामलों की सूचना मिली है जिनमें 2005.23 लाख रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त थी। वर्ष 1988 (सितम्बर तक) के दौरान धोखाधड़ी के मामलों में अन्तर्ग्रस्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(एक) धोखाधड़ी के आरोप में दोषसिद्ध कर्मचारियों की संख्या	—73
(दो) बड़े/छोटे दण्ड प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	—509

(आंकड़े अनन्तिम)

निवेश की सुरक्षा के लिए फ्रांस के साथ समझौता

[अनुवाद]

557. **श्री हरिहर सोरन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस सराकर ने उनके मंत्रालय से यह अनुरोध किया था कि किसी देश द्वारा दूसरे देश में किये गये पूंजी निवेश की सुरक्षा के लिए एक द्विपक्षीय समझौता किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) जी, हां। आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत फ्रांस संयुक्त समिति की जनवरी, 1989 में हुई बैठक के दौरान फ्रांस पक्ष ने उन निवेशों के आपसी हित के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया था जिससे भारत में फ्रांसीसी निवेशों की वृद्धि हो सकेगी। किन्तु भारतीय पक्ष का कहना था कि वापसी अदायगी और रायल्टी आदि की अदायगी के संबंध में भारत की उत्तम परिपाटी को ध्यान में रखते हुए ऐसे किसी करार की आवश्यकता नहीं है।

अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मिजोरम के लिए रेलवे मुख्यालय

558. **श्री एन० टोम्बी सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मिजोरम के लिए प्रस्तावित रेलवे मुख्यालयों सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन्हें पूरा किए जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने तक इन पर कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मिजोरम के लिए प्रस्तावित रेल शीर्षों से सम्बन्धित विवरण, उनके पूरा होने की सम्भावित तारीख तथा प्रत्याशित लागत नीचे दी गई हैं :—

राज्य	परियोजना का नाम	लम्बाई कि०मी०	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपये)	पूरा होने की संभावित तारीख
अरुणाचल प्रदेश	बालीपारा-भालुकपोंग	35	14.18	दिस०, 1989
मणिपुर	सिलचर-जिरी बाम	49	39.56	दिस०, 1989
मिजोरम	लालाबाजार-भैराबी	48	36.17	मार्च, 1990

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की इम्फाल और अगरतला में न्यायपीठ

559. श्री एन० टोम्बी सिंह :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठों ने इम्फाल और अगरतला में कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये कब तक कार्य करना आरम्भ देंगी; और

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन नगरों में अलग उच्च न्यायालयों/स्थायी न्याय-पीठों के अभाव में संबंधित राज्यों के लोगों को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ?

विधि और न्याय मन्त्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (घ) सिद्धांत के रूप में यह सहमति हो गई कि पूर्वोत्तर प्रदेश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक् उच्च न्यायालय होना चाहिए। यह विनिश्चय किया गया है कि पृथक् न्यायालयों का गठन होने तक, सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् इन राज्यों की राजधानियों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थाई न्यायपीठों की स्थापना की जाए।

विद्यालयों में बच्चों को सुरक्षा शिक्षा दिए जाने के उद्देश्य हेतु सामान्य बीमा निगम की परियोजना

560. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम ने विद्यालयों में बच्चों को सुरक्षा शिक्षा दिए जाने के उद्देश्य हेतु एक नवीन परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किन राज्यों में लागू की जाएगी और कब से;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने बच्चों को शिक्षा दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस हेतु राज्यों की कितनी धनराशि दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्दो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 के दौरान कार्यान्वित किए जा रहे इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 3000 स्कूलों में लगभग तीन लाख बच्चों को सुरक्षा शिक्षा देने की परिकल्पना की गई है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले बच्चों की संख्या			
1.	आंध्र प्रदेश	23,000	17.	नागालैंड	1,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,000	18.	उड़ीसा	5,000
3.	आसाम	7,500	19.	पंजाब	17,500
4.	बिहार	12,5000	20.	राजस्थान	15,000
5.	गोआ	2,000	21.	सिक्किम	500
6.	गुजरात	16,000	22.	तमिलनाडु	31,000
7.	हरियाणा	5,000	23.	त्रिपुरा	500
8.	हिमाचल प्रदेश	7,7000	24.	उत्तर प्रदेश	37,500
9.	जम्मू तथा कश्मीर	4,000	25.	पश्चिम बंगाल	15,000
10.	कर्नाटक	20,000	26.	अंडमान और निकोबार	200
11.	केरल	15,000	27.	चंडीगढ़	1.500
12.	मध्य प्रदेश	15,000	28.	दादरा और नागर हवेली	100
13.	महाराष्ट्र	35,000	29.	दिल्ली	14,000
14.	मणिपुर	1,000	30.	दमन और दी व	200
15.	मेघालय	1,000	31.	लक्षद्वीप	100
16.	मिजोरम	700	32.	पांडिचेरी	500

(घ) चूंकि यह कार्यक्रम साधारण बीमा उद्योग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसलिए किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को धन-राशि देना अपेक्षित नहीं है।

उत्तर रेलवे में लीव रिजर्व्स/रेस्ट गिवर्स

561. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में प्रत्येक श्रेणी में लीव रिजर्व्स/रेस्ट गिवर्स के रूप में श्रेणी "सी" के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या उत्तरी रेलवे की सभी डिवीजनों में कोई समान प्रक्रिया अपनाई जाती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उत्तरी रेलवे के श्रेणी "सी" के लीव रिजर्व्स/रेस्ट गिवर्स कर्मचारियों के

लिए समान नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो यह नीति कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) उत्तर रेलवे पर ग्रुप "अ" के कर्मचारियों की प्रत्येक कोटि में छुट्टी एवजियों/विश्रामदाताओं की व्यवस्था इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार की जाती है।

(ख) उत्तर रेलवे के सभी मण्डलों पर इस सम्बन्ध में समान कार्यविधि अपनायी जा रही है।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग क और ख के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

रिलाएंस पैट्रोकैमिकल्स द्वारा पूंजी (डेबेंचर) जुटाना

562. **श्री विजय कुमार मिश्र :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिलाएंस इण्डस्ट्रीज लि० के एक सहायक उद्योग रिलाएंस पैट्रो-कैमिकल्स को खुले बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो कब और कम्पनी ने जनता द्वारा निवेश से कितनी धनराशि एकत्र की है;

(ग) क्या सरकार को सफल निवेशकर्ताओं को अंशदान की राशि के भुगतान न किये जाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कम्पनी द्वारा एवं अन्य पब्लिक लि० कम्पनियों द्वारा लोगों के धन के दुरुपयोग को रोकने के बारे में सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एबुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स रिलाएंस पेट्रो-कैमिकल्स लि० को 4-7-1988 को अधि-अभिदान की 15 प्रतिशत धारिता सहित 516 करोड़ रुपये की राशि के पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण-पत्रों के माध्यम से पूंजी जुटाने की सहमति प्रदान की गई थी। कम्पनी द्वारा किये गये ब्यौरे के अनुसार, इस सार्वजनिक निर्गम से 1213.37 करोड़ रुपये की राशि का अभिदान प्राप्त हुआ है।

(ग) अभिदान की वापसी न किये जाने के सम्बन्ध में कुछ असफल आवेदकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और बम्बई स्टाक एक्सचेंज इस बारे में कम्पनी से मामले की जांच कर रहा है।

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) की धारा 73(3) में इस सम्बन्ध में आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था है।

निर्यात-आयात व्यापार का प्रबंध हाथ में लेना

563. **डा० कूलरेंजु गुहा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण निर्यात-आयात व्यापार का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये सरकार के

विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों को हमारे देश के आयात तथा निर्यात व्यापार के प्रबन्ध में लाभदायक तथा अनुपूरक भूमिका निभानी होती है। इस क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति के संबंध में कोई न्यायोचित संदेह नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें कदाचार को रोकने के लिए आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम तथा आदेश में सजा तथा दण्ड से संबंधित पर्याप्त प्रावधान हैं।

मणिपुर में यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की शाखाएं खोलना

564. श्री एन० टोम्बी सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया ने जो मणिपुर में मुख्य बैंक है राज्य में, अपनी और अधिक शाखाएं खोलने संबंधी लाइसेंस वापस कर दिये थे जिसके कारण वह वहां निर्धारित संख्या में अपनी शाखाएं न खोल सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 31 दिसम्बर, 1988 तक ऐसे कितने लाइसेंसों को वापस किया गया; और

(ग) क्या सरकार राज्य में यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया के असफल कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखकर वहां किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक को लीड बैंक बनाने पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

इलायची के निर्यात पर बिक्री कर में छूट

565. श्री पी० ए० एंटनी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलायची के निर्यात पर बिक्री कर की छूट निर्यातकों को मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह लाभ निर्यातकों के बजाय इलाइची उत्पादकों को देने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) संविधान के अन्तर्गत, भारतीय क्षेत्रीय सीमा में से निर्यात किये जाने अथवा उसमें आयात किए जाने के दौरान माल की बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाने के लिए कोई राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र कानून नहीं बना सकता है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 5(1) में निर्यात के दौरान बिक्री पर कर

न लगाये जाने का प्रावधान है और धारा 5(3) में ऐसे किसी माल की बिक्री अथवा खरीद के संबंध में कर न लगाए जाने की व्यवस्था है जब उस बिक्री अथवा खरीद के पश्चात् उस माल का निर्यात किया जाना है, बशर्ते उक्त पिछली बिक्री अथवा खरीद, ऐसे निर्यात के करार अथवा उसके लिए आदेश को पूरा करने के लिए अथवा उसके सम्बन्ध में थी और उसके पश्चात् की गई थी। धारा 5(1) का लाभ उस स्थिति में मिल सकेगा जब किसान माल का सीधा निर्यात करता है और धारा 5(3) का लाभ उस स्थिति में मिल सकेगा जब उक्त माल, निहित शर्तें पूरी कर लेने पर, किसी निर्यातक को बेचा जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के सेवानिवृत्त/छटनी किये गये कर्मचारियों को भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान

566. **श्री राज कुमार राय :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने वर्ष 1987-88 के दौरान भोपाल/इन्दौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये/छटनी किये गये कुछ कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि की बकाया राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे कर्मचारियों का शाखा वार ब्योरा क्या है; और

(ग) इन सभी कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एड्वार्ड फैलीरो) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि वर्ष 1987-88 में किसी भी कर्मचारी की बैंक सेवा से छटनी नहीं की गई थी। अलबत्ता, कुछ कर्मचारियों को उक्त अवधि में नियमों के अन्तर्गत सेवामुक्त/सेवा से हटा दिया गया था अथवा स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त समझ लिया गया था। बैंक ने यह भी बताया है कि ऐसे नौ कर्मचारियों ने बैंक द्वारा उनके नाम जारी की गई सामान्य भविष्य निधि की देय रकमें स्वीकार नहीं की हैं।

———

12.00 मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आर्थिक सर्वेक्षण, 1988-89

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं आर्थिक सर्वेक्षण, 1988-89 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7231/89]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1988, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम 1989 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1988, जो 7 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 1154 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा०का०नि० 1173 (अ), जो 13 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के उपशीर्ष सं० 4817.90 के अन्तर्गत आने वाले प्लास्टिक के विलेपित, संसेचित या आच्छादित (आसंजकों को छोड़कर) से भिन्न प्रकार के विद्युत श्रेणी रोधन कागज अथवा पेपर बोर्ड पर 28 फरवरी 1986 से आरम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1987 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान संदत्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के भुगतान से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 1190(अ) तथा सा०का०नि० 1191 (अ), जो 21 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि उस समय प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के शीर्ष संख्या 52.06 के अन्तर्गत आने वाले सूती कपड़ों तथा शीर्ष 55.08 के अन्तर्गत आने वाले कृत्रिम कपड़ों, जिन पर 28-2-85 से 12-5-86 की अवधि के दौरान कितना कम शुल्क लगाया गया था, अब उसका संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1989, जो 10 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 17(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सा०का०नि० 78(अ), जो 3 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड, पिम्परी द्वारा विनिमत स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों के परीक्षण के लिए किटों और ऐसी किटों के विनिर्माण में प्रयुक्त रासायनिक अभिकर्मकों पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—7232/89]

जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं; गोमती ग्रामीण बैंक, मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक मालाप्रभा ग्रामीण बैंक आदि के 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय मे वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री में (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 1988 जो 2 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1116(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा०का०नि० 1166(अ), जो 9 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) विनियम, 1960 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—7233/89]

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) साधारण बीमा (पर्यवेक्षकों, लिपिकों तथा अधीनस्थ स्टाफ के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण तथा पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 1988, जो 9 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1160 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (अधिकारियों तथा विकास स्टाफ की सेवा का समापन, अधिवर्षिता तथा सेवा-निवृत्ति) संशोधन स्कीम, 1988, जो 9 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1161(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—7234/89]

(3) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 39 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 3350 जो 12 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उन अपवादों, प्रतिबन्धों तथा निर्बन्धनों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जो भारतीय साधारण बीमा निगम पर अथवा उसके संबंध में लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—7235/89]

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

(4) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मोमती ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—7236/89]

(दो) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 7237/89]

(तीन) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—7238/89]

(चार) अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल०टी०—7239/89]

(पांच) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०—7240/89]

(छः) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल०टी०—7241/89]

(सात) बैंशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल०टी०—7242/89]

(आठ) बस्ती ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल०टी०—7243/89]

(नौ) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० —7244/89]

(दस) बीजापुर ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०—7245/89]

(ग्यारह) जामनगर ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—7246/89]

(बारह) छिन्दवाड़ा शिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—7247/89]

(तेरह) बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—7248/89]

(चौदह) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—7249/89]

(पंद्रह) सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—7250/89]

(सोलह) हिमाचल ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—7251/89]

(सत्रह) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—7252/89]

(अठारह) रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—7253/89]

(उन्नीस) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7254/89]

(बीस) ठाने ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7255/89]

(इक्कीस) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7256/89]

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

(बाईस) वंनासकांठा मेहसाना ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7257/89]

(तेईस) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7258/89]

(चौबीस) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7259/89]

(पच्चीस) कल्पतरू ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7260/89]

(छब्बीस) आबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7261/89]

(सत्ताईस) जम्मू रूरल : बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7262/89]

(अठाईस) कालाहाण्डी आंचलिक ग्राम्य बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7263/89]

(उनतीस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7264/89]

(तीस) श्री राम ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7265/89]

(इकतीस) कावेरी ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० —7266/89]

(बत्तीस) साबरकाण्ठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षका का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7267/89]

(तैंतीस) कच्छ ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7268/89]

(चौंतीस) कोलार ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7269/89]

(पैंतीस) मिजोरम रूरल बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7270/89]

(छतीस) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7271/89]

(सैंतीस) नालन्दा ग्रामीण बक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7272/89]

(अड़तीस) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षाक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7273/89]

(उनतालीस) लांगपी देहांगी रूरल बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7274/89]

(चालीस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7275/89]

(इकतालीस) ग्वालियर दतिया ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7276/89]

(बयालीस) का बैंक नांगकिनडोंग रि खासी जयन्तिया बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7277/89]

(तैंतालीस) श्री अनन्त ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7278/89]

(चवालीस) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन रर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7279/89]

(पैंतालीस) रीवा सोघी ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7280/89]

(छयालीस) कृष्णा ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7281/89]

(सैंतालीस) नदिया ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० -7282/89]

(अड़तालीस) अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7283/89]

(उनचास) शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेतन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7284/89]

(पचास) एटा ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० -7285/89]

(इक्यावन) गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7286/89]

(बावन) रत्नागिरी सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7287/89]

(तिरपन) चिकमंगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7288/89]

(चौवन) सह्याद्रि ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—7289/89]

(पचपन) नेत्रवती ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—7290/89]

(छप्पन) इन्दौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7291/89]

(सत्तावन) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7292/89]

(अठावन) अधीयमान ग्राम्य बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7293/89]

(उनसठ) वल्लालार ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7294/89]

(साठ) चैतन्य ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7295/89]

(इकसठ) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7296/89]

(बासठ) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक मैनपुरी का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—7297/89]

(तिरसठ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7298/89]

(चौसठ) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—7299/89]

(पैंसठ) हजारी बाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7300/89]

(5) नौवें वित्त आयोग के पहले प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों में किये गये संशोधनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा संशोधन करने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7301/89]

विधि आयोग के शहरी मुकदमेबाजी—न्यायनिर्णयन के विकल्प के रूप में बीच-बचाव सम्बन्धी एक सौ उनतीसवां प्रतिवेदन

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं विधि आयोग के शहरी मुकदमेबाजी—न्यायनिर्णयन के विकल्प के रूप में बीच-बचाव सम्बन्धी एक सौ उनतीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० —7302/89]

बेतवा नदी बोर्ड, झांसी का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(2) (क) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा (ख) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—7303 89]

रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का और मूल रसायन फार्मास्यूटिकल तथा प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद बम्बई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7304/89]

(2) (एक) मूल रसायन फार्मास्यूटिकल तथा प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मूल रसायन, भेषज तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—7305/89]

भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली और रेल भारत तकनीकी तथा आर्थिक सेवा लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री महाबीर प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7306/89]

[श्री महावीर प्रसाद]

(ख) (एक) रेल भारत तकनीकी तथा आर्थिक सेवा लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल भारत तकनीकी तथा आर्थिक सेवा लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7307/89]

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, बजट डिसकस कीजिए।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त : महोदय, सरकार ने 1982 उपभोक्ता सूचक शृंखला आरम्भ की है।

अध्यक्ष महोदय : आप बजट में इस पर चर्चा कर सकते हैं। बस।

डा० दत्ता सामन्त : महाराष्ट्र के कर्मकारों को 1982 उपभोक्ता सूचक शृंखला आरम्भ करने से प्रति मास 30 रुपये से 150 रुपये तक महंगाई भत्ते की हानि हो रही है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : बस कुछ नहीं हो सकता है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। मैंने आप से कहा है कि हम बजट पर चर्चा करेंगे और उसके साथ-साथ आप इस पर भी चर्चा कर सकते हैं।

डा० दत्ता सामन्त : महोदय, यह उचित नहीं है। सभी चीजों के मूल्य बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सामन्त, इसीलिए तो बजट चर्चा है। बजट-चर्चा का सम्बन्ध इसी विषय से है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शर्मा को अनुमति दी है। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मैंने माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दी है और कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० दत्ता सामन्त : मैं बाहर चला जाता हूं।

12.03 म०प०

(इस समय श्री दत्ता सामन्त सभा-भवन से बाहर चले गए।)

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : प्रक्रिया नियम के नियम 222 के अन्तर्गत मैं विशेषाधिकार के खंडन का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं जिसमें मुझे नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली के सम्पादक, मुख्य सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक और नई दिल्ली संवाददाता के खिलाफ फंसाया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इसका उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

हमने रैफर कर दिया है, शर्मा जी।

[अनुवाद]

मैं इसकी ओर ध्यान दूंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सदन को बता दीजिए कि उनको अवमानित किया गया है। यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है। सभा यह जान ले।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, 13 जनवरी का यह नवभारत टाइम्स···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट शर्मा जी, ऐसा है मैं जरा थोड़ा सा इसको देख लूं, पहले प्राइमा-फेसी हो जाये।

[अनुवाद]

फिर मैं आपको बता दूंगा और सदन के नोटिस में लाऊंगा। मैं तो पहले पहल करता हूं और फिर मैं माननीय सदस्य को इसे सभा के नोटिस में लाने की अनुमति दूंगा। हमें प्रक्रियानुसार कार्य करना चाहिए। मुझे भी आपके साथ चिंता है; मैं आपके मान का ध्यान रखूंगा और सदन भी आपके साथ है। चिंता मत करें। मैं पहले यह सिद्ध करता हूं। मैं आपको बता दूंगा।

[हिन्दी]

मैं आपको बताऊंगा।

[अनुवाद]

मैं आपको बताऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। यह समय नहीं है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : कृपया इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दीजिए।

श्री चंद्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : महोदय, कल भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा में प्रो० मधु दंडवते ने तत्कालीन मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद के समय में नियमों में परिवर्तन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया तथा उन्होंने श्री संजय गांधी के नाम का उल्लेख किया। मेरे समक्ष वाद-विवाद की प्रति रखी है इसलिए मैं तत्कालीन सदस्य श्री कुन्दु का कथन पढ़ना चाहता हूं। उस स्थिति में श्री कुन्दु ने कहा था···

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपने श्री शर्मा को वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी थी। नोटिस की प्रति मुझे भेजे बिना वह विशेषाधिकार का प्रश्न किस प्रकार पूछ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई विशेषाधिकार नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या वह इसे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठा रहे हैं ?

श्री चंद्र प्रताप नारायण सिंह : जी नहीं। मैं रिकार्ड से पढ़ना चाहता हूं। उस दिन वक्तव्य देने के लिए प्रो० दंडवते ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति नहीं ली थी। उन्हें अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेनी चाहिए थी। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, उन्होंने पहले ही बताना शुरू कर दिया है। (व्यवधान)

श्री चंद्र प्रताप नारायण सिंह : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। अध्यक्ष महोदय निश्चय करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, आपने इसे लिखित में दिया है। मैं इसकी जांच करूंगा तत्पश्चात आपको बताऊंगा।

श्री चंद्र प्रताप नारायण सिंह : मैं सिर्फ एक छोटे से पहलू का उल्लेख करूंगा। पिछली चर्चा में मारुति कार के निर्माण का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने इसे विशेषाधिकार नोटिस के रूप में दिया है तो मुझे इसकी जांच करनी होगी।

श्री चंद्र प्रताप नारायण सिंह : वस्तुत: प्रो० दंडवते के कथन को कार्यवाही वृतांत में शामिल कर लिया गया है। मैं चाहता हूं कि इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाए। मैं नियमों से ही उद्धृत कर रहा हूं '''यदि सदस्य अध्यक्ष को पहले सूचना नहीं देगा तो वह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा पायेगा।"

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी असंसदीय नहीं है। यह गलत व्याख्या का प्रश्न हो सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे इसकी जांच करने दीजिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : यह क्या है ? हम कुछ भी नहीं समझ सकते।

अध्यक्ष महोदय : आपको नहीं परन्तु मुझे इसे समझना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह मैं आपको इसकी जांच के बाद अनुमति दूंगा। तत्पश्चात मैं आपको बताऊंगा।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं एक बात बताना चाहता हूं। प्रो० मधु दण्डवते को श्री सजय गांधी और श्री फखरुद्दीन अली के नामों का उल्लेख करने के लिए बिना पूर्व नोटिस के अनुमति दी गयी थी। मैंने कहा कि इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाए। आपने इसे कार्यवाही वृतांत से नहीं निकाला। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि यह प्रश्न है कि संजय गांधी सभा में नहीं हैं तो पंडित जवाहर लाल नेहरू भी सभा में नहीं हैं। क्या हम उनका उल्लेख नहीं कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। उनका यह विषय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : आपने कहा था कि यह रीति के विपरीत है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? केवल एक मिनट। मैं उस प्रश्न की जांच करूंगा जो आपने मुझे दिया है। आपको विवाद है कि प्रो० दंडवते ने सभा में जो कुछ कहा है वह कार्यवाही वृतांत के अनुरूप नहीं है। क्या यह बात नहीं है ? मैं रिकार्ड से इसकी तुलना करूंगा तत्पश्चात् आपको बताऊंगा।

श्री चंद्र प्रताप नारायण सिंह : लाइसेंस का कोई प्रश्न नहीं था। उस समय छोटी कार के सम्बन्ध में चर्चा चल रही थी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी तुलना करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं कार्यवाही वृतांत से भी उद्धृत कर सकता हूं। इसमें कहा गया है—

"मैं आपको बता सकता हूं कि इसे प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा है कि यह सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए।"

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके और उनके कथनों की तुलना करूंगा। तत्पश्चात मैं उन्हें अनुमति दूंगा। उन्होंने मुझे रिकार्ड दिखा दिया है। मुझे इसे भी देखना होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे स्वास्थ्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति को मत भेजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, मैं पढ़ करके एलाऊ करूंगा।

[अनुवाद]

तत्पश्चात आप इसे सभा में कह सकते हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं सामान्यतः एक बात कहना चाहता हूं ताकि सभा जान जाये कि

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

मुझे कितना अपमानित किया गया है और प्रेस ने कितनी गैर जिम्मेदारी दिखाई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करूंगा। मैं इसका ध्यान रखूंगा।

12.10 म०प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि इस सदन में 27 फरवरी, 1989 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्य सूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) 1989-90 के रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

जैसा कि संसद सदस्य पहले से ही जानते हैं कि 1989-90 का सामान्य बजट मंगलवार, 28 फरवरी को शाम 5 बजे सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किया जाए।

तीव्र तथा सुचारू रूप से वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन के लिए निम्नलिखित सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यातायात बहुत अधिक होता है।

निम्नलिखित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने के लिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है :

(1) बीगर-पाली-सिरोही-कांडला

(2) बीकानेर-मेरटा-अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-रतलाम-इन्दौर

(3) गुड़गांव-अलवर-सरिसका-दौसा-सवाई माधोपुर-शिवपुरी

(4) कोसी-कामा-दीग-भरतपुर-रूपवास-सीपाड-धौलपुर

निवेदन है कि उपरोक्त सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

(2) यदि प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग जैसलमेर और किशनगढ़ घाटी के जानोट क्षेत्र में तेल का पता लगा रहा है तो इन निगमों को निम्नलिखित आशाजनक क्षेत्रों में भी पता लगाना चाहिए क्योंकि हमारे विशेषज्ञों के ख्याल से उनमें पर्याप्त मात्रा में तेल तथा प्राकृतिक गैस मिल सकते हैं :

1. संकोर-बाड़मेर का बेसिन
2. मियाजलार उप बेसिन
3. शाहगढ़ गर्त (डिप्रेशन)
4. बीकानेर-नागौर क्षेत्र

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : आगामी सप्ताह के कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं।

बम्बई की साठ कपड़ा मिलों के दो लाख से अधिक कामगार लालबाग, पारेल, वाडकुला, वोरली आदि क्षेत्रों में विगत अनेक वर्षों से रह रहे हैं। यदि कपड़ा मिल की जमीन को बेचने की अनुमति दे दी जाएगी तो बम्बई का स्वरूप बदल जायेगा और सारे कामगार बाहर चले जायेंगे जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के हैं। इस प्रस्ताव के विरुद्ध कपड़ा मिलों के कामगारों में बड़ा असंतोष है।

सरकार को अधिकांश कामगारों के हित में बम्बई की कपड़ा मिलों की फालतू जमीन को बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

डा० गौरी शकर राजहंस (झंझारपुर) : आगामी सप्ताह के कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए—

1. हमारे बार बार किये गये निवेदनों के बावजूद भी केन्द्र ने अभी तक बिहार में आयुध कारखाना स्थापित नहीं किया है। विनम्र निवेदन है कि सरकार को इसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और उत्तर बिहार के मिथला क्षेत्र अथवा दक्षिण बिहार के भागलपुर क्षेत्र में आयुध कारखाना स्थापित करना चाहिए।

2. देश में विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु मिथला चित्रकारी की बहुत मांग है इससे मिथला क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में उन्नत चिकित्सा पद्धति के विकास तथा भारतीय चिकित्सकों की कुशलता के कारण भारतीय डाक्टरों की मांग विदेशों में निरन्तर बढ़ती जा रही है और भारी संख्या में डाक्टरों द्वारा विदेशगमन हो रहा है जिसके फलस्वरूप भारत में सरकार द्वारा स्थापित लगभग सभी प्रकार के अस्पतालों में चिकित्सकों का अभाव हो रहा है। जनता उन्नत चिकित्सा से वंचित हो रही है। अत: आवश्यक है कि सरकार चिकित्सक रहित अस्पतालों का तत्काल सर्वेक्षण करा कर चिकित्सकों को उन अस्पतालों में भेजने के लिए कदम उठाए।

मेरा यह भी अनुरोध है कि प्रशिक्षित डाक्टरों के विदेशगमन एवं प्रवास पर रोक लगाकर चिकित्सकों की कमी को दूर करें।

मेरा यह भी अनुरोध है कि ऐलोपैथी के अतिरिक्त आयुर्वेदिक पद्धति तथा होम्योपैथी व यूनानी पद्धतियों को संरक्षण व प्रोत्साहन देकर रिसर्च केन्द्रों की स्थापना करें।

श्री नन्दलाल चौधरी (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सागर जिले में विगत 4-5 वर्षों से लगातार अवर्षा तथा कम वर्षा के कारण व इस वर्ष मार्च्छा की बरसात भी न होने के कारण भयंकर रूप से सूखे की स्थिति निर्मित हो जाने से जन-जीवन के समक्ष भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है। अतएव भारत सरकार से अनुरोध है कि इस भयंकर संकट से युद्ध-स्तर पर निपटने के लिए सभी आवश्यक सहयोग एवं आर्थिक सहायता मध्य-प्रदेश शासन को उपलब्ध करायें। सम्पूर्ण सागर जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय। सागर जिले में हैण्ड-पम्प, ट्यूबवैल, कुएं, तालाब आदि गहरे कराये जाने के लिए अधिक संख्या में रिग्स मशीनें आदि उपलब्ध कराई जाएं। ऋण एवं लगान सभी माफ किए जायें।

[श्री नन्दलाल चौधरी]

पेयजल योजनाओं पर अभी से ध्यान दिया जाए, जिससे कि आगामी गर्मी में पीने का पानी उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : आगामी सप्ताह के कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाए :—

स्वतंत्रता के बाद लोगों की पहल से शिक्षा का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। प्राइवेट स्कूलों तथा कालिजों के आयोजकों को प्रारम्भ में संसाधन जुटाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और वे इन संस्थाओं के लिए त्याग करते हैं। परन्तु धीरे-धीरे उनका उत्साह कम होता जाता है क्योंकि ऐसी संस्थाओं के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में लोगों का उत्साह कम हो जाता है। प्राइवेट स्कूलों तथा कालिजों में उन सुविधाओं का अभाव है जो अच्छी शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए।

इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह 25 वर्ष पुराने स्कूलों और कालिजों का दायित्व लेकर धीरे-धीरे इन संस्थाओं में उन सुविधाओं की व्यवस्था करे।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मद को सम्मिलित किया जाये :—

8 फरवरी, 1989 को मैसूर प्रीमियर स्टूडियो, मैसूर मे उस समय भीषण आग दुर्घटना हुई जब टेलीविजन धारावाहिक 'दी स्वोर्ड आफ टीपू सुल्तान" की शूटिंग चल रही थी। उस दुर्घटना में 50 व्यक्ति मारे गये और बहुत से व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए।

भारत सरकार को उन लोगों के परिवारों को अधिकतम वित्तीय सहायता देनी चाहिए जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई अथवा जो व्यक्ति घायल हुए या जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

फिल्म यूनिट को राज्य सरकार के सहयोग से इस सीरियल को पूरा करने में समर्थ बनाने हेतु सरकार और दूरदर्शन अधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद को शामिल किया जाये :—

(1) आंध्र-प्रदेश में दिसम्बर में हुए दंगों में लगभग 200 करोड़ रुपये की सरकारी और निजी सम्पत्ति नष्ट हो गई। सम्पत्ति को हुई यह हानि नवम्बर 1984 के दौरान दिल्ली दंगों की हानि से भी बढ़ गई है। यद्यपि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राहत और पुनर्वास के लिए कुछ उपाय किये हैं तथापि अभी भी बहुत कुछ और किया जाना है। केन्द्र सरकार को वाणिज्यिक बैंकों को तत्परता से पीड़ितों को 9.5 प्रतिशत की ब्याज-दर से ऋण सहायता देने के लिए निर्देश देने चाहिए जैसा कि दिल्ली दंगों के पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उनकी आर्थिक गतिविधियों को पुनः आरम्भ करने के लिए किया गया था।

(2) आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में हुए दंगों में सम्पत्ति की अभूतपूर्व हानि के कारण लोगों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए बीमा कम्पनियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यदि ये

कम्पनियां अल्पावधि में दावों को नहीं निपटाती हैं तो पीड़ितों के पुनर्वास कार्य को जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता। केन्द्र सरकार को अविलम्ब दावों को निपटाने के लिए सभी बीमा कम्पनियों को कहना चाहिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

सबसे पहले सदन को अल्पसंख्यक आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की रिपोर्टों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री महोदय के 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट तथा देश में साम्प्रदायिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चर्चा आरम्भ करनी चाहिए।

दूसरे, सदन को द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर भी चर्चा करनी चाहिए विशेष रूप से केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सरकारी रोजगार में आरक्षण के बारे में और अन्य बातों के साथ-साथ आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन में उत्पन्न बाधाओं समस्याओं और असंगतियों और देश में सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों को शीघ्र दूर करने के लिए उनका निराकरण करने के लिए दृष्टिकोण और तरीकों के बारे में चर्चा करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद जोड़ा जाए :—

गंजम जिले (उड़ीसा) में स्थित आस्का में उस राज्य और देश की सबसे पुरानी चीनी की फैक्टरी है। उष्ण कटिबन्धीय जलवायु होने के कारण यह एक चीनी उत्पादक क्षेत्र है जोकि चीनी अनुसंधान के लिए अनुकूल है। इस फैक्टरी ने अनुसंधान संस्थान के लिए 40 एकड़ भूमि की व्यवस्था की है। इसलिए आस्का में एक चीनी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए।

श्रीमती शीला दीक्षित : सदन में चर्चा के लिए अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने वाले विषयों का सुझाव देने के लिए मैं माननीय सदस्यों की आभारी हूं। हम अगली बैठक में उन पर विचार करेंगे।

12.18 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब सदन, 23 फरवरी 1989 को, श्री वी० एम० सुधीरन द्वारा प्रस्तुत और श्री रघुनन्दन लाल भाटिया द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 1989 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।'"

कुमारी ममता बनर्जी अपना भाषण जारी रखेंगी। वे पहले ही 21 मिनट ले चुकी हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रेसीडेंट एड्रेस पर कल मैंने बोलना शुरू किया था। सबसे पहले तो मुझको यह कहना है कि आज हमारे देश में सबसे बड़ी प्राब्लम अनएम्पलायमैंट प्राब्लम है, प्रेसिडेंट एड्रेस में भी अनएम्पलायमैंट प्राब्लम के ऊपर ध्यान दिया गया है। हमारी सरकार ने बेकारी हटाओ प्रोग्राम भी एनाउन्स किया है। लेकिन अभी तक कोई प्लैंड प्रोग्राम इसके ऊपर नहीं बना है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि जल्दी-से-जल्दी बेकारी हटाओ स्लोगन को एक्टिव करने के लिए प्लैंड प्रोग्राम लागू करना चाहिए क्योंकि हमारे कन्ट्री में अनएम्पलायमेंट प्राब्लम इतनी बड़ी प्राब्लम है और इसको हल न करने पर हमारी कन्ट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जायेगा। इसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो बहुत बड़े-बड़े सेक्टर्स हैं जैसे कि रेलवेज है उसमें बहुत बड़ी संख्या में वकैंसीज बेकेन्ट हैं। इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर है, कोक इंडिया है—बहुत सारे इस प्रकार के सेक्टर्स हैं जहां बैन आन रेक्रूटमेन्ट होने से वहां पर अभी कोई रेक्रूटमेन्ट नहीं हो रहा है। टू-थर्ड रेक्रूटमेन्ट आई-वाश करने के लिए होता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफाइड वैकेन्सीज जल्दी-से-जल्दी डिक्लेयर कर दीजिए और जल्दी-से-जल्दी उन वैकेन्सीज को फुलफिल कीजिये। हमारे देश में कम से कम एक करोड़ अनएम्पलायड यूथ हैं, इनको जल्दी से जल्दी सर्विस में आने का मौका मिलेगा।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं, सरकार ने वीमैन रिजर्वेशन के लिए नेशनल पर्सपैक्टिव प्लान बनाया है। आपने पंचायत में, जिले में, इलेक्शन लड़ने के लिए 30 परसेंट पोलिटिकल रिजर्वेशन दिया है। लेकिन मैं चाहती हूं कि इकोनोमिक डवलपमेंट के लिए भी वीमेन की रिजर्वेशन होना चाहिए। एम्पलायमेंट एक्सचेंज के रिकार्ड से पता चलता है कि खाली दो परसेंट वीमैन एम्पलायमेंट होता है। यह बहुत ही दुःख की बात है कि जब हमारे देश में महिलाओं को इक्युवल राइट्स हैं, तब महिलाओं को सर्विस में राइट क्यों नहीं है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूं कि 30 परसेंट जो पोलिटिकल रिजर्वेशन आपने दिया है, तो सर्विस में भी महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि महिलाओं को भी मौका काम करने का मिले।

एक बात मैं सर्विस में एप्लाई करने के लिए जो पोस्टल आर्डर दिया जाता है, उसके संबंध में कहना चाहती हूं सर्विस में एप्लाई करने के लिए अनएम्पलायड यूथ को पोस्टल आर्डर देना पड़ता है, जो कि उन पर एक बहुत बड़ा बर्डन है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये आपने यह फीस एबालिश की है, लेकिन जनरल के लिये नहीं की है। खास तौर से मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि हमारे देश में बहुत सारे अनएम्पलायड यूथ ऐसे हैं जो एप्लाई करने के लिए 25-50 रु० का पोस्टल आर्डर भी नहीं दे सकते हैं और वे एप्लाई करने से रह जाते हैं। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा हैडक है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि आपको सबके लिये पोस्टल आर्डर एबालिश करना चाहिए, तो सर्विस में आने के लिये यूथ के लिये एक बहुत बड़ा काम होगा।

सदन में भोपाल गैस ट्रैजडी के बारे में चर्चा हो रही है। हमारी सरकार मानविकता के आधार पर भोपाल गैस विक्टिम्स की सहायता कर रही है, कोई पोलिटिकल फायदा उठाने के लिये नहीं। यह बात सच है कि भोपाल गैस विक्टिम्स जो भी सहायता देनी है, वह सरकार को जरूर देनी चाहिए। इसी के साथ-साथ मैं एक और रिलेटेड इशू सदन में उठाना चाहती हूं। इस बात को मैंने पहले भी सदन में रेज किया था। आपको मालूम है कि मेरे स्टेट में मेरी कांस्टीट्यूयेंसी के बिहाला क्षेत्र में हजारों आदमी रैपसीड आयल पीकर फेरालाइज्ड हो गये हैं। वे फेयर प्राइस शाप की दुकान से आयल पीने के बाद पेरालाइज्ड हुए हैं। इस वजह से वे कोई काम भी नहीं कर सकते हैं और कोई काम करने के

लिये तैयार भी नहीं हैं, क्योंकि उनको फिजिकली परमीशन नहीं होगी। इसके बारे में भी मैं सदन से निवेदन करना चाहती हूं कि जो बिहाला में एक हजार आदमी पैरालाइज्ड हो गये हैं, जिन्होंने सरकार की राशन की दुकान फेयर प्राइस शाप से तेल खरीदा था, उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। भोपाल गैस विक्टिम्स के बारे में तो विदेश की कारबाइड कम्पनी इन्वालव्ड है, लेकिन जो देश में यह तेल पीकर पैरालाइज्ड हुए हैं, उसको क्यों कम्पैसेशन नहीं दिया जाता है, मेरे विचार से उनको भी कम्पैसेशन देना चाहिए। हमारे स्टेट में पोलिटिक्स के लिये दो सौ रुपया दिया गया है और दो किलो चावल दिया गया है और उसमें से एक किलो चावल पार्टी फण्ड में डाल दिया जाता है। यह नहीं होना चाहिए। जो आदमी यहां पर भोपाल गैस ट्रैजडी के बारे में बोलता है सदन में, उसको जो मेरे क्षेत्र में एक हजार आदमी विक्टिम्स हुए है, उनके लिये भी यहां बोलना चाहिए। उनको भी कम्पैसेशन देने के लिये बोलना चाहिए। मैं मधु दण्डवते जी की रिस्पैक्ट करती हूं और बहुत रिगार्ड करती हूं, दण्डवते जी से भी रिक्वैस्ट करूंगी कि उनको यह बात हाउस में बोलनी चाहिए। जो सरकार का तेल पीकर पैरालाइज्ड हुए हैं, उनको कम्पैसेशन देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि मधु दंडवते जी भी मेरी इस बात को सपोर्ट करेंगे।···(व्यवधान)···यह मानव की समस्या है, कोई पोलिटिकल प्राब्लम नहीं है।

हमारी सरकार ने कहा है कि कैरोसिन आयल हमारे देश में काफी मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन यह बड़े दुख और शर्म की बात है, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है यह मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे मेरे स्टेट के बारे में पता है कि हमारे यहां कैरोसिन आयल के लिए लोगों को काफी तकलीफ उठनी पड़ती है।

कैरोसियन आयल के लिए हर रोज आम आदमी रात में तीन बजे लाइन में लगता है। कैरोसिन आयल की ऐसी स्केयरसिटी क्यों है। हमने सुना है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को जो कोटा देना था, वह कोटा सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है और खुद यह हमारी स्टेट के फूड मिनिस्टर ने बताया है लेकिन हमें मालूम नहीं है कि वह कैरोसियन आयल जाता कहां है। एक इन्फार्मेशन पेपर में आई है कि हमारी स्टेट का जो बोर्डर बंगलादेश से लगता है, वहां पर चोरी से माल चला जाता है। कैरोसियन आयल इस तरह से हमारी स्टेट से बाहर चला जाता है। ऐसा कोई चोरी का बिजनेस हो,तो इस पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे देश की चीज बाहर न जा सके। चीज स्टेट में नहीं मिलती है और वह स्टेट से बाहर चली जाती है और एक ग्रुप के द्वारा यह काम किया जा रहा है। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हमारी स्टेट में कैरोसियन आयल की परेशानी है और आप इसके लिए इंक्वायरी करा कर देख लीजिए ताकि वहां के लोगों को परेशानी न हो।

12.26 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक बात और बोलना चाहती हूं। प्रेसीडेंट साहब ने अपने अभिभाषण में कहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे देश में बहुत बढ़ गई है। यह अच्छी बात है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं केवल दो मिनट और लूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 21 मिनट ले चुकी हैं, मुझे आपको अनुमति देने में कोई आपत्ति

नहीं है परन्तु आपके दल के सदस्यों को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : सर, इन्डस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही है, यह ठीक है लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने के साथ-साथ यह भी आपको देखना है कि आपकी जो इंडस्ट्रियल पालिसी है, उसमें थोड़ी चेन्ज आनी चाहिए क्योंकि रीजनल इम्बेलेंस बहुत ज्यादा है। एक स्टेट में एक भी इंडस्ट्री नहीं है और दूसरी स्टेट में कई इंडस्ट्रीज क्लियर हो जाती हैं। एक और बात है। त्रिपुरा में कोई इंडस्ट्री नहीं है और पश्चिम बंगाल में अभी नई-नई इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए एम्पलायमेंट प्राब्लम को सोल्व करने के लिए। उड़ीसा में भी होनी चाहिए और बिहार में भी होनी चाहिए और सिक इंडस्ट्रीज के बारे में जो गवर्नमेंट की पालिसी है, वह चेन्ज होनी चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि सिक इंडस्ट्रीज हम रिवाइव नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट को सबसिडी देनी पड़ती है लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर बेकार हो जाता है और कुछ खा नहीं सकता है और इस कारण सुसाइड करता है, उस वर्कर के लिए कुछ कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि हर इंडस्ट्री को आपको नेशनेलाइज करना पड़ता है लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि इंडस्ट्री क्यों बन्द होती है। आज महाराष्ट्र में, बंगाल में, तमिलनाडु में और बिहार में ऐसी पोजीशन हो गई है कि और इंडस्ट्रीज बन्द हो जाएंगी। जब ऐसा होगा, तो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे बढ़ेगी। इससे हमारी जो इंडस्ट्रियल पालिसी है, वह सक्सेस्फुल नहीं हो पाएगी। मेरा कहना यह है कि इसके लिए आप एक रिव्यू कमेटी बनाइए क्योंकि यह वर्कर्स की प्राब्लम है। कोई भी इंडस्ट्री बन्द हो जाएगी, तो मैनेजमेंट को तकलीफ नहीं होती है लेकिन वर्कर्स को तकलीफ होती है और कोई उनकी देखभाल नहीं करता है। वे रोड पर पड़े रहते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक रिव्यू कमेटी बनाइए, जो इस चीज को देखे।

एक और बात है। रीजनल इम्बेलेंस की हम बात करते हैं, तो फ्रेट इक्वेलाइजेशन की जो गवर्नमेंट की पालिसी है, वह थोड़ी यूनिफार्म पालिसी होनी चाहिए क्योंकि यूनिफार्म पालिसी न होने के नाते इस्टर्न रीजन की बिहार की, उड़ीसा की, असम की, वेस्ट बंगाल की और त्रिपुरा की बहुत प्राब्लम हो गई है। हमारी स्टेट में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता क्योंकि यूनिफार्म पालिसी न होने के नाते उसको सब्सीडी नहीं मिलती है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि वह फ्रेट इक्वेलाइजेशन के बारे में यूनिफार्म पालिसी बनाए।

कल मैंने अपोजीशन के दोस्तों के भाषणों को सुना है और हमारे अपोजीशन के दोस्त गवर्नर के खिलाफ बहुत सारी बातें बोल रहे थे। हमारे वेस्ट बंगाल में अभी एक नये गवर्नर आए हैं राजेश्वर जी, जो पहले सिक्किम के गवर्नर थे। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने उनके आने के लिए कन्डम किया है। हमें मालूम नहीं है कि सी० पी०आई० (एम) का डबल स्टैन्डर्ड क्यों है। वह श्री नूरुल हसन के लिए कहती है कि वह बड़ा अच्छा गवर्नर है और जब राजेश्वर जी आते हैं, तो बोलती हैं कि यह ठीक नहीं है और यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का गवर्नर है क्योंकि यह सी० बी० आई० का चेयरमैन था। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जब उनको वेस्ट बंगाल में भेजा है, तो हमें मालूम नहीं है कि सी० पी० आई० (एम) इतना डरती क्यों है। हमारे यहां कहावत है कि अच्छा खाना खाने के पहले ही उसकी सुगंधि सूंघ कर आधी भूख मिट जाती है। इसलिए सी० पी० एम० को मालूम है कि यह गवर्नर कौन है। उसको कहता है कि पहले वह सी० बी० आई० का चेयरमैन था। सी० पी० एम० को मालूम है कि कैसे बंगाल लैम्प स्कैंडल हुआ, कैसे सीमेंट स्कैंडल हुआ, कैसे आरमाइंड स्कैंडल हुआ। इसलिए कहीं झोले से बिल्ली न निकल जाये, इसलिए वे लोग डर गये हैं। सर, मेरा कहना है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट

ने गवर्नर को भेजा है। गवर्नर का काम कोई पोलिटिकल काम नहीं है। (व्यवधान)

सर, गवर्नर का काम है स्टेट में देखभाल करना, वहां के हालात की देखभाल करना। लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूं।

अपोजीशन पार्टी ने कांग्रेस को काफी गाली दी है। कांग्रेस को बहुत सारी बात कही हैं कि अब कांग्रेस इलेक्शन में नहीं आयेगी, अब कांग्रेस इलेक्शन में नहीं आ सकती है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि हामरी पार्टी गंगा की तरह है। गंगा में कुछ टाईम पर अच्छी चीज भी आती है, इसमें खराब चीज भी आती है। कांग्रेस पार्टी हमारे देश में थी, हमारे देश में है और यह हमारे देश में रहेगी। कोई पार्टी हमारी पार्टी का सबस्टीच्यूट नहीं हो सकती।

सर, आपको मालूम है कि काफी रोज पहले एन० टी० रामाराव ने बजट लीक होने के बाद अपनी मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया। दो-तीन दिनों के बाद खुद की मनपसंद मिनिस्ट्री बनायीं। ऐसा क्यों होता है? रामाराव को एस्ट्रोलोजर कहता है कि तुम एक दिन प्राइमिनिस्टर बनोगे। ऐसे ही देवीलाल है। वह देवीलाल जो घर की देवी की रक्षा नहीं कर सकता है उसको भी एस्ट्रोलोजर कहता है कि तुम भी एक दिन प्राइमिनिस्टर बन सकते हो। देवीलाल खड़े हो गये। ऐसे ही और भी आदमी जिनको एस्ट्रोलोजर ने कहा वह भी लाईन में खड़े हो गये। वे लोग भी बोलते हैं कि हम भी एक दिन प्राइमिनिस्टर बनेंगे। लेकिन उनमें से कोई प्राईमिनिस्टर नहीं बनेगा, यह एस्ट्रोलोजर ने नहीं बोला। यह बात उसने नहीं कहा कि किस पार्टी का प्राइमिनिस्टर बनेगा। खाली कांग्रेस पार्टी का आदमी प्राइमिनिस्टर बन सकता है और वह बनेगा, अपोजीशन पार्टी का नहीं बनेगा।

एक चीज मैं और बोलना चाहती हूं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के रिलेशंस के विषय में सरकारिया कमीशन ने रिकमंडेशंस की है। इस हाऊस में हम लोग भी उन पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज मैं उठाना चाहती हूं कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलना है या सेन्ट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है तो वह नेशनल डवलपमेंट काउंसिल में बोले। वहां वह इसको रेज कर सकती हैं। लेकिन जो हमारी स्टेट में हुआ है उसको मैं रेज करना चाहती हूं। हमारा स्टेट वेस्ट बंगाल में हमारी पार्टी का मशीनरी अलग है, दूसरी पार्टियों का मशीनरी अलग हैं। लेकिन हमारी स्टेट में गवर्नमेंट की मशीनरी को यूटिलाईज करके सेन्ट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में बहुत बड़ी-बड़ी होर्डिंग्ज लगाई गईं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में बहुत बड़ी-बड़ी चीज पब्लिश किया गया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं करती, सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं देती। ऐसी कोई होर्डिंग्ज या पब्लिकेशन पोलिटिकल पार्टी की तरफ से तो हो सकता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी को यूटिलाईज करके सेन्ट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसी कोई चीज नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आप इसकी जांच कीजिये, इसकी इंक्वायरी कीजिए। यह बात हमारे कांस्टीच्युशन के मुताबिक नहीं है। यह अनकांस्टीच्युशनल और इल्लीगल है। अगर ऐसी चीज होगी तो सेन्टर और स्टेट के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। यह नहीं होना चाहिए।

मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूं। यहां पर इस वक्त कोई भी सी० पी० एम० पार्टी के मेम्बर नहीं हैं। वे इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनको मालूम था कि हम इस प्राब्लम को रेज करेंगे। ये लोग खाली आपस में बधाई देते हैं लेकिन दूसरों की बात को नहीं सुनते। आजकल सी० पी० एम० वाले सी०पी०आई० के खिलाफ बोलते हैं। सी० पी० एम० फारवर्ड ब्लाक को भी मारता है, आर०एस०पी० को भी मारता है, लेकिन फिर भी ये लोग उनके साथ मिल-जुलकर रहते हैं, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहती हूं। पहले जो पार्टी कुछ नहीं थीं, आज वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट को चोर कहती

[कुमारी ममता बनर्जी]

है। आपको बताना चाहती हूं कि हमारी स्टेट में एक आल इंडिया स्टूडेंट्स कान्फ्रेंस हुई थी, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया, बच्चों के लिए जो दूध आता है, उसको वहां पर पहुंचाया गया और इलीगल बिजली का कनेक्शन दिया गया, इस तरह का माहौल वहा बना हुआ है। क्या यह मार्क्सवाद है या मिथ्यावाद है। हमारे यहां स्टेट की उन्नति नहीं हो रही बल्कि स्टेट खत्म हो रही है। इसलिए मेरी विनती है कि केन्द्र सरकार हमारे राज्य की तरफ ध्यान दे, आर्थिक उन्नति के लिए ध्यान दे, उद्योग लगाने की तरफ ध्यान दे, नौजवानों की तरफ ध्यान दे और हमारे स्टेट में काम करे। बंगाल के बारे में गोखले जी ने कहा था—"व्हाट बंगाल इज टू डे, इंडिया इज टूमारो।" लेकिन आज ज्योति बसु के राज में क्या हो रहा है। पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन राज्य की जनता सड़कों पर आ गई है, मर रही है, उसकी तरह ध्यान दीजिए। पश्चिम बंगाल से सिर्फ सी० पी० एम० के ही लोग नहीं हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, हम चाहते हैं कि स्टेट की उन्नति हो, उसके लिए आपके सहारे की आवश्यकता है।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, यदि सी० पी० आई० (एम०) के सदस्य चले गए हैं तो वे मुझे अनावश्यक रूप से परेशान क्यों कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे चाहती है कि आप भी चले जायें।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद के दोनों सदनों में दिये गये अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हुए मैं श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

स्वभाविक रूप से यह गत वर्ष में सरकार के कार्य-निष्पादन का एक उचित और व्यापक सर्वेक्षण है और इससे कुछ उन विधानों और नीतियों का आभास मिलता है जिन्हें सरकार अगले वर्ष अपनायेगी। क्योंकि यह इस संसद का अन्तिम वर्ष है और यह वर्ष चुनाव वर्ष होगा इसलिए यह स्वभाविक ही है कि सर्वेक्षण न केवल एक वर्ष के लिए किया गया है परन्तु गत चार वर्षों में इस सरकार के कार्य-निष्पादन पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार यह भी स्वभाविक ही है कि चुनाव वर्ष होने के कारण विपक्षी सदस्य इस सरकार के कार्यक्रम की किसी भी सफलता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

इस अभिभाषण में कई मुद्दों का उल्लेख किया गया है और यह विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का इस सरकार का महत्व घटाने का एक प्रयास है अथवा यह कहिये कि सरकार इन सभी कार्यों का श्रेय नहीं ले सकती है। उदाहरणतया जहां तक विश्व शांति और निरस्त्रीकरण का सम्बन्ध है, जब हम यह कहते हैं कि इसका आरम्भ दिल्ली घोषणा द्वारा किया गया था तो बहुत से लोग यह कहते है कि इस दिल्ली घोषणा द्वारा उन बड़ी शक्तियों पर बहुत कम दबाव डाला गया है जिन्होंने अन्ततः निरस्त्रीकरण के बारे में बातचीत की। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि गुट निरपेक्ष देशों और भारत जैसे विश्व के शान्तिप्रिय देशों द्वारा यह दबाव नहीं डाला जाता और भारत दिल्ली घोषणा द्वारा इस बारे में पहल नहीं करता सम्भवतः निरस्त्रीकरण बातचीत में आगे प्रगति नहीं हुई होती। यह एक वास्तविकता है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जहां तक विश्व समस्याओं का संबंध है लोकतंत्र के दबाव बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी उनके रवैये और प्रयोजनों में परिवर्तन करवा लेते हैं।

बहुत से लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री के चीन और पाकिस्तान के दौरे से कोई लाभ नहीं हुआ है और वे यह पूछना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया है। उनका कहना है कि चीन अब भी सीमा समस्या को सुलझाने के लिए सहमत नहीं हुआ है पाकिस्तान अब भी सियाचिन भू-क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है और भारत को वहां से अपनी सेनाएं वापस बुलाने के लिए कह रहा है, पाकिस्तान की ओर से परमाणु बम की धमकी जारी है आदि आदि। महोदय, अब मैं इस मामले में यह निवेदन करूंगा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना स्वागत योग्य है और हमें इन बदलती हुई परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपने सम्बन्धों में सुधार करना चाहिए। सम्बन्धों और संपर्कों में तुरन्त सुधार नहीं हो जाता। इस बारे में शुरूआत की जानी चाहिए और इसके लिए एक उचित कदम उठाया जाना चाहिए जिसके फलस्वरूप अच्छे सम्बन्ध बनेंगे और भारत को पाकिस्तान की ओर से मिलने वाली धमकियां बन्द हो जाएंगी। इसी प्रकार यद्यपि सीमा मसले के बारे में चीन अब तक किसी भी समाधान पर सहमत नहीं हुआ है परन्तु मैं यह कहूंगा कि जहां तक सीमा समस्याओं का सम्बन्ध है इस बारे में चुप्पी तोड़ दी गई है और इस पर आगे वार्ता के लिए मंच तैयार है।

महोदय आन्तरिक समस्याओं के बारे में जिन उपलब्धियों का दावा यह सरकार कर रही है उसकी भी यह आलोचना की गई है कि किसी भी आन्तरिक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। उदाहरणतया मिजोरम के मसले को ही लीजिए। वे पूछते हैं कि वहां किस समस्या का समाधान किया गया है। परन्तु मैं जोरदार शब्दों में यह निवेदन करूंगा कि कांग्रेस दल और इस सरकार ने लालडेंगा को सत्ता सौंपकर भारी जोखिम उठाया और अन्ततः लोकतांत्रिक चुनाव के बाद सत्ता पुनः इस दल के हाथ में आ गई। अब समस्या पहले जैसी नहीं है। जैसा कि आज बताया गया है कि श्री लालडेंगा ने भी एक प्रैस कांफ्रेंस में कहा है मैं इसे उद्धृत करता हूं :

> "मिजो नैशनल फ्रन्ट के नेता श्री लालडेंगा ने आज राष्ट्रीय प्रैस के सम्मुख बलपूर्वक कहा कि पुनः विद्रोह करने का प्रश्न ही नहीं उठता।" उन्होंने आगे कहा, "अब हम कभी अस्त्र उठाएंगे तो ऐसा भारत की रक्षा के लिए ही करेंगे।"

उन्होंने जंगलों में जाने की अपनी घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा :

> "ऐसी कुछ अखबारों की रिपोर्टों तथा अफवाहों पर कि चुनावों में हारने पर वह फिर से जंगलों में चले जाएंगे, अपना क्षोभ प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी ऐसा निजी स्तर पर अथवा सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहिए।"

अतः मिजोरम में इन शक्तियों द्वारा विद्रोह को पूर्णतया त्याग दिया गया है और मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यह इस सरकार की कम उपलब्धि है और जो यह कह रहे हैं कि कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई वे इस सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों को नहीं देख रहे हैं।

अब गोरखालैंड की समस्या भी वास्तव में हल हो गई है। जहां तक इसके आन्दोलन का सम्बन्ध है, पर्वतीय परिषदों की स्थापना की गई है और इस क्षेत्र में जन-जीवन सामान्य हो रहा है। निःसन्देह पंजाब समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लेकिन वहां समस्याएं बहुत बड़ी हैं और इस संबंध में अधिकतर विपक्षी दलों ने भी कोई हल करने का सुझाव नहीं दिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस राज्य के राज्यपाल भी गांव-गांव में जा रहे हैं और लोगों तथा ग्रामीणों में विश्वास उत्पन्न कर रहे है, इससे अन्ततः समाधान निकल आएगा और इस राज्य में आतंकवाद खत्म कर दिया जाएगा।

अब श्रीलंका के सम्बन्ध में भी हम भारतीय शान्ति सेना के कार्य को कम नहीं बता सकते हैं।

[श्री शरद दिघे]

इस सेना ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव शान्तिपूर्वक हुए यहां तक कि संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव तथा प्रान्तीय सरकार और पूर्वोत्तर प्रान्तों के चुनाव भी हुए हैं और निर्वाचित सदस्य आए हैं। वहां लोकतंत्रीय व्यवस्था है और इसलिए जहां तक श्रीलंका का संबंध है, समस्या का व्यावहारिक रूप में हल हो गया है।

श्रीलंका के एक मंत्री के आज के कथन को मैं आज के टाइम्स आफ इण्डिया समाचार पत्र से उद्धृत करता हूं :

> "श्रीलंका के रक्षा राज्य मंत्री श्री रंजन विजेरत्ने ने कहा है कि भारतीय शान्ति सेना द्वीप तभी छोड़ेगी जब राष्ट्रपति श्री आर० प्रेमदास संतुष्ट हो जाएं कि पूर्वोत्तर राज्य में प्रान्तीय सरकार अपना स्वयं का पुलिस बल बनाने में सक्षम है।"

अत: इस भारतीय शांति सेना पर उन्हें पूर्ण भरोसा है और जब तक सब कुछ पूर्णतया सामान्य नहीं हो जाता, श्रीलंका के संबंध में हमें अपने कर्तव्य का पालन करना होगा।

अत: पिछले चार वर्षों के संबंध में इन सभी कार्यों और इस उन्नति पर विचार कीजिए और फिर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस बल ने भी अपना कर्तव्य सही तरह से निभाया है।

आर्थिक स्तर पर आर्थिक उन्नति के संबंध में नि:सन्देह चार वर्षों की लगातार खराब मानसून के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इस क्षेत्र में प्रगति करने में सरकार को अत्यधिक कठिनाई हुई है। लेकिन फिर भी औद्योगिक क्षेत्र ने अपनी बढ़त बनाए रखी और इसकी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही। फिर बुनियादी क्षेत्र में भी विशेष रूप से ताप विद्युत उत्पादन, रेलों के आवागमन तथा कोयले के उत्पादन में काफी उन्नति हुई है।

हमें इन सभी परिणामों की ऐसी ही सूखे की स्थिति में प्राप्त हुए परिणामों से तुलना करनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी सूखे की स्थिति पहले कभी नहीं रही। यह तो देश द्वारा सही गई सबसे खराब स्थिति थी। लेकिन कुछ ऐसी ही स्थिति पहले जनता राज में भी उत्पन्न हुई थी और हम उस सरकार के कार्य की इस सरकार के कार्य से तुलना करेंगे।

जहां तक पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है, प्रधान मंत्री तथा यह सरकार इसे स्थापित करने के लिए अत्यधिक गम्भीर है और इसलिए कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रपति ने भी यहां कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन तथा उनकी शक्तियों और कार्यों को परिवर्तित करना सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता है और लोगों को शक्ति देने के लिए सरकार एक मुख्य विधायी कार्यक्रम लाना चाहती है। मैं नहीं जानता कि कोई राजनैतिक दल इस प्रस्ताव का विरोध कैसे कर सकता है जबकि शक्ति लोगों के निचले स्तर तक दी जानी है। कोई भी व्यक्ति इस प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सकता है। राज्य सरकारों द्वारा यह कहना तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है कि यदि यह कानून पारित होता है तो केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है ? यह संघीय सरकार है और यदि आप पंचायती राज स्थापित करते हैं तो यह राज्य सरकारों के अधीन होगा और इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। केन्द्र सरकार इस देश में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसे मजबूत करने के प्रयास कर रही है ताकि हर जगह निचले स्तर तक लोकतंत्र स्थापित हो और लोगों की तरफ से कार्यवाही हो, निचले स्तर से योजना बने तथा इस देश के उच्चतम स्तर तक आए। यह बहुत अच्छे संकेत हैं और यदि पंचायती राज

व्यवस्था सफलतापूर्वक स्थापित हो जाए तथा राज्य सरकारों का यह डर दूर हो जाए तो इस देश के लोक तंत्र के संबंध में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उनकी शक्ति कम नहीं हो सकती क्योंकि यह तो लोगों के निचले स्तर तक जा रही है। यदि आप इस देश में हर आदमी को शक्ति देने के विरुद्ध हैं तो यह अलग बात है। अन्यथा प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति तथा राजनैतिक दल को केन्द्र सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहिए और इस संबंध में इसका समर्थन करना चाहिए।

इस राष्ट्रपति अभिभाषण पर मैं दो या तीन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा असंतोष है सबसे पहले, आवास के संबंध में यहां पर पृष्ठ 9 पर एक वक्तव्य दिया गया है कि राष्ट्रीय आवास नीति को संसद में पारित कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह गलत वक्तव्य है। राष्ट्रीय आवास नीति पर राज्य सभा में चर्चा हुई थी, इस सभा में नहीं हुई थी। इसे इस सभा में पारित नहीं किया गया है। पिछली बार इसे कार्य सूची में शामिल किया गया था लेकिन अन्ततः यह पेश नहीं हुआ। अतः यह गलत वक्तव्य ठीक करना होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस आवास समस्या पर और अधिक ध्यान दे। रोटी और कपड़े के अलावा आवास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमने 5 करोड़ की स्थाई धनराशि के साथ आवास के लिए एक राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बारे में प्रगति बहुत धीमी है। इस देश में शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में आवास समस्या हल करने के लिए अत्यधिक तीव्र तथा सक्रिय कार्यवाही की आवश्यकता है। अब शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है अतः सरकार को इसकी सिफारिशों पर विचार करने और स्वीकारने के लिए तेजी से कार्यवाही करनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में उल्लेख किया गया है कि ये इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त कार्यवाही करे क्योंकि शहरीकरण एक बड़ी समस्या बन रहा है और अधिक से अधिक शहर बन रहे हैं। जहां तक इस देश के शहरीकरण का संबंध है, हमें बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस आयोग को इन सिफारिशों पर तुरन्त कार्यवाही करनी होगी।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, विशेष रूप से शहरों में स्थिति बहुत खराब है। आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि विशेष रूप से शहरों में प्रत्येक आम नागरिक बढ़ते हुए मूल्यों से अत्यधिक पीड़ित तथा चिन्तित है। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी खत्म हो गई है। यहां मैं बताना चाहता हूं कि राज्यों के लिए चावल तथा गेहूं की मात्रा में अत्यधिक कमी करने से विशेष रूप से महाराष्ट्र में, बम्बई शहर में राशन की दुकानों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा लोगों को पर्याप्त राशन भी नहीं मिल पा रहा है। उन्हें तंग किया जा रहा है, उन्हें लम्बी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। मैं समझता हूं कि दिल्ली में भी यही स्थिति है। शहरों में लोग मूल्य वृद्धि तथा चावल और गेहूं जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण अत्यधिक पीड़ित हैं।

मुझे यह बताते हुए खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में श्रमिकों के आन्दोलन तथा बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विशेष रूप से वस्त्र नीति के कार्यान्वयन के कारण अत्यधिक बेरोजगारी है। जहां तक बम्बई का संबंध है, अनेकों मिलें बन्द हो रही हैं और सरकार कपड़ा मिलों को बन्द होने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है, इसके फलस्वरूप इस देश में विशेषकर बम्बई जैसे शहर में हम बेरोजगार श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। अतः मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वस्त्र नीति, कम्पनियों की व्यवहार्यता पर कार्यवाही करने वाले बोर्डों की समीक्षा करे तथा गलती करने वाले निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही करे और आधुनिकीकरण के लिए मिलों क

[श्री शरद दिघे]

धनराशि दे । इन सभी नीतियों की समीक्षा करनी होगी क्योंकि इस देश में विद्यमान नीतियों के फलस्वरूप कपड़ा मिलें बन्द हो रही हैं तथा अत्यधिक बेरोजगारी हो रही है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करे और जहां तक श्रमिकों की बेरोजगारी का सम्बन्ध है उसके लिए अत्यधिक ठोस उपाय करे। 1982 के नए सूचकांक आधार के कारण श्रमिकों में असंतोष है। इस महंगाई भत्ते के कारण अनेकों श्रमिकों को काफी महंगाई भत्ते का नुकसान हो रहा है क्योंकि यह मिलान पूर्ण है तथा सभी मजदूर संघों ने इस नए मिलान, नई सूचकांक नीति का विरोध किया है। अत: सरकार तत्काल कार्यवाही करे ताकि महंगाई भत्ते के रूप में जो करोड़ों रुपये का श्रमिकों को नुकसान हो रहा है वह उन्हें मिल सके और उनके साथ न्याय हो। मूल्य पहले ही काफी बढ़ रहे हैं और उन्हें महंगाई भत्ता कम मिल रहा है। यह तो विडम्बना है। इसे ठीक किया जाए। मुझे आशा है कि सरकार इन अति आवश्यक समस्याओं पर विचार करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति को अभिभाषण देने के लिए रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण वह दस्तावेज है जो राष्ट्र में घटित घटनाओं का ब्यौरा देता है और यह आगामी वर्ष में सरकार के समक्ष आने वाली समस्याओं से निपटने हेतु उठाये जाने वाले कदमों का भी बयान करता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि अन्य दस्तावेजों की भांति इस अभिभाषण द्वारा सरकार अपनी असफलताओं को दबाती है और सफलताओं का पूरा ब्यौरा देती है। मेरे मित्र, श्री शरद दिघे, जिन्होंने मुझसे पहले अपने विचार प्रकट किये, कहा कि यह स्वाभाविक है कि इस चुनाव वर्ष में सरकार अपनी सभी नीतियों को सफल बनाने की कोशिश करेगी और विपक्ष बहुत हद तक सरकार की असफलताओं को उभारने की कोशिश करेगा। यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं पाता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया यह अभिभाषण वास्तविकता से काफी दूर है। यह बिल्कुल वास्तविक नहीं है। सिर्फ अनर्थक बातों को छोड़कर न तो मैंने किसी समस्या पर उचित रूप से बहस होते पाया और न ही कोई उपाय सुझाते देखा।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही है, करीब करीब सभी क्षेत्रों की सफलता अद्वितीय रही है, विकास सकारात्मक रूप से हुआ है और विकास की दर प्रशंसनीय है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन सबके बावजूद भी कीमतों में वृद्धि क्यों हो रही है? सिर्फ विपक्ष के सदस्य ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी बिना किसी अपवाद के यह बात कह रहे हैं कि आज देश में यदि कोई अशांति मचाने वाला मुद्दा है तो वह मुद्रास्फीति का ही मुद्दा है। वस्तुत: एक बार मैंने कहा कि यदि माननीय सदस्यों की धर्मपत्नियों को सभा में उपस्थित होने और मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है तो यह सरकार गिर जाएगी क्योंकि कोई भी गृहिणी वर्तमान मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार को समर्थन नहीं देगी। सभी सकारात्मक विकास के बावजूद जहां हम लोगों ने उद्योग, कृषि के क्षेत्र में काफी विकास कर लिया है, खाद्यान्न का उत्पादन काफी मात्रा में हुआ है, ऐसा क्यों है कि भुगतान संतुलन की स्थिति मे ह्रास हो रहा है? वास्तव में मैंने आज इससे सम्बन्धित एक प्रश्न किया था और माननीय वित्त मंत्री को यह स्वीकार करना पड़ा था कि इस वर्ष 13 जनवरी को विदेशी मुद्रा कोष में 5044 करोड़ रु० की कमी आई है जो कि 832 करोड़ रु० कम है और 12.5 प्रतिशत का ह्रास हुआ है। इन सारी उपलब्धियों के बावजूद ऐसा क्यों है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, राज्य सभा के सदस्य भी हैं, द्वारा सरकार

को यह चेतावनी दी गई कि हमारे संसाधनों की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है और केन्द्र को खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है ? राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन सारी बातों का मुझे कोई जिक्र नहीं मिला। राष्ट्रपति का अभिभाषण वस्तुतः मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्या से उसका सम्बन्धित है। जहां तक मुद्रास्फीति का प्रश्न है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी भी रूप में न तो जिक्र है और न ही देश में संसाधनों की नाजुक स्थिति का। यह सत्य है कि राष्ट्रीय ऋण और अंतर्राष्ट्रीय ऋण दोनों में ही हम खतरनाक स्थिति में गुजर रहे हैं। हम जो भी ऋण लेते हैं, हमें उसका उपयोग सूद चुकाने में करना पड़ता है। ऐसा क्यों है कि प्रति वर्ष अनुत्पादक व्यय में वृद्धि होती जा रही है ? माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिये गये इस अभिभाषण को छोड़कर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा दिये जाने वाले अभिभाषण में यह बात कही जाती है कि इस अनुत्पादक व्यय में कटौती की जायेगी लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गये हैं। ऐसा क्यों है कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास होने के बावजूद बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं। सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित की जायेगी और 2.00 म०प० पुनः समवेत होगी।

1.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.07 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.07 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[—जारी]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिनेश गोस्वामी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, मध्याह्न भोजन के पहले मैं कह रहा था कि यद्यपि राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा राष्ट्र की घटनाओं की जानकारी दी जाती है, लेकिन यह अभिभाषण काल्पनिक दस्तावेज प्रतीत होता है। इस चुनाव वर्ष में राष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से सरकार की सफलताओं का वर्णन करेंगे और असफलताओं पर पर्दा डालेंगे। लेकिन वास्तविकता के साथ कुछ संबंध भी होना चाहिए।

इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ है, इस देश की समस्याएं राजनीतिक स्तर पर सुलझा ली गई हैं लेकिन मैं अपने आप से और सत्तारूढ़ दल से पूछता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में 3.6 प्रतिशत विकास होने के बावजूद कीमतें क्यों बढ़ रही हैं ? यदि जनवरी, 1988 के आंकड़ों की तुलना जनवरी, 1989 से की जाए तो पता चलता है कि भुगतान संतुलन की स्थिति खराब रही है और इसमें 12.5 प्रतिशत का अन्तर है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य श्री एन० के० पी० साल्वे ने भी केन्द्र सरकार को संसाधनों की स्थिति के संबंध में चेतावनी दी

[श्री दिनेश गोस्वामी]

है कि केन्द्र सरकार के पास संसाधनों की स्थिति नाजुक है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है अनुत्पादक व्यय में वृद्धि हो रही है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस समस्या का समाधान नहीं मिलता है। यहां तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को उचित रूप में तैयार नहीं किया गया है क्योंकि इसमें दो गम्भीर त्रुटियां हैं। एक का बयान श्री शरद दिघे द्वारा किया गया है कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 30 में यह कहा है कि राष्ट्रीय आवास योजना संसद द्वारा मंजूर कर दी गई है। इसके संसद द्वारा पारित होने की बात कौन कहे यदि मैं सही कह रहा हूं तो राष्ट्रीय आवास योजना पर लोक सभा द्वारा विचार भी नहीं किया गया है। पैराग्राफ 4 में राष्ट्रपति महोदय ने यह कहा है, "हम इस संसद के अन्तिम वर्ष में प्रवेश करते समय···।" माननीय राष्ट्रपति महोदय को यह याद रखना चाहिए था कि संसद उनसे, लोक सभा और राज्य सभा मे मिलकर बनती है। और यह संसद का अन्तिम वर्ष नहीं है। यह केवल लोक सभा का अन्तिम वर्ष है। मुझे यह आशा है कि राष्ट्रपति महोदय इस वक्तव्य को कार्यरूप नहीं देंगे कि यह संसद का अन्तिम वर्ष है। ये बहुत छोटी त्रुटियां नहीं हैं। इससे केवल यह पता लगता है कि जिन प्रारूपकारों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का मसौदा तैयार किया है उन्होंने यह सोचा कि इन दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है।

फिर मैं अपने आप से यह पूछता हूं कि राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में इन उपलब्धियों के बावजूद कांग्रेस दल चुनाव में क्यों हार रहा है और लोकप्रिय समर्थन क्यों खोता जा रहा है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे से उन्हें स्वयं सोचना होगा।

सरकार ने यह कहा है कि वे आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार हैं। परन्तु अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेकर मैं यह आरोप लगाता हूं कि सरकार ने तुच्छ राजनैतिक स्वार्थों के लिए आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया है।

हम बोडो जनसंख्या की समस्या का सामना कर रहे है। हम जानते हैं कि केवल असम में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत में आदिवासियों की भारी समस्याएं हैं जो कि शाही शासन के दौरान वर्षों से एकत्रित हुई हैं और गत 40 वर्षों में भी हम उनका समाधान नहीं कर पाए हैं। ऐसी बात नहीं है कि ए० जी० पी० सरकार द्वारा यह समस्या 3 वर्षों में उत्पन्न की गई है। ये समस्याएं तीन वर्षों से इकट्ठी हो रही हैं जिनका समाधान ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। उनकी 92 मांगें हैं। परन्तु हमने इसे एक मुद्दा बना लिया है कि वे असम के अन्दर एक संघ राज्य क्षेत्र अथवा राज्य बनाने की मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। असम के कई बार टुकड़े किये गये है और हम इसके और आगे टुकड़े नहीं कर सकते। बोडो जनजाति के पास भी भू-क्षेत्र का कोई विशेष हिस्सा नहीं है क्योंकि कोकराझार में जहां यह आंदोलन अपने पूरे जोर पर है वहां भी उनकी जनसंख्या 27 प्रतिशत से कम है। परन्तु हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं और वास्तव में अन्य समस्याओं के बारे में बातचीत भी की गई है। अचानक ही हमें यह पता लगा है कि अपनी 92 मांगों में से उन्होंने 89 मांगें वापस ले ली हैं। उन्होंने यह कहा है, "हम केवल तीन मांगों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे।" 24 दिसम्बर को एक सभा में यह निर्णय लिया गया था कि आंदोलन के नेता केवल तीन मांगों को उठाएंगे। संघ राज्य क्षेत्र की मांग को बदलकर उसे एक राज्य के लिए मांग कर दिया गया है। मैं अपने आप से और सरकार से यह पूछता हूं कि ऐसा क्यों किया गया है? अब इस आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता जो बोडो स्वयंसेवक बल के नेता भी हैं, श्री सोनाराम बरगलेरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है··· (व्यवधान) उन्होंने यह कहा है कि भारत सरकार किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के बारे में विचार नहीं

करेगी और यदि आप भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप चाहते हैं तो आपको एक अलग राज्य की मांग पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए केवल तभी केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और करेगी। (व्यवधान) मेरे मित्र श्री संतोष मोहन देव यहां उपस्थित हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : क्या आप यहां भारत सरकार को व्यवस्था बनाये रखने के लिए कह रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, विघ्न मत डालिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : मेरे मित्र श्री संतोष मोहन देव जो व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र हैं यहां उपस्थित हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे व्यक्तिगत आरोप लगाने में आनन्द आता है। मैं ऐसा नहीं करता। परन्तु यह वास्तविकता है कि अखिल कछार और करीमगंज विद्यार्थी परिषद के सचिव, जिन्होंने आज ए० जी० पी० सरकार की कटु आलोचना की है, ने सार्वजनिक तौर पर यह वक्तव्य दिया है कि श्री संतोष मोहन देव ने आदिवासियों की एक बैठक में आदिवासियों को हिंसा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि असम मे हस्तक्षेप किया जा सके। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, यह सच नहीं है। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : असम की प्लेन ट्रायबल काउंसिल के संसद सदस्य श्री समर ब्रह्म चौधरी जो कि इस मुद्दे पर हमारा समर्थन नहीं करते हैं, ने अपने कथन का उत्तरदायित्व लेते हुए यह शिकायत की है कि श्री सन्तोष मोहन देव ने बोडो लोगों को हिंसा के लिए प्रोत्साहित किया है।

कुमारी ममता बनर्जी : नहीं, महोदय।

श्री दिनेश गोस्वामी : इसका उत्तर आपको नहीं देना है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : श्री सन्तोष मोहन देव को इस मुद्दे का उत्तर देने का भरपूर अवसर मिलेगा।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : एक व्यवस्था के प्रश्न पर

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

श्री सन्तोष मोहन देव : गृह मंत्रालय ने श्री बूटा सिंह के विरुद्ध लगाए गए इस आधारहीन आरोप का खंडन करते हुए कल ही एक प्रेस नोट जारी किया था। मैंने स्वयं असम में संवाददाता सम्मेलन में असम सरकार द्वारा मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोपों को प्रस्तुत करने की चुनौती दी थी और

[श्री संतोष मोहन देव]

15 दिन का समय दिया था। परन्तु कोई आरोप सामने नहीं आया। अब श्री गोस्वामी ने कुछ आरोप लगाये हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे उन आरोपों को प्रमाणित करें और मुझे दें। आप अपनी ओर से इसकी जांच कराने के लिए कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं परन्तु ऐसे आधारहीन आरोप से ए० जी० पी० सरकार की खोखली राजनैतिक विचारधारा सिद्ध होती है। वे यह नहीं जानते कि इस मुद्दे को कैसे उठाया जाये।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने यह आरोप नहीं लगाया है। यह आरोप असम कछार करीमगंज विद्यार्थी परिषद के सचिव ने लगाया है। अब मैं श्री संतोष मोहन देव से यह मांग करता हूं कि वे इस बारे में कार्यवाही करें और झूठा आरोप लगाने के लिए उस नवयुवक को गिरफ्तार करें। मैं श्री संतोष मोहन देव को यह चुनौती देता हूं कि यदि उनमें ऐसा करने का साहस है तो वे यह बेबुनियादी आरोप एक महत्वपूर्ण मंत्री के विरुद्ध लगाने के कारण उन्हें गिरफ्तार करें।

श्री संतोष मोहन देव : हमारे देश का ढांचा संघीय ढांचा है। मुख्य मंत्री को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई हैं मैं उन्हें प्रस्तुत करूंगा और सदन में इस पर विचार करने के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा। आखिरकार हमारे मित्रों द्वारा ये वक्तव्य नहीं दिए गए हैं वे बराबर हमारे आलोचक रहे हैं। इस बात को कौन भूल सकता है कि चुनाव से कुछ समय पहले त्रिपुरा में टी० एन० वी० द्वारा हिंसा की गई थी और जिस समय कांग्रेस (आई) सत्ता में आई उस समय तक टी०एन०वी० वहां से गायब हो चुकी थी ? हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। आप हिंसा को प्रोत्साहन दे सकते हैं परन्तु केवल असम में ही यह नहीं होगा। कल यह झारखंड में होगा और परसों उत्तरखंड में। यदि शासक दल और विरोधी दल के सम्मिलित प्रयासों द्वारा इस आदिवासी असंतोष की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो हमारे सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसका समाधान करना अत्यन्त कठिन होगा। यह समस्या पंजाब समस्या से भी ज्यादा कठिन और खतरनाक होगी।

प्रधान मंत्री महोदय ने यह कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय मुख्य धारा में आ चुका है। क्या मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधान मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि उन्होंने सूखे के बारे में बातचीत की है परन्तु बाढ़ के बारे में क्या बात है ? क्या बाढ़ की समस्या नहीं थी ? हमारे राज्य में अभूतपूर्व बाढ़ आई थी। असम के लोगों को बाढ़ की तबाही का सामना करना पड़ा था। वहां 740 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका बिलकुल भी उल्लेख नहीं किया गया है। यदि आज मैं यह शिकायत करूं कि सरकार, प्रधान मंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय को पूर्वोत्तर क्षेत्र की बिलकुल भी चिन्ता नहीं है तो वे मुझे इसका क्या उत्तर दे सकते हैं ? उन्होंने यह उल्लेख किया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय मुख्य धारा में आ चुका है। हम कुछ राशियों की मांग करते हैं। हमें इस बारे में ब्यौरा देने के लिए कहा गया था। जब हमें 740 करोड़ रुपये की हानि हुई है तो हमें 20 करोड़ रुपये दिये गये थे और किश्तों में हमने 62 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। इस वास्तविकता के बावजूद भी प्रधान मंत्री महोदय जम्मू और कश्मीर गए हैं कि वहां बहुत ही कम समय तक बाढ़ आई थी। उन्होंने कहा था मैं 51 करोड़ रुपये देता हूं और उन्होंने पंजाब को 100 करोड़ रुपये दिए थे। मुझे उनके 100 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक धनराशि दिये जाने की चिन्ता नहीं है। परन्तु मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि

वे किस आधार पर किन संसाधनों से यह राशि दे सकते हैं। धनराशि दो संसाधनों से प्राप्त होती है। पहला संसाधन योजना आयोग और दूसरा संसाधन वित्त आयोग है। उनका व्यक्तिगत संसाधन क्या है? हम इस बात की कड़ी निन्दा करते है कि आज यह सरकार मानवीय कष्टों को अनदेखा करके राजनीति चला रही है।

सरकार ने पंचायत राज के बारे मे भी कहा है। हमें सत्ता के हस्तान्तरण की परवाह नहीं है। हम इसे स्वीकार करते है और इसका स्वागत करते है। परन्तु आपको यह ध्यान देना चाहिए कि राज्यों को भी शक्तियां प्राप्त हों क्योंकि संविधान में त्रिस्तरीय प्रणाली, केन्द्र, राज्य और उसके बाद स्थानीय निकायों की परिकल्पना की गई है। आजकल केन्द्रीय सरकार राज्यों को कुचलने का प्रयास कर रही है और राज्यपालों की नियुक्ति से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दो राज्यों में क्या किया गया है। राज्यपाल और मुख्य मंत्री के बीच मतभेद है परंतु राज्यपाल को नही बदला गया है। परन्तु पश्चिमी बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां राज्यपाल और मुख्य मंत्री के बीच सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्ध हैं। परन्तु वहां के राज्यपाल को बदल दिया गया है जिसे मैं असंवैधानिक समझता हूं और उनकी जगह पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के रूप में आसूचना ब्यूरो के एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है।

कुमारी ममता बनर्जी : आप डरे हुए हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं डरा हुआ नहीं हूं। यह सदन सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रहा है। सरकारिया आयोग ने राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में विशेष सुझाव दिए हैं। इस सरकार ने सरकारिया आयोग की राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित इन सभी सिफारिशों की अनदेखी की है। इससे यही प्रतीत होता है कि इस पर विचार करने से पूर्व ही इस सरकार ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को नकार दिया है। यही वजह है कि हमें आशंका है कि केन्द्र सरकार आज पंचायतों को शक्ति का अन्तरण करने के बहाने राज्यों की उपेक्षा करके दिल्ली से ही राज्यों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। इसी कारण हमने प्रधान मंत्री के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की लगातार बैठकों पर आपत्ति की है। यहां से यह भी कहा गया है कि इन अधिकारियों को राज्य सरकारों की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे केन्द्र के नियंत्रण में हैं, उन्हें ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिससे अन्ततः विपक्ष द्वारा शासित राज्य केन्द्र के अन्तर्गत आ जाएं।

मैं कहूंगा कि सरकार के उपदेशों तथा इसकी करनी में अन्तर है। राष्ट्रपति का अभिभाषण तो काल्पनिक है और इस पर कोई भी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करेगा। सभा ने भी इसे गम्भीरता से नहीं लिया है। मैं 2 बजे से 2 बजकर 0 मिनट म० प० तक इन्तजार करता रहा, कोरम की घंटी बजती रही और कोरम पूरा करने की अधिक जिम्मेदारी रखने वाले सत्ताधारी दल के सदस्य कोरम पूरा करने हेतु पर्याप्त संख्या में उपस्थित नहीं थे। सत्ताधारी दल के सदस्यों ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति ऐसी गम्भीरता दिखाई है। यह परम्परा है कि हमें राष्ट्रपति का धन्यवाद करना चाहिए लेकिन हम इन टिप्पणियों के साथ धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थनक रता हूं। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों तथा गरीबी के उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए तथा बेरोजगारी दूर करने की अन्य योजनाओं पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है।

इस सरकार को युवाओं पर पूर्ण विश्वास है और इसी कारण मतदान की उम्र घटा कर 18 वर्ष

[श्री सोमनाथ रथ]

की गई है। कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। गम्भीरता तथा अभूतपूर्व सूखे और बाढ़ के बावजूद देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, उत्पादन, निर्यात में वृद्धि हुई है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में भी सुधार आया है।

हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा चीनी और पाकिस्तानी नेताओं के साथ सफल वार्ता से विशेषरूप से सीमा के मसले पर हमारे पड़ोसी देशों से तनाव में कमी आई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सही बल दिया गया है इसके विकास में अच्छे परिणाम निकले हैं। व्यापार सन्तुलन तथा आयात पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

श्री माधव रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रपति ने उन क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया जिन पर सरकार को सतर्क रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से पृष्ठ 8 पर पैरा 28 में यह उल्लेख किया है :

"भुगतान संतुलन के विषय में हमें बहुत सतर्क रहना है···यथा सम्भव कारगर आयात-प्रतिस्थापन पर विशेष बल देते हुए आयात पर सावधानीपूर्वक नजर रखनी होगी।"

इस प्रकार राष्ट्रपति ने उन क्षेत्रों का उल्लेख किया है जिनके लिए सरकार को सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिए और यह क्षेत्र हैं भुगतान सन्तुलन तथा आयात कम करने की आवश्यकता है।

अन्य क्षेत्रों में, विदेशी मामले तथा आन्तरिक मामलों के बारे में भी राष्ट्रपति का अभिभाषण अत्यन्त स्पष्ट है। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी कहा है।

पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में सुधार के आसार होने के बावजूद परमाणु अस्त्र बनाने के लिए पाकिस्तान द्वारा प्रौद्योगिकी और सामग्री प्राप्त करना हमारे लिए चिन्ता का विषय है। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति हमेशा यही रही है कि विश्व में तनाव कम किया जाए और शान्ति बनाई रखी जाए, हिंसा रोकी जाए और परमाणु अस्त्रों का अन्त किया जाए।

जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है राजनीति को धर्म से दूर रखने के लिए कदम उठाए गए हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हमें राजनीति को अपराध से अलग करना चाहिए। अनेक राज्यों में, विधान सभा सदस्यों तथा अन्य नेताओं की हत्या हुई है। यह एक महत्वपूर्ण मसला है और इस पर विचार किया जाना चाहिए।

भारत की राजनैतिक स्थिति अत्यधिक स्पष्ट है। अलगाववाद का सिद्धान्त राष्ट्रीय मोर्चे तथा जनता दल के गठन के बाद उभर कर आया। वामपंथी पार्टियां दक्षिणपंथी पार्टियों से दूर रहती हैं। विपक्षी पार्टियों में कोई समान कार्यक्रम और विचारधारा नहीं है और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आज भारत में कोई अन्य राजनैतिक पार्टी देश पर शासन करने का विकल्प नहीं बन सकती है, यह तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो देश पर सही दृष्टिकोण से शासन करने तथा देश को आगे बढ़ाने में सक्षम है। आज, समाचार पत्रों में कहा गया है कि जनता दल के नेता श्री वी०पी० सिंह ने कहा है कि राज्य चुनावों के समय समायोजन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह अत्यंत स्पष्ट है कि उनकी कोई नीति नहीं है। वे राज्यों तथा केन्द्र में भी किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहते हैं। उनकी कोई विचारधारा कोई कार्यक्रम नहीं है उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि केन्द्र से श्री राजीव गांधी हट जाएं और राज्यों में वे शक्ति दिखाकर जातिवाद द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से सत्ता हथिया लें।

सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नीति बनाने और इसके क्रियान्वयन में अत्यधिक अन्तर है, इस पर गम्भीरतापूर्वक तत्काल ध्यान देने की जरूरत है और इन कमियों को दूर किया जाए। उचित प्रबन्ध पर भी अधिक बल देने की आवश्यकता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करते समय बिचौलिये गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने भी कहा कि लाभार्थियों तक एक रुपया पहुंचाने के लिए प्रशासन के रूप में छः रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

प्रधान मंत्री ने कमांड क्षेत्र विकास पर बल दिया है। उड़ीसा के गंजम जिले में यद्यपि सलिकुल्या कमांड क्षेत्र विकास परियोजना एक चालू परियोजना है, लेकिन केन्द्र स्तर पर यह कहा गया है कि यह एक नई परियोजना है और इसे लागू नहीं किया जा रहा है। मैं वित्त मंत्री तथा योजना आयोग को भी यह सुझाव देता हूं कि उड़ीसा में गंजम जिले में सलिकुल्या कमांड क्षेत्र विकास योजना को 8वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया जाए।

किसानों पर बल दिया गया है। कल तथा परसों प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कृषि-आय पर आय-कर के बारे में कहा है। कृषि राज्य का विषय है और इस बारे में राज्य सरकार को ही निर्णय लेना है। इसलिए इस मामले पर राज्य सरकार स्तर पर विचार होना चाहिए। आय-कर के बारे में राज्य स्तर पर निर्णय नहीं होता है, यह तो कृषि-कर है जिसका इस स्तर पर निर्णय होता है। यदि कृषकों पर आय-कर लगाना ही है तो यह केवल केन्द्र स्तर पर ही हो सकता है। कृषि-कर राज्य स्तर पर लगाया जाता है।

हमारे सीमान्त तथा छोटे कृषकों ने अत्यधिक परिश्रम किया है। कृषकों ने इतना अधिक उत्पादन किया है कि हम लगभग आत्मनिर्भर हो गए हैं। योजना आयोग ने कहा है कि शताब्दी के अन्त तक हमें 240 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी लेकिन इस समय हमारा उत्पादन लगभग 160 से 170 मिलियन टन है। अतः इस लक्ष्य तक पहुंचना हमारे लिए अत्यधिक कठिन कार्य होगा। अतः ऐसी स्थिति में कृषकों पर आय-कर नहीं लगाया जाना चाहिए। जब कृषकों को प्रोत्साहन चाहिए उस समय उनसे आय-कर लेकर हमें उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस महीने 28 तारीख को जब सभा के सम्मुख बजट पेश किया जाएगा तब मैं सुझाव देता हूं कि वित्त मंत्री इस बारे में विचार करें।

श्री गोस्वामी ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह ठीक नहीं लिखा है कि संसद का यह अखिरी वर्ष है। यह इस भाव में ठीक है कि यह लोक सभा की अवधि का आखिरी वर्ष है और वह दोनों सभाओं को सम्बोधित कर रहे थे। अतः निःसंदेह लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सम्मुख भाषण देने का यह अन्तिम वर्ष है क्योंकि इस लोक सभा की अवधि इस वर्ष समाप्त हो जाएगी। अतः इस बारे में व्यर्थ ही इतना बोला जा रहा है।

वितरण प्रणाली पर बल दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करे कि इस समय निजी व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही इस वितरण प्रणाली को सहकारिता के माध्यम से चलाया जाए।

श्री तरुण कान्ति घोष (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस पर बोलने से पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, सभा में कोरम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो गणपूर्ति है। श्री घोष अपना भाषण जारी रख सकते है।

श्री तरुण कान्ति घोष : राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व, मैं श्री गोस्वामी के शब्दों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं श्री गोस्वामी से कहना चाहूंगा कि उन्हें यह राय बतानी चाहिए कि कांग्रेस दल से सम्बन्धित हम सभी लोगों को असम राज्य तथा वहां की जनता के प्रति अत्यन्त प्यार और स्नेह है तथा हम उनकी सराहना करते हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ तथा सूखे के प्रश्न पर अलग प्रकार का रवैया अपनाया है।

मुझे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के साथ जब उन्होंने बाढ़ के दौरान असम का दौरा किया, जाने का अवसर मिला। मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना कि बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित असम के लोगों को देखकर प्रधान मंत्री भी पूरी तरह प्रभावित हुए। आप अन्य मामलों पर श्री राजीव गांधी की आलोचना कर सकते हैं किन्तु इस विषय में नहीं। उन्होंने किस प्रकार बाढ़ तथा सूखे का सामना किया और किस प्रकार वह सभी जगह संकट में पड़े लोगों की सहायता करने और उनके दुखों को दूर करने गए लगभग अभूतपूर्व है। मैंने इंदिरा जी को देखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक महान नेता थीं। मुझे विश्व के एक महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखने का अवसर भी मिला। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना काम गत 50 वर्षों में सबसे खराब बाढ़ में श्री राजीव गांधी ने किया उतना काम मैंने किसी प्रधान मंत्री को करते नहीं देखा है।

अब मैं पंचायत राज के सम्बन्ध में कहता हूं। मैं श्री गोस्वामी की आशंकाएं नहीं समझ सकता सकता हूं। प्रधान मंत्री चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति ग्रामीण लोगों को मिले न कि राज्यों की राजधानियों या मुख्य मंत्रियों को या स्पष्टतः प्रधान मंत्री को। इसमें क्या बुराई है ? वह चाहते हैं कि पंचायतों का काम ग्रामों के लोग ही चलाएं। इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

अब मैं राज्यपालों के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। श्री नूरूल हसन पश्चिम बंगाल के एक अत्यन्त आदरणीय राज्यपाल थे। वह उड़ीसा में भी अत्यन्त आदरणीय राज्यपाल रहेंगे। वास्तव में मैं एक बात नहीं समझ सकता हूं कि आप राज्यपालों की बदली से क्यों डरते हैं। इस सम्बन्ध में कोई आशंकाएं नहीं होनी चाहिएं। अभी तक विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में परिवर्तन करने के लिए कुछ नहीं किया गया है।

मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। किन्तु मैं एक बात दोहराना चाहूंगा। श्री गोस्वामी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मैं उन्हें अपना छोटा भाई मानता हूं। समस्त कांग्रेस (इ) और कांग्रेस (इ) के सभी सदस्यों को असम के प्रति अत्यन्त प्यार और आदर है, जो एक अद्भुत राज्य है तथा जहां के लोग भी अद्भुत है। हम कुछ नहीं चाहते हैं, केवल समस्त भारत की जनता के साथ-साथ असम की जनता के लिए प्रगति और समृद्धि चाहते हैं।

महोदय, मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में दो अत्यन्त सुन्दर पंक्तियां कही है :

"हम गरीबी का उन्मूलन करेंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे।"

"हम तब तक डटे रहेंगे और दृढ़ रहेंगे, जब तक कि आतंकवाद मिटा नहीं दिया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि भारत में इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, विशेषकर शिक्षित युवाओं में। यदि हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो हमारे देश का भविष्य इतना उज्ज्वल नहीं होगा जितना हम चाहते हैं।

इससे निश्चय ही युवा पीढ़ी में एक लहर सी दौड़ेगी और उन्हें यह आश्वासन प्राप्त होगा कि भारत सरकार उनके लिए कुछ करने के लिए कृतसंकल्प है।

इसीलिए इस संबंध में मैं अपने प्रधान मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। यह अनेक महत्वपूर्ण मंत्री उपस्थित हैं। हमारे वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और श्रम मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि "काम करने और जिम्मेदारी का अधिकार" पंक्ति हमारे संविधान में जोड़ दी जाए। विश्व में पश्चिम सहित 70 के अधिक लोकतांत्रिक देश हैं जिनके संविधान में यह वाक्य जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। यदि हम यह पंक्ति अपने संविधान में सम्मिलित करेंगे तो हमारे देश के युवकों को यह आश्वासन मिलेगा कि यह सरकार वैसा ही करेगी जो यह कहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार ऐसा करना चाहती है। अत: प्रधान मंत्री तथा मंत्रालय से यह मेरा नम्र निवेदन है। हमारे संविधान में परिवर्तन (संशोधन) किया जाए और यह पंक्ति "इस देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम का अधिकार" जोड़ दी जाए। वास्तव में एक वर्ग के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण और दूसरे वर्ग के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दूर हो जाएगा यदि सभी जानते हों कि सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। इन आरक्षणों से केवल हमारे देश का विभाजन होगा और इससे हमारा देश एक नहीं हो जाएगा। किन्तु जब तक कमजोर वर्ग या ऐसे वर्ग हैं जिन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं, इन आरक्षणों से केवल उन्हें सहायता ही मिलेगी। इसीलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि एक घोषणा की जानी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और इसके लिए अभी से आपको उपाय करने चाहिएं।

आप जानते ही हैं कि पंजाब आतंकवाद से पीड़ित है। यह एक अद्भुत राज्य है। मैं यह कहूंगा कि पंजाब ही पीड़ित नहीं है किन्तु समस्त भारत पीड़ित है। यदि हम सचमुच अपने देश से आतंकवाद को दूर कर सकते हैं तो वह हमारे लिए एक महान दिवस होगा। मैं विपक्ष को याद दिलाना चाहूंगा, जो हमारे प्रधान मंत्री की आलोचना कर रहे हैं कि यह उनके प्रधान मंत्री पद का पंचम वर्ष है। यह पांचवां बजट है जो उनके वित्त मंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं,—यह बात रिकार्ड में है कि उनके नेतृत्व में हमने उद्योग में और कृषि में अभूतपूर्व विकास किया है जो विगत में कभी नहीं हुआ। सूखे के वर्ष के दौरान भी भारत की विकास दर 3.5 प्रतिशत थी और भारतीय उद्योग का औसत विकास 9 प्रतिशत से अधिक हुआ है जो अमरीका, जर्मनी, इंग्लैंड और जापान से अधिक है। यह सबको याद रखना चाहिए। बल्कि मैं यह कहूंगा कि भारतीय होने के नाते हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए कि भारतीय होते हुए हमने इतना कुछ उपलब्ध किया है। हमारे प्रधान मंत्री अद्भुत हैं। मुझे उनके नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार हम अपने उद्योग और कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, एक दिन भारत विश्व की चार महान शक्तियों में से एक होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगले 20 या 25 वर्षों में अमरीका, चीन, रूस और भारत विश्व दृश्य में अग्रिम स्थान पर पाएंगे। हो सकता है मैं न रहूं किन्तु आप में से तो बहुत यहां होंगे। कम-से-कम हमारी भारतीय जनता तो होगी ही और देखेगी कि हमने वह लक्ष्य प्राप्त किया है। हम पूरी शक्ति से उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

गरीबी, बेरोजगारी और आतंकवाद को दूर करने के अतिरिक्त मैं सरकार से यह निवेदन भी करूंगा कि हमें साम्प्रदायिकता को दूर करना चाहिए। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में, स्वतन्त्रता के चालीस वर्ष बाद भी साम्प्रदायिकता की घटनाएं देखने या सुनने में आती हैं। इसको पूर्ण रूप से दूर किया जाना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और ऐसे अन्य लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। हमें उन्हें आगे बढ़ाना है ताकि वे भी अच्छे भारत और कुशल भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के देश के शेष भागों के साथ चल सकें।

[श्री तरुण कान्ति घोष]

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो विकास हुआ है वह सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। मुझे महाराष्ट्र पर गर्व है। यह बहुत अच्छी तरह प्रगति कर चुका है। मुझे गुजरात पर गर्व है। यह भी उन्नति कर रहा है। लेकिन क्या आप उत्तर प्रदेश और सम्पूर्ण पूर्वी भारत के बारे में जानते हैं? वे पीछे चल रहे हैं। मैं सिर्फ बंगाल का ही सांसद नहीं हूं बल्कि मैं भारत का सांसद हूं। जब मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की दुर्भाग्यपूर्ण दशा देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब देश के एक भाग की उन्नति हो रही है तो इसे देश के प्रत्येक भाग में होना चाहिए, जिससे कि हम एक साथ आगे बढ़ सकें। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत ऐसा प्रथम विकासशील देश है, जिसने इस हद तक अन्नोत्पादन में सफलता प्राप्त कर ली है कि हमने सिर्फ अनाज की कमी की समस्या को ही नहीं सुलझाया है अपितु हम लोग अनाज का निर्यात भी कर सकने की स्थिति में हैं। संसार के अन्य किसी भी विकासशील देश ने इतने कम समय में यह सफलता प्राप्त नहीं की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और इस देश के किसानों के प्रति हम आभारी हैं। जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव बनाया है।

लेकिन अनाज का उत्पादन ही एक मुद्दा नहीं है हमें देखना है कि अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषकों को समुचित मदद मिले, और मुझे विश्वास है कि वे ऐसा कर सकते हैं, यदि बैंकों द्वारा उन्हें उचित मदद मिले, यदि सरकार उन्हें सही वक्त पर मदद करे, मुझे विश्वास है कि हम अपने अनाज उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं।

सूखे के दौरान वस्तुतः मूल्य वृद्धि नहीं हुई थी क्योंकि हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में अनाज का भण्डार था। और यदि हम अनाज के उत्पादन में वृद्धि करें तो हमेशा पर्याप्त मात्रा में अनाज का भण्डार रख सकते हैं।

इस परिपेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपनी वैज्ञानिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा को भविष्य में सुधारना होगा। जब तक उस ओर ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, भारत पिछड़ा ही रहेगा। वास्तव में, आज भारत जनसंख्या, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी में पिछड़ा हुआ नहीं है। लेकिन यदि भविष्य में हम अपनी प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक ज्ञान तथा शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में उन्नति नहीं करते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से इस विषय पर विशेष ध्यान देने के लिए आग्रह करता हूं।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। अपने अभिभाषण द्वारा हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने का मार्गदर्शन करने के लिए विशेषरूप से मैं राष्ट्रपति के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज): उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री गाडगिल द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमारे देश की 65 प्रतिशत आबादी देहातों में निवास करती है जो अपनी मांगों के लिए नारा नहीं लगा सकती, पैसे के अभाव में किसी नेता के पास जाकर फरियाद नहीं कर सकती। इस अभिभाषण में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने पर जोर दिया गया है, जिसके लिए राष्ट्र-

पति महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।

यहां कई माननीय सदस्यों ने हिन्दुस्तान की विदेश नीति की चर्चा की। दिनकर ने लिखा है कि :

प्रेम नहीं कर्तव्य मार्ग से नर को कभी गिराता है।
प्रेम सुधा पीकर ही मानव, शीश दान कर जाता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि चीन से हमारी समस्याएं वर्षों पुरानी हैं, आदान-प्रदान बन्द है, यदि हमने सम्बन्ध सुधारने के लिए चीन से वार्ता की, पाकिस्तान का दौरा किया और प्रजातंत्र के तरीके से चुनी हुई सरकार की प्रधान मंत्री बेनजीर भुट्टो से वार्ता की, अपनी पौलिसी पर चलते हुए यदि हमने मालदीव पर चन्द उग्रवादियों द्वारा कब्जा करने की कोशिशों को अपनी सेनाएं भेजकर नाकाम कर दिया, तो उससे यही सिद्ध होता है कि हम अपनी पौलिसी का अनुकरण करते आ रहे हैं, उसके तहत हर देश की मदद करेंगे। यदि चीन से दुराव की भावनाएं बनी रहतीं, हम उससे वार्ता नहीं करते तो इण्डिया में बैठे रहकर किसी समस्या का समाधान सम्भव न था। सदन में कहने से कोई समस्या हल नहीं हो जाती है। हमने सम्बन्ध सुधारने की दिशा में कदम उठाये, आप मानें या न मानें लेकिन देश का आवाम यह जरूर सोचता है कि चीन के साथ हमारा सम्बन्ध स्थापित होना दोनों देशों के हित में नितान्त आवश्यक था।

उसी तरह आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश और बिहार में उग्रवाद के बढ़ते खतरे पर चिन्ता प्रकट की गई है। मैं बिहार प्रदेश से आता हूं और मैं बिहार प्रदेश के हालात से अच्छी तरह अवगत हूं। बिहार के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि जब तक वहां बेरोजगारी की समस्या मुंह बाएं खड़ी रहेगी, उस वक्त तक उग्रवाद बढ़ता ही रहेगा।

आज बिहार प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। आप किसी भी जिले की स्थिति को देख लीजिए, हर जगह अव्यवस्था फैली हुई है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपकी औद्योगिक नीति तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि आप हर हाथ को काम देने का वादा नहीं करेंगे। जब तक हर हाथ को काम नहीं दिया जाएगा, तब तक चाहे पंजाब का उग्रवाद हो, चाहे बिहार का उग्रवाद हो, उसका समाधान नहीं हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान हम यहां सदन में बैठकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि जो भी पिछड़े राज्य हैं, उनके लिए वर्ल्ड बैंक या अन्य बैंकों से सहायता लेकर, उनका उत्थान कराएं।

महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के इकत्तीसवें पाइंट में कहा है कि इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत पहले ही देश के लगभग 40 प्रतिशत ब्लाक लाए जा चुके हैं। देश में इतनी बड़ी आबादी और सिर्फ 40 प्रतिशत ब्लॉक्स इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने से हम शिक्षा में आमूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आपने नवोदय विद्यालयों के बारे में कहा, इस बारे में मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वह नेपाल की सीमा से लगा हुआ बिहार प्रदेश का गोपालगंज क्षेत्र है। वहां के लिए सिफारिशें आईं और मीरगंज प्रखंड में लोगों ने 30 एकड़ भूमि स्वेच्छा से इस कार्य के लिए दान की। यदि वहां नवोदय विद्यालय नहीं खुलेंगे, तो शिक्षा नीति का क्या होगा। हमें उन लोगों को उत्साहित करने के लिए वहां पर नवोदय विद्यालय खोलने चाहिएं।

मान्यवर, मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत हमारे जो शिक्षक

[श्री काली प्रसाद पांडेय

पढ़ाएंगे, उनसे भी अभी तक इस नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत अध्यापन के बारे में यदि पूछा जाए, तो आपको ज्ञात होगा कि उनमें से अधिकांश को अभी तक इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। वे इस बात से अनभिज्ञ है कि हम क्या पढ़ाएं। जब हम इस नई शिक्षा नीति को इस सदन में लाएं और यहां उसको पास किया है, तो हमको यह व्यवस्था भी जरूर करनी चाहिए कि इसके अन्तर्गत ट्रेनिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से दी जाए। जब तक शिक्षक स्वयं नहीं समझ पाएंगे, तब तक बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाएंगे।

महोदय, मुझे उम्मीद थी कि राष्ट्रपति महोदय अपने अभिभाषण में स्कूलों की दशा के बारे में अवश्य बतलाएंगे, लेकिन मुझे खेद है कि इस बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं है। आज हालत यह है, चाहे वह बिहार प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है स्कूलों के भवन ठीक नहीं हैं। यदि भवन है, तो उसके ऊपर छप्पर नहीं है और यदि छप्पर भी है, तो खिड़की दरवाजे नहीं हैं। जब तक हमारी आधारभूत शिक्षा, जहां से शिक्षा की शुरूआत होती है, अगर हम उसी का सुधार नहीं करेंगे, तो हमारे हिन्दुस्तान में शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है। एक दिन श्री राजेश पायलट जी ने, सदन में परिवहन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में घोषणा की थी। उस दिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी तरह से शिक्षा में सुधार और विकास के लिए यह आवश्यक है कि सरकार सब से पहले माध्यमिक, लोअर और अपर प्राइमरी विद्यालयों की जो हालत है, उसे सुधारे। जब तक हम इनका सुधार नहीं करते हैं, तब तक हम चाहे कितना ही नई शिक्षा नीति का आश्वासन लोगों को दें, लेकिन वह कारगर नहीं हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए हम लघु उद्योग से लेकर बड़े उद्योगों को बढ़ावा दें जिससे कि हमारे जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, जिनको आज उग्रवादियों की उपाधि दी जाती है, वे अपना रोजगार कर सकें।

परिस्थिति के अनुकूल आप देखेंगे कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में चूंकि सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के सदस्यों की यह मांग थी कि हिन्दुस्तान के नौजवान की चुनाव की जो आयु सीमा रेखा रखी गई है, उस 21 वर्ष को हटाकर 18 वर्ष किया जाए।

आज कोई दल का कोई व्यक्ति हो, जब चुनाव आता है तो चाहे वोट का ही हमारा स्वार्थ क्यों न हो, वह उस नौजवान के पास जाकर कहता है कि आप हमारी मदद करें। हिन्दुस्तान का वही नौजवान वर्षों से अपने मताधिकार से वंचित था, सरकार ने मतदान की उम्र घटाकर 18 वर्ष की आयु रखी है, इसके लिए हम सरकार और राष्ट्रपति जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। इससे हिन्दुस्तान के नौजवान अब अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।

हम जिस क्षेत्र से आते है, वह नेपाल प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं उसमें नदी के उस पार के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे मनोज पांडे जी करते हैं और हमारे बगल के क्षेत्र से गफूर साहब आते हैं। आप यह देखें कि बूढ़ी गंडक नदी के कटाव से आधी से अधिक आबादी प्रभावित होती है। मैं भारत सरकार से सबसे पहले यह अनुरोध करूंगा कि हर वर्ष जब बाढ़ आती है, चाहे बिहार का भूकम्प हो या कलकत्ता की तूफानकारी लीला हो, सरकार यह जानती है कि अमुक-अमुक समय असम, बिहार और आन्ध्रप्रदेश में बाढ़ की समस्या होगी तो केन्द्रीय सरकार को जो भी सहायता राशि देनी हो वह उसी वक्त रिलीज करनी चाहिए और हर राज्य को यह निर्देश देना चाहिए कि कम से कम बाढ़ से पूर्व

निश्चित रूप से उस राशि को खर्च कर के बाढ़ से उस क्षेत्र को बचाने की व्यवस्था करे।

मैं अपने गोपालगंज क्षेत्र के लिए भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि गोपालगंज-सीवन, पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत की आंधी उसी सरजमीन से की थी, लेकिन आज उस क्षेत्र में चाहे डाकुओं का आतंक हो प्रश्न यह उठता है कि आप किसी भी जिले या प्रखंड में जाएं, वहां उद्योग नाम का कोई नामोनिशान नहीं है। इस पृष्ठभूमि में मैं अनुरोध करूंगा कि जो जिले बिहार प्रदेश के उद्योगों से वंचित हैं वहां उद्योग लगाने की व्यवस्था की जाए। इससे जो हमारे नौजवान आज उग्रवाद में लगे हुए हैं, वह दूसरे कार्यों में लग जाएंगे और निश्चित रूप से देश के विकास में जुट जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का स्वागत करता हूं।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति जो धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिए कि जो पालिसी डाक्युमेंट राष्ट्रपति जी ने रखकर दिशा-निर्देश दिया है इस देश को, वह मौजूदा हालात में काफी अनुकूल है।

यह वर्ष पं० जवाहर लाल नेहरू के शताब्दी वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं, इसलिए यह वर्ष क्रांति का प्रतीक होना चाहिए सामाजिक और आर्थिक क्रांति का प्रतीक होना चाहिए और आज तक हम सदियों से जो फिरकापरस्ती को किसी न किसी कोने में छिपाए हुए हैं, उसके खिलाफ क्रांति होनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि इस मुल्क में 40 वर्ष की आजादी के बाद भी हम अपनी पहचान भारतीय नहीं बना सके हैं।

3.00 म०प०

कहीं तो हम अपनी पहचान जाति के रूप में बनाये हुए है, कहीं पर हम अपनी पहचान धर्म, भाषा और क्षेत्रवाद के रूप में बनाये हुए हैं। यह ऐसा घाव है जो कि हमारे प्रजातंत्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है।

इस देश का आधारभूत सिद्धांत लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गुटनिरपेक्षता है। हम सिद्धांत में तो इसको अपनाये हुए हैं लेकिन व्यवहार में इसको उतार नहीं रहे हैं। हम किस के आगे रोना रोयें कुछ समझ में नहीं आता।

मैं अपने साथी श्री मधु दंडवते जी का बड़ा आदर करता हूं। इनके साथ काम करने वाले देवीलाल जी ने कई जनसभाओं में कहा कि हमारा "जनता दल" जो कि राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभरा है, वह एक अजगर की पार्टी है। और अजगर के मायने होते हैं अ से अहीर, ज से जाट, ग से गूजर और र से राजपूत। आज राष्ट्रीय विकल्प का सपना देखने वाले पार्टी के लोग अजगर के सिद्धांत पर इस देश को चलाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने समाजवाद को अपनाया और यह कहा कि धर्म को सियासत से अलग रखें। हालांकि हमारे राष्ट्रपति जी ने धर्म को राजनीति से अलग करने की तरफ इशारा भी किया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि दूसरे पक्ष के लोग जाति और धर्म के आधार पर देश की राजनीति चलाना चाहते हैं। हम सब को इसकी निन्दा करनी चाहिए। मधु दंडवते जी जैसे लोग इन सब बातों को सुनकर भी चुप रहते हैं। ऐसे में मुझे महाभारत में द्रोपदी के चीरहरण की कहानी याद आती है। जब द्रोपदी का चीर-

[श्री राम स्वरूप राम]

हरण हो रहा था तो वहां द्रोणाचार्य और भीष्मपितामह थे। उन्होंने कहा कि इस अबला की हिफाजत करो। इस पर लोगों ने कहा कि हम दुर्योधन का अन्न खा रहे हैं, हम कैसे बोल सकते हैं। डैमोक्रेसी पर जो कुठाराघात हो रहा है जातीय आधार पर, ऐसे में मधु दंडवते जैसे लोग द्रोणाचार्य के रूप में नहीं बोल रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यह बहुत गलत चीजें हो रही हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : चिन्ता मत कीजिए, द्रोपदी को कोई हाथ नहीं लगाएगा।

श्री राम स्वरूप राम : मैं डैमोक्रेसी रूपी द्रोपदी की बात कह रहा हूं। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। नौजवान ही इस देश में परिवर्तन ला सकते हैं—चाहे वह सामाजिक परिवर्तन हो या आर्थिक परिवर्तन हो। हमारे नौजवानों की हर क्षेत्र में एक अहम भूमिका रही है।

मैं एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कि बूथ कैपचरिंग होते हैं। 40 वर्ष की आजादी के बाद कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कि लोगों ने मत-पत्र तक नहीं देखे हैं। मान्यवर, मतदान केन्द्रों पर लोग कब्जा कर लेते हैं और कमजोर वर्ग के लोगों को मतदान केन्द्रों तक पहुंचने नहीं देते हैं। हमने हरियाणा में और अन्य कई जगहों में ऐसा होते देखा है। लोगों हम से खुद आकर यह कहते हैं कि हमने मत-पत्र नहीं देखे हैं। बैलट पेपर ही नहीं देख सके हैं, यह हमारे 40 साल की उपलब्धि है। इसके लिए उपाय कराये गये हैं लेकिन मेरा यह सुझाव है कि यदि आप चाहते हैं कि सही मायने में कमजोर वर्गों के लोग खुद ही अपने डिसीजन लें तो जिस मोहल्ले में या जिस टोले में 200, 300 वोटर्स हों तो उस मोहल्ले या टोले में बूथ बनना चाहिए तभी मैं समझता हूं कि वे फ्री ली, निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं।

मैं बिहार प्रान्त के उस इलाके से आता हूं, जिसकी चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में की है। वह इलाका सेन्ट्रल बिहार का है। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने रेड फोर्ट से अपने भाषण में इस बात की चिन्ता जताई कि जहानाबाद, गया, औरंगाबाद जैसे इलाकों को उग्रवाद का क्षेत्र घोषित किया गया है। अभी तक हमारी समझ में यह बात नहीं आ पा रही है कि आखिर उग्रवादी इन तीन-चार जिलों में ही क्यों एक्टिव हैं, वह इसलिए हैं कि हमारे प्रशासन, जो संवेदनशील होना चाहिए था, में संवेदनशीलता का अभाव रहा। उस इलाके में सामाजिक शोषण बहुत ज्यादा हुआ तो सामाजिक शोषण और संवेदनशीलता के अभाव की वजह से उसके पेट से निकला हुआ उग्रवाद आज गांव-गांव में फैल रहा है। मैं समझता हूं कि वहां किसी और मुद्दे की लड़ाई है, वह लड़ाई सामाजिक मुद्दे की है, सामाजिक दमन के खिलाफ वहां के गरीब वर्ग के लोग इकट्ठे हुए हैं। वह किसी वर्ग या जाति विशेष के लोग नहीं हैं। स्वयं राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसकी बात की है। अन्तिम पैरा में उन्होंने कहा है "हमारे आगे कठोर चुनौतियां और उत्साहपूर्ण अवसर है। आप जनता की इच्छा-शक्ति के मूर्त प्रतीक हैं। आप पर लोगों के स्वप्न को साकार करने की भारी जिम्मेदारी है। हम सामाजिक परिवर्तन के लिए एक ऐसा महानतम प्रयास कर रहे हे जो मानव जाति के इतिहास मे इस प्रकार का प्रथम प्रयास है। यह कार्य इतना महान है और कभी-कभी इतना हतोत्साह करने वाला है कि हम प्रायः यह सोचकर किंकर्तव्यविमूढ़ रह जाते हैं कि इस दिशा में कितना कुछ और किया जाना बाकी है। इसलिए जो दमन हुआ और उसमें प्रशासन ने जो उसका साथ दिया उससे बेचारा गरीब अभी तक नहीं उबर पाया। हमने उनके लिए पेय जल की व्यवस्था नहीं की, अभी तक उसके गांव में स्कूल की व्यवस्था नहीं की, उसके गांव में हमने दवा-दारू की व्यवस्था नहीं की। प्रशासन बड़े लोगों

के गांव में एक-एक नहीं, बल्कि दो-दो स्कूल खोल देता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां सरकार की एक टीम जानी चाहिए और उसको देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। गांव में कोई काम करते समय यह देखा जाता है कि यह किस जाति का गांव है। बड़े जाति के गांव में तो बिजली, पेयजल, स्कूल और स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था भी है लेकिन मध्य बिहार के गरीबों का जो गांव या टोला है वहां न तो स्कूल है, न पेयजल की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में गरीब किंकर्तव्यविमूढ़ होकर रह जाता है कि आखिर मैं कहां जाऊं। आज वह नौजवान एकत्रित होकर मांग करते है कि हमारे गांव में स्कूल हो तो उसे कहा जाता है कि तुम नक्सेलाइट हो।

आज केन्द्र सरकार के निर्देशन में आपरेशन सिद्धार्थ चल रहा है तो लोगों में संतोष की भावना पनप रही है लेकिन सिद्धार्थ आपरेशन के तहत भी फिर से वही गांव चुन लिए गये है जो पूर्व में ही विकसित है और हमारे अविकसित गांवों को उसमें छोड़ दिया गया है तो मैं समझता हूं कि इससे आपरेशन सिद्धार्थ भी एक मजाक बनकर रह जायेगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो चिन्ता जाहिर की है कि हम आर्थिक और सामाजिक बदलाव उन इलाकों में करें, इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ताकि गरीब समझे कि हमको भी कोई देखने वाला है। आज भी गांवों में जो गरीब लोग है वह सरकार पर भरोसा रखते हैं, श्री राजीव गांधी पर भरोसा रखते हैं लेकिन स्थिति यह है कि प्रधान मंत्री के निर्देश कुछ ऐसे हैं, राज्य सरकार के निर्देश कुछ होते हैं और जिलाधीशों के निर्देश कुछ होते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि बिचौलिए लोग बड़ी मोहक और रचनात्मक स्कीमों को भी चौपट कर देते हैं। आज प्रधान मंत्री जी ने सारे देश के शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के जन-प्रतिनिधियों की बैठक विज्ञान भवन में बुलाई और उन्होंने यह चिन्ता व्यक्त की कि जितना हमें करना चाहिए था ग्रासरूट लेवल पर, सारा प्रयास करने के बाद उसका रिजल्ट जीरो नजर आ रहा है। इस प्रकार की चिन्ता हमारी सरकार की है, हमारे राजीव गांधी जी की है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार की ओर से विशेष योजनाएं चलाई जानी चाहिए।

एक बात मैं किसानों और मजदूरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारा भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में रहती है। हमारे यहां 5 लाख गांव हैं, इन गांवों का हम जब तक विकास नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। प्लानिंग कमीशन की ओर से मेजरमेन्ट बोर्ड बनाये जाने चाहिए, यह देखने के लिए कि किन गांवों में कौन सी स्कीमें टेकअप की जाएं। कृषि कार्यों में लगे हुए 80 फीसदी लोग किसान और मजदूर हैं। इसमें 43 परसेन्ट एग्रीकल्चर मजदूरों की आबादी है जोकि गांवों में रहकर किसी किसान के यहां काम करके जीविकोपार्जन करते है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साल में केवल 3 महीने ही उनको काम मिलता है, 9 महीने वे मजदूर बेकार रहते हैं। रोजी-रोजी के अभाव में वे बेचारे गांव छोड़कर भागते हैं, पलायनवादी बनते हैं। उदाहरण-स्वरूप मैं आज भी कह सकता हूं कि अभी भी बिहार के 75 हजार एग्रीकल्चरल लेबर पंजाब और हरियाणा में काम कर रहे है जहां उन बेचारों की श्रमशक्ति का शोषण होता है। इसलिए उनके लिए भी कोई प्लानिंग होनी चाहिए। यह खुशी की बात है कि टोटल आफ दि बैंक लोन में से 17 परसेन्ट आपने किसानों के लिए रखा है लेकिन, जिस प्रकार से कृषि कार्य की डेफनीशन दी जाती है उसमे केवल किसान ही नहीं होने चाहिए बल्कि जो हमारा 43 परसेंट एग्रीकल्चरल लेबर है उसके लिए भी प्रोग्राम बनने चाहिए ताकि वहीं पर रहते हुए उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए वहां पर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन की ओर से वहां पर खांचा खड़ा करके वायबल स्कीमें चलाई जानी चाहिए ताकि स्थानीय तौर पर लोगों की रोजी-रोटी की समस्या हल हो सके।

[श्री राम स्वरूप राम]

लैंड रिफार्म्स के सम्बन्ध में मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा माननीय दुबे जी यहां पर विराजमान हैं। बिहार के मुख्य मन्त्री के नाते 14 जनवरी को पण्डित जी के जन्म दिन पर बिहार में उन्होंने 35 हजार एकड़ जमीन बांटी थी। मैंने तभी शंका व्यक्त की थी, दबी जबान में मैंने कहा था कि माननीय दुबे जी, जमीन बांटना तो आसान है लेकिन जमीन पर कब्जा दिलाना सबसे कठिनतम काम है। इस बात के आंकड़े मिल जाएंगे कि हमने हरिजनों को इतने एकड़ जमीनें दीं, यह भी आंकड़े मिल जाएंगे कि इतने आदिवासियों को इतने एकड़ जमीनें दी गई लेकिन यदि आप फिजिकल बेरिफिकेशन कराएंगे तब आप पाएंगे कि दस परसेन्ट लोगों को भी वास्तव में जमीन का पजेशन नहीं मिला है। (व्यवधान)

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : इसका मतलब आपकी राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही है।

श्री राम स्वरूप राम : मैं किसी पर टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। इसमें सरकार क्या कर सकती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब हमने शंका व्यक्ति की, तो इन्होंने ताकत के साथ आश्वासन दिया कि राम स्वरूप जी जो जमीन मैं बांट रहा हूं, उस जमीन पर कब्जा भी दिलवाऊंगा। लेकिन जब हम ब्लाक स्तर पर पर्चे लेकर जाते हैं और जमीन के कब्जे के बारे में देखते हैं, तो पता लगता है कि स्थिति बड़ी भयावह है। फिर मैंने देखा कि वर्तमान सरकार ने भी घोषणा की कि डेढ़ लाख एकड़ जमीन बांटेंगे। फिर मैंने मुख्य मंत्री से कहा कि मेरी शंका पुनः उत्पन्न हो रही है, जो शका हमारे माननीय दूबे जी के समय में पैदा हुई थी···(व्यवधान)···

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह जमीन दूसरे के कब्जे में है।

श्री राम स्वरूप राम : यदि किसी के नाजायज में कब्जे में भी हैं, तो उसको बेदखल कर के देना सरकार का दायित्व है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिहार में एक सेन्ट्रल टीम भेजिए, जो यह देखे कि सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, उसको वे पूरा कर सके हैं या नहीं। वहां पर स्थिति बहुत ही भयानक है।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, निवेदन करना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू की इस शताब्दी को क्रान्ति वर्ष के रूप में मनाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मेवा सिंह गिल (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण विशेष रूप से देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार की नीति समझी जाती है। उक्त अभिभाषण के अनुसार इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार की प्राथमिकता और सरकार के इरादों का पता बजट में किए गए प्रावधानों द्वारा लगता है। यही कारण है कि राष्ट्रपति अथवा राष्ट्राध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात् ही संसार के सभी प्रजातांत्रिक देशों में बजटीय प्रावधानों पर चर्चा एवं बाद-विवाद होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण सिर्फ कुछ नारों की औपचारिकता और कुछ झूठे वायदों की औपचारिकता तथा राष्ट्र की आधारहीन बड़ाई करना, रह गया है। मैं देख रहा हूं कि बिगत कुछ वर्षों से यह इस प्रकार का बन चुका है। इस अभिभाषण में किये गए सारे वायदे और दिये गए सारे नारों से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राष्ट्र की स्थिति उतनी

अच्छी नहीं है और वे इन वायदों को पूरा करने नहीं जा रहे हैं। फिर भी उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यक्त किया जाता है। परिणाम यह है कि उच्च वेतन पाने वाले अधिकारियों द्वारा लुभावने शब्दों में रचे गये ये नारे भारत की उन करोड़ों गरीब पीड़ित जनता का शोषण करते हैं जो कि लगातार दिग्भ्रमित ही रही है और इन नारों तथा काले धन द्वारा मतदान के समय दिग्भ्रमित की जाती है। संसार में सबसे विशाल हमारा प्रजातंत्र है परन्तु कभी-कभी कुछ कारणवश मैं इसे प्रजातंत्र कहने में संकोच महसूस करता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों ने प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धान्तों को अपनाया है परन्तु व्यवहार में यहां प्रजातंत्र है ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय यहां प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धान्तों का अपमान होता है और प्रजातंत्र के नियमों और सिद्धान्तों को दूर रखा जाता है। एक व्यक्ति के शासन को बढ़ावा देने के लिए जनता की गरीबी तथा अज्ञानता का प्रयोग किया जा रहा है। कानून और न्याय उपहास बन गया है। नवम्बर 1984 में दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर सिख समुदाय के हजारों लोगों को हत्यारों ने गृह मंत्रालय के सामने विकलांग करके नगण्य कर दिया, सामूहिक बलात्कार किया तथा अमानवीय ढंग से अत्याचार और लूट की। इस सबके बावजूद भी सरकार ने इसे बड़ी कठोरता से निपटाया। यद्यपि भारत तथा विदेशों के सभी समाज के वर्गों, सिख समुदाय के सभी वर्गों, बुद्धिजीवों वर्गों, पी० यू० डी० आर० तथा पी० यू० सी० एल० जैसे संगठनों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त जनरलों और प्रत्येक व्यक्ति ने मांग की कि अपराधियों को सजा दी जानी चाहिए परन्तु चार वर्ष में इस सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया। अपराधियों को अभी तक सजा नहीं दी गई है। कभी-कभी अयोग्य प्रधानमन्त्री को सत्ता में रखने तथा कभी जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति और अन्य मौलिक अधिकार निलंबित करने के लिए और सामान्य स्थिति में आपातकाल की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री को व्यापक शक्तियां देने के लिए लापरवाही से किए संशोधनों द्वारा भारतीय संविधान को अनेक बार विकृत कर दिया गया है। न्यायपालिका को भी स्वेच्छ से न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण द्वारा कार्यपालिका के अधीन कर दिया गया है जो कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पदोन्नति के समय उन न्यायाधीशों की उपेक्षा कर दी जाती है जिन पर राष्ट्र को गर्व है क्योंकि संविधान के सम्बन्ध में उनकी व्याख्या सत्ता के कुछ व्यक्तिओं के अनुरूप नहीं थी। हम समाचारपत्रों में पढ़ रहे हैं कि बिना किसी कानून बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी तथा न्यायपालिका के अधिकारियों से पुलिस रिमांड लिए बिना ही लोगों को महीनों तक नजरबन्द किया जा रहा है। उनसे कठोर बर्ताव, उत्पीड़न तथा अमानवीय ढंग से इस प्रकार पूछताछ की जाती है कि उनमें से कुछ बेकार हो जाते हैं तथा कुछ हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश वासियों से यह कठोर शब्दावली प्रयोग करने के लिए क्षमा चाहता हूं, परन्तु ये ऐसे कठोर तथ्य तथा वास्तविकतायें है जो मुझे इस शब्दावली का प्रयोग करने तथा उन मामलों को उद्धृत करने के लिए बाध्य कर रहे हैं जो चल रहे हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंडित जवाहर लाल नेहरू का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से भारत को पंडित नेहरू पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने जो कुछ किया है वह वास्तव में हमारे लिए गर्व की बात है। अब मैं एक दृष्टि इतिहास पर डालूंगा। मैं कह रहा था कि खाली नारे लोकतन्त्र के ढांचे को बिगाड़ रहे है। गणतंत्र भारत बनने के पश्चात भारत की जनता ने पंडित जवाहर लाल नेहरू की कांग्रेस को सत्ता के लिए चुना क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत के रूप उस दल को उसके त्याग के लिए वह पुरस्कृत करना चाहती थी तथा वह महात्मा गांधी के राम-राज्य की अवधारणा तथा स्वप्न को साकार करना चाहती थी। इसकी वजह यह थी कि जनता को उसकी कुछ झलक मिली। यही कारण था कि लोगों ने पंडित जवाहर लाल नेहरू का पूरी तरह से समर्थन किया था। परन्तु

[श्री सेवा सिंह गिल]

दुर्भाग्यवश उसके कुछ दिनों के पश्चात सार्वजनिक स्थानों पर, बसों में, गाड़ी के डिब्बों में, प्लेटफार्म पर, दुकानों पर तथा दूसरे स्थानों पर आलोचनायें होने लगी कि कांग्रेस शासन से ब्रिटिश राज बेहतर था। ये नारे उन दिनों सुनाई दे रहे थे। नारे केवल प्लेटफार्म, बस, झुग्गी और झोपड़ियों से ही नहीं बल्कि गंदे क्षेत्रों, ग्रामीण बस्तियों से भी आने लगे। ये विचार वे लोग भी व्यक्त करने लगे जो खेतों, उद्योगों तथा फैक्टरियों में काम करते थे तथा जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे और खाली पेट थे जो अपने उन लड़के तथा लड़कियों का जीवन बचाने के लिए कठिन परिश्रम करते थे जो कुपोषण तथा कमजोरी के शिकार थे। वे उनका जीवन बचाने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि दुकानों की लम्बी लाइनों में कुछ नहीं मिलता था। उन्हें मिट्टी का तेल नहीं मिलता था उन्हें राशन नहीं मिलता था, चीनी तथा वे सब चीजें नहीं मिलती थीं, जो अत्याधिक जरूरी मानी जाती हैं। इसलिए ये आलोचनायें होने लगीं। पंडित जवाहर नेहरू आसानी से भारत की भावना समझ गये। वह तुरंत ही आगे आये और उन्होंने एक नया नारा दिया कि यद्यपि हमने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है परन्तु आर्थिक स्वतन्त्रता अभी प्राप्त करनी है। उन्होंने नारा दिया। जो समाजवादी समाज का था। यद्यपि वह जानते थे कि यह दुविधा में है। इसी नारे पर सम्पूर्ण राष्ट्र ने कांग्रेस का समर्थन किया। इस नारे के द्वारा वे चाहते थे कि कोई निर्धन नहीं होना चाहिए तथा कोई धनी नहीं होना चाहिए। वे चाहते थे कि एक समतावादी समाज होना चाहिए। महात्मा गांधी की भी यही अवधारणा थी। उनकी रामराज्य की यही अवधारणा थी जिसका उन्होंने समर्थन किया। इसके तुरन्त बाद इसका प्रचार हुआ कि हिमालय से लेकर नीचे सम्पूर्ण भारत में एक समतावादी समाज होना चाहिए। वे राजा तथा रंक को बराबर चाहते थे। उसे हिमालय और गंगा-जमुना नदियों के क्षेत्र में गाया जाता था इसे उर्दू में गाया जाता है—

[हिन्दी]

ना कोई बन्दा रहे, न कोई बन्दा नवाज ?

[अनुवाद]

इसका अर्थ समानता से है। पंजाबी में भी हमने ऐसे विचार सुने हैं—

[हिन्दी]

"बनावांगे असी साकी जगा दे इस प्यासे नूं
सुराही मिलके चुमेगी मेरी मिट्टी दे कासे नूं
खामोशी जान छाले दी ते हथ्थ देख मेहरा दां
सिंहासन उठेगा जमाने दे अमीरां दां
बनावांगे नवीं रेखा मेरी तकदीर दे टोटे
जमाना पहन के नच्चे मेरी जंजीर दे टोटे
चुग के कलख कलियां दे नवीं कश्ती बनावांगे
ते उस किश्ती नूं फिर तूफां दे सिर ते नवावांगे"

[अनुवाद]

ये सीधे-सादे गीत थे। ये वे गीत थे जो गाये जाते थे। उस समय हिमालय की तरफ से आक-

मण हुआ। यह चीनी आक्रमण था। चीनी आक्रमण से केवल पंचशील और हिन्दी-चीनी भाई-भाई को ही धक्का नहीं लगा बल्कि यह उस युग अर्थात पंडित जवाहर लाल नेहरू के युग की समाप्ति की शुरुआत थी। जब भी हम पंडित जवाहर लाल नेहरू को याद करते हैं तो मैं कहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो कुछ किया वह इस समय कांग्रेस अथवा सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कुछ लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया। उन्हें याद करना अच्छा है परन्तु यदि हम उनका अनुसरण करते तो अच्छा होता तथा यदि उन्हें इन वर्षों में याद किया होता। परन्तु हमने ऐसा नहीं किया है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी नया नारा दिया।

[हिन्दी]

गरीबी हटाओ, हमारे हाथ मजबूत करो।

[अनुवाद]

इस समय दूसरा नारा दिया गया कि देश खतरे में है और यदि भारत समाप्त हो गया तो कौन रहेगा। अब एक नया नारा लगाया जा रहा है जिसमें वे कहते हैं कि पंचायतों को शक्ति देकर गरीबी तथा बेकारी हटाओ। यह आगामी चुनाव के लिए एक नया नारा है। दूसरे नारों की तरह यह नया नारा भी खाली नारा ही है। इंदिरा भारत है इस नारे को प्रोत्साहन न देकर कमजोर लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जाता महत्व रखती है। परन्तु वे सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं और तत्पश्चात आगामी पांच वर्ष के लिए शासन करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए प्रथा अनुसार बाध्य हूं। अन्यथा हम उस हद तक पहुंच गए है जो वास्तव में दुर्भाग्य पूर्ण तथा स्वतंत्रता के चालीस वर्षों के बाद भी हम उसी स्थान पर खड़े हैं जहां के हमने शुरुआत की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य शुरू करते है।

3.31 म० प०

उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक*

श्री जी० एस० बासवराजू (टुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उचित दर दुकानों के कार्यकरण को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उचित दर दुकानों के कार्यकरण को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी आए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* दिनांक 24-2-89 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

श्री जी० एस० वासवराजू : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं :

3.31½ म० प०

कृषि उपज कीमत नियतन विधेयक*

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : मैं प्रस्ताव करता हूं, कि कृषि उपज की उचित लाभकारी कीमतें नियत करने के लिए एक आयोग स्थापित करने और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि उपज की उचित लाभकारी कीमतें नियत करने के लिए एक आयोग स्थापित करने और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.32 म०प०

असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक

[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री बाला साहिब विखे पाटिल द्वारा 25 नवम्बर, 1988 को प्रस्तुत विधेयक पर आगे विचार करते हैं। श्री राम प्यारे पनिका अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने अन आर्गनाइज्ड लेबर वेलफेयर बिल 1985 प्रस्तुत किया है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधान मंत्री जी की इजाजत से उस समय के वित्त मंत्री जी ने कहा था कि देश में असंगठित श्रमिकों के लिए एक आयोग बनाएंगे। उस आश्वासन के अनुरूप पिछले वर्ष ही एक नेशनल कमीशन आफ रूरल लेबर, राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग की स्थापना की गई है और सौभाग्य से प्रधान मंत्री जी ने मुझे भी उसमें एक मेम्बर बनाया है। यह आयोग अन-आर्गनाइज लेबरर के तमाम सवालों को देखेगा, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि अन-आर्गनाइज्ड लेबर के लिए व्यापक सुधार होना चाहिए। कृषि मजदूर हैं, पशु धन में काम करने वाले मजदूर हैं, ग्रामोद्योग में, काटेज इंडस्ट्री में लगे हुए मजदूर हैं, बुनकर हैं, कालीन उद्योग के

* दिनांक 24-2-1989 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 में प्रकाशित।

मजदूर हैं, हैंडलम के मजदूर हैं, खादी ग्रामोद्योग के मजदूर हैं, ग्रामीण कलाकार, बढ़ई, सुनार, कार-पेंटर, मछुआरे, इस तरह से लाखों की तादाद में ग्रामीण क्षेत्रों में अन-आर्गनाइज लेबर हैं, जिनकी तरफ पहले हमको ध्यान देना है। केवल कृषि मजदूर ही नहीं बल्कि जितने भी डेवलपमेंट के डिसीप्लेन हैं, उन सब में किसी न किसी रूप में अन-आर्गनाइज्ड लेबरर लगे हुए हैं। इसके अलावा बान्डेड लेबर और माइग्रेंट लेबर की आती है। माइग्रेंट लेबर की समस्या पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और आसाम में इतने बड़े पैमाने पर है कि वहां अत्यधिक शोषण होता है। यह बात सही है कि उन्होंने जो एक फंड की स्थापना की बात कही है, वह होना जरूरी है। लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिया है मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। उन्होंने यह कहा है कि आरगेनाइज्ड सैक्टर के मजदूरों की एक प्रतिशत मजदूरी काट ली जाए। लेकिन इन मजदूरों की अपनी समस्याएं हैं। मैं इससे मौलिक रूप से सहमत नहीं हूं। इसमें यह होना चाहिए था कि अगर आप वैलफेयर फंड बनाते हैं तो इसमें एम्पलायर और गवर्नमेंट कन्ट्रीब्यूट करे। इसमें दूसरे का हक छीनने की बात गले से नहीं उतरती। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले सात-आठ वर्षों में अन-आरगेनाइज्ड मजदूरों के लिए भी कानून बने हैं और पहले भी बने हुए हैं। लेकिन कानूनों का इम्पलीमेंटेशन राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि इन कानूनों का पालन होना चाहिए। यह सौभाग्य है कि देश के श्रम मंत्री वे है जिन्होंने सारा जीवन ही मेहनतकश मजदूरों के लिए समर्पित कर दिया है, इस बात को इधर के व उधर के सदस्य भी जानते हैं। दुबे जी के दिल में मजदूरों के प्रति जो करुणभाव है वह हमने नजदीक से देखा है और दुबे जी जहां भी रहे, जिस जगहे भी रहे मजदूरों के लिए उसी तरह से काम करते रहे। कानूनों का परिपालन राज्यों में होता है। जब राज्य सरकारों की बात आती है तो विरोधी दल वाले सेंटर और स्टेट के रिलेशन्स की बात उठा देते हैं। आज हमारी एन० आर० इ० पी० और आर० एल० इ० जी० पी० की स्कीम्स हैं और जिनके लिए केन्द्र सरकार राज्यों को फंड देती है और यह कहा जाता है कि मिनिमम वेजेज मजदूरों को मिलना चाहिए। आज केन्द्रीय धन तो जा रहा है लेकिन प्रदेशों में ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारे श्रमिकों का शोषण हो रहा है। आज हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि केन्द्र से जो धन जा रहा है उससे मिनिमम वेजेज के अन्तर्गत मजदूरों को पूरी मजदूरी दी जाएगी। मिनिमम वेजेज जब तय हो जाती है तो उसका पालन करना राज्य सरकार का काम है।

आज एग्रीकल्चर लेबर की समस्या यह है कि जब देश में सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है तो किसानों की जो कैपेसिटी है वह समाप्त हो जाती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मिनिमम वेजेज तय होनी चाहिए और जितनी किसान की कैपेसिटी है उसके अतिरिक्त सबसिडी देने की व्यवस्था करें ताकि मजदूरों को कम-से-कम पेट भरने के लिए, उनकी मिनिमम नीड्स पूरी करने के लिए उनको मजदूरी दी जा सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जगह-जगह किसानों और मजदूरों में संघर्ष करने की बात आती है। एक तरफ आप मजदूरी फिक्स कर देते हैं दूसरी तरफ किसानों की इतनी शक्ति नहीं होती कि वह मजदूरी दे सकें। नतीजा यह होता है कि बंधुआ मजदूर काफी तादाद में पैदा हो जाते हैं और वे किसानों के शोषण के शिकार हो जाते हैं। इसको आप बड़ी गम्भीरता से, बड़ी होशियारी से और करुणा का भाव लेकर अध्ययन करें। जिससे किसानों और मजदूरों का जो संघर्ष होता है उसको हम रोक सकते हैं। जो अन्य सेक्टर के लोग हैं, जैसे बुनकर हैं कालीन को बुनने वाले या हैण्डलूम वर्कर्स हैं मैं इनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश से 250 करोड़ रुपये का कालीन निर्यात होता है। आप निर्यातकों को 17 प्रतिशत सब्सीडी देते हैं जितने का वह निर्यात करता है उसमें से। लेकिन जो बुनकर हैं, क्यों नहीं उनको 10 प्रतिशत आप इंसेंटिव देते हैं। जिससे और उत्साह से वह काम करें। हमारे यहां मिर्जापुर, बनारस आदि जगह जहां कालीन बनाने वाले हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी जो रखी गई है वह बहुत कम है, इससे उनका गुजारा नहीं होता। आपने इसको हजारड्स इंडस्ट्री

[श्री राम प्यारे पनिका]

घोषित किया हुआ है, लेकिन इनको जो सुविधाएं इसके अन्तर्गत मिलनी चाहिए वे नहीं मिल रही हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इनकी तरफ विशेष ध्यान दें। क्योंकि दूसरे देशों के जो कालीन बनाने वाले है वह हमारे देश के मजदूरों का शोषण लोगों में दिखाकर हमारे देश के इस उद्योग को नष्ट करना चाहते हैं। मैं श्रम मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि उसने 42 करोड़ रुपये की योजना बिदोही और मिर्जापुर में बनाई, लेकिन उसका कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनके लिए जो सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और प्रोपर ट्रेनिंग की व्यवस्था यह सही ढंग से नहीं हो रही है। जो निर्यातक हैं वे उन जगहों पर ऐसे सेंटर खोलना चाहते हैं जिन जगहों पर वे लोग कंसंट्रेट हैं। गुजरात में जिना भाई दजर्वे हैं जो इसके चेयरमैन हैं। उन्होंने गुजरात खेतिहर मजदूर संस्था बनाई है। उसके माध्यम से उन्होंने हजारों आदिवासी लड़कियों को ट्रेनिंग दी है जो कि बहुत अच्छे कालीन बना रही हैं। ट्रेनिंग की सुविधा जैसा कि योजना आयोग द्वारा निश्चित किये गये इलाके हैं जैसे ट्राइबल एरिया, डेजर्ट एरिया, साइक्लोनिक एरिया, ट्राउन प्रोन एरिया, हिली एरिया आदि इलाकों में मुहैया करानी चाहिए। श्री राजीव जी चाहते हैं कि सातवीं योजना का जो एक साल बचा है उसमें हम अधिक इम्प्लायमेंट जेनरेट करने का काम करें। इससे असंगठित क्षेत्र के लोगों को काम मिल सकेगा। मैं माइग्रेंट लेबर के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। यह सीजनल लेबर है, यह लोग पंजाब-हरियाणा आदि जगहों पर काम करते है। इसके बारे में असंगठित क्षेत्र कमिशन की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, क्योंकि उसमें समय लग सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार चार-पांच मुद्दों पर निश्चित तौर से काम करे। एक तो यह देखे कि माइग्रेंट लेबर का शोषण कैसे राका जा सकता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने के घंटे बहुत हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, यह भी देखा जाये। इस क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनकी जो मजदूरी है, जैसे विश्व के लेबर आर्गेनाइजेशन्स ने जो मजदूरी तय की है और कहा है कि इतनी कैलोरीज इनको चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि इनको यह मिल रही है या नहीं। अभी भी हिन्दुस्तान में करोड़ों ऐसे मजदूर हैं जिनको इतना पैसा नहीं मिल रहा है कि वे अपने परिवार सहित दो जून की रोटी खा सकें···इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे इलाकों का सर्वेक्षण कराएं और यह देखें कि जहां तक परम्परागत मजदूरी दी जा रही है, उसमें कैसे परिवर्तन करें, लोगों को मिनिमम वेज दिलवाएं। दुखद बात तब हो जाती है जब सरकार के कुछ विभाग शोषण-कर्ताओं या ठेकेदारों के हित में काम करने लग जाते हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। जब हमने वहां मिनिमम वेज की बात शुरू की और लगने लगा कि अब कुछ लोगों के कोर्ट में चालान पेश हो जाएंगे परन्तु हमें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ मामलों में एक्जैम्पशन दे दी, इरीगेशन डिपार्टमेंट को एक्जैम्प्ट कर दिया, पी० डब्ल्यू० डी० को एक्जैम्प्ट कर दिया, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक्जैम्प्ट कर दिया, फिर हमारी मांग की कोई वैल्यू नहीं रहती। वह कौन-सा पैसा है, जो सैंट्रल गवर्नमेंट देती है और इस शर्त पर देती है कि मजदूरों को उनका मिनिमम वेज मिलना चाहिए परन्तु कुछ सरकारें इसके विरुद्ध काम कर रही हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्य सरकारें हमारी विनिमम वेज से सम्बन्धित नीति की स्पष्ट अवहेलना कर रही हैं, जिसे हमने उच्चस्तरीय ढंग से तय किया, प्रधान मंत्री जी के संकेत पर तय किया, सारे देश के लेबर मिनिस्टर्स की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लेकर तय किया। आज वही लेबर मिनस्टर्स धड़ल्ले से उस नीति का मखौल उड़ा रहे हैं, शोषणकर्ताओं, ठेकेदारों और बिचौलियों को प्रश्रय दे रहे हैं। यहां तक कि कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों को भी बचा रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के खेतिहर मजदूरों के हित में, अन-आर्गेनाइज्ड मजदूरों के हित में, हमारे माननीय श्रम मंत्री जी उन तमाम स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिखें कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं ताकि मजदूरों को मिनिमम वेज मिल सके।

मिनिमम वेज के साथ, आज आवश्यकता इस बात की है कि अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर के मजदूरों को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। आज उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलतीं, उनके बच्चे पढ़-लिख नहीं पाते। हम हर सैक्टर में ऐसा वातावरण बनाएं जिससे मजदूरों का कल्याण हो। मैं पूछना चाहता हूं कितने एक्सपोर्टर्स ने बुनकरों के लिए स्कूल खुलवाये हैं, कितने एक्सपोर्टर्स ने बुनकरों के लिए शेड निर्मित कराये हैं, कितने एक्सपोर्टर्स ने बुनकरों के स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए व्यवस्था की है, हमने सर्वे कराया है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। आज फंड बनाने की की बात आती है, यदि कोई ऐसा फंड बनाया जाना है जिसमें एम्पलायर का कन्ट्रीब्यूशन हो, स्टेट गवर्नमेंट का कन्ट्रीब्यूशन हो और सैन्ट्रल गवर्नमेंट का भी कन्ट्रीब्यूशन हो तो वह किसी एक जगह नहीं, बल्कि सभी राज्यों में अलग-अलग, स्टेट लेवल पर या टैरेटरी लेवल पर बनाया जाये ताकि उसके जरिए वहां के मजदूरों को कुछ सुविधाएं मिल सकें। आज अन-आर्गेनाइज्ड लेबर ई० एस० आई० की सुविधाओं से कोसों दूर है और हम उसका फैलाव भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें कोई-न-कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ई० एस० आई० की सुविधा हर मजदूर तक पहुंच सके, उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके, उन्हें छुट्टियां, बोनस आदि तमाम सुविधाएं मिल सकें, तभी काम चलेगा।

इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर यही चाहता हूं कि कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही हम कुछ कदम उठाएं क्योंकि अब समय आ गया है जब ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत है। देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। इसलिए अन-आर्गेनाइज्ड लेबर को मिनिमम वेज का भुगतान करने के साथ-साथ सुविधाएं दिलाए जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इससे काम चलने वाला नहीं है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरैक्टिव्ज भेज दिये हैं, हमें केन्द्रीय स्तर पर निगरानी मशीनरी का निर्माण करना होगा जो सभी राज्यों पर अपनी निगाह रखे कि वहां क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री बाला साहिब विखे पाटिल को इस गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक को पुरःस्थापित करने पर बधाई देता हूं, जिस पर आज चर्चा की जानी है। मुझे आपको यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि श्री बाला साहिब और उनके स्वर्गीय पिता ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में काफी योगदान दिया विशेषतया महाराष्ट्र में उन्होंने, अधिक पढ़े-लिखे न होते हुए भी कुछ सहकारी चीनी मिलें लगाने में सहायता दी जो कि आज देश के अन्य भागों के लिए आदर्श बन गई हैं। इस औद्योगीकरण से किसानों, विशेषतया छोटे और सीमांत किसानों, जो कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रहते है के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार होने के साथ-साथ खेतिहर मजदूरों की दशा में भी सुधार हुआ है। अतः मैं असंगठित मजदूरों के हित और विकास के लिए इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता की चिन्ता और निष्कपटता को समझता हूं अतः मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं इस विधेयक में बताये गये सभी कारणों और उद्देश्यों से सहमत हूं। इस सरकार से असंगठित मजदूरों के लिए उपाय करने की वकालत करते रहे हैं। आज, अनुमानत. इस देश में लगभग 274 मिलियन असंगठित मजदूर हैं। लगभग 90 प्रतिशत मजदूर वर्ग अभी भी असंगठित है। मैं उन क्षेत्रों के बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा जिनके बारे में मेरे मित्रों, श्री बाला साहिब और श्री पनिका पहले ही काफी विस्तार से कह चुके हैं। मैं इस सदन के समक्ष विचार करने के लिए कुछ मुद्दे और रखना चाहूंगा।

मैं इस विधेयक के अनुच्छेद 4 और 5 से सहमत हूं जहां माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि केन्द्र सरकार को प्रस्तावित कल्याण निधि में लगभग 25 प्रतिशत का अंशदान करना चाहिए। इसी तरह, उन्होंने सुझाव दिया है कि सम्बन्धित राज्य को भी 25 प्रतिशत अंशदान देना चाहिए। मैं इस

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

सुझाव से पूर्णतया सहमत हूं। इस विधेयक में मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि संगठित मजदूर वर्ग के प्रत्येक सदस्य को इस कल्याणकारी निधि में अपनी कुल आय का एक प्रतिशत अंशदान देना चाहिए। यह अच्छी बात है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है लेकिन उन करोड़पतियों, बड़े उद्योगपतियों, टाटा और बिरला के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने उन खेतिहर मजदूरों और औद्योगिक श्रमिकों की खून-पसीने की कमाई से हजारों-करोड़ों रुपया जमा किया है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या कुछ छोटे-मोटे कार्य भी करते हैं। अन्तत. उत्पादन बाजार में आता है। मेरा सुझाव है कि इन बड़े उद्योगपतियों को इस देश के असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए कुछ अंशदान देना चाहिए। आप जानते हैं कि स्वतन्त्रता के समय टाटा की सम्पत्ति लगभग 30 करोड़ रु० थी जबकि अब इनकी सम्पत्ति 6400 करोड़ रु० की है। यही स्थिति बिरला की है। लगभग 20 परिवारों के पास 20,000 करोड़ रु० से अधिक की सम्पत्ति है। उनमें से कुछ ने तेजी से प्रगति की है जबकि गांवों में एक किसान तीन या चार वर्षों में भी एक एकड़ भूमि नहीं खरीद सकता। इनमें से कुछ औद्योगिक घरानों में तीन वर्षों ने अपनी सम्पत्ति में 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर ली है और अगले तीन वर्षों में और 100 प्रतिशत वृद्धि कर ली है। अत: इस सन्दर्भ में मेरा सुझाव है कि इन बड़े औद्योगिक घरानों को असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए अंशदान देना चाहिए और इन कम्पनियों को असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए अपने मुनाफे की 5 प्रतिशत राशि इस निधि में देनी चाहिए। इसी तरह ऐसे बहुत से बड़े-बड़े व्यापारी हैं जो बड़े-बड़े व्यापार कर रहे हैं उनकी कुछ बड़ी कम्पनियां नहीं हैं लेकिन उनका काफी बड़ा व्यापार है। ऐसे लोगों को जिनकी वार्षिक कर योग्य आय एक लाख रुपये से अधिक है। उन्हें अपनी कुल आय का 3, 4 या 5 प्रतिशत इस निधि में देना चाहिए। जब तक इस प्रकार के कुछ उपाय नहीं किए जाते तब तक इस देश में असंगठित मजदूरों की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है ? ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक कोने में इन गरीब लोगों के घरों, हरिजनों और गिरिजनों या अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के घरों को घर नहीं कहा जा सकता। उनके घर पशुओं के शेडों से भी खराब हैं। कुल मामलों में तो पशुओं के रहने की जगह भी इन गरीब लोगों के घरों से ज्यादा अच्छी है। इसलिए, इस दिशा में शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए।

इस सदन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस आशा में अपने जीवन का मूल्यवान समय जेलों में बिताया है कि इस देश की जनता समृद्ध होगी और इन निर्धन लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इन असंगठित मजदूरों की दशा सुधरेगी। लेकिन मैं तो कहूंगा कि जब तक कुछ सख्त और सुधारात्मक उपाय नहीं किये जाते, इनकी दशा को सुधारने में कई शताब्दियां लगेंगी।

मेरा सुझाव है कि सरकार को सम्पन्न वर्ग के लोगों पर कर लगाने और इनसे असंगठित मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए धन वसूलने पर विचार करना चाहिए। विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित मजदूरों के पास मकान न होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

भारत सरकार ने हाल ही में इन्दिरा आवास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब हरिजनों और गिरिजनों को मकान दिये हैं। तथापि यह कार्यक्रम छोटे पैमाने पर शुरू किया गया है और इससे इसमें शताब्दियां लग जाएंगी। मेरा सुझाव है कि जब कभी इस तरह के अच्छे कार्यक्रम शुरू किये जायें, तो जनता को इसमें अवश्य सहयोजित करना चाहिए। अगर हम उनका सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे तो उससे उन वर्गों को वास्तव में लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्हें भी कुछ सीमा तक अनुदान का कुछ भाग ऋण का कुछ भाग देना चाहिए जिसे वे कुछ वर्षों में वापिस कर सकते हैं। इस प्रकार के आवासीय कार्यक्रम

को बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए जिससे कि न केवल हरिजनों या गिरिजनों को बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों जैसे मोचियों, बढ़इयों, लुहारों, मछुआरों आदि को भी सहायता मिले।

3.59 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

इस सम्बन्ध में, आपको पता होगा कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इन लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया है। हमारी राज्य सरकार ने अल्प साधनों से मकानों के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। वर्तमान सरकार 1983 में सत्ता में आई थी। हमारे राज्य में इससे पहले की सरकार ने 50,000 अर्ध-पक्के मकान बनवाये थे। हमारी तेलगुदेशम सरकार ने पिछले छः वर्षों के दौरान 7 लाख और 75 हजार पक्के मकान बनवाये है। इसी तरह, प्रत्येक राज्य में यह कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की बड़े पैमाने पर सहायता करनी चाहिए। और देखना चाहिए कि इन गरीब लोगों के लिए स्थायी मकान बनाये जाएं, जिससे अगर जल्दी नहीं तो अन्ततः भविष्य में समस्या को सुलझाया जा सके।

4.00 म० प०

पहले, आन्ध्र प्रदेश राज्य में जब तेलगुदेशम पार्टी सत्ता में आई तो लगभग 18 लाख मकान गरीब लोगों को दिये गये थे, पिछले छ वर्षों में हमारी सरकार ने और 16 लाख मकानों के लिए स्थान गरीब लोगों को दिये थे। हमारे पास जो अल्प साधन हैं उससे हम इतना सब करने में समर्थ हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मानव की बुनियादी आवश्यकताएं भोजन, कपड़ा और मकान है और उन्होंने कहा यह उसी क्रम में है। इसीलिए हमारी सरकार ने सोचा कि इस योजना के अन्तर्गत गरीब लोगों को स्थायी मकान देना ठीक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक मजदूरों के पास वर्ष में कुछ महीने ही कार्य होता है और वर्ष के बाकी समय में उनके पास कोई काम नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि न केवल राज्य सरकार बल्कि केन्द्र सरकार को भी इस असंगठित क्षेत्र के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार ने 'खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन' की एक नई योजना शुरू की है इसके अन्तर्गत इन गरीब खेतिहर मजदूरों को 30 रुपये प्रति माह देने की योजना है। आजकल 30 रुपये कम है। इस थोड़े से पैसे से वे अपने परिवार के लिए पर्याप्त राशन भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार को भी अपनी तरफ से 30 या 50 रुपये इसमें चाहिए अंशदान करने जिससे कि वह अगर दो समय का भोजन नहीं तो कम-से-कम एक समय का भोजन मिल सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि असंगठि श्रमिक कल्याण निधि से कुछ धनराशि निर्धन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की पेंशन के लिए भी अलगर खी जानी चाहिए।

अब मुझे महिलाओं के बारे में कहना है जो हमारी जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक है। यह देखकर बड़ी घृणा-सी होती है कि गांव में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है और उन्हें खेतों में जाना पड़ता है कई बार उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं नहीं जानता कि सरकार पुरुषों के लिए तो अलग रहा महिलाओं के लिए भी शौचालय बनाने में समर्थ क्यों नहीं है ? मैं नहीं जानता सरकार इसे बड़े पैमाने पर क्यों नहीं लेती है। मैं जानता हूं कि आपने इस काम की शुरूआत की है किन्तु इसे बड़े पैमाने पर शुरू करना होगा। इस वैज्ञानिक युग में आप कार में भी टेलीफोन लगा सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप इन चीजों पर धन खर्च कर सकते है तो आप गरीब

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

ग्रामीण किसानों की बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराने पर धन क्यों नहीं खर्च कर सकते ? हमें उन्हें प्राथमिकताएं देनी चाहिएं। जब गांवों में महिलाओं को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हम इन आधुनिक उपकरणों पर इतना धन कैसे खर्च कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आपको प्राथमिकताओं को बदलना चाहिए और असंगठित श्रम वर्ग के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह, हथकरघा बुनकर है उनमें से कुछ संगठित हैं लेकिन उनमें से बहुत असंगठित हैं। वे काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। समस्या यह है कि आप महात्मा गांधी द्वारा दी गई सलाह को भूल गये हैं। 'चरखा' जो वह स्वरोजगार के प्रतीक रूप में इस्तेमाल करते थे। अन्य कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद वह उस पर काम किया करते थे। इससे वह इस देश के करोड़ों लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यदि हम ब्रिटेन, अमरीका जैसे औद्योगिक रूप से विकसित देशों या रूस जैसे साम्यवादी देश का अनुसरण करें तो बेरोजगारी की समस्या कभी हल नहीं होगी। यही कारण था कि उन्होंने लघु उद्योग क्षेत्र या हथकरघा क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन किए जाने पर अधिक बल दिया। किन्तु दुर्भाग्य से हम इस देश में हजारों टन फाइबर विस्कोस के आयात की अनुमति देकर उन बड़े मिल मालिकों की तरफदारी कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप गरीब हथकरघा बुनकरों को नुकसान हो रहा है। हमारी सरकार की यह योजना है कि हथकरघा बुनकरों से प्राप्त साड़ियों और धोतियों की पूर्ति आधी कीमत पर की जाए। अभी तक हमारे बुनकरों द्वारा तैयार की गई लुंगियां बर्मा, श्रीलंका और अन्य देशों को निर्यात की जाती रही हैं। किन्तु अब उन बुनकरों को संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अब इन देशों को निर्यात करना बन्द कर दिया गया है और उनके लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। बुनकर बहुत संकट में हैं और उनमें से कुछ तो गरीबी और भूख के कारण मर गए हैं। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। कृपया यह न समझें कि मैं केवल अपने राज्य के लिए ही बहस कर रहा हूं। किसी भी राज्य में जहां ऐसी दयनीय स्थिति उत्पन्न हो सरकार को तुरन्त इस पर ध्यान देना चाहिए और बुनकरों द्वारा उत्पादित लुंगियों तथा अन्य हथकरघा वस्त्रों का काफी स्टाक खरीदने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इससे उन्हें अपने इस उत्पादन को बेचने तथा फिर से बुनाई में लग जाने की सुविधा मिलेगी। इन सभी मामलों में मेरा सुझाव यह है कि सरकार की इन मामलों के प्रति कुछ वचनबद्धता होनी चाहिए।

बिहार राज्य के बहुत से लोग हरियाणा और पंजाब राज्यों में खेतिहर मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। वे अपनी आजीविका के लिए अत्यधिक दूरी तय कर हैं। बिहार में यदि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पूरी तरह और सद्भावनापूर्वक कार्यान्वित किया जाए तो इन लोगों को भारी संख्या में पंजाब और अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कड़ाई से लागू नहीं किया गया है। दूसरी ओर देश के कुछ भागों में किसान मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से बहुत अधिक मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश में एक महिला कामगार को तीन घंटे के लिए 10 रुपये दिये जाते हैं और आदमी को चार घटे के काम के लिए लगभग 20 रुपये दिये जाते हैं। यही स्थिति पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी है। मेरा सुझाव यह है कि सरकार को न्यूनतम मजदूरी को कड़ाई से लागू करने के लिए पक्का निश्चय करना चाहिए।

आज प्रात: भी रेलवे कामगारों के सम्बन्ध में प्रश्न पर रेल मंत्री ने उत्तर दिया। अब भी चार, पांच या छ: अथवा सात वर्षों तक कार्य करने के बाद भी रेलवे में नैमित्तिक मजदूरों की

सेवाएं नियमित नहीं की गई हैं और आज भी उन्हें नैमित्तिक मजदूर समझा जा रहा है और उन्हें केवल दैनिक मजदूरी दी जा रही है। मैं इस हालात को नहीं समझ सका हूं। कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनके अन्तर्गत यदि कोई कामगार एक वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य कर लेता है तो उसकी सेवाएं नियमित हो जानी चाहिएं। तब रेलवे में इतनी लम्बी अवधि तक कार्य कर रहे लाखों कामगारों को नैमित्तिक मजदूर कैसे माना जा सकता है? इससे निश्चित रूप से यह पता चलता है कि रेलवे में नियमित आधार पर बहुत अधिक संख्या में अतिरिक्त कामगारों की आवश्यकता है। उन्हें केवल इस आधार पर नियमित नहीं किया जा रहा है कि नियमित करने से रेलवे पर वर्तमान स्थिति से अधिक लागत भार बढ़ जाएगा। जबकि केन्द्र सरकार जो कि एक आदर्श नियोक्ता है और जो इन कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ न्यायिक और अपराधिक कारवाई कर सकती है वही ऐसा व्यवहार करती है तो इसका समाधान कौन करेगा? लोग अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए किसको अपील करें?

यही स्थिति डाक और तार विभाग की है। इस विभाग में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है जो एक वर्ष में 240 दिन से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और वे लगभग सात वर्षों से इस सेवा में हैं। किन्तु अभी भी उनकी सेवाएं मान्य नहीं हैं और वे नियमित भी नहीं हैं।

मैं कम उत्पादकता पर भी गहरी चिन्ता व्यक्त करता हूं। मैं यह मानता हूं कि उत्पादकता बढ़नी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को यथासम्भव तरीके से राष्ट्र की सेवा के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। किन्तु साथ ही आपको उन लोगों के हितों की भी अनदेखा नहीं करना चाहिए जो उन संगठनों में इस उम्मीद से काम कर रहे हैं कि चार या पांच वर्ष बाद तो उनकी सेवाएं नियमित हो जाएंगी। इसलिए आपको कम-से-कम इस बात का तो वचन देना ही चाहिए इसके बाद ही ये सब बातें हो पाएंगी। मैं एक बार फिर सरकार को यह सुझाव देता हूं कि वे बालासाहिब विखे पाटिल जी द्वारा प्रस्तुत किये गये गैर-सदस्य के इस विधेयक की भावना को समझें और अपनी ओर से उनके द्वारा बताए गए प्रावधानों और भावनाओं, विपक्ष तथा सत्ताधारी पार्टी के बहुत से सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों और सुझावों को शामिल करके, एक दूसरा कानून बनाये और अन्तोगत्वा एक उत्तम कानून लागू करें ताकि इन असंगठित श्रमिकों के हितों का उचित ध्यान रखा जा सके और यह सरकार उनके कल्याण पर भी उचित ध्यान दे। अभी तक उनके कल्याण को विभिन्न स्तरों पर नजर अंदाज किया गया है। उनके कल्याण की न केवल केन्द्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी उपेक्षा की गई है। किन्तु हमें उन्हें यह कहने का अवसर नहीं देना चाहिए कि उन्हें न्याय मिलने में अभी और कई दशक लगेंगे।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे माननीय मित्र श्री पाटिल ने सदन को इन असंगठित श्रमिकों की आवश्यकताओं और शिकायतों पर विचार करने का अवसर दिया। यह बहुत ही व्यापक विषय है। विषय स्वयं में ही असंगठित है, जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है अभी प्रत्येक राज्य में लाखों-करोड़ों लोग असंगठित हैं। उनकी सहायता के लिए क्या किया जाना चाहिए? महाराष्ट्र में शुरू किये गये एक रचनात्मक प्रयास को एक या दो और राज्यों ने भी अपनाया है जिसमें सरकार कम-से-कम एक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले। वे यह कार्य किस प्रकार करेंगे, वे यह कार्य कैसे कर रहे हैं और वे इस कार्य के लिए किस प्रकार वित्तपोषण का कार्य कर रहे हैं आदि सभी ऐसी गम्भीर समस्याएं हैं जिनके सम्बन्ध में आज हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है।

[प्रो० एन० जी० रंगा]

मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे माननीय मित्र श्री पनिका ने प्रधान मंत्री द्वारा अपने दौरे के दौरान उठाए गए कुछ रचनात्मक कदमों और इन लोगों के दुखों के बारे में प्राप्त जानकारी के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया। प्रधान मंत्री ने खेतिहर श्रमिकों के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। क्या यह ग्रामीण श्रमिक है या खेतिहर मजदूर ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : ग्रामीण श्रमिक।

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे उम्मीद है कि आयोग देश में विभिन्न लोगों द्वारा उनके ध्यान में लाई गई अन्य बातों के अतिरिक्त इस वाद-विवाद के दौरान उनके ध्यान में लाई गई और लाई जाने वाली सभी बातों पर विशेषरूप से ध्यान देगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों के पास कैसे पहुंचा जाए और देश में रोजगार के किन क्षेत्रों में काम किया जाए ? काम करने वाले असंगठित श्रमिक उचित सुरक्षा की कमी के कारण दुख उठा रहे है क्योंकि इनमें से बहुत लोगों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। उन्हें बंधुआ मजदूरों की स्थिति में पहुंचा दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी है। अधिकांश राज्यों में इसे उचित रूप से या प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि कृषि में लगे असंगठित श्रमिकों के बहुत बड़े क्षेत्र के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है।

उनकी अविलम्बनीय आवश्यकता यह है कि गन्दी बस्तियों में रहने वाले अधिकतर असंगठित व्यक्तियों के लिए न्यूनतम नागरिक सुविधाओं और आवास स्थानों के लिए व्यवस्था की जाये और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पिछड़े वर्गों और हरिजनों के लिए आवास स्थानों की व्यवस्था की जाए। बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा इस बारे में ईमानदारीपूर्वक जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है इस बारे में भी और अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा संरक्षित आवास स्थानों की व्यवस्था की जानी चाहिए और मकान अच्छे और मजबूत होने चाहिए ताकि उनमें रहने वाले व्यक्तियों को गर्मी के मौसम के दौरान उनमें आग लगने का डर न रहे। मेरे माननीय मित्र श्री राव ने हमारा ध्यान आंध्र प्रदेश में किये जा रहे कार्य की ओर आकर्षित किया है। जब वहां कांग्रेस दल सत्ता में था तो उसने वहां आवास स्थानों की व्यवस्था करने का प्रयास किया। अब हमारे तेलगू देशम के मित्रों ने भी बड़े पैमाने पर छोटे मकानों को देने के लिए कार्यवाही की है यद्यपि बहुत से स्थानों पर इन मकानों की व्यवस्था करने के लिये पहले से ही प्रयास किए जा रहे थे। अब यह सब अच्छी बात है परन्तु केवल यही पर्याप्त नहीं है और इस बारे में और अधिक कार्य किया जाना चाहिए। परन्तु बहुत से राज्यों में यह प्रयास भी नहीं किया जा रहा है और उन राज्यों में भी इस कार्य को किया जाना चाहिए।

इसके बाद एक अन्य बात सार्वजनिक शौचालयों आदि की व्यवस्था के बारे में है। वे यहां शौचालयों की बात करते है। हमें इन गरीब असंगठित लोगों, पुरुषों और महिलाओं के लिए कम से कम सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। ये जन सुविधायें गांवों में उपलब्ध नहीं होती हैं। परन्तु क्या उनकी व्यवस्था करना संभव है। यह कहा जा सकता है कि गांधी जी के समय, परोपकारी दिनों में, हमने पंचायतों की सहायता से उनकी व्यवस्था करने का प्रयास किया था। यह कार्य असंभव नहीं है। आजकल भी आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा नामक भाग में रायलसीमा सेवा समिति द्वारा बड़े पैमाने पर यह कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सहायता और सहयोग से स्थानीय सरकार और कुछ समाज कल्याण संगठनों की वित्तीय सहायता से ऐसे हजारों शौचालयों का निर्माण

किया जा रहा है। असंगठित परिस्थितियों में इन लोगों के लिए आवश्यक ये न्यूनतम संभव मानवीय सुविधायें हैं। परन्तु फिर उनके नियोक्ताओं से उनकी रक्षा करनी होगी। अब, उनमें बहुत से व्यक्ति नियोक्ताओं के अधीन हैं।

उनमें से बहुत से व्यक्ति स्व-रोजगार में कार्यरत हैं और हमें इस स्व-रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि करनी चाहिए। उन व्यापारियों से जो उनका सामान खरीदते है, उन महाजनों से, जो उन्हें पैसा उधार देते है, उनके लिए आदानों की व्यवस्था करने वाले अन्य लोगों से उनकी रक्षा करनी होगी। इन सभी बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरणतया हथकरघा बुनकरों के कष्टों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। हाल ही के दिनों आन्ध्रप्रदेश और विशेष रूप से बिहार में भूख के कारण मौतों की रिपोर्टें मिली थीं। अब इस बारे में कुछ कार्य किया जाना चाहिए। भारत सरकार की एक वस्त्र नीति है। वह योजना नीति ही पर्याप्त नहीं है, हथकरघा बुनकरों के लिए किन्हीं कल्याणकारी उपायों का उस नीति में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके विपरीत इससे बिजलीकरघा और बड़े पैमाने पर संगठित वस्त्र उद्योग को लाभ हुआ है। जहां तक हथकरघा बुनकरों का सम्बन्ध है। उन्हें काफी नुकसान हुआ है। अब इसी प्रकार कालीन बनाने के उद्योग और ऐसे अन्य सभी उद्योगों में अधिकांश श्रमिक स्व-रोजगाररत है परन्तु उनमें से अधिकांश व्यक्ति असंगठित हैं। उन्हें उनके मालिक बुनकरों अन्य नियोक्ताओं और कुछ सहकारिताओं द्वारा रोजगार पर लगाया जाता है। इन व्यक्तियों की रक्षा की जानी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन द्वारा उनकी रक्षा की जा सकती है परन्तु यह भी पर्याप्त नही है। इसी प्रकार कृषि में सबसे महत्वपूर्ण बात न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना और उसे निर्धारित करने के बाद उसे लागू करना है। इसके अलावा एक बार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर देने के बाद ही एक मानक निर्धारित हो जाता है और धीरे-धीरे दो या तीन वर्षों और उसके बाद लोग स्वयं न्यूनतम मजदूरी देना आरम्भ कर देंगे। और उन श्रमिकों को यह पता लग जायेगा कि वे न्यूनतम मजदूरी मांगने के हकदार है। अतः उनमें से कुछ श्रमिक न्यायालयों में और श्रम अधिकारियों के पास जाकर उस अधिनियम का लाभ उठाना चाहेंगे ताकि अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिल सके।

अतः न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाना चाहिए। आजकल बहुत से क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी से भी अधिक राशि की अदायगी की जा रही है। और मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति आदि में वृद्धि के अनुपात के अनुसार समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

यह कार्य करने के बाद हम कैसे इन असंगठित श्रमिकों की समस्या का समाधान करेंगे और कैसे उनकी सहायता करेंगे? इस बारे में गम्भीरतापूर्वक अध्ययन और विचार किया जाना चाहिए। मैंने स्वयं एक असंगठित श्रम मंत्रणा समिति को एक सुझाव दिया था जोकि यहां श्रम मंत्रालय से सम्बद्ध थी। मैं उस समिति का एक सदस्य होता था। उस समिति का क्या हुआ यह मैं नहीं जानता। गत छः वर्षों में वह कार्यरत रही है अथवा नहीं, उसे कौन-कौन से सुझाव प्राप्त हुए हैं। उस समय मैंने एक सुझाव दिया था कि उन व्यक्तियों में से, जो इन लोगों के कल्याण के लिए अपना समय लगाते है, जो स्वयं लोक कार्यकर्ता हैं और जो राजनैतिक व्यक्ति और जो राजनैतिक रूप से वचनबद्ध नहीं हैं, अवैतनिक आधार पर श्रम कल्याण सलाहकार की नियुक्ति किये जानी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को मानदेय के रूप में 300 रुपये अथवा 500 रुपये प्रतिमाह की अदायगी की जानी चाहिए। कुछ राज्य सरकारों ने इस सुझाव को अपनाया है। उदाहरणतया इस कार्य में गुजरात सबसे आगे है। अब इन व्यक्तियों का क्या कार्य है? मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु मुझे एक विशेष बात का उल्लेख करना है। उन्हें ग्राम पंचायत मंडल, समितियों और जिला परिषदों की सभाओं में

[प्रो० एन० जी० रंगा]

उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहां वे उन लोगों की आवश्यकताओं को स्थानीय लोगों के ध्यान में ला सकेंगे और इस बात को भी उनके ध्यान में ला सकेंगे कि उनकी किस प्रकार सहायता की जानी चाहिए और यह केवल शुरूआत है। बहुत से राज्यों ने उस शुरूआत, समाज कल्याण और विधायी गतिविधि को भी आरम्भ नहीं किया है। अब राज्य सरकारों को सचेत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बारे में कुछ ठोस कार्य किया जाए। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा कुछ कार्य किया जाना चाहिए। उन कल्याण अधिकारियों अथवा सलाहकारों का उत्तरदायित्व केवल इन विभिन्न संस्थाओं को सलाह देना ही नहीं अपितु श्रमिकों को विभिन्न पंचायत राज संगठनों के ध्यान में अयोग्यताओं, उनके कष्टों, शोषण के तरीकों और इस बात को भी उनके ध्यान में लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि अपने कल्याण के लिए वे श्रमिक क्या कार्य कराना चाहेंगे। उन लोगों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के श्रम संगठनों और श्रम विभागों के सम्पर्क में लाने के लिए और अंततः केन्द्रीय सरकार के सम्पर्क में भी लाने के लिए इस प्रकार से कुछ अवसर कुछ तरीके उत्पन्न किए जाने चाहिए। आज तक इस बारे में बहुत ही कम कार्य किया गया है।

कुछ समय पहले इंगलैंड में एक प्रयास किया गया था। इससे केवल यह जाहिर होता है कि हम इस बारे में कितने पिछड़े हुए हैं। ८० वर्ष से अधिक समय पहले श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने लंदन में इस कार्य को आरम्भ किया था। बहुत से अन्य लोगों ने भी इस व्यवहार का अनुकरण किया। फिर उनके ऊपर ट्रेड बोर्ड अस्तित्व में आए। उनमें नियोक्ताओं, असंगठित, श्रमिकों और सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। ये बोर्ड न्यूनतम मजदूरी रोजगार की परिस्थितियों, कल्याण कार्यों की स्थिति अन्य सभी बाकी कार्यों को निर्धारित करते थे। यद्यपि ये लोग नियमित श्रम संघों की भांति स्वयं को संगठित नहीं कर सके परन्तु उनके माध्यम से उन्हें प्रभावशाली ढंग से संरक्षण प्राप्त होता था। मैं उन दिनों सरकार को इसे अपनाने के बारे में सुझाव देता रहा था। उनके कार्यकरण की जानकारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आरम्भ में अवैतनिक श्रम सलाहकार नियुक्त करने का सुझाव दिया था। इस दिशा में भी सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार गुजरात सरकार द्वारा पहले से स्थापित पूर्वोदाहरण का अनुकरण नहीं कर पाई है। मैं यह नहीं जानता कि किसी अन्य सरकार ने इसे अपनाया है अथवा नहीं। यदि माननीय मंत्री महोदय को समय मिले तो वह इस बारे में हमें बाद में जानकारी दें। कुछ इसी प्रकार के रचनात्मक प्रयास किये जाने होंगे। यह एक अच्छी बात है कि मेरे माननीय मित्र ने इस प्रश्न के बारे में सोचा और हमें इस मामले पर चर्चा करने का अवसर दिया। परन्तु उन्होंने जो एक ठोस सुझाव दिया है कि धनराशि कैसे एकत्र करनी चाहिए वह उचित नहीं है। मेरे माननीय मित्र श्री पनिका ने इस बारे में आपत्ति की है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। संगठित श्रमिक जो स्वयं धनी नहीं है और अपनी परिस्थितियों से सन्तुष्ट नहीं है, उनसे इस प्रकार की राशि में अपना योगदान देने की आशा क्यों की जानी चाहिए? करोड़पतियों से कराधान द्वारा एक संगठित तरीके से और सहानुभूतिपूर्वक तरीके से सरकार को अपना अंशदान देने की आशा की जानी चाहिए? वे दान कर सकते हैं। परन्तु उनसे सरकार द्वारा बनाये गये किसी संगठन में किसी प्रकार का योगदान देने की आशा नहीं की जा सकती है। अगर श्रमिकों को नौकरी देते समय उन्हें अपने दायित्वों के प्रति जागरूक कराया जाये तो उनसे यह आशा की जा सकती है कि जहां तक संभव हो वे इस प्रकार की बिक्री में रोजगार की अवधि के समय के लिए कुछ अंशदान करें। इसके बाद राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार तथा कुछ समय के लिए उन्हें नौकरी देने वाले नियोक्ता भी इस निधि में अंशदान कर सकते हैं। इस बारे में और अधिक विस्तृत सुझाव देना मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन ये ठेकेदार तथा अन्य नियोक्ता कहां हैं? उनसे अंशदान करवाया जा सकता है। इस प्रकार से कुछ

कोष बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा असंगठित श्रमिकों के लिए न्यूनतम सामाजिक नागरिक सुविधाएं तथा अवसर सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार को ऐसे कोष का निर्माण करना होगा।

यह एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले पर अत्यन्त सावधानीपूर्वक विचार की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि हमारे प्रधान मंत्री के कहने पर नियुक्त किया गया आयोग इन सभी विषयों पर अत्यधिक विस्तार से विचार करेगा और ठोस सुझाव देगा। इसे ध्यान में रखकर यहां श्रम मंत्रालय को राज्यों में श्रम मंत्रालयों के साथ सम्पर्क रखना चाहिए और न सिर्फ बीड़ी मजदूरों, आतिशबाजी में लगे मजदूरों, कालीन मजदूर, कृषि मजदूरों के साथ साथ अन्य अनेक नियोक्ताओं के बारे में सभी क्षेत्रों की आवश्यक जानकारी एकत्रित करे कि कुल कितने श्रमिक है और किस क्षेत्र में हैं। जनगणना रिपोर्टों तथा उनके रोजगार परिशिष्ट पूरक में कुछ जानकारी उपलब्ध है। अब उन्हें इन सभी स्रोतों से जानकारी एकत्रित करनी चाहिए और कृषि श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने पर गंभीर विचार करना चाहिए।

इस दौरान मैं इस विधेयक को पेश करने वाले माननीय सदस्य को सुझाव देता हूं कि इस विधेयक पर मत विभाजन पर जोर न दिया जाए। मुझे खुशी है कि उन्होंने शुरू में श्रम मंत्रालय के लाभ हेतु तथा अन्ततः असंगठित श्रमिकों के लाभ के लिए ये बातें इस सभा में कहने का हमें अवसर दिया है।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : देश में असंगठित श्रमिकों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा करने का हमें अवसर देने के लिए मैं श्री विखे पाटिल को पूरा श्रेय देता हूं। मैं कुछ उपबन्धों पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि जहां मैं विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करता हूं लेकिन जैसा कि प्रो० रंगा ने भी सही ही कहा है, ये उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं। फिर भी विधेयक के कारण हमें असंगठित श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करने का अवसर मिला है। हमारा देश विशाल है। देश में असंगठित श्रमिकों की समस्याएं उनकी सामाजिक, भौगोलिक तथा अन्य आर्थिक, परिस्थितियों के अनुसार भिन्न है।

मैं जिस क्षेत्र से हूं वहां पर ट्रेड यूनियन आन्दोलन की जागरूकता अभी कम ही है। देश के इस भाग में असंगठित श्रमिक नरक जैसी स्थिति में रह रहे हैं। मैं समझता हूं कि यही बात अन्य भागों के सम्बन्ध में भी सही है। हम अपने जवानी के दिनों में जब बड़े बूढ़ों से पूछते थे कि नरक क्या है और यह कैसा दिखाई देता है तो हमें बताया जाता था कि नरक ऐसा स्थान है जहां आदमी अपने सिर पर बहुत सा पानी ले जाता है लेकिन वह इसे स्वयं नहीं पी सकता और वह अपने हाथों में अच्छा भोजन ले जाता है परन्तु वह इसे नहीं खा सकता। इसी प्रकार से आज श्रमिक चाहे वह हथकरघा मजदूर या ईंटें बनाने वाले मजदूर, कालीन मशीन बनाने वाला मजदूर हो विशेषकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, काम तो वे ही करते है और हम उसका फायदा उठाते है। ईंटें बनाने वाले ईंटों के मकानों में नहीं रहते हैं। वे पक्के मकान बना ही नहीं सकते। कालीन बनाने वाले अपने बनाए हुए कालीनों के उपयोग का स्वप्न भी नहीं ले सकते है। इस असंगठित श्रमिक की भी ऐसी ही स्थिति है। हम उनकी किस प्रकार सहायता कर सकते है? सरकार उनकी समस्या को समझती है। हम यह नहीं कह सकते कि सरकार ने कुछ नहीं किया है क्योंकि प्रधान मंत्री ने अपने विवेक से हमारे समाज के सभी क्षेत्रों विशेषकर श्रम क्षेत्र में राहत देने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। जब हम समाज के

[श्री एम० टोम्बो सिंह]

सबसे निचले वर्ग, पंचायती राज, सत्ता का विकेन्द्रीकरण आदि सभी मुद्दों की बात करते हैं तो हमें असंगठित श्रमिकों को भी याद रखना चाहिए।

अपने क्षेत्र के अपने अनुभव के बारे में जैसा कि मैंने कहा है वहां श्रमिकों में जागरूकता बहुत कम है। वहां श्रमिक सहकारिताएं आदि को संगठित करने का प्रयास हुआ है। इस प्रयोग के कुछ वर्षों बाद हम देखते हैं कि श्रमिक सहकारिताएं नाम की रह गई हैं क्योंकि ये श्रमिक सहकारिताएं कितने ही छोटे या बड़े किसी ठेकेदार के समान बर्ताव नहीं कर सकती हैं। उन्हें इंजिनियरों से काम होता है और इंजिनियरों का ठेके देने का अपना मापदंड होता है। वह चोरी छिपे भी कुछ लेन देन करता है। यह बात हर जगह सच है। मैं अनेक श्रमिक सहकारिताओं से सम्बद्ध रहा हूं। जब भी इन श्रमिक सहकारिताओं ने कानून और विनियमनों के अन्तर्गत कोई ठेका देने की मांग की, क्योंकि इसके द्वारा वे उनका कल्याण करना चाहते थे, तो इंजिनियर, श्रमिक सहकारिताओं को ठेका देने के पक्ष में नहीं थे। यह स्वाभाविक है कि वे असफल रहीं। लेकिन इसका यहीं अन्त नहीं हुआ। इनके नाम विद्यमान रहें क्योंकि जब भी कोई इंजिनियर किसी को लाभ पहुंचाना चाहता है तो वह कहता है कि किसी श्रमिक सहकारिता का नाम लाइए और वह आपको ठेका दे देगा। अब तो इनके नाम तो खरीद के लिए हैं। ठेकेदार जाते हैं नाम खरीदते हैं और कुछ धनराशि देते हैं। इससे इस संगठन का विकास नहीं हो पाता है। जो भी हो यह तो आश्रित बनाने वाली बात है। इस प्रकार इस क्षेत्र में श्रमिक सहकारिता का यह आन्दोलन असफल हो गया है। मैं अन्य स्थानों की स्थिति नहीं जानता हूं। मैं समझता हूं कि वहां भी ऐसा ही होगा। अब समय है कि इस विषय की स्वयं अच्छी तरह जानकारी रखने वाले माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में श्रम मंत्रालय को असंगठित श्रमिकों की समस्याओं के बारे में एक व्यापक और गहराई से अध्ययन करना चाहिए।

कालीन बनाने वालों तथा हथकरघा बुनकरों का उल्लेख किया गया है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं जिसे हथकरघा बुनकरी में उन्नत माना जाता है। निःसंदेह यह उन्नत है। लेकिन जिस प्रकार हमारे कृषि क्षेत्र में विकास का लाभ असंगठित कृषि मजदूरों को नहीं दिया गया। इसी प्रकार यहां भी नहीं दिया गया है। समाज के केवल कुछ वर्ग ही कृषि विकास का लाभ उठा रहे हैं। देश को काफी मात्रा में कृषि उत्पाद पर गर्व है। प्रति वर्ष हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। लेकिन इस उत्पादन का लाभ कृषि मजदूरों को पारस्परिक, पर्याप्त तथा यथानुपात रूप से मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। केवल हथकरघा बुनकरों तक अपनी बात को सीमित रखते हुए मैं कहता हूं कि इस क्षेत्र के हथकरघा बुनकर भावनात्मक कारणों की वजह से बुनकरी का कार्य करते हैं क्योंकि समाज को हथकरघा उत्पादों की आवश्यकता है। किसी भी रीति-रिवाज में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हम अपने हथकरघा वस्त्रों का प्रयोग करते हैं और इस कारण हथकरघा उद्योग जीवित है। लेकिन हथकरघा बुनकरों की क्या स्थिति है ? उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। निर्यात सुविधा या देश में बाजार की सुविधा चाहे जितनी भी हो, परन्तु सारा लाभ ज्यादा नहीं है। उस क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों से बहुत कम लाभ अर्जित होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाहे वह नागालैंड में हो या मिजोरम अथवा मणिपुर या मेघालय हो, हर आदिवासी का कपड़ों का अपना डिजाइन है। ये वस्त्रों के डिजाइन अत्यन्त सुन्दर है और वे दिवारों पर तथा संग्रहालयों में दिखाने योग्य हैं। लेकिन जहां आम बाजार में बिक्री का सम्बन्ध है अच्छा बाजार कीमत देने के लिए कोई संगठन नहीं है। बुनकर बिचौलिए से कुछ धागा लेता है और वही बिचौलिया बुने हुए कपड़े को वापस लेता हैं और थोड़ा लाभ कमाता है। उसे भी सम्भवतः ज्यादा लाभ नहीं मिलता क्योंकि हथकरघे से ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। यह पूरा क्षेत्र ही बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन जो थोड़ा बहुत लाभ वह लेता

है उसे भी वह गरीब हथकरघा बुनकर नहीं लेता है। अत: इसे देखते हुए मैं कहता हूं कि बिहार में मजदूरों की समस्या आन्ध्र और महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों में मजदूर समस्या से भिन्न है। लेकिन जब मैं पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कहता हूं तो वहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है। हमारे यहां केवल कुटीर उद्योग है चाहे वह हथकरघा हो, वे केवल हमारी सामाजिक आवश्यकताओं और भावनाओं के कारण चल रहे हैं। अत: श्रमिकों के ऐसे वर्ग को राहत देने के लिए हम चाहते हैं कि कुछ किया जाए। संभवत: इस विधेयक में श्री विखे पाटिल के सुझाए गये उपबन्धों पर भी विचार हो सकता है, लेकिन इसका भी वही हाल हो सकता है जो किसी अन्य गैर-सरकारी विधेयक के साथ होता है और विशेषकर ऐसे विधेयक जिन्हें सभा में विपक्ष द्वारा पेश किया जाता है। कुछ उपबन्धों पर मंत्री महोदय द्वारा अनुकूल विचार किए जाने के बाद और तब संभवत: सदस्य विधेयक को वापस ले लें। लेकिन फिर भी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि इसका सम्बन्ध सारे देश के असंगठित मजदूरों से है।

मैं माननीय सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। इस विषय पर अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं सुझाव देता हूं कि इस कोष में संगठित श्रमिकों को भी अंशदान करना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि लाभ अर्जित कर रहे अन्य बड़े औद्योगिक घरानों को भी इस विधेयक में प्रस्तावित कोष के लिये अंशदान करना चाहिए। इस चर्चा तथा सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं और इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक पर इस सभा में हुए वाद-विवाद के फलस्वरूप किए गए प्रस्तावों पर किसी तरह का विधान लाया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*डा० फूलरेणु गुहा (कन्टाई) : महोदय, हमारे देश में लाखों असंगठित श्रमिक हैं। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। उनके पास आवास की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, भोजन नहीं है तथा कपड़े नहीं हैं और उनका सब जगह शोषण किया जा रहा है। जहां स्कूल भी उपलब्ध हैं, वहां उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है और वे जो कुछ भी कमाते हैं उसकी परिवार में आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं इन असंगठित श्रमिकों के बच्चों के पास उचित कपड़े नहीं हैं जो स्कूल जाने के लिए आवश्यक है। भारत सरकार ने गरीबों के लिए आवास निर्माण हेतु योजनाएं चलाई हैं परन्तु ये आवश्यकता से काफी कम हैं। इस समस्या पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए तथा गरीबों को आवास सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सम्पूर्ण देश में कार्य प्रदान करने के लिए केन्द्र शुरू करने की आवश्यकता है। यह अविलम्ब किया जाना चाहिए। ग्रामीणों को सड़कों के अभाव के कारण बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण व्यक्ति गांवों में सुन्दरता और उपयोगिता की अनेक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। परन्तु अनेक बार सड़कों के अभाव में वे उन्हें बिक्री तथा बेहतर मूल्य के लिए शहरों में नहीं ले जा सकते हैं। गांवों तथा शहरों में निर्धन लोगों विशेषत: महिलाओं को शौचालय तथा सार्वजनिक सुविधायें नहीं है। इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ता है। यदि स्व-रोजगार में लगे निर्धन लोग कुछ नहीं कमा पाते है तो उन्हें एक दिन की आवश्यकतायें पूरा करना कठिन हो जाता है। उसके लिए शीघ्र ही एक कल्याणकारी कोष बनाया जाना चाहिए। निर्धन लोगों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त नहीं है। अनेक स्थानों पर औषधालय नहीं हैं। जहां औषधालय भी हैं वहां डाक्टर अथवा दवाएं उपलब्ध नहीं हैं अथवा दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं। अस्पतालों के सम्बन्ध में कुछ न कहना ही अच्छा होगा। देश में अस्पतालों की संख्या

*मूलत: बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[डा० फूलरेणु गुहा]

आवश्यकता से कहीं कम है। जहां अस्पताल हैं वहां आवश्यकता के समय भर्ती होने में कठिनाई होती है। यदि कोई व्यक्ति वहां भर्ती हो भी जाता है तो उसके साथ अस्पतालों में न तो मानवीय व्यवहार ही होता है और न ही उसका उपचार।

मैं एक घटना के सम्बन्ध में उल्लेख करता हूं। कुछ महीनों पहले एक दुर्घटना में मेरे गम्भीर चोट आई। मुझे कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उस अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध थे परन्तु मुझे यह कहकर वापस कर दिया गया कि कोई बिस्तर उपलब्ध नहीं है। यदि मेरे जैसे व्यक्ति को इस स्थिति का सामना करना पड़ा तो साधारण ग्रामीणों की स्थिति को आप आसानी से समझ सकते हैं।

महोदय, न्यूनतम मजदूरी का कानून है परन्तु वास्तविक रूप से कितने लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिलती है ? संगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा सरकारी कर्मचारियों को ही न्यूनतम मजदूरी मिलती है। असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी केवल सपना है। इसकी तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

गांवों में काम करने के लिए खादी आयोग बनाया गया है। उसने वास्तव में कुछ काम किया है परन्तु यह तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है। इसके आयाम बहुत सीमित हैं। इसलिए गांवों में रोजगार तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना होगा। मेरा कहना है कि केवल योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है। हमने पहले ही अनेक योजनाएं बनाई हैं। उनके वास्तविक क्रियान्वयन पर बल दिया जाना चाहिए। कार्यक्रमों को उचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। इनका उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है जिनके लिए ये बनाये गये हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार इन समस्याओं पर व्यापक रूप से ध्यान दे और बिना किसी विलम्ब के कल्याणकारी कोष का निर्माण करे। खंडशः तरीके तथा कदम सफल नहीं होंगे। हम पददलितों और शोषित लोगों को पीछे नहीं छोड़ सकते। वे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। केवल कार्यक्रम बनाना ही उनके लिए पर्याप्त नहीं है। हमें देखना होगा कि उन कार्यक्रमों को उचित रूप से लागू किया जा रहा है अथवा नहीं। इन कार्यक्रमों में गांव और शहर के निर्धन लोगों को सामूहिक रूप से शामिल किया जाए। हमें इस दृष्टिकोण से उनके लिए कल्याणकारी कार्य नहीं करना चाहिए कि हम उनके लिए कोई परोपकार कर रहे हैं।

महोदय, मैं वर्षों से कल्याणकारी कार्य कर रहा हूं। कल्याणकारी कार्य करने में परोपकार के इस दृष्टिकोण से लाभार्थियों का अपमान होता है। इसे अलग रखा जाना चाहिए। हम सबको यह महसूस करना चाहिए कि ये लोग उन अधिकारों से अभी तक वंचित हैं जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं। इन निर्धन लोगों को उनके देय अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिए सबको, जो सामाजिक अधिकारों का लाभ उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि हमारे भाइयों को अभी तक ये अधिकार नहीं दिये गये हैं।

हम सबको उनकी सहायता करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए यह उन लोगों से शुरू की जानी चाहिए जो असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं तथा गांवों में बिना किसी कार्य के रह रहे हैं अथवा पर्याप्त धन नहीं कमा रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं परन्तु हो सकता है कि यह अनेक व्यक्तियों को अच्छी न लगे। हमारे वर्तमान समाज का अस्तित्व खतरे में है। इसका कारण यह है कि जिन लोगों की हमारे समाज में अभी तक उपेक्षा की गई है वे इस तरह की

स्थिति में अधिक समय तक रहने के लिए मना कर देंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह कल्याणकारी कोष शीघ्र बनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उचित कानून बनाया जाना चाहिए। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि यह वास्तविक रूप से सच है कि निर्धन लोग और दस्तकार उन वस्तुओं का स्वयं उपयोग नहीं कर सकते जिन्हें वे पैदा करते हैं अथवा बनाते हैं। हम और हम से धनी लोग ही उनका लाभ उठाते हैं। जो लोग देश के लिए अन्न पैदा करते हैं वे स्वयं भूखे रहते हैं तथा अपने बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। हम सबके बच्चे हैं। हमें उनका दुख होना चाहिए जो अपने बच्चों को थोड़ा भोजन भी नहीं करा सकते हैं। जिन्होंने कमी अनुभव नहीं की है वे इसे अनुभव नहीं कर सकते। जिन्होंने गरीबों और वंचितों में काम नहीं किया है वे इसे महसूस नहीं करेंगे। मैंने ऐसे लोगों के बीच वर्षों कार्य किया है। इसलिए मैं इसका अपने मन में अनुभव कर सकता हूं और इस अवसर का लाभ इसे बताने में कर रहा हूं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आगे आये और उनकी कठिनाइयों को कम करे और इसके लिए आवश्यक कानून का निर्माण करे। मैं अपने साथी श्री विखे पाटिल को यह महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करने तथा इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सरकार को भी इस विषय के सम्बन्ध में सजग रहने का अवसर दिया है। मैं उन्हें एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

मैं जानता हूं कि दूसरे विधेयकों की तरह अन्त में प्रस्तावक से यह विधेयक वापस लेने के लिए कहा जायेगा। पहले की तरह वह भी इसे वापस ले लेंगे। परन्तु उसके साथ हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारा तथा सरकार का यह कर्तव्य है कि ऐसे कोष के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के इन लाखों श्रमिकों के लिए सहायता प्रदान करें तथा उसके लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे इस विधेयक के बारे में विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है जो एक महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में है। इस विधेयक के विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं इस विधेयक के प्रस्तावक श्री पाटिल को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने यह विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे हमें इस चर्चा में भाग लेने, इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं, असंगठित श्रमिकों की समस्याओं तथा उपचारात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। मैं विधेयक की भावना को समझता हूं। परन्तु मैं सभी उपबन्धों से सहमत नहीं हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। विधेयक की भावना अच्छी है। विधेयक का उद्देश्य अच्छा है तथा हम भी उनके लिए चिन्तित हैं। मैं उन सदस्यों के साथ हूं जिन्होंने देश में असंगठित श्रमिकों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। जैसा कि हमारे वरिष्ठतम सदस्य प्रो० रंगा ने कहा है कि यह बड़ी जटिल समस्या है। हमारे समाज तथा देश की संरचना भी जटिल है। समाज की संरचना भी अलग है। इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। सरकार भी इसके सम्बन्ध में विचलित नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसके प्रति उदासीन है। वह भी कुछ करने का प्रयास कर रही है। हाल ही में कृषि कामगारों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। वह उनके कार्य के सम्बन्ध में है। मेरे विचार से पिछले सप्ताह माननीय प्रधान मंत्री ने भी चिन्ता व्यक्त की थी और कहा था कि आयोग की सिफारिश को लागू किया जाएगा। आयोग की सिफारिशों को जाने बिना ही उन्होंने कह दिया कि उन्हें लागू किया जायेगा। आप उद्देश्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी देखिये। रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पहले हमने प्रधान मंत्री को यह कहते हुए सुना कि सिफारिशों को लागू किया जायेगा। इस प्रकार सरकार को भी इस जटिल

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा तथा इसीलिए वह सभी पहलुओं से निपटने के लिए एक व्यापक विधेयक के साथ आगे आई है।

मैं एक बात कहता हूं कि देश की आंतरिक परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं परन्तु कानून निर्माण के मामले में कांग्रेस के शासन में भारत निश्चित रूप से एक प्रगतिशील देश है। हमने विभिन्न प्रगतिशील कानून लागू किए हैं। श्रम के क्षेत्र में भी, बाल श्रमिक, बंधुआ श्रमिक और अन्य अनेक विषयों पर, जब हमने इस सदन में उन विधेयकों पर चर्चा की, तो दोनों पक्षों के सदस्यों ने चाहे वे किसी भी दल से सम्बद्ध हों, माना है कि कार्यान्वयन अत्यन्त धीमा है और असंतोषजनक है। हमने देखा है कि राज्य की प्रणाली जो कार्यान्वयन प्रणाली है उनमें ईमानदारी नहीं है क्योंकि इसका उचित कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। अतः यह केवल कानूनों को लागू करने का ही प्रश्न नहीं है। निश्चय ही किसी कानून के बिना आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते है। किन्तु हमें सही प्रकार के कानून लागू करने हैं। अतः हमें उचित कार्यान्वयन के लिए उचित प्रणाली तैयार करनी है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमें अनुकूल वातावरण तैयार करना है ताकि ऐसे सामाजिक कानूनों, प्रगतिशील कानूनों को पूरी तरह से लागू किया जाये। जैसा मैंने आपसे कहा है कि हमारा अधिकतर कार्य बल असंगठित क्षेत्र में है। सब मिलाकर भारत एक कृषिप्रधान देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत एक सूई या ब्लेड बनाने की स्थिति में भी नहीं था। किन्तु वही भारत अब विश्व भर में एक महान औद्योगिक शक्ति माना जाता है। यह विश्व के दस औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में से एक है। हमारे यहां औद्योगिक कार्य बल, औद्योगिक श्रमिक हैं जो संगठित है। उनके पास काम आदि रोक कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने, सौदेबाजी करने की शक्ति और समता है। लगभग सभी औद्योगिक उपक्रमों में उन्हें कुशल सौदा करने की शक्ति है। इन सभी बातों के बावजूद सच्चाई यह है कि हमारा देश कृषिप्रधान देश है। हमारी अधिकांश जनसंख्या अर्थात लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमें कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर गर्व है। मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं। कृषि के क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है उससे सब अवगत हैं। हरित क्रान्ति सफल हुई है। हमें इस पर गर्व है। तत्कालीन प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा जी) को अर्थात् संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनके योगदान के लिए विश्व के उच्चतम मंच पुरस्कार दिया गया। हम किसानों और कृषकों को बधाई देते हैं। किन्तु जो लोग वास्तव में दिन-रात खेतों में काम करते हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं। वे कड़ी धूप बर्दाश्त करते हैं और शीत लहर तथा अन्य कठिनाइयां सहते हैं। कृषि कर्मकारों, जो असंगठित हैं और जो अनाज का उत्पादन करते हैं, के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है। वे अनाज का उत्पादन करते हैं और किसानों के भण्डार अनाज से भर देते हैं। किन्तु कभी-कभी उन्हें खाना भी नहीं मिलता है। यह इस देश की विडम्बना है। हम कृषि मजदूरों की प्रशंसा नहीं करते हैं। उनके सक्रिय सहयोग तथा समर्थन और भागीदारी के बिना क्या इस देश में यह हरित क्रान्ति सफल रही होती ? किन्तु मुद्दा यह है कि इन असंगठित कृषि मजदूरों को लाभ नहीं मिलता है।

महोदय, हमारे आदरणीय मंत्री महोदय, मंत्री बनने से पूर्व एक विख्यात श्रमिक नेता थे। वे "इन्टक" के अध्यक्ष रहे हैं। उन दिनों से और शायद उससे पूर्व भी उन्होंने उनके कल्याण के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने उनकी दशा के सम्बन्ध में भी चिन्ता व्यक्त की। अब समय आ गया है जब हम सबको इस असंगठित श्रमिक बल को संगठित करने के सभी प्रयास करने चाहिएं। इनकी हालत अत्यन्त दयनीय और बुरी है। ऐसे कई असंगठित श्रमिक बल हैं, जैसे ठेके के मजदूर, बीड़ी मजदूर और कृषि मजदूर। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित 10 रुपये की न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती

है। यह सुनिश्चित नहीं है। मैं उदाहरण दे सकता हूं। यहां तक कि सरकारी फार्मों में भी कृषि मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी नहीं दी जाती। चिरिलिया फार्म ऐसा ही एक फार्म है। यह उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में स्थित एक सरकारी फार्म है। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। ऐसे अनेक स्थानों पर ठेके के मजदूरों को यह न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। यदि वे सम्बद्ध अभियन्ताओं के पास जाते हैं तो वे असहायता व्यक्त करते है। ठेकेदारों और अभियन्ताओं के अनुसार जिस समय निविदाएं थीं तो इसमें संशोधित न्यूनतम मजदूरी नही थी। ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्त नहीं हुआ। चूंकि निविदाओं में ऐसा नहीं लिखा है तो वे संशोधित न्यूनतम मजदूरी नहीं दे सके। यह हास्यास्पद स्थिति है। किन्तु यह एक मानवता का प्रश्न है। इन मजदूरों का पूरी तरह और निरन्तर शोषण किया जाता है। हमने अनेक उदाहरण देखे जब वे इसका विरोध करते है तो उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है। वास्तव में उनमें से अधिक लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। यदि हम भी विरोध करते हैं, तो इसका कोई उपचार नही है।

महोदय, आप कल्पना कर सकते हैं कि हम किस प्रकार शहरीकरण की ओर बढ़ रहे है। लोग बड़े शहरों में आते हैं क्योंकि उन्हें अपने इलाकों में पर्याप्त रोजगार सुविधाएं प्राप्त नहीं है और वे नगरों और शहरों की ओर आकर्षित होते हैं।

5.00 म० प०

वे नगरों और शहरों की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि उनके छोटे नगरों में उन्हें रोजगार नहीं मिलता है।

[हिन्दी]

"अन्न चिन्ता चमत्कार"

[अनुवाद]

वे हरियाणा, पंजाब, कश्मीर जाते है और उनमें से अधिकांश लोग मध्य पूर्व देशों में जाते हैं और वहां उनका शोषण किया जाता है। वहां उन्हें 12 या 14 घंटे काम करने के लिए विवश किया जाता है। इसी प्रकार उड़ीसा और बिहार के बहुत से लोगों को इस प्रकार परेशान किया जाता है। मैं यही कहूंगा कि यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है।

हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हम लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति वचनबद्ध है जिसका अर्थ यह है कि जनता के सभी वर्गों को बराबर अवसर उपलब्ध कराए जाएं। किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में हमारे दोहरे मानदण्ड प्रचलित हैं।

5.01 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

यद्यपि उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय यह है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए किन्तु हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। समान कार्य के लिए वेतन प्रणाली में बहुत-सा अन्तर है। मैंने यह देखा है कि इसमें बहुत-सा भेदभाव है। दुर्भावना और असंतोष बढ़ रहा है। शहरी लोग, ग्रामीण लोग, शिक्षित, अशिक्षित, सरकारी कर्मचारी गैर-सरकारी कर्मचारी आदि विभिन्न समूह बनाए गए हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय अखंडता को बहुत खतरा होगा। अब का

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

गौरव लोकतांत्रिक समाजवाद का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारे काम में इसका अभाव है। कोई खेतिहर मजदूर हो सकता है। यदि भूस्वामी उसको गले लगाता है तो उसमें क्या बुराई है? कितने भूस्वामी और ठेकेदार अपने बीमार मजदूरों के पास जाते हैं। श्रम का गौरव हमारे काम करने के ढंग में व्यक्त होना चाहिए। यह एक ही दिन में या रातोंरात कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने का प्रश्न नहीं है। हमारे विचारों, हमारी मनोवृत्ति, हमारे काम और हमारे दिन-प्रति-दिन के काम में क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

कृषक और छोटे किसान भी उपेक्षित महसूस करते है। उनका ऐसा महसूस करने का भी एक कारण है। यदि सभी लोग—संगठित लोग, सरकारी कर्मचारी, औद्योगिक मजदूर आदि इकट्ठे होते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है। किन्तु दूसरी ओर छोटे किसान की सीमाएं हैं। उसको असंतोष है, उसे उसके उत्पादन के लिए निर्धारित मूल्यों के सम्बन्ध में शिकायतें हैं। कृषि मूल्य आयोग भी बनाया गया है। किन्तु उनसे सलाह नहीं ली जाती है। इसीलिए किसानों, उत्पादकों और मजदूरों की भी यही मांग है कि यही समय है जब कृषि को उद्योग माना जाए। इसकी जांच की जानी चाहिए। यह साधारण मामले नहीं हैं। इसकी भी कहीं और प्रतिक्रिया होगी। इस बात की सावधानी से जांच की जानी चाहिए कि क्या कृषि मजदूरों को औद्योगिक मजदूर माना जा सकता है। यदि हम ऐसे किसी छोटे किसान या खेतिहर कृषक से कहें जिसके पास 12 एकड़ शुष्क भूमि हो अपने मजदूरों का चिकित्सा खर्च देने को कहें, तो मैं समझता हूं कि उसको बहुत परेशानी होगी। चूंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति वचनबद्ध होने के कारण हमें असंगठित श्रमिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराके, एक उदाहरण स्थापित करना होगा चाहे हमें वह कितना भी महंगा क्यों न पड़े। वह अनेक प्रकार के लाभ पाने का हकदार है, किन्तु कृषि से मजदूर के रूप में सम्बद्ध होने के कारण वह उन सुविधाओं से वंचित है। ऐसी स्थिति को आगे और नहीं बने रहने देना चाहिए। ऐसी स्थिति में राज्य को ही चिकित्सा सहायता, शिक्षा आदि की सुविधा के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

विधेयक के उपबन्धों के बारे में मैं कह रहा था कि मैं इस विधेयक के कुछ मुद्दों से सहमत हूं। एक कोष निर्धारित किया जाना चाहिए और यह भी बताया जाना चाहिए कि निधि किस प्रकार इकट्ठी की जा सकती है। इस पर उचित और सही विचार किया जाना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि संगठित श्रमिक जो गरीब भी हैं आगे नहीं आ सकते है। किन्तु हम उन संगठित मजदूरों से भी आग्रह करते हैं जिन्हें सही मजदूरी मिलती है कि अपनी पीड़ित बिरादरी की ओर भी ध्यान दें। प्रत्येक अच्छे संघ को एक या दो ग्रामों को अपनाना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं समझता हूं कि संगठित श्रमिकों को इस कोष के लिए चन्दा देने के लिए कहना न वांछनीय है और न ही व्यवहार्य है।

हमारी संस्कृति ऐसी है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति नहीं अपितु हम और हमारे पड़ौसी और हमारे मित्र सभी को उन्नति करनी है। "वसुर्दैव कुटुम्बकम" भारतीय संस्कृति का सार है।

खान मजदूर विकास कोष जैसे कुछ कोष हैं। ठेके के मजदूर भी हैं, और अलग-अलग प्रकार के ठेकेदार, तेन्दू पत्ता व्यापारी आदि भी हैं। वे इन कोषों के लिए क्यों नहीं कुछ धन देते? यह विस्तारपूर्वक ध्यान देने योग्य प्रश्न है। यही समय है कि हम अपने उन असंगठित मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस पहलू की ओर गम्भीरता से विचार करें, जिनकी हालत सचमुच दयनीय

है। यह मर्यादा का प्रश्न है। भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में हम इन सभी लोगों की और अधिक उपेक्षा नहीं कर सकते। वे भी मनुष्य हैं और हम उन्हें मताधिकार दे रहे हैं। प्रधान मंत्री से लेकर गांव के चौकीदार तक सभी को मत देने का अधिकार है। इसी प्रकार हमें हर क्षेत्र में आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करनी हैं। ये सुविधाएं किस प्रकार प्रदान की जाएंगी यह एक विषय विस्तृत है।

इसके लिए एक कोष बनाया जाना चाहिए और इसके लिए अन्य कुछ निश्चित बातों को भी उसी वांछित गम्भीरता के साथ लागू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, अनआर्गेनाइज्ड लेबर वैलफेयर फण्ड बिल, जो पाटिल साहब द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसकी भावना से तो मैं सहमत हूं, मगर जिस तरीके से यह बिल पेश किया गया है, वह सही तरीका नहीं है। खास तौर से इस पाइन्ट के ऊपर कई माननीय सदस्यों ने विशेष तौर से यहां पर कहा भी है।

इसमें जो सैक्शन 4 दिया है।

[अनुवाद]

संगठित श्रम का हर सदस्य जो प्रतिमाह कुल एक हजार रुपए से अधिक परिलब्धियां प्राप्त कर रहा है, वह अपनी कुल परिलब्धियों का एक प्रतिशत भाग कल्याण निधि में देगा।

[हिन्दी]

यह जो सैक्शन इसमें दिया गया है, यह किस तरीके से लागू किया जाएगा और किस तरीके से हर आर्गेनाइज्ड लेबर को सहमत किया जायेगा कि तुम अपनी आमदनी का एक परसेन्ट इस फण्ड के अन्दर जमा करो, जबकि उस फण्ड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसलिए यह प्रावधान जो इसमें किया गया है, यह निश्चित तरीके से लागू नहीं किया जा सकता और इसके लागू होने से कोई विशेष फायदा भी नहीं होगा। जैसा कि मि० राव ने कहा है कि 274 मिलियन अनआर्गेनाइज्ड लेबर इस देश के अन्दर है और आर्गेनाइज्ड लेबर का अगर आप अंदाज लगायेंगे तो निश्चित तरीके से आप स्वयं जान जाएंगे कि यदि आर्गेनाइज्ड लेबर एक परसेण्ट कण्ट्रीब्यूट भी करें तो निश्चित तरीके से आप अनआर्गेनाइज्ड लेबर के लिए उस फण्ड से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पायेंगे। इसलिए ये व्यवस्थायें निश्चित तरीके से सरकार के द्वारा होनी चाहिए या उन एम्पलायर्स के द्वारा होनी चाहिए जो उनको एम्पलायमेन्ट देते हैं। आज निश्चित तरीके से ऐसी व्यवस्थाएं होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा सैक्टर है खादी ग्रामोद्योग का, उसको आपने सभी कानूनों से अलग कर दिया है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लेबर कानून लागू नहीं होता है। 50 लाख मजदूर उसमें काम करते हैं। कतिक व बुनकर सभी मिलाकर 50 लाख मजदूर काम करते हैं। हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा एम्पलायर अगर कोई है तो वह खादी ग्रामोद्योग है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लेबर कानून लागू नहीं होता है। आप देखें कि कतिक व बुनकर को तीन, चार या पांच रुपए से कहीं भी ज्यादा नहीं मिलता है। इसलिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन मजदूरों को भी कम से कम मिनिमम वेजेज तो दी जाए जो कि आपने फिक्स कर रखी है या स्टेट गवर्नमेंट्स ने फिक्स कर रखी हैं। वह मिनि-

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

मम वेजेज हर कर्तिक या बुनकर को मिलनी चाहिए। जब तक आप यह व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं और उनके वैलफेयर के संबंध में भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर कानून लाया गया था और यह कहा गया कि हास्पिटल पर, खादी ग्रामोद्योग पर या इस प्रकार की अन्य चैरिटेबल संस्थाओं पर लागू नहीं होगा और उनको आपने इस कानून से अलग कर दिया, उसका आज दुरुपयोग किया जाता है। न तो कहीं वे बोनस देते हैं, न कहीं एम्पलायमेन्ट फंड जमा कराते हैं। किसी प्रकार का भी कोई पैसा नहीं जमा कराते हैं। लाखों रुपए का फायदा करते हैं उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई कंट्रिब्यूशन इन संस्थाओं द्वारा मजदूरों के लिए नहीं होता है। इसलिए मैं सबसे पहले ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी जिन संस्थाओं को आपने कानून से अलग कर दिया है, जिनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होते, उनके ऊपर भी कानून लागू होना चाहिए। मिनिमम वेज के स्फियर में इन संस्थाओं को भी लाया जाना चाहिए और वेलफेयर फंड भी वहां पर लागू होना चाहिए ताकि लाखों मजदूर जो इन संस्थाओं में काम करते हैं, उनको इन वेलफेयर एक्टिविटीज के जरिए से लाभ मिल सके।

इसी प्रकार से कांस्ट्रक्शन लेबर का सवाल है। पी०डब्ल्यू०डी० में जितने कांट्रैक्टर्स काम करते हैं वे करोड़ों रुपए के कांट्रैक्ट्स लेते हैं—भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंट्स से भी—उनके लेबर को भी मिनिमम वेजेज नहीं मिलती है और न ही अन्य किसी प्रकार की फैसिलिटीज मिलती हैं। लाखों की तादाद में ऐसे लेबरर्स हैं। मेट्रोपोलिटन सिटीज जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या जितने अन्य बड़े सिटीज हैं वहां पर लाखों की तादाद में कांस्ट्रक्शन लेबर काम करता है जिनके लिए किसी प्रकार के कोई प्रावधान नहीं हैं, उनके लिए किसी प्रकार की वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं है और उनके एम्पलायर के ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। कांट्रेक्टर अगर उन मजदूरों का पैमेन्ट भी खा जायें तो भी उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है। तो इसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए ताकि उनको भी कुछ सुविधाएं और सहूलियतें मिल सकें। उनके सम्बन्ध में आज व्यवस्थायें करने की नितान्त आवश्यकता है।

इसी तरह से आपने इसमें एक प्रावधान पनिशमेंट के सम्बन्ध में किया है :

[अनुवाद]

"जो इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन करता है, यदि वह नियोक्ता है, तो उसे छह माह तक कैद या पांच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों का दण्ड दिया जाएगा; और यदि वह संगठित श्रम का सदस्य हो तो दस दिन की कैद या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय अंशदान की राशि की दुगनी राशि से दण्डित किया जाएगा।"

[हिन्दी]

यह जो प्रावधान है उसको आप किस प्रकार से लागू करेंगे ? अगर वह उसमें पैसा नहीं देना चाहते हैं वेलफेयर फंड में, तो आप किस तरीके से दस दिन की सजा देंगे ? कौन से कानून की तहत सजा देंगे ? अगर इसके खिलाफ कानून बनाया जाता है तो निश्चित तरीके से उनको सुविधाओं से वंचित करते हैं और उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। उनके खिलाफ काम करते हैं। इस प्रकार के प्रावधान से न एम्पलायर के खिलाफ कानून लागू किया जा सकता है और न

आर्गेनाइज्ड लेबर के खिलाफ लागू किया जा सकता है। इसलिए यह प्रावधान बिल्कुल गलत है और जैसा मैंने कहा है कि इनकी मंशा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अनआर्गेनाइज्ड लेबर है, उसको किसी प्रकार की कोई सुविधायें नहीं मिलती हैं। उनको सुविधायें देने के लिए वैलफेयर फंड मुकर्रिर किया जाना चाहिए, लेकिन यह फंड भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से मुकर्रिर होना चाहिए, नहीं तो इन लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जब ये व्यवस्थायें सरकार की तरफ से होंगी, तब जाकर उनका जीवन सुखी होगा और उनके बच्चे पढ़-लिख सकेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है, यह सुझाव और भी माननीय सदस्यों ने दिया है। इस देश में लाखों-करोड़ों की तादाद में अनआर्गेनाइज्ड लेबर है, जिन के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने कमीशन भी बैठाया है। यह कमीशन रूरल लेबर के सम्बन्ध में है और इस कमीशन की बहुत जल्द सिफारिशें भी आने वाली हैं। जब उनका क्वैश्नेयर आया था, तो उस वक्त उन से भी निवेदन किया था कि इस-इस प्रकार की सुविधायें रूरल लेबर को मिलनी चाहिए, ताकि वे लोग अच्छी तरह से रह सकें।

मेरे विचार से उनकी सबसे बड़ी समस्या मकान की है। आप ने देखा होगा कि सरकार द्वारा उनके लिए बहुत से प्रावधान भी किए गये हैं। जो गांवों के अन्दर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको फ्री प्लाट दिए जाएं, पंचायत द्वारा, म्युनिसिपैलिटी द्वारा वहां मकान बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना भी आपने शुरू की है। आपने हाउसिंग बैंक की स्थापना भी की है। आपने इस संबंध में बहुत सारे कदम उठाए हैं। इतने कदमों के उठाने के बाद पूरी हिम्मत और हौसले के साथ इस काम को नहीं किया जाएगा, तो सारी योजनायें आपकी पड़ी रह जायेंगी। जिनके पास रहने को मकान नहीं है, चाहे वे संगठित क्षेत्र में हों या असंगठित क्षेत्र में हो, उन सबको मकान देना नितान्त आवश्यक है। उन सब को मकान देने के लिए आपको बहुत बड़े फंड की आवश्यकता होगी। इसके साथ-साथ इस काम को करने के लिए पोलिटिकल विल की भी आवश्यकता है, यदि पोलिटिकल विल नहीं होगी, तो आप काम नहीं कर सकते है। जैसा कि हम चाहते हैं, हमारे प्रधान मंत्री जी चाहते हैं और हमारी पार्टी चाहती है कि इस प्रकार की व्यवस्थायें हों। मगर ये व्यवस्थायें तब तक नहीं हो सकती हैं, जब तक कि गम्भीरता से और मजबूती से इन व्यवस्थाओं को लागू करें। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता मकानों को उपलब्ध कराने की है।

दूसरा निवेदन मैं शिक्षा के सम्बन्ध में करना चाहता हूं। हमारा देश इस शिक्षा की वजह से ही पिछड़ा हुआ है। हमारे देश में 38 परसेंट पुरुष और 12 परसेंट महिलायें शिक्षित हैं और बाकी अशिक्षित हैं। इस अशिक्षा की वजह से ही हमारा देश आज बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए इन लोगों को शिक्षा देना नितान्त आवश्यक है, चाहे यह शिक्षा आप प्रौढ़ शिक्षा या रेगुलर शिक्षा के जरिए से दें, लेकिन शिक्षा देना नितान्त आवश्यक है। इसके अलावा हमारे देश में एक और बहुत बड़ा अन्तर है। हमारे देश में पब्लिक स्कूलों के जरिए से लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा दी जा रही है। इसलिए बड़े-बड़े लोगों के बच्चे आई० ए० एस० और आई०पीस० बन जाते हैं तथा उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन गांव में रहने वाले बच्चों के स्कूलों में न बैठने के लिए टाट-पट्टी है और न ही कुर्सी है, न पढ़ने के लिए किताब है, न लिखने के लिए सलेट है, जब इस प्रकार की शिक्षा गावों में दी जाएगी तो उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मास्टर और पटवारी बनकर ही रह जाते है। यह बहुत बड़ा अन्तर शिक्षा में पब्लिक स्कूल और आम स्कूलों में है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस शिक्षा के अन्तर को निश्चित तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है। इसको जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे, तब तक यह फर्क नहीं मिटेगा। इस शिक्षा की वजह से एक बहुत बड़ा अन्तर आपने इस देश में पैदा कर रखा है। जो इन बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वे हजारों रुपया खर्च करते हैं और उन स्कूलों के जरिए से शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठते हैं और आगे चलकर यही लोग गरीब लोगों का भयंकर शोषण

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

करते हैं। इसलिए इस शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जो अशिक्षा हमारे देश में है, उसको निपटाने की आवश्यकता है। अनआर्गेनाइज्ड लेबर भी इसी वजह से पिछड़ी हुई है। अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड लेबर बनाने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। इन लोगों को टैक्नीकल और अन्य सभी प्रकार की शिक्षा देने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है।

इसी तरीके से कोआपरेटिव सेक्टर को बहुत मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि उसको जितने पैसे की आवश्यकता होती है, उतना उसको मिलता नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिये निर्धारित समय समाप्त होता है। यदि सभा चाहे तो इसके लिये समय बढ़ा सकती है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां। हमें एक या दो घण्टे तक समय बढ़ाना चाहिए।

सभापति महोदय : फिलहाल इसके लिए एक घंटा समय बढ़ाते हैं।

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : सवा छह बजे आज कैबिनट की मीटिंग है। इसलिये इसको अगली दफा रखिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस पर अगली बार चर्चा होगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं निवेदन कर रहा था कि कोआपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने की आवश्यकता है और अनआर्गेनाइज्ड लेबर को शक्ति देने के लिए आप कोआपरेटिव सैक्टर को मजबूत बनाइए। उनकी सब प्रकार की आवश्यकताओं की इससे पूर्ति की जाये। उनको लोन की आवश्यकता है, तो उनको इससे लोन मिले, खाने-पीने की चीजों की आवश्यकता है, तो सस्ते भाव पर चीजें उपलब्ध हों। इस तरह से उनकी सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कोआपरेटिव सैक्टर के जरिये से बहुत बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है। जब ऐसी बात होगी, तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

मैं लेबर मिनिस्टर साहब का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग खेती करने वाले हैं और खेती का काम साल में छह महीने होता है और छह महीने वे आदमी बेकार रहते हैं। हमारे जो किसान हैं, उनको आपको आधा दिन काम देना पड़ेगा। वह काम किस प्रकार हो सकता है। वह दूसरी जगहों पर जाकर मजदूरी करें, तो यह हो नहीं सकता। उसके घर पर ही इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए कि उसको काम मिल सके चाहे वह खादी का काम हो और चाहे ग्रामोद्योग का काम हो या अन्य प्रकार के काम हों। इस प्रकार के काम देकर हम उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से करनी चाहिए। मैंने जैसा निवेदन किया था ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में, ये ग्रामोद्योग बहुत कम पनपे हैं। खादी जरूर बढ़ी है। स्पीनिंग का काम बढ़ा है और

मोटी खादी ज्यादा बनाई गई है मगर ग्रामोद्योगों पर हमने बहुत कम ध्यान दिया है और उस पर कम पैसा खर्च किया गया है। इसलिए ग्रामोद्योग गांवों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पनपाने की जरूरत है। लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग देने की जरूरत है और उनके ऊपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्यक्रम हैं, उनको बड़े पैमाने पर पूरा करने की जरूरत है। हम लोगों को ट्रेनिंग देकर और उस पर पैसा खर्च करके सेल्फ-एम्पलायमेंट गांव के स्तर पर दे सकें, तो यह बहुत अच्छी बात होगी और इस प्रकार की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से एम्पलायमेंट गारेन्टी प्रोग्राम चल रहे हैं, उस प्रकार के एम्पलायमेंट गारेन्टी प्रोग्राम भारत सरकार को चलाने चाहिए। सारे देश में एन०आर०ई०पी० का कार्यक्रम चला रखा है, आर०एल०ई०जी०पी० का कार्यक्रम चला रखा है। मेरा कहना यह है कि इन सारे प्रोग्राम्स को आप इकट्ठा करिये और सारे देश के अन्दर ऐसी व्यवस्था कीजिए कि गवर्नमेंट के जरिये से, भारत सरकार के जरिए से वे सारे काम हों चाहे वह सड़क बनाने का काम हो, चाहे तालाब बनाने का काम हो या कन्स्ट्रक्शन का काम हो। इन सबको एम्पलायमेंट गारेन्टी प्रोग्राम के तहत लेना चाहिए ताकि बेकार आदमियों को रोजगार मिल सके। इन सारे प्रोग्राम्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाये, तो उसके बाद वेलफेयर एक्टिविटीज इसके जरिये से की जा सकती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है।

मैं माननीय सदस्य श्री पाटिल की भावना की कद्र करता हूं। वे आज यहां नहीं हैं। जिस हिसाब से वे ये बिल लाए हैं, यह उपयुक्त होगा कि वे इसको विदड्रा कर लें और मैं लेबर मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे एक नया बिल लाएं ताकि अनआर्गेनाइज्ड लेबर के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज स्थापित की जा सकें।

श्री बसवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : चेयरमैन सर, आज अनआरगेनाइज्ड लेबर के बारे में पूरा सदन गंभीरता से इस बिल पर विचार कर रहा है। आज जो उनकी स्थिति है, उनका जो सामाजिक दर्जा है, जो उनका शोषण हो रहा है, उन सब के बारे में मेरे परम मित्र श्री गिरधारी लाल व्यास जी ने सब बातें कहीं। उन्होंने कोई बात नहीं छोड़ी है। वे सब कुछ कह गये हैं। मैं अनुभव करता हूं कि देश में जो हमारे काम करने वाले लोग हैं अगर उनकी हालत को नहीं ठीक किया गया, उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका नहीं मिला तो बहुत ही गंभीर मुश्किलें देश के सामने आयेंगी और बहुत से मुद्दे पैदा होंगे। मैं समझता हूं कि हमारा देश बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई पापुलेशन से पहले ही मुश्किल में है। अब हम स्तर की बात करते हैं तो कहा जाता है कि बढ़ती हुई आबादी हमारी तरक्की को खा गई। ह ने जो काम किये थे वे बढ़ती हुई आबादी ने खो दिये। मैं समझता हूं कि बढ़ती हुई आबादी का मामला और अनआरगेनाइज्ड लेबर का मामला जो है इन दोनों से ही देश में मुश्किलें बढ़ती गयी हैं। इस अनआरगेनाइज्ड लेबर की वजह से ही पापुलेशन बढ़ रही है। जब आम आदमी सामाजिक तौर पर अपना जीवन पद्धति, अपने स्टेण्डर्ड आफ लिविंग के अधीन हो जाता है तो उसको यह ध्यान नहीं रहता कि उसके तीन बच्चे हैं या चार बच्चे हैं। वह यह नहीं सोच पाता कि और बच्चे होने से वह उनकी जिंदगी को कैसे चला पायेगा। उसके सामने यही बात रहती है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही लेबर करके पैसा लाएंगे।

इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो बिल लाया गया है वह हमें अनआरगेनाइज्ड लेबर की समस्याओं के बारे में विचार करने का मौका देता है। लेकिन मैं इसके बारे में यह भी कहूंगा कि बिल लाने वाले माननीय सदस्य इसको प्रेस न करें और इसको विदड्रा कर लें। हमारे यहां जो लोग हमारी आजादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अगर सरकार देश में

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

ओवर पापुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहती है तो वह इन अनआरगेनाइज्ड लेबर की जिंदगियों को रोशन करे। उनके जीवन स्तर को उठाए। इसके लिए सरकार को फ्यूचर में उनकी रोजी-रोटी को सुनिश्चित करना होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में पिछड़ापन है। यह पिछड़ापन सारे देश के लिए चिंता का विषय है। आज उन लोगों का शोषण हो रहा है जिनके पास साधन नहीं हैं, धन नहीं है। उनके पास रोजी के पाने के साधन नहीं हैं। उसके हाथ की कमाई का दुरुपयोग होता है। गलत कामों के लिए उसको एक्सप्लोएट किया जाता है। यह जो बेरोजगार लेबर है, यही अनआरगेनाइज्ड लेबर है। यह दरअसल बेरोजगारी है जिसका नाम अनआरगेनाइज्ड लेबर का दिया गया है। मैंने स्टडी किया है कि पंजाब में मुट्ठीभर लोग नौजवानों का शोषण करते है। मैं वहां की बातें अधिक नहीं लाना चाहता लेकिन वहां भी बेरोजगारी की समस्या वहां की स्थिति का एक कारण है। इसलिए मैं समझता हूं कि सदन जिस मुद्दे पर विचार कर रहा है वह देश के बुनियादी चैलेंजों में से एक है। मैं समझता हूं कि देश की तरक्की में अन-आर्गनाइज्ड लेबर का पूरा कंट्रीब्यूशन है। यहां पर दुनिया के मुकाबले उद्योगों को अधिक ताकत मिली है, इसका एक मुख्य कारण है ईजिली अवेलेबिलिटी आफ लेबर एण्ड चीप लेबर। विदेशों में, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज में एक घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाता है। मैंने देखा है कि कनाडा में कुछ लोगों की तनख्वाह 24 डालर प्रति घंटा है। हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर तरक्की कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण आसानी से श्रम की उपलब्धता और सस्ते श्रम की उपलब्धता है। चाहे कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, वहां भी कृषि मजदूर हैं, वे भी अन-आर्गनाइज्ड है, लेकिन हमारे अन्न के मामले में आत्म-निर्भर होने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अनाज, सब्जी आदि की पैदावार बढ़ाने में उसका बहुत योगदान है।

इसलिए आज मैं सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि देश की उन्नति में, इकनामिक सिचुएशन, इंडस्ट्रियल सिचुएशन के मामले में अन-आर्गनाइज्ड लेबर को अवश्य मद्देनजर रखा जाना चाहिए। देश में बेचैनी को रोकने के लिये भी श्रमिकों को संतुष्ट करना आवश्यक है। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि देश के बड़े-बड़े नेताओं ने इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए फण्डामेंटल राइट्स की बात कही, इस सदन ने यह बुनियादी अधिकार दिया। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी गरीबी हटाओ प्रोग्राम तय किया था, मैं नहीं कहता कि सिर्फ नारा दिया था, क्योंकि मेरी टोका-टोकी करने की आदत नहीं है, मैं पूरी गंभीरता से कहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तन-मन से यह सोचा होगा कि गरीबी कैसे हटेगी, उसके लिये उन्होंने गरीबी हटाओ का प्रोग्राम दिया और उसको हमारी सरकार मानती है कि फण्डामेंटल राइट्स की सुरक्षा होनी चाहिए। बेरोजगारी की वजह से, भविष्य अनिश्चित होने की वजह से एक्स्प्लाइटेशन होता है और ला-लैस-नेस की रुचि बढ़ती है, मैं यह नहीं कहता कि ला-लैस-नेस बढ़ती है, बल्कि उसमें रुचि बढ़ती है और इसके लिये आवश्यक है कि एम्प्लायमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत अन-आर्गनाइज्ड लेबर के लिये कुछ ठोस कदम उठाकर, उनको कानूनी सुरक्षा देकर उनकी भलाई के लिये अवश्य कुछ किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : महोदय, अन्य सदस्यों के विपरीत मैं इस विधेयक के

प्रस्तुतकर्ता श्री बालासाहिब विखे पाटिल का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने हमें इस समस्या को समझने और इस पर विचार करने का अवसर दिया है। यह समस्या वास्तव में उन सभी लोगों के लिये एक चुनौती है जो समाजवाद के प्रति वचनबद्ध हैं और जो इस देश के सभी लोगों को सम्मान देने के प्रति वचनबद्ध हैं। किन्तु महोदय, साथ ही इस विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो कि व्यावहारिक नहीं हैं।

अत: मैं प्रारम्भ में ही श्रम मंत्री महोदय से सरकार की ओर से इस संबंध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध करूंगा। नेहरू जन्म शती के इस वर्ष में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा करना भारतीय जनता के लिये एक महान सेवा होगी। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी क्योंकि पंडित जी मानवीय मूल्यों और मानवीय सम्मान के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध थे। महोदय, मुझे गांधी जी द्वारा दी गई समाजवाद की परिभाषा याद है। गांधी जी के विचार में उत्तम समाजवाद वह है जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को जीविका के साधन, स्वास्थ्य सुविधाएं, तन ढांपने के लिये वस्त्र और रहने के लिये आवास प्रदान किया जाता है। जब आप देश के बारे में विचार करते हैं या किसी महान कार्य के बारे में विचार करते हैं तो आप कृपया अपने उन गरीब भाइयों के बारे में भी विचार करें जिन्हें भर-पेट भोजन नहीं मिलता और जिन्हें आवश्यकता अनुसार पहनने को कपड़े नहीं मिलते तथा जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं है। यदि आप ऐसे व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकते है तो यह आपके द्वारा की गई महानतम मानवीय सेवा होगी। यही बातें गांधीजी कहा करते थे।

आज, हमारी बहुत सी उपलब्धियों के बावजूद, भारी संख्या में जन-शक्ति का उपयोग करने के बावजूद तथा हमारे आर्थिक और औद्योगिक विकास के बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे है। इनमें से अधिकांश लोग असंगठित श्रमिक वर्ग से संबंधित है। पिछड़े क्षेत्रों में जहां कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ है और जहां शिक्षा तथा ज्ञान की कमी के कारण लोगों में अधिक जागरूकता नहीं है इसलिये वहां कोई श्रमिक आन्दोलन नहीं है। यह हमारा अनुभव रहा है और हमने अत्यधिक दुख तथा वेदना से यह अनुभव किया है कि कृषि क्षेत्र, बांस की कटाई, इमारती लकड़ी के व्यवसाय आदि में लगे असंगठित श्रमिकों का अधिकतम संभव सीमा तक शोषण किया जाता है। उन्हें न तो न्यूनतम मजदूरी मिलती है और न ही वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की स्थिति में है।

लोगों में जागरूकता पैदा किये जाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। केवल तभी इस समस्या को हल किया जा सकता है। हमें यह देखना चाहिए कि लोग अपने मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूक है। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वे अपने नियोक्ताओं या यहां तक कि राष्ट्र की दया पर ही निर्भर नहीं हैं। वे इस देश का अभिन्न अंग हैं और उन्हें भी सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। हमें उनमें परिवार कल्याण और परिवार नियोजन के फायदों के बारे में भी जागरूकता उत्पन्न करनी है। विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं। यह देखना हमारा कर्त्तव्य है कि उन्हें शिक्षा दी जाये। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रौढ़ शिक्षा योजनाएं और अन्य योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें शिक्षित किया जा सके और उनके मन में जागरूकता पैदा की जा सके।

हमें यह मानना चाहिए कि किसी महामारी के बीच रहने वाले लोग इसके बुरे-प्रभावों से नहीं बच सकते। यदि हमें भारतीय होने का वास्तव में गर्व है तो हमें न केवल अपने विकास का ध्यान रखना होगा बल्कि अपने साथियों के भी विकास का उतना ही ध्यान रखना होगा। इस सम्बन्ध में हम संविधान के प्रति भी वचनबद्ध हैं। योजना आयोग के अन्तर्गत हमने विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं।

[श्री जगन्नाथ पटनायक]

दुर्भाग्य से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अभाव में हम अपने समाज के इस बड़े वर्ग के साथ न्याय करने में असमर्थ रहे हैं। यह भी अंशत: हमारी वचनबद्धता और जागरूकता की कमी के कारण ही है।

मैं आपका और अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से अन्य सदस्यों को भी अपनी बात कहनी है। मैं सरकार से केवल यह मांग करता हूं कि वे इस संबंध में, विशेष रूप से नेहरू जन्म-शती को ध्यान में रखते हुए, एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करें। दूसरे, हमें असंगठित श्रमिकों में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए तथा उनमें विश्वास जगाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वे सामाजिक और शैक्षिक दोनों ही तरह पिछड़े हैं इसलिए उनमें ऐसा विश्वास जगाना हमारा कर्त्तव्य है। हमें यह भी देखना चाहिए कि वे परिवार नियोजन की महत्ता को महसूस करें। हमें सहकारी संस्थाओं का विकास करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उन्हें इन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से न्याय और लाभ मिल सके। हमें इसके लिए कोई निश्चित नीति बनानी पड़ेगी। कई बार स्थाई कार्य के प्रलोभन के कारण हम उस कार्य को छोड़ देते है जिससे अधिक श्रमिकों के लिये अवसर प्रदान किये जा सकते है। आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को ही लें। इन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि इससे अन्ततोगत्वा असंगठित श्रमिकों के हित में बाधा उत्पन्न होगी।

मुझे और कुछ नहीं कहना है। अन्त में मैं सदस्य से इस विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं और इसके साथ ही मैं सरकार से अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए जिनके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है अर्थात् असंगठित श्रमिकों के लिए विधेयक लाये जाने का भी अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पान्डे (हजारीबाग) : सभापति जी, इस बिल के साथ जो भावना है उसकी मैं कद्र करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री पाटिल साहब ने बड़ी अच्छी नीयत से इस बिल को बनाया होगा। असंगठित मजदूरों के बारे में जो उनके मन में चिन्ता जगी है यह पूरे देश की चिन्ता है। प्रधान मंत्री जी ने आज और कल ही नहीं, बल्कि काफी समय से इसकी चर्चा की है कि संगठित क्षेत्र में मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ कदम बढ़ाये गये है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में अभी कुछ करना बाकी है। उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रूरल लेबर कमीशन बनाया गया है जिसमें हमारे माननीय सदस्य श्री पनिका जी भी सदस्य हैं। जिन्होंने अपने विचार यहां रखे थे। इसमें शक नहीं हो सकते कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो अपने देश की सबसे बड़ी संस्थाविहीन संस्था है उसके बारे में हम सब मिलकर विचार नहीं करेंगे तो यह चिन्ता का विषय नहीं होकर, एक उग्र रूप धारण कर लेगा। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि उसके बारे में कुछ किया जाये। लेकिन श्री पाटिल साहब ने जो व्यवस्था रखी है वह अच्छी नीयत से प्रेरित नहीं है। आप इसमें देखेंगे कि एक व्यवस्था है, वह यह है कि आर्नेनाइज लेबर का एक प्रतिशत काटेगा और वह इम्प्लायर बतायेगा। कौन उसको अधिकार देगा, कैसे काटेगा, यह नहीं बताया गया है। आज आपने एक और व्यवस्था के कानून में कि प्रोवीडेंट फंड का पैसा इम्प्लायर काटेगा और वह जमा करेगा सरकार के पास। सरकार का ट्रस्ट है और इम्प्लायर के प्रतिनिधि उसके ट्रस्टी है, लेकिन बहुत बार यह कहा गया है करोड़ों रुपये इकट्ठे करते हैं इम्प्लायर मजदूरों से और वह जमा नहीं करता है। हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अगर जमा नहीं करेंगे तो उनको जेल भेज दिया जायेगा। लेकिन किसी भी एम्प्लायर को जेल नहीं हुई, बल्कि यह पैसा एम्प्लायर हजम कर जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते है।

दूसरी व्यवस्था इसमें है कि आर्गेनाइज्ड लेबर और इनकी यूनियन्स को भी इसमें रखा गया है। आज अगर मजदूरों ने कहा कि हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो क्या वह हिस्सा यूनियन देगी, यह समझ में नहीं आता है. अजीब-अजीब-सी बातें इसमें रखी गई हैं। कुछ लिखना था इसमें, लिख दिया गया है, हम तो यही समझते हैं। इसको लेकर समाज में अजीब स्थिति पैदा हो सकती है फिर देश को आप नहीं सम्भाल पाएंगे। मैं यह महसूस करता हूं कि इसमें इन्होंने जो सुझाव दिया है कि इस तरह से वैलफेयर सेस बनाया जाये ··मैं जानता हूं कि अपने देश में बहुत से वैलफेयर फण्ड बने, लेकिन जो भी वैलफेयर फण्ड बना आर्गेनाइज्ड लेबर के लिए, वह किसी से चन्दा मांग कर नहीं बना, उसके लिए बाजाब्ता सैस की व्यवस्था की गई। जैसे कोल माइन्स वैलफेयर फण्ड बना, उसमें कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए कंज्यूमर्स पर सैस लगाया गया। कोई काम आप करने जाते हैं तो उस पर सरकारी टैक्स तो बनता है, जो उससे लाभान्वित होता है, वह टैक्स उसे देना चाहिए। लाभान्वित होने वाला टैक्स दें, यह बात तो समझ में आती है, यदि आपको कोयला लेना है तो टैक्स दीजिये, वैसे ही माइका पर आपने सैस लगाया, जिसका बोझ कंज्यूमर उठाये, कंज्यूमर का इन्टरैस्ट है, माइका खरीदना है, इसलिए देना पड़ेगा, वैसे ही डोलोमाइट और आयरन ओर आदि जितने सैस लगाये गये, वे इन्टरैस्टिड पार्टीज पर लगाये गये, जो उससे सम्बन्ध रखती थी। वे ही सैस हैं इसकी एक्ट में व्यवस्था की गई। मजदूरों की मांगों को पूरा करने के लिए, मजदूरों के हक के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए सैस लगाया। इसलिए देने वाला भी महसूस नहीं करता था कि यदि हम कुछ देते भी हैं तो उससे गरीब मजदूरों का भला होगा। लेकिन इस बिल में श्री पाटिल साहब ने जो व्यवस्था की है कि आर्गेनाइज्ड मजदूर अपनी तनख्वाह में से एक परसेंट सैस के रूप में दें, जिसका कोई इन्टैस्ट नहीं है, तो वह बात समझ में नहीं आती। रोड़ सैस लगाया जाता है तो उसके पीछे यही भावना है कि तुम्हारे इलाके में सड़कें बनाई जाएंगी, तुम्हें आवागमन में सहूलियत होगी इसलिए लोगों को चुभता नहीं। सब देते भी हैं। वैलफेयर सैस जहां भी लगाया जाता है, इसी सिद्धान्त पर लगाया जाता है। यदि आप वैलफेयर सैस किसी ऐसे व्यक्ति पर लगाएं जिसका उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी रूप में हित या अहित संलिप्त न हो, आप जबर्दस्ती उससे चन्दा वसूलें, यह तो मेरे ख्याल में भावीन बन कर रह जायेगा और कुछ काम नहीं बनेगा। कल आर्गेनाइज्ड लेबर यदि झगड़ा खड़ा कर दें, प्रोटैस्ट करे, तो कौन से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत आप उससे लेंगे, यह समझ में नहीं आता। आप कहें कि चन्दा दो और वे कहें कि हम नहीं देंगे, उस समस्या के हल की हमारे देश में कहीं व्यवस्था नहीं है, वायोलेशन करने वालों को आप किस नियम के तहत कोर्ट-कचहरी में ले जाएंगे। एम्पलायर के लिये आपने व्यवस्था की है कि किसी भी रूल के वायोलेशन पर 6 महीने की सजा होगी और हर एक्ट में आपने व्यवस्था की है। यदि वह पी० एफ० का पैसा रख लेता है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। यदि खुदा-न-खास्ता हमारी लेबर मिनिस्ट्री किसी पर केस भी करे तो पैनल्टी देना वह ज्यादा पसन्द करेगा क्योंकि पैनल्टी आपने इतनी कम कर रखी है कि उस पैसे के सूद से ही वह पैनल्टी भर देगा। इसलिए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो तर्कसंगत न हो। मुझे विश्वास है कि जैसे आर्गेनाइज्ड लेबर के बारे में सरकार का चिन्तन है, वैसे ही अन-आर्गेनाइज्ड लेबर पर भी उसका ध्यान जाये। लोग ऐसा महसूस करने लगें कि सरकार का हमारी तरफ भी ध्यान है और वह हमारे कल्याण के लिए काम कर रही है। आपने रूरल लेबर के लिए लेबर कमीशन बनाया है, लेकिन आर्गेनाइज्ड लेबर या अन-आर्गेनाइज्ड लेबर केवल रूरल सैक्टर में है, ऐसा नहीं है। बड़े-बड़े अर्बन सैंटर्स में भी, बड़े औद्योगिक घरानों में भी अन-आर्गेनाइज्ड लेबर हैं, उनके लिए भी आपको कुछ करना होगा। जमशेदपुर में टिस्को इतना लम्बा-चौड़ा कारखाना है, क्या हम लोग महसूस करते हैं कि वहां कोई समस्या नहीं होगी। वहां 40 हजार सदस्य हैं लेकिन ठेकेदार के वर्कर्स, कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स, एक्साइज सर्विस के वर्कर्स भी तो हैं जो सब अन-आर्गेनाइज्ड हैं। समस्या यह नहीं कि कौन आर्गेनाइज्ड है और

[श्री रामेश्वर पांडे]

कौन अन-आर्गेनाइज्ड है, असली समस्या यह है कि जिस तरह से आर्गेनाइज्ड मजदूरों ने अपनी सुरक्षा और हितों के लिये व्यवस्था की है, अपना अलग संगठन खड़ा किया है, यदि वैसे ही अन-आर्गेनाइज्ड लेबर के लिए भी हम कोई संगठन खड़ा नहीं करेंगे, उनकी ताकत को इकट्ठा नहीं करेंगे उनमें बारगेनिंग पावर नहीं लाएंगे तो हम चाहे उनके लिए कितने ही कानून क्यों न बना लें, उससे कुछ अच्छा परिणाम निकल पायेगा, इसमें मुझे संदेह है। इसलिए भाई पाटिल ने इस सदन में जो बिल पेश किया है, मैं कहूंगा कि वे एक दूसरा बिल लाएं। दूसरा बिल यह लाएं कि अन-आर्गेनाइज्ड लेबर की हम यूनियन बनाएंगे और सभी मैम्बर जो यहां पर हैं, सब के सब 524 मैम्बर यह जिम्मा लें कि हम अपने-अपने इलाके में और कुछ करें या न करे, हमारा दायित्व है कि हमारे इलाके में जो अन-आर्गेनाइज्ड लेबर होगी, उसका हम संगठन करके उसकी ताकत इकट्ठी करके, उसमें इतनी शक्ति लाएंगे कि सरकार की हिम्मत नहीं हो कि उसको किसी चीज के लिए मना कर सके। आज अगर अन-आर्गेनाइज्ड लेबर आर्गेनाइज्ड हुई है, तो इसी प्रकार से हुई है। मैं जानता हूं 35 साल से मैं कोयला खदानों के मजदूरों के बीच में काम कर रहा हूं। तब वे अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में भी सबसे गये बीते थे। उस वक्त उनको 8 आना और एक मुट्ठी चावल देते थे। उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम अपना संगठन बनाएंगे। उस समय वे अपने एक-डेढ़ रुपये वेतन में से भी काट कर चन्दा यूनियन को देते थे और मैम्बर बनते थे। तब से अब थोड़ी-थोड़ी करके देश ने उनकी ताकत को महसूस किया और उनकी क्षमता को महसूस किया। उनकी दुख-तकलीफ को महसूस किया। आज हाईएस्ट तनख्वाह पाने वालों में उनका नाम भी आता है। उन्होंने यह अपनी क्षमता से किया, अपनी संगठित शक्ति से किया।

आज हम उनसे चन्दा लेकर, किसी की मेहरबानी से, सदाव्रत लेकर हम कोई वैलफेयर करें, उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। उससे अकल्याण होने वाला है। इससे तो हम उनको निरीह बना देंगे, हम उनको कोई ताकत नहीं दे सकेंगे। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग मिल जुलकर प्रतिज्ञा करें कि हम उनको संगठित करेंगे। अन-आर्गनाइज्ड को आर्गेनाइजड करेंगे और उस आर्गेनाइजेशन को बल देंगे और इस काम के लिए सरकार की ताकत जुटाएंगे। सरकार की प्रेरणा से ही यह सुविधा दी गई है कि आप खेतिहर मजदूरों का संगठन बनाएंगे तो सरकार उसमें उनकी मदद करेगी। जब यह सारी व्यवस्था है, तब हम क्यों न उसका फायदा उठाएं। आज स्थिति यह है कि बहुत से लोग यह जानते भी नहीं है कि अगर उन्होंने अपनी यूनियन रजिस्टर्ड करानी हो, तो उसके लिए सरकार से पैसा मिलेगा। सरकार उनकी मदद करना चाहती है और हम उसमें योगदान न देकर, उनसे चन्दा इकट्ठा करके उनका कोई कल्याण कर सकेंगे, मैं नहीं समझता कि यह व्यवस्था कारगर होगी।

मैं यह समझता हूं कि "अन-आर्गेनाइज्ड" में से "अन" शब्द निकालें और उसको आर्गेनाइज करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम उनकी बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे। जब उनकी ताकत होगी तो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि उनको डिस्टर्ब करे या उनको कोई यह कहे कि मकान नहीं देंगे या पूरी मजदूरी नहीं देंगे। तब उनकी ताकत होगी, जब वे संगठित होंगे, तब उनको सब कुछ मिलेगा। उनकी संगठित शक्ति के आगे सरकार को उनकी सब बातें माननी पड़ेंगी।

सभापति जी, मेरा सुझाव यह है कि अन-आर्गेनाइज्ड लेबर के कल्याण के बारे में एक विचार होना चाहिए और वह विचार यह है कि इस लेबर को संगठित किया जाए और उससे जो ताकत बने, उसकी मदद सरकार करे। इस प्रकार से उनकी ताकत बनाने में सरकार मदद करे और इसके बाद सरकार का यह विचार होना चाहिए कि संगठित शक्ति से, अपने को अपने पैरों पर खड़ा रखने के

लिए, अपनी हस्ती को बनाए रखने के लिए वे कुछ मांगते हैं, जैसे मिनिमम वेजेज एक्ट को लागू करवे की बात है, तो वह होना चाहिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि मिनमम वेजेज एक्ट लागू नहीं होता है। इंस्पेक्टर जाता है और किसान से अपना चन्दा लेकर वापस आ जाता है। वह उसको लागू नहीं करवाता है। हमने यह मिनमम वेजेज एक्ट तो बना दिया और उन्हीं लोगों के लिए बनाया जो अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं।" सरकार के इंस्पैक्टर जाते हैं उसे लागू करवाने के लिए, लेकिन वे मिनिमम वेजेज एक्ट को लागू नहीं करा पाते। किसान से या जो उनके एम्पलायर हैं, जिनको इसे लागू करना है, उनसे मिलकर वापिस आ जाते हैं, इसलिए कि उन बेचारों की शक्ति नहीं होती।

इसलिए मेरा सुझाव है कि मिनिमम वेजेज एक्ट, बोंडेड लेबर एक्ट या जो दूसरी व्यवस्थाएं लेबर के मामले में सरकार ने की हैं, उनको और ताकतवर बनाया जाए और वह ताकत संगठन के माध्यम से ही हम बना सकते हैं, इसलिए इसको जल्दी-से-जल्दी किया जाए।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : सभापति जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे भी बोलने के लिए बुलाया, मेरे पहले वाले साथी तो चाहते थे कि वही बोलते रहें और दूसरे को मौका न मिले। हम लोग भी लाइन में थे।

मैं पाटिल साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बहुत ही मौलिक विचार को इस सदन में स्थापित किया है। उसमें हो सकता है कुछ खामियां रह गई हों जिनकी ओर हमारे साथी ने ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी विचारणीय हैं।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए, उनके वैलफेयर और कल्याण के लिए कोई फंड की व्यवस्था नहीं है। अगर फंड की व्यवस्था नहीं है तो उस पर-सदन में कोई चिन्तन ही न हो, उस विचार को ही न लाया जाए और आइन्दा भी उस पर विचार न हो, ऐसा सोचना मेरे विचार से गलत है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, जिनमें असंगठित मजदूर काम करते हैं जिनके वैलफेयर फंड का एक विशेष मुद्दा है। उनके लिए कल्याण निधि, वैलफेयर फंड पैदा किये जा सकते हैं अगर सरकार उसमें थोड़ी-सी कोशिश करे।

मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कुछ गरीब इलाके हैं, प्रदेश हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश वगैरह जहां से लेबर दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं। यदि वह मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं तो वह असंगठित क्षेत्र में शुद्ध रूप से मजदूर है, लेकिन उनके लिए कल्याण की निधि पैदा की जा सकती है। उस स्टेट ने एक माइग्रेन्ट लेबर एक्ट भी बनाया है जिसमें यह प्रावधान रखने की कोशिश की है कि दूसरे प्रदेशों में जहां पर ये असंगठित क्षेत्र के लोग काम करने जाते है खेत-खलिहानों में काम करने जाते हैं, उनके वैलफेयर पर विचार किया जाये। जैसे बिहार से बहुत बड़ी संख्या में मजदूर हरियाणा, पंजाब और असम के इलाकों में काम करने वाले हैं। इन मजदूरों की संख्या को रजिस्टर किया जा सकता है। जिस प्रदेश में ये जाते हैं या जहां काम करते हैं, उनके एम्पलायर कौन हैं, इसको स्पैसीफाई किया जा सकता है और बिहार सरकार ने एक माइग्रेन्ट लेबर एक्ट बनाया था, जब मैं वहां पर श्रम मंत्री था, तो उसमें यह प्रावधान था कि हर प्रदेश में एक डिप्टी कमिश्नर रैंक का आफिसर रहेगा जो ऐसे मजदूरों को रजिस्टर करेगा और जो ऐसे मजदूर जाते हैं उनको सही मायनों में मिनिमम मजदूरी मिले यह देखेगा। उनकी मजदूरी से या अलग से वैलफेयर का फंड दिया जा सकता है।

बीडी मजदूरों से वैलफेयर फंड के लिए उनकी मजदूरी से पैसा नहीं कटता है लेकिन एम्पलायर

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

की ओर से उनके लिए वैलफेयर फंड कटता है और वह जमा होता है। वह लोग आज करोड़ों की मात्रा में नहीं अरबों की मात्रा में बीड़ी मजदूरों के लिए वैलफेयर फंड निकालते हैं लेकिन दुःख की बात यह है कि यद्यपि बीड़ी मजदूर अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर के मजदूर हैं और बड़े अन-आर्गेनाइज्ड ढंग से उनको वैलफेयर फंड मिलता है लेकिन वह वैलफेयर फंड मोस्ट अन-आर्गेनाइज्ड है। वह बाद में किस मजदूर को दिया जाए, उस मजदूर को स्पेसेफाई नहीं करते हैं। यह पता नहीं लगता है कि किस मजदूर के लिए यह फंड काटा गया है, उसके लिए कैसे इस पैसे को दें। उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था या उनके विकास के लिए तुरन्त मोबाइल अस्पताल की व्यवस्था, जो बीड़ी की मजदूरी के पेशे में काम करते-करते बीमार हो जाते हैं, उनको टी० बी० हो जाती है ऐसे मजदूरों के विकास में किस तरह उस पैसे को खर्च किया जाए, सही रूप से इस पर चिन्तन नहीं किया गया है।

मैं माननीय श्रम मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस पर चिन्तन किया जाए कि किस तरह से ऐसे असंगठित मजदूरों के वैलफेयर का काम हम करें।

दूसरी बात यह है कि वह श्रमिक जो कि दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं उन पर एम्पलायर एकदम से टूट पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह उनका बहुत अधिक शोषण करते हैं। उनको जबर्दस्ती शराब पिलाई जाती है।

[अनुवाद]

समापति महोदय : आप कृपया अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 27 फरवरी, 1989/8 फाल्गुन, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिज्स, न्यू सीलमपुर दिल्ली-53